खण्ड-294, अंक-2
गुरूवार, 30 पौष, शक संवत् 1893
(20 जनवरी, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 294 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१३९–१४३
प्रश्नोत्तर	१४३–१८५
इटावा शहर में सुरक्षा कोष के लिये चन्दा एकत्रित करने में धांधलियां किये जाने के संबंध में वक्तव्य (जारी)	१८५–१९४
२७ अगस्त, १९७१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	१९४–१९५
इटावा शहर में सुरक्षा कोष के लिये चन्दा एकत्रित करने में धांधलियां किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	१९५
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	१९५–२००
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, (विचारोपरान्त पारित)	२००–२०४
नियम समिति (१९७१–७२) के प्रथम प्रतिवेदन में प्रस्तावित नियम १४ में संशोधन (जारी)	२०४–२३७
निमम 51 के अन्तर्गंग सूचनाएं	२३७–२३९
प्रदेश में किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध न होने के विषय में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा	२४०–२४८
रघुनाथपुर मजरा, ग्राम मंडवाना, थाना माल, जिला लखनऊ के निवासियों के साथ वहां के भूतपूर्व जमींदार द्वारा अमानवीय अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा	२४८–२७२
सदन को अनिश्चियत काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव ..	२७२
नत्थियां	२७३–३२०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २० जनवरी, १९७२

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७३

अजर्वासिह, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० पाइस, श्री

ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री

गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल सरदार, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल राजा, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेज नरायण त्रिवेदी, श्री
जेत पाल सिंह कृष्ण, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय , श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
(जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री

प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय श्री
बंशीधर मिश्रा श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम श्री,
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नवी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री

राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रतन प्रसा , श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री

वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेवसिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शांति चरण पिड़ारा, श्री
शान्तिदेवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पाण्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरूलाल, श्री
शर अली खां, श्री
शरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री

शोनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री कनौजिया
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुखबीर, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री उर्फ हंसा
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनरायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:--सामुदायिक विकास श्री बलदेव सिंह आर्य तथा सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २० जनवरी, १९७२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु योजनाएं

**१--श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)--
क्या सरकार ने हाल में कोई योजना प्रदेश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? और उस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)--
जी हां। वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २७३-२७५ पर)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--
आप बताइये कि इससे क्या प्रगति हुई है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

वह भी बताते हैं। हमने कुछ और नई योजनायें बनाई हैं। जैसे झांसी और बलिया दो जिलों में जितनी भी लागत से ये उद्योग धंधे लगेंगे उसमें १० परसेंट हम सब्सिडी देंगे। यानी दो लाख रुपया यदि किसी में लगता है तो उसका १० परसेंट रुपया हम अनुदान स्वरूप देंगे। इसके अलावा जहां पर एन्टरप्रेन्योर नहीं मिलते हैं वहां पर, ऐसे चार जिले हमने छांटे हैं, सरकार स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उद्योगों की स्थापना करेगी और उस उद्योग के सफल हो जाने पर यदि एन्टरप्रोन्योर चाहेंगे तो सरकार का हिस्सा भी वे लोग ले सकेंगे। इस तरह के छोटे उद्योग बढ़ाने के लिए और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

ये योजनाएं तो केन्द्र की हैं, मंत्री जी अपने राज्य की बात बतायें?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये रा-मेटीरियल सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाता है? यदि कराया जाता है, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि करघा उद्योग जो स्टेपेल यार्न की वजह से मुसीबत में पड़ा हुआ है, उसको सुविधा देने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, स्टेपेल यार्न का जो मामला है, उसके प्राइसेज पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया का ध्यान हमने आकर्षित किया है, उनको लिखा है कि इसकी कीमतें बढ़ जाने से हमारे बुनकरों को काफी हानि पहुंच रही है और उनमें बेकारी फैल रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आप कुटीर या लघु उद्योग के जो ऋण के फार्म भेजते हैं, उसमें एक कालम यह भी रखा गया है कि ऋण किस चीज के लिये चाहिए—भवन, मशीन और कच्चा माल में से किसी एक चीज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अग्रवाल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी ने ऋण के लिए अप्लाई किया था तो उसे जवाब दिया गया कि कच्चे माल के लिए ऋण नहीं दिया जाता है जबकि फार्म के अन्दर इसका प्राविधान है। मैं जानना चाहता हूं कि कुटीर उद्योग को कच्चे माल के लिए क्या ऋण नहीं देते हैं?

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, जो लोन दिये जाते हैं वह वर्किंग कैपिटल को लोन दिये जाते हैं। उसकी व्यवस्था बैंक के द्वारा लोन मिलने की है। बाकी जो कच्चा माल कारखाने के लगाने में यानी स्ट्रक्चरल के लिए आवश्यकता होती है उसके लिए जो लोन दिया जाता है वह यू० पी० फाइनेन्स कारपोरेशन की ओर से दिया जाता है।

श्री रामसिंह खन्ना—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि कौन-कौन विशेष लघु उद्योग हैं जिनको विद्युत दर में नौ पैसे की छूट दी जाती है?

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, उनकी पूरी सूची तो मेरे पास नहीं है। लेकिन कुछ उद्योग धंधे जो कम लागत से लगे हुए हैं उनमें दो पैसे प्रति यूनिट की एक विशेष छूट दे दी जाती है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में जो आपकी विभिन्न योजनायें हैं उनमें मिलने वाली सुविधाओं और सुविधाओं को प्राप्त

करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आपने कोई प्रकाशन किया हैं जनता की जानकारी के लिए ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रकाशन करने की कृपा करेगी ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

इसका प्रकाशन किया गया है। एक पुस्तिका है, क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, किस तरह से ऋण प्राप्त हो सकता है, इसकी एक पुस्तिका प्रकाशित की गयी है।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

क्या यह मंत्री जी को मालूम है कि स्टेपिल या यार्न जो पावर लूम में इस्तेमाल होता है की कीमत ५५ रुपये से ७५ रुपये हो गयी है और क्या इस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को अवगत कराया है ? और कब कराया है और इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब आया है या नहीं और क्या इस सम्बन्ध में पावर लूम और हैन्डलूम बोर्ड की मीटिंग बुला रहे है या नहीं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, मुझे तो सूचना करीब एक सप्ताह हुये मिली, मुझे मालूम है कि ७५ या ७० रुपये के करीब उसका रेट पहुंच गया है इस सबकी सूचना मैंने केन्द्रीय सरकार को दे दी है और उनसे आग्रह भी किया है कि इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाना भी चाहिए।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रदेश में योजना बनायी है, क्या उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है प्रदेश में जो भी २० साल से छोटे लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, उसकी उगाही के लिए किसी प्रकार की योजना है और वह कितना है- कोई इस तरह के आंकड़े आपके पास हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, जो रुपया हमारा बकाया है वह तो प्रायः बिलकुल ठीक आंकड़े तो नहीं हैं करीब-करीब करोड़ रुपया है उसको वसूल करने के लिए इधर बड़ी द्रुति गति से प्रयत्न कर रहे हैं और काफी पैसा वसूल भी हो रहा है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल की आवश्यकता है उसके वितरण तथा व्यवस्था के लिये क्या माननीय मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न अंचलों में उप खंड खोले हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कच्चे माल की अधिक से अधिक सुविधा दे सकें। उसके लिये विभिन्न क्षेत्रों में हमारे स्टाक याड्र्स हैं और उनकी और व्यवस्था कर रहे है जिससे यह कठिनाई हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक दूर की जा सके।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

स्टेपिल यार्न के दामों में वृद्धि के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार को कब लिखा गया और केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

इसकी सूचना एक हफ्ता हुआ, मुझे मिली थी। उसी वक्त एक पत्र मैंने भिजवा दिया जिसको भेजे तीन चार दिन हुये हैं लेकिन उसका उत्तर अभी तक वहां से प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

कर्जा, जमीन तथा मशीन लेने में लगभग ६, ७ महीने लग जाते हैं और उद्योग लगाने वाले इस चक्कर में पड़े रहते हैं तो क्या इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा कराने की ओर सरकार विचार करेगी ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

यह सही बात है कि पहले इस ऋण को लेने में लोगों को काफी परेशानी होती थी लेकिन अब मैंने इसकी पूरी व्यवस्था की है कि ४५ दिन के अन्दर यह सूचना प्राप्त हो जानी चाहिये कि उनका ऋण मंजूर हुआ या नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में अगर कोई भी शिकायत मेरी जानकारी में लाई जायगी तो मैं उस पर सख्त कार्यवाही करूंगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अन्य सदस्यों को आप दो बार समय दे चुके हैं लेकिन हमें एक बार भी नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से आप व्यवहार न करें। आपके दल के सदस्यों को ८, १० दफा मौका मिल चुका है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

पर्वतीय जिलों में वन सम्बन्धी कच्चा माल काफी मात्रा में मिलता है तो क्या सरकार ने पर्वतीय जिलों के लिये कोई लघु उद्योग योजना बनाई है?

श्री देवकी नन्दन विभव—

हम पर्वतीय जिलों के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील है और कई योजनायें वहां चलाने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह देखते हुए कि आम तौर से छोटे तथा लघु उद्योग में आम तौर से देहात में रहने वाला गरीब आदमी लगा हुआ है, उसकी कठिनाई को मद्देनजर रख कर कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसी स्थान पर उद्योग विभाग का आफिस हो ताकि उनकी दरख्वास्त ऋण के लिये पड़ी न रहें और उसके लिये उनको चक्कर न लगाने पड़ें?

श्री देवकी नन्दन विभव—

यह आदेश हमने यहां से भेजे हैं कि हर जिले में जो जिला उद्योग अधिकारी हैं वे इस बात का विशेष प्रयत्न करें कि आवेदकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो और उनको जहां तक वे सहयोग दे सकते हैं, सहयोग दें।

श्री राम सिंह खन्ना—

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन योजनाओं को लागू करने के बाद कितने नये लघु उद्योग धन्धे खुले और उसके फलस्वरूप कितने लोगों को जीविकोपार्जन करने का मौका मिला?

श्री देवकी नन्दन विभव—

मान्यवर, यह तो बहुत ही विस्तार का सवाल है यदि माननीय सदस्य इसकी सूचना मुझे देंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, यह तो मूल प्रश्न में ही मैंने पूछा है उसका तो जवाब आना ही चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

(माननीय उद्योग मंत्री को सम्बोधित करते हुए) जो योजना आपने बनाई है उसकी प्रगति के बारे में मोटे तौर पर आप बता दें। वैसे तो यह विस्तार का प्रश्न है।

श्री देवकी नन्दन विभव—

मान्यवर, इसमें प्रगति यह है कि जितने भी बोगस यूनिट्स थे उन सब को वीड आउट किया गया है। उसके बाद जितने नये यूनिट्स आये हैं उनकी संख्या भी वीड आउट किये गये यूनिट्स से कहीं ज्यादा है।

श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, इस प्रश्न को १६ मिनट हो चुके हैं और अन्य प्रश्नों का क्या होगा . . .

श्री देवकी नन्दन विभव—

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत विस्तृत है और इसके लिये समय चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

जिस दल के सदस्य अभी बोल रहे थे कि उन्हें समय नहीं दिया गया तो उनक दल के सात सदस्यों को मैंने बोलने का समय दिया है और फिर भी उनको एतराज ह ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आज कबिनेट स्तर का कोई मंत्री नहीं बैठा है जब कि पोलिसी मेटर्स के प्रश्न आज ज्यादा हैं ।

अनुसूचित जातियों के लिये नौकरियों में आरक्षण

**श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ४८ व ४९ दिनांक ६ जनवरी, १९७२ के उत्तर के सन्दभ में बताने की कृपा करेंगे कि सरकार मुंसिफी पदों के ८५ रिक्त स्थानों की भर्ती लोक सेवा आयोग के परीक्षाफल के आधार पर करने जा रही ह ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त परीक्षा में १८ प्रतिशत अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की तादाद घटा करके १० प्रतिशत कर दी गई ह ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन उप मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है। अनुसूचित जातियों के लिये १८ प्रतिशत का आरक्षण घटाया नहीं गया है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ८५ अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग से चुनकर आये हैं . . .

(व्यवधान)

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं ह।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह—

क्या व्यवस्था के प्रश्न पर कोई माननीय सदस्य नहीं उठ सकता है ?

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं। मैंने उनको बुला लिया है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

मैं पहले आप स व्यवस्था चाहता हूं। आप पहले मुझे व्यवस्था दें . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—
कोई व्यवस्था नहीं दी जायेगी। यदि आप बैठते नहीं हैं तो आप को बाहर निकाल दिया जायेगा..

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—
यह कोई स्कूल नहीं है आप मुझे बाहर निकाल दें। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। मुझे आपने बोलने का मौका नहीं दिया...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—
आप बाहर निकल जायं। यह कैसी व्यवस्था है जो दूसरों के काम में अव्यवस्था डालें। प्रश्नों के समय में इस तरह से व्यवहार करना ठीक नहीं ह...

(घोर व्यवधान)

(तदुपरान्त श्री महीलाल तथा कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह सदन से बाहर चले गये)

श्री रूप नाथ सिंह यादव—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ८५ अभ्यर्थी लोक-सेवा आयोग द्वारा हुई परीक्षा में बठे हैं उनका परीक्षा फल शासन को प्राप्त हो गया ह? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति कब तक हो जायगी?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—
मान्यवर, यह जो ८५ अभ्यर्थी इस लोक-सवा आयोग द्वारा हुई परीक्षा में बैठे थे जिनमें से ४६ उत्तीर्ण हुय हैं और उनमें से १० अभ्यर्थियों को सीटें भी मिल गई ह। इसलिये कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—
मान्यवर, जब ८५ अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई रिटेन और इन्टरव्यू में कर लिया था तो क्या करण है कि बकाया ४० लोगों की नियुक्ति के लिये आयोग ने नाम नहीं भेजा?

श्री कृष्ण चन्द शर्मा—
मान्यवर, पब्लिक सर्विस कमीशन ने सन् ६७ में यह फैसला लिया कि साक्षात्कार के लिये कम से कम ३५ प्रतिशत आवश्यक है। और इसी आधार पर मान्यवर, ४६ को उन्होंने चुना है और इसलिए १९६७-६८ के बाद जो प्रक्रिया बदली गयी ह, पहले अग्रिगेट टोटल के अनुसार दिये जाते थे अब साक्षात्कार के ३५ परसेंट कम से कम आवश्यक ह।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—
क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसे केन्द्रीय सरकार के आंकड़ों में ऐसे परीक्षण के लिए लिखित और साक्षात्कार दोनों को जोड़ कर परीक्षाफल निकाला जाता ह उसी प्रकार इसमें भी ३५ का जो मिनिमम है उसको लिखित और साक्षात्कार दोनों को जोड़कर परीक्षाफल निकालने की कृपा करेंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—
शासन विचार कर रहा है कि अग्रीगेट टोटल के अनुसार ही परीक्षाफल हो।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—
क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नियम १९ यू० पी० जुडीशियल सर्विस के लिए प्रकाशित हुआ ह उसमें जहां है कि मिनिमम क्वालिफाई करेगा लिखित में और इंटरव्यू में ५ परसेंट निश्चित हुआ तो ३५ परसेंट तो लिखित पाता ह विद्यार्थी और ३५ इंटरव्यू के तो

दोनों को मिला कर क्वालिफाई करता है तो जब ऐसी व्यवस्था हो गयी है जो नियम बनाया है तो बकिया ४० का नाम क्यों नहीं भेजा ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

नियम १६ में यह प्राविधान है जिसमें कि पब्लिक सर्विस कमीशन को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह संतुष्ट हो जाय साक्षात्कार के समय कि वह सूटेबिल है कैंडीडेट वह इस प्रकार है--"हैज आबटेंड इन दि वाइवावोसी टेस्ट सच सफिश्येंट हाई मार्क्स दैट ही इज सूटेबिल फार दि सर्विस" और इसी के अन्तर्गत उन्होंने ३५ परसेंट न्यूनतम अंक निर्धारित किये ह।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा था कि १८ परसेंट से अनुसूचित जातियों का कोटा हटा कर १० प्रतिशत कर दिया गया है, तो वह किस आधार पर आपने कम किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

मान्यवर, ४६ में १० लिये गये हैं, तो १८ प्रतिशत ज्यों का त्यों है।

श्री धर्म सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे जो ४६ व्यक्तियों की रिकमेंडेशन उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है उसमें १८ फीसदी कोटा सरकार ने पूरा किया है या नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

वह तो मैंने कहा कि ४६ में से १० लिये गये हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों के कितने अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया था जिसमें से केवल आपने १० लिये हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

वही ४६ में १० लिये हैं, यही आता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैं यह पूछ रहा हूं कि क्वालिफाई कितनों ने किया है ? जब १८ प्रतिशत उनके लिए रिजर्व है और उन्होंने लिये हैं १० तो क्या केवल १० ने क्वालिफाई किया था या किस आधार पर उन्होंने १० लिये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

८१ सीटें थीं। ४६ लोग लिये गये थे और ४६ में से १८ फीसदी के लिहाज से ६ आते हैं अनुसूचित जाति के, और हमने १० को ले लिया है। कोटे से कम तो है ही नहीं।

श्री सियाराम (जिला एटा)--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अनुसूचित जातियों के जिन अभ्यर्थियों के अंक कम थे उनको ले लिया गया है और ज्यादा अंक वालों को छोड़ दिया गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या मंत्री जी बतायेंग कि पी०एस०सी० न पहली मर्तबा इंटरव्यू के लिये ४०० मार्क्स पाना फिक्स किया है जबकि पहल एसा नहीं था इसलिय ज्यादा लोग नहीं आ सक ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

श्रीमन्, यह सही है कि पहली बार साक्षात्कार के लिये पी०एस०सी०ने ३५ प्रतिशत न्यूनतम अंक रखे हैं और प्राविधान भी बताया जिसके अन्तर्गत पी०एस०सी० को यह अधिकार प्राप्त है । लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है क्योंकि काफी संख्या म मुंसिफ नहीं मिल । इसलिये जो पहले ४० प्रतिशत का नियम था उसी के आधार पर परीक्षा ली जाय ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर जांच करायेंगे कि ८५ अभ्यर्थियों ने ३५ प्रतिशत अंक इंटरव्यू और लिखित परीक्षा में प्राप्त किये हैं लेकिन इसके बावजूद ४०–४५ परीक्षार्थियों को ही भेजा है । इनकी जांच करा कर उनको नियुक्त करन की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

इस संबंध में हम पी० एस०सी० से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं ?

पर्वतीय विकास परिषद् से संबंधित मंत्रालय का गठन

**३—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली) तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे पर्वतीय विकास परिषद् के लिये अलग मंत्रालय गठित करन पर विचार कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

पर्वतीय विकास परिषद् के लिये अलग मंत्रालय कायम करना तो आवश्यक नहीं प्रतीत होता परन्तु श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, राज्य मंत्री को पर्वतीय विकास परिषद् पर्वतीय विकास निगम तथा पर्वतीय जिलों के विकास से संबंधित अन्य समस्त कार्य भी सुपुर्द किये गये हैं । इस संबंध में दिनांक १७ जनवरी, १९७२ को विज्ञप्ति भी निकाली गई है ।

श्री शेरसिंह दानू—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हिल अफेयर्स के लिये एक पृथक् मंत्रालय बनाने में उनको क्या आपत्ति है जबकि जनता इसमें अपना हित देख रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा —

मान्यवर, शासन समझता है कि जो परिवर्तन किया है उससे काम चल जायेगा इसलिये मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मंत्री जी को पता है कि मुख्य मंत्री जी ने पर्वतीय विकास परिषद् की नियोजन समिति में घोषणा की थी कि पर्वतीय प्रदेश में विकास की गति तीव्र करने के लिये जिस तरह से तीन सीमांत जिले मुख्य सचिव शाखा के अधीन हैं उसी तरह से इनका भी विकास हो, इनको मुख्य सचिव शाखा के अन्तर्गत रखा जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

यह सही है कि इस प्रकार की नीति का मुख्य मंत्री जी ने ऐसा संकेत दिया था और मैं सूचित करना चाहता हूं कि इस सुझाव पर विचार हो रहा है और इसकी डिटेल्स वर्क आउट की जा रही है ।

श्री डूंगरसिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि काश्मीर में लद्दाख के लिये अलग से मंत्रालय है और उसमें कोई खराबी नहीं आती है तो क्या प्रदेशीय सरकार इसको मद्देनजर रखते हुए कि विकास की प्रक्रिया तीव्र हो और जैसा कि मंत्री जी ने आभास दिया जल्दी से जल्दी पृथक न्यायालय बनाने की कृपा करेंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

अलग मंत्रालय की व्यवस्था केंद्र में अवश्य है, हमारे यहां नहीं है । मान्यवर, वैसे शासन का यह लक्ष्य है कि पर्वतीय क्षेत्र की विकास प्रगति तीव्र हो, इसके लिये समस्त प्रबन्ध किया गया है । ५ बार्डर के जो जिले हैं, उनको भी मुख्य सचिव शाखा में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब सरकार इस बात को महसूस करती है कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हो और उसके लिये एक विभाग भी कायम कर दिया गया है । बिना मंत्रालय के यह विभाग भला कैसे चलेगा ? मंत्रालय बनाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

मान्यवर, इसके लिये एक राज्य मंत्री हैं और सौभाग्य से उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं । अगर वहां के विकास में कोई बाधा पड़ेगी तो संबंधित सुझावों पर विचार किया जायगा ।

अल्मोड़ा जिले में मैगनेसाइट के कारखाने में कर्मचारियों की भर्ती

**४--श्री डूंगर सिंह विष्ट--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़े में मैगनेसाइट का कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है और यह किस क्षेत्र में (सार्वजनिक या निजी क्षेत्र) स्थापित किया जा रहा है तथा यह कारखाना कब से उत्पादन कार्य शुरू करेगा और इस कारखाने में किन-किन पदों को मिला कर कुल कितने कर्मचारी कार्य करेंगे ? क्या इस कारखाने के लिये कर्मचारियों की भरती कर ली गई है ? यदि हां, तो कितने कमचारी स्थानीय ह और कितन बाहर के ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

मैगनेसाइट का कारखाना अल्मोड़ा जिले में काफलीगढ़ नामक स्थान के पास स्थापित किया जा रहा है । यह संयुक्त क्षेत्र का कारखाना है । आशा की जाती है कि इस कारखाने में १९७२ के अन्त तक उत्पादन चालू हो जावगा । इस कारखाने के लिये जिन कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, उनकी सूची संलग्न है ।

अब तक केवल ४० स्थानीय श्रमिकों तथा १० अन्य कर्मचारियों को भरती किया गया है जिनमें से ७ उत्तर प्रदेश के हैं । इन ७ में ३ कर्मचारी स्थानीय हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २७६ पर)

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

एक मात्र उद्योग जो पर्वतीय क्षेत्र में लगा है, इसमें भरती की क्या प्रक्रिया रखी गयी है ? क्या अभ्यर्थियों को टाटा उद्योग नें साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था--१७ में से ४ कर्मचारी ही स्थानीय लिये गये ह, क्या और कमचारी भी स्थानीय लिय जायं इसक लिय सरकार प्रयत्न करेगी ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

प्रयत्न तो यही किया जाता है कि यथासंभव स्थानीय लोगों को ही लिया जाय, लेकिन उपयुक्तता का भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है । जहां तक प्रक्रिया की बात है, जो छोटी क्लास के एम्प्लाईज हैं उनको एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के मार्फत लिया जाता है लेकिन प्राविधिक शिक्षित लोगों के लिय विस्तार से विज्ञापन किया जाता है ।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

सात व्यक्ति बाहर के लिये गये हैं तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन पर्वतीय क्षेत्रों के लिये यह उद्योग और कारखाना खोला गया है उस में स्थानीय लोगों का चयन न कर के बाहर के लोगों को लाने का मुख्य आधार क्या है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

मैंने यह कहा कि कारखाना चलाने के लिये उपयोगी व्यक्यिों की ही आवश्यकता होती है और वे यदि स्थानीय नहीं मिलते तो बाहर से भी लेना आवश्यक हो जाता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या यह सही है कि इस उद्योग में ४९ प्रतिशत शेयर टाटा के हैं और उन्होंने जमशेदपुर में ही भर्ती का विज्ञापन कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है तो उनका नियंत्रण क्या होगा ?

श्री देवकी नन्द विभव—

यह तो सही है कि टाटा के ४९ प्रतिशत शेयर हैं और ५१ प्रतिशत शेयर हमारे हैं लेकिन यह कि टाटा ही सारे अधिकारियों को रखेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस का पूरा प्रयत्न करेंगे कि स्थानीय और उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी अवसर वहां प्रदान किये जायं ।

श्री शिव राज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि मैगनेसाइट उद्योग चलाने के लिये कुछ व्यक्तियों को निजी क्षेत्र में पहाड़ों में कुछ भूभाग ३० साल के लीज के लिये सरकार ने दिये हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

जब ५१ प्रतिशत राज्य सरकार के शेयर इस में हैं तो इन कर्मचारियों और अधिकारियों के चयन में जिसमें अधिकांश बाहर के हैं, स्टेट सरकार के कौन अधिकारी थे जो चयन में सम्मिलित थे ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

यह तो बात ही गलत है कि अधिकांश व्यक्ति बाहर के लिये गये हैं । ४० श्रमिक स्थानीय हैं और १० जो कर्मचारी नियुक्त हुये हैं उसमें ७ प्रदेश के और ३ स्थानीय हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

कौन से अधिकारी यह चयन करते हैं, इसका उत्तर नहीं आया है ।

(हंसी-हंसी . . . व्यवधान)

श्री देवकी नन्दन विभव—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जिस प्रकार से यह कर्मचारियों के चयन की बात आई है और जो प्रथा अपनायी गई है तो क्या देहरादून में जो सीमेंट फैक्टरी खोली जा रही है उसमें भी क्या स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष—
यह दूसरा सवाल हो गया ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—
क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कारखाने का प्रशासन राज्य सरकार के हाथ में है या टाटा के ?

श्री देवकी नन्दन विभव—
यह जो जो ज्वाइन्ट वैन्चर है और इसमें ज्वाइन्ट व्यवस्था ही होगी ।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—
क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों को भरती की गई है, उसके लिये क्या समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन भी किया गया या केवल एम्प्लयमेंट एक्सचेंज से ही मांग की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—
यह तो नया सवाल हो गया ।

श्री इन्द्रमणि—
क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १० कर्मचारी स्थानीय नहीं हैं, क्या उनके लिए स्थानीय लोगों ने आवेदन-पत्र भी दिये थे ?

श्री उपाध्यक्ष—
उन्होंन जवाब तो दे दिया है।

श्री इन्द्रमणि—
श्रीमन्, मेरा प्रश्न था कि क्या स्थानीय लोगों ने भी प्रार्थना-पत्र दिये थे अथवा नहीं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—
यह तो बहुत विस्तार का प्रश्न है ।

तारांकित प्रश्न

उद्योग अधिकारी, मुसाफिरखाना (सुल्तानपुर) श्री एन० के० शुक्ला के विरुद्ध जांच

*१—श्री नित्यानन्द स्वामी तथा श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)—
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्हें प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ एक प्रार्थना-पत्र सर्वश्री बाबूलाल, श्री छेदीलाल, श्री सच्चिदानन्द मिश्र, निवासीगण तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर ने माह जुलाई-अगस्त, १९७१ में उद्योग मंत्री को इस आशय का दिया था कि उन लोगों न सरकार द्वारा प्राप्त उद्योग ऋण सुल्तानपुर जिले मुसाफिरखाना तहसील, के उद्योग अधिकारी, श्री एन०के० शुक्ला को पूरा वापस जमा कर दिया था जिन्होंने उस रुपये को सरकारी कोष में जमा नहीं किया और अपने स्थानान्तरण के बाद इन प्रार्थियों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रार्थना-पत्र की जांच किसी उच्चाधिकारी से करायेगी और दौरान जांच इन व्यक्तियों के की विरुद्ध वसूली की कार्यवाही को रोके जान के आदेश देगी ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

जी हां ।

जांच उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही है।

ऋण की वसूली १५-५-७२ तक स्थगित कर दी गई है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जांच प्रारम्भ की गयी उसके अन्दर क्या जो व्यक्ति वहां पर चपरासी के पद पर नियुक्त थे और जो और कर्मचारी थे, उस विभाग में, उनकी गवाही ली गयी अथवा नहीं और क्या प्राइमाफेसी केस साबित हुआ अथवा नहीं ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

विभाग द्वारा जांच की गयी थी । एफ०आई० आर० रिपोर्ट भी लिखा दी गयी थी और उसकी कार्यवाही चल रही है । सस्पन्ड भी कर दिया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी इसको (ऋण) पूर्णतः स्थगित करने पर विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

१५-५-७२ तक स्थगित कर दिया गया है ।

श्री देवकी नन्दन विभव--

प्राइमाफेसी साबित हुआ, उन्होंने रुपया जमा कर दिया लेकिन अंतिम रूप से प्रमाणित हो जायगा तो रोक दिया जायगा और उनको क्रडिट दे दिया जायगा ।

प्रदेश के प्रसार एवं शिल्प अध्यापकों के शिष्ट मण्डल का मांग-पत्र

*२--श्री नित्यानन्द स्वामी, तथा श्री पारस नाथ सिंह--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, १९७१ के प्रथम सप्ताह में बुलन्दशहर में प्रदेश के प्रसार एवं शिल्प अध्यापकों का एक शिष्ट मंडल शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को मिला था और अपनी मांगों के संबंध में उन्हें अवगत कराया था ? यदि हां, तो उनकी मांग क्या ह ? और सरकार उन पर क्या विचार कर रही है ?

श्रम उप-मंत्री (श्री सोहनलाल धूसिया)--

जी नहीं, किन्तु इन अध्यापकों के एक शिष्ट मंडल ने १३ मई, १९७१ को शिक्षा निदेशक को शिविर कार्यालय, लखनऊ में एक मांग-पत्र दिया था । विभिन्न मांगों तथा उन पर की गयी कायवाही का विवरण संलग्न तालिका म अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २७७-२७८ पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मत्री जी बतायेंगे कि प्रसार अध्यापकों और उन्हीं के समान शिक्षा प्राप्त जो अन्य अध्यापक हैं, उनक वेतन-क्रम के बारे में वतन आयोग को रेफरेंस कर दिया गया कि वे भी इस पर विचार करें ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण) --

वेतन संबंधी मामलों पर विचार के लिये वेतन आयोग का गठन हुआ है । इस संबंध में शिक्षा निदेशक द्वारा भी एक समिति का भी गठन कर दिया है और जल्द से जल्द वह अपनी संस्तुति देगी ।

(श्री नित्यानन्द स्वामी के खड़े होने पर)--

श्री उपाध्यक्ष--

इसका समुचित उत्तर दे दिया गया है, विस्तार से दे दिया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह जो समिति गठित की गई है यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी और यह जो वेतन आयोग को रिफरेंस किया गया है क्या यह रिफरेंस निश्चित रूप से किया गया है ? कि प्रसार अध्यापकों के वेतन-क्रम और दूसरे अध्यापकों के वेतन-क्रम पर भी व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

पहिले हिस्से का जवाब दे दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

बहुत जल्दी ही उनको निर्देश है कि वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जो एक कमेटी गठित की गई है ।

प्रदेश में खनिज भण्डारों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप नौकरियां तथा गढ़वाल जिले में अभ्रक खनन हेतु पट्टा

*३--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतत्व तथा खनिजकर्म निदेशालय द्वारा अब तक प्रदेश में कुल कितने और कहां-कहां खनिज भंडारों का अन्वेषण कार्य पूरा किया गया तथा उन पर आधारित कितने उद्योग स्थापित करने की संभावना है ? तथा उन उद्योगों में कितने लोगों को नौकरियां मिल सकेंगी ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

भूतत्व तथा खनिजकर्म निदेशालय द्वारा अब तक प्रदेश के जितने स्थानों पर उनके सामने निर्दिष्ट खनिज भंडारों का अन्वेषण कार्य पूरा किया गया है, उनकी सूची संलग्न है।

उपरोक्त खनिज भंडारों पर आधारित पांच विभिन्न उद्योग स्थापित किये जाने की संभावना है तथा उन उद्योगों में करीब ८००० लोगों को नौकरियां मिलने की संभावना है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २७६ पर)

*४--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले में अभ्रक के खनन के लिये किसी व्यक्ति ने आवेदन किया है ? यदि हां, तो कब उन्हें खनन करने की आज्ञा प्रदान की गई है ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

गढ़वाल जिले में अभ्रक के खनन के लिये पट्टा दिये जाने हेतु एक आवेदन-पत्र श्री मंगत राम ध्यानी ने दिया है । परन्तु उन्हें खनन करन की आज्ञा अभी प्रदान नहीं की गई है।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वे पांच कौन से खनिज भंडार हैं और कहां-कहां हैं जहां कि ये उद्योग लगाने की संभावना की जा रही है ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

श्रीमन्, मैं मिर्जापुर में.....

श्री उपाध्यक्ष--
उत्तर में तो तेरह की विस्तृत सूची दी हुई है।

श्री शिवानन्द नौटियाल--
मेरा प्रश्न यह है कि वे कौन से खनिज भंडार हैं जिन पर कार्य आरम्भ होगा और ये उद्योग लगाये जायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--
ये जो सारे खनिज भंडारों का पता लगा है उन सब के आधार पर इंडस्ट्रीज कायम करने की कोशिश की जा रही है हर जिले में जहां-जहां ये सामान मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--
ये जो खनिज भंडार हैं जिनका अभी जिक्र किया है क्या आप इनको सार्वजनिक क्षेत्रों में लगायेंगे ? क्या इनको टाटा साहेब को देंगे जैसा कि अल्मोड़ा में दिये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--
ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में लगाये जायेंगे और मिले जुले क्षेत्रों में भी लगाये जायेंगे।

श्री वीरेंद्र वर्मा--
अभी उन्होंने बताया कि पांच कारखाने लगाने का निश्चय कर लिया गया है। जिन कारखानों का पांच स्थानों पर लगाने का निश्चय ले लिया गया है क्या मान्यवर, ऐसा ही उत्तर था....

श्री उपाध्यक्ष--
उन पांच उद्योगों में आठ हजार लोगों को नौकरियां मिलने की संभावना है....

श्री वीरेंद्र वर्मा--
तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि जिन पांच उद्योगों में आठ हजार लोगों को नौकरियां मिलने की संभावना है वे क्या पब्लिक और प्राइवेट सक्टर में लगे और किन-किन स्थानों पर लगाने का विचार है ?

श्री देवकीनन्दन विभव--
यह संभावना तो बतलाई गई है और यह भी बताया गया है कि किन-किन खनिज पदार्थों का अन्वेषण हुआ है। उनकी सारी योजना बनाई जा रही है। स्थान कोई नियत नहीं हुए हैं और उनमें संभावना है कि आठ हजार लोगों को कारोबार दिया जा सकगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल--
मुझे चौथे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष--
वह तो उन्होंने दे दिया है।

गोरखपुर जिले के पुलिस उपाधीक्षक, थानाध्यक्षों, तथा सब-इन्सपेक्टरों का कार्यकाल

*५--श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--
क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत कितने उप पुलिस अधीक्षक एवं थानाध्यक्ष, उप थानाध्यक्ष ऐसे हैं जिनका कार्यकाल ३ वर्ष से अधिक है उनके नाम क्या है और उनके स्थानान्तरण न होने का कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक १ जनवरी, १९७२ को गोरखपुर जिले में कोई पुलिस उपाधीक्षक ऐसा नहीं था जिसको उस जिले में तैनात हुये तीन वर्ष हो चुके हों । १३ थानाध्यक्ष एवं २४ सब-इन्सपेक्टर (उप थानाध्यक्ष) ऐसे थे जिनको तीन वर्ष से अधिक हो गये थे ।

नामों की सूची संलग्न है । स्थानान्तरण न होने के कारण यह थे कि सब-इन्स-पेक्टरों की एक जिले में तैनाती की अवधि ९ वर्ष थी जिसको अब घटाकर ६ वर्ष कर दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २८०–२८१ पर)

बांसगांव ब्लाक, (जिला गोरखपुर) के भवन रहित प्राइमरी स्कूल

*६—श्रीमती मसाली देवी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के बांसगांव ब्लाक में जिन प्राइमरी पाठशालाओं के भवन नहीं हैं उन स्कूलों के नाम क्या हैं और क्या भवन निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

प्रश्नगत ब्लाक में भवन रहित प्राइमरी स्कूलों की सूची संलग्न है।

चतुर्थ आयोजना में सम्मिलित एक योजना के अन्तर्गत भवन रहित प्राइमरी स्कूलों को भवन अनुदान समस्त जिलों की मांग तथा उपलब्ध प्राविधान को दृष्टि में रखकर दिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २८२ पर)

उर्दू की तरक्की हेतु प्राप्त सरकारी धन के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायत

*७–८—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६८–६९, १९६९–७० व १९७०–७१ में कितना-कितना रुपया जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर को उर्दू की तरक्की हेतु जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों में वितरण हेतु अनुदान के रूप में शासन द्वारा दिया गया ?

*८—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या नियमानुसार उर्दू की तरक्की हेतु सरकार से प्राप्त अनुदान सन् १९६९ से १९७१ तक जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा स्कूलों को समय से वितरित किया गया यदि नहीं, तो क्यों और क्या यह भी सही है कि वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक ने अनुदान का रुपया राजकीय खजाने से निकाल कर मार्च, १९७१ तक अपने पास रक्खा ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रम उप मंत्री (श्री सोहन लाल धुसिया)—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम—

यह क्वैश्चन १२–१०–७१ को मैंने दिया और सरकार के पास २५–१०–७१ को भेज दिया गया। आज तीन महीने हो गये। यह सरकार कितनी निकम्मी है कि इतने दिनों में सूचना भी नहीं मंगा सकी । जब सूचना ही नहीं मंगा सकी तो हम क्या पूछें । आप इसको स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष---
स्थगित तो कर देंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह---
कितने आश्चर्य की बात है कि तीन महीने में भी सूचना नहीं मंगा सके ।

श्री उपाध्यक्ष---
इस प्रश्न की प्रकृति ऐसी है कि इसमें विलम्ब होना स्वाभाविक है । आपने पूछा है कि कितना-कितना रुपया जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर को उर्दू की तरक्की हेतु जिला परिषद् जूनियर हाई स्कूलों में वितरण हेतु अनुदान के रूप में शासन द्वारा दिया गया । यह जूनियर स्कूलों से सम्बन्धित है । इन्होंने कितना दिया अगर यह पूछा होता तो बतलाते लेकिन आपन उसको व्यापक बना दिया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---
मान्यवर, प्रश्न तो बिल्कुल साफ है कि सरकार द्वारा कितना रुपया जिला परिषद् विद्यालय निरीक्षक को उर्दू की तरक्की के लिए दिया गया और किन-किन वर्षों में कितना दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष---
यह तो आप ७ की बाबत कह रहे हैं । ८ को भी देखें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---
७वें सवाल का ही उत्तर दे देते ।

श्री उपाध्यक्ष---
अब तो इसको स्थगित कर दिया है ।

दक्षिण भारतीय भाषा संबधित डिप्लोमा तथा कोविद परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एडवान्स स्टडीज हेतु दक्षिण भारत भेजने योजना

*९---श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दक्षिण भारतीय भाषा तेलगू तथा तामिल की डिप्लोमा तथा कोविद परीक्षा में उत्तीर्ण क्रमशः प्रथम पांच व दो व्यक्तियों को एडवान्स स्टडीज के लिये दक्षिण भारत वजीफा देकर भेजा जाता था? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कोविद परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों को कितने वर्षों से एडवान्स स्टडी के लिये नहीं भेजा गया तथा क्यों ?

उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)---
जी हां । भेजे जाने वाले छात्रों के विषय में पूर्ण विवरण सम्बन्धित संस्थाओं से उपलब्ध न होने के कारण वर्ष १९६८-६९ से इस योजना के अधीन कोई छात्र दक्षिण भारत अध्ययन भ्रमण हेतु नहीं भेजा जा सका ।

*१०---श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री रामधारी शास्त्री---
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने कोई प्रतिबन्ध लगाया है कि एक व्यक्ति केवल एक ही दक्षिण भारतीय भाषा सीख सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ स्थित दक्षिण भारतीय भाषाओं के विद्यालय में ऐसा प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---
जी हां । अस्तु प्रश्न का दूसरा भाग लागू नहीं होता ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

प्रश्न सं० ९ से सम्बन्धित। क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने कुछ वर्षों से विवरण उपलब्ध नहीं कराये हैं और विवरण उपलब्ध न कराने के लिए सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, अनेक संस्थान हैं। दस जिलों में इस प्रकार के शिक्षण की योजना चलायी गयी थी। अगर उन जिलों का नाम कहें तो निवेदन कर दूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

जिन्होंने विवरण उपलब्ध नहीं कराया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के भ्रमण हेतु छात्र इसलिये नहीं भेजे जा सके क्योंकि संबंधित संस्थाओं ने नाम नहीं उपलब्ध कराये।

श्री चन्द्रभान शर्मा --

क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जिन लोगों ने तीन साल पूर्व पास किया या उन्हें अब वजीफा देकर भेजे और दूसरे यह कि क्या इस दौरान में कुछ प्रार्थना-पत्र उन्हें डायरेक्ट भेज देने के लिए उपलब्ध हुये थे ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी--

वित्तीय साधनों को दृष्टि में रखकर विचार किया जा सकता है। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो ३ वर्ष के लोगों को इकट्ठा भेज दिया जायगा अन्यथा प्रशासन के लिए सम्भव न होगा। अब से शीघ्रता की नीति अपनायी जायगी कि संस्थाओं से नाम आये और प्रति वर्ष भेजने की व्यवस्था हो।

श्री रामधारी शास्त्री--

क्या सरकार राष्ट्रीय एकीकरण को ध्यान में रखते हुए यह आश्वासन देगी कि जो डिप्लोमा वाले जाते थे उन्हें इस वर्ष भेजेगी ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मैंने निवेदन तो किया कि राष्ट्रीय एकीकरण की भावना और भाषायी एकता को ध्यान में रखते हुए इसकी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री सूबेदार सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन की ओर से सम्बन्धित संस्थाओं को कोई पत्र इस आशय का भेजा गया था कि वे कृपया नाम जरूर भेज दें।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी--

उन संस्थाओं को तो निर्देश पहले ही जारी किये गये थे कि प्रति वर्ष नाम भेज दिया करें और वे प्रतिवर्ष नियमित रूप से लोगों के नाम नहीं भेज पाये जोकि उनको भेजना चाहिये था।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, प्रश्न संख्या १० से सम्बन्धित ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से एक भाषा के बाद जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, उसके हटाने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

जी नहीं, ऐसा इसलिये सम्भव नहीं है क्योंकि ये भाषाएं राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करने के लिये सिखाई जा रही हैं और दूसरे व्यक्ति वजीफा और अन्य प्रलोभनों के कारण दक्षिण भाषाएं सीखने के उद्देश्य से उसमें सम्मिलित हो जायेंगे। यह भाषा उन लोगों को सिखाई जानी है जिन्हें दक्षिण की एक भी भाषा का ज्ञान नहीं है। इसलिये इस पर प्रतिबन्ध हटाना सम्भव न हो सकेगा।

डेरापुर कस्बे (कानपुर) के कन्या जूनियर हाई स्कूल का भवन

*११--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि कानपुर जिले के डेरापुर कस्बे में कन्या जूनियर हाई स्कूल का भवन कब बनाया गया था ? क्या यह सही है कि वहां का कन्या जूनियर हाई स्कूल एक सार्वजनिक धर्मशाला में चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त कन्या जूनियर हाई स्कूल वहां से हटाकर बने नये भवन में कब तक परिवर्तित कर दिया जायगा ?

श्री सोहनलाल धुसिया--

भवन अभी तक नहीं बनाया जा सका है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या माननीय मंत्रीजी मेरी इस सूचना को सही मानकर कि डेरापुर में कन्या जूनियर हाई स्कूल का भवन बन चुका है और उसम जानवर बांधे जा रहे हैं, इस गलत सूचना भजने वाल अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करवायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

उपलब्ध सूचना क आधार पर यह निश्चित है कि वहां अभी विद्यालय का भवन नहीं बना। उसके लिय इस वष वहां के जिला परिषद् के लिये अनुदान की व्यवस्था है। अगर ऐसी कोई सूचना माननीय सदस्य देंगे कि उसका दुरुपयोग हो रहा है और यह सूचना गलत है तो अवश्य कार्यवाही होगी ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

मान्यवर, मैं तो सूचना दे रहा हूं कि वहां विद्यालय का भवन बन गया है और वहां जानवर बांधे जा रहे हैं, क्या उस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मैं आपकी यह सूचना स्वीकार कर रहा हूं और इसकी जांच के आदेश दे दूंगा ।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

मान्यवर, इस तथ्य को देखते हुए कि उसके लिये अनुदान भी मौजूद है और माननीय सदस्य ने इसकी सूचना दी है कि वहां जूनियर हाई स्कूल बन गया है, इसकी एक जांच किसी उच्च अधिकारी से करवायेंगे और आपके पास जो उत्तर आया है और माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसमें तथ्य क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब हो चुका है ।

राजकीय विद्यालयों के अध्यापक, अध्यापिकाओं का स्थायीकरण तथा आयु सीमा से मुक्ति का प्रश्न

*१२--श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार ने राजकीय विद्यालयों में ५ वर्ष से अधिक काम करने वाले अध्यापक-अध्यापिकाओं की सवा स्थायी करन क प्रश्न पर कोई निणय लिया है ? यदि नहीं, तो एस कर्मचारियों को प्रादेशिक लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के लिय आयु सीमा से मुक्त किया जायगा अथवा नहीं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--
मामला शासन क विचाराधीन है ।

ग्रामीण औद्योगिक परियोजना फूलपुर (इलाहाबाद) का भूमि संरक्षण इकाई कार्यालय

*१३--श्री राम गोपाल सण्ड (अनुपस्थित)--
क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करग कि ग्रामीण औद्योगिक परियोजना, फुलपुर, जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत कार्यरत भूमि संरक्षण कार्य का कार्यालय इलाहाबाद से फूलपुर स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व प्रसारित आदेश को रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो एक वर्ष इस पूर्व प्रसारित आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--
ग्रामीण औद्योगिक परियोजना, फूलपुर जिला इलाहाबाद के अंतर्गत कार्यरत भूमि संरक्षण इकाई का कार्यालय इलाहाबाद से फूलपुर स्थानान्तरित किय जाने के पूर्व आदश रद्द नहीं किये गये हैं। इन आदेशों का पालन इसलिये नहीं हो सका है क्योंकि फूलपुर में भूमि संरक्षण इकाई के कार्यालय हेतु कोई उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं हो सका ।

थानेदार, थाना तरकुलवा, जिला देवरिया के विरुद्ध जांच

*१४--हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)--
क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना तरकुलवा में १ जनवरी, १९६९ से मई, १९७० के बीच के थाना इन्चार्ज के विरुद्ध घूस लने तथा डकैती की रिपोर्ट न लिखने के मुकदमें की जांच सी०आई० डी०, गोरखपुर कर रही है ? यदि हां, तो उसके थानेदार के खिलाफ आरोप क्या है तथा अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--
प्राप्त सूचना के अनुसार १ जनवरी, १९६९ से मई, ७० की अवधि में जो थानेदार, थाना तरकुलवा,जिला देवरिया में तैनात रहे उनमें से एक के विरुद्ध धारा १८१ भारतीय दण्ड विधान क एक मुकदमें की जांच अपराध अनुसंधान विभाग कर रहा है। भ्रष्टाचार के जिन आरोपों की जांच उक्त मुकदमें में की जा रही है वे इस प्रकार हैं :--

१--ग्राम सिधावे के एक सोनार के बच्चे को दो व्यक्तियों ने जहर दिया था किन्तु उन्हें पैसा लेकर छोड़ दिया गया ।

२--श्री जंगीलाल पयरदेवा से २०० रु० उनके बोये हुए खेत पर कब्जा हेतु लिया किन्तु उस खेत पर महुरी नामक महिला का अवध कब्जा है ।

३--श्री राजेन्द्र गुप्त, ग्राम धोड़ीपुर खुर्द के घर पर तलाशी ली किन्तु चोरी का कोई सामान बरामद नहीं हुआ फिर भी उस से १५० रु० लिया ।

*१५--श्री हरिवंश सहाय--
क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उक्त थानेदार को निलम्बित कब किया गया तथा इस समय वह कहां है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--
जांच क अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है और थानाध्यक्ष, राम अछैवर मिश्र को अभी निलम्बित नहीं किया गया है। व इस समय दवरिया जिल क थाना खामपार क थानाध्यक्ष हैं ।

श्री हरिवंश सहाय--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित--क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि सम्बन्धित थानेदार जिसके विरुद्ध सी० आई० डी, गोरखपुर दारा जांच कराई जा रही है और ३ मुकदमे घूस लेने के आरोप में चलाये जा रहे हैं, उसको अब तक क्यों नहीं निलम्बित किया गया ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, जब तक जांच की रिपोर्ट न उपलब्ध हो जाय कैसे उनको निलम्बित किया जाय जब उनके खिलाफ कोई सबूत ही उपलब्ध नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह के सरकार के आदेश हैं कि किसी थानेदार के खिलाफ इलजामों की जांच चल रही हो तो उसे थाने का इंचार्ज न बनाया जाय ? यदि हां, तो इस थानेदार को इंचार्ज क्यों बनाया गया है और इसका जल्दी सुधार करेंगे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

ऐसा कोई निर्देश नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--

मान्यवर, क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह थानेदार बहुत ही कुशल है और इनाम पा चुका है ? उसके विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं वह निराधार है ? जब तक इस सम्बन्ध में कोई जांच न हो कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इसको सरकार को तो कोई सूचना नहीं है लेकिन अब माननीय सदस्य से प्राप्त हो गई है।

*१६-१७--श्री कल्याण सिंह--

[५वें मंगलवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या ७-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बदायूं जिले के औद्योगिक विकास हेतु सुविधाएं

*१८--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिला जो केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकार की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला है उद्योग धन्धे के मामले से डेवलप करने केलिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ? यदि नहीं बनाई तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग धन्धें स्थापित करने के लिये सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के द्वारा आर्थिक सहायता, कच्चे माल की उपलब्धि, टेक्निकल परामर्श, आदि की सुविधायें दी जाती हैं। बदायूं जिले के लोग भी उनसे लाभ उठाते हैं।

बदायूं जिला उन ३६ जिलों में से एक है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने हेतु उदार शर्तों पर ऋण आदि की कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। पिछड़े जिलों में दी जाने वाली विशेष सुविधाएं बदायूं जिले में भी उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त बदायूं जिले में लघु कृषक विकास अभिकरण नामक एक विशेष योजना चलाई गई है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण शिल्पियों को लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु आधारभूत प्रशिक्षण के साथ उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता आदि की सुविधाएं तथा कार्यशाला एवं औजारों हेतु छूट देने का प्राविधान है।

नोट:--तारांकित प्रश्न १५ क उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

थाना रसूलाबाद, कानपुर में स्थित ज़मीन के उपयोग का प्रश्न

*१९—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री विधान सभा में दिनांक ५ अगस्त, १९७१ के तारांकित प्रश्न संख्या २१ नत्थी (ग) के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि कानपुर के थाना रसूलाबाद में इस समय थाने के भवन एवं इस्तेमाल के अतिरिक्त लगभग १२–१५ एकड़ भूमि जो खाली पड़ी है तथा इस्तेमाल में नहीं है तो क्या उक्त खाली भूमि को हरिजनों एवं बेघर लोगों को मकान बनाने के लिये दिये जाने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना रसूलाबाद के भवनों की आवश्यकताओं से अधिक कथित १२.२५ एकड़ भूमि एक प्राचीन दुग का भग्नावशेष है और उस पर खुदाई किए बिना कोई और निर्माण-कार्य नहीं हो सकता। वहां पर खुदाई कराने में थाने के वर्तमान भवनों को क्षति पहुंचने की आशंका बताई जाती है। अतः इस भूमि को भवन निर्माण हेतु दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*२०—श्री पारसनाथ सिंह—

[१ले मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत उत्तरित]

*२१—श्री शेरसिंह दास—

[४थे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शाहजहांपुर जिले से कालीनों का निर्यात

*२२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर के कितने रुपयों की कालीनों का निर्यात पिछले ५ वर्षों में किया गया ? तथा शाहजहांपुर के कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु क्या सहायता राज्य सरकार द्वारा कालीनों के बुनकरों को पिछले ५ वर्षों में दी गई तथा प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शाहजहांपुर जिले से पिछले पांच वर्षों की अवधि में रु० २५,७०५.५० पैसे के कालीनों का निर्यात हुआ। इस अवधि में इस जिले के कालीन बुनकरों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई।

सतर्कता अधिष्ठान तथा प्रशासनाधिकरण का जांच कार्य

*२३—श्री रामसिंह खन्ना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या शासन ने हाल ही में कोई ऐसे नये आदेश दिये हैं जिनके फलस्वरूप सतर्कता आयोग सरकार की अनुमति के बगैर भी सरकारी अफसरों के खिलाफ स्वयं जांच कर सकती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी अनधिकृत जांच को बन्द करने के आदेश सतर्कता आयोग को देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

वास्तव में जांच कार्य सतर्कता अधिष्ठान तथा प्रशासनाधिकरण द्वारा किया जाता है। सतर्कता आयोग सरकारी अफसरों के खिलाफ जांच नहीं करता।

चौकी डुमरियाडीह, जिला गोंडा के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*२४—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा), श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २१ अक्तूबर, को ग्राम डुमरियाडीह, कटरा जगदीशपुर, हैमाऊवापुर, मालियन पुरवा, दर्जी पुरवा, प्रचवपुर इत्यादि गांवों की जनता का पुलिस चौकी डुमरियाडीह तथा नायब दरोगा वजीरगंज जनपद गोंडा के विरुद्ध एक प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी तथा पुलिस कप्तान से मिला था, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक २१-१०-७१ को श्री गंगा प्रसाद विधायक के साथ डुमरिया डीह व कटरा जगदीशपुर इत्यादि गांवों के ६० व्यक्ति जिलाधीश गोंडा से मिले। जिलाधीश ने उन्हें पुलिस अधीक्षक स मिलन को कहा। अतः उसी दिन वे पुलिस अधीक्षक से भी मिल और उन्हें एक ज्ञापन-पत्र दिया जिसमें चौकी डुमरियाडीह पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गई थीं। इन शिकायतों की जांच पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी तरबगंज से कराई। जांच से शिकायतें सही नहीं पाई गईं।

थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर पर डकैती, चोरी तथा हत्या की रिपोर्टें

*२५—श्री भानु प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९७१ से दिनांक २५ अक्तूबर, १९७१तक थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर में कितनी रिपोर्ट डकती व कत्ल की दर्ज हुईं और उनमें कितने मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई तथा कितनों का चालान किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

१ जनवरी, १९७१ से २५ अक्तूबर, १९७१ तक थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर पर डकैती की ४, तथा हत्या की ३ रिपोर्टें दर्ज हुईं। इन सभी मामलों में चालान किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

*२६—श्री भानु प्रताप सिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि थाना जैतीपुर में दिनांक १५ अगस्त, १९७० से २५ अक्तूबर, १९७१ तक कितनी रिपोर्ट आयल इंजिन के तथा पम्पिग सेट के पुर्जों की चोरी की दर्ज हुई और क्या यह भी सही है कि एक भी चोरी का पता लगाने में पुलिस असमर्थ रही? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कायवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

१५-८-७० से २५-१०-७१ तक थाना जैतीपुर में कुल ५ अभियोग पम्पिग सेट व आयल इंजन के चोरी के दर्ज हुए। इनमें दो ऐसी चोरियों के मामले थे जिनम कुछ पता न चल सका और उनमें अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद के अध्यापकों पर घातक हमले के फलस्वरूप कार्यवाही तथा उन्हें आर्थिक सहायता

*२७—श्री दर्लासगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि ७ मई, १९७१ को साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद के कुछ अध्यापकों पर जब वे परीक्षा निरीक्षण कार्य से घर जा रहे थे परीक्षार्थियों के एक दल ने घातक हमला किया और उसमें से एक अध्यापक को गम्भीर चोटें आईं ? यदि हां, तो उपरोक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई और भविष्य में निरीक्षकों पर इस तरह के मामलों को रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद के कुछ अध्यापक जब ७ मई १९७१ को परीक्षा निरीक्षण कार्य करके घर जा रहे थे तब परीक्षार्थियों के एक दल ने उन पर घातक हमला किया और एक अध्यापक को गम्भीर चोटें आईं। इस मामले में फैजाबाद की पुलिस कोतवाली ने ४ विद्यार्थियों के विरुद्ध मुकदमा नं० ३१७, यू एस, ३९४/३०७ आई० पी० सी० दर्ज किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने २ विद्यार्थियों को सन् १९७७ तक परीक्षा से वंचित कर दिया तथा २ विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित करने से रोक दिया। भविष्य में परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के पूर्व कार्यवाही की जायेगी।

*२८—श्री दर्लासंगार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त घायल अध्यापक की चिकित्सा इत्यादि की सरकार ने क्या व्यवस्था की और इस समय दिनांक २ अगस्त, १९७१ तक उनकी क्या हालत ह?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

अध्यापक ने प्राइवेट डाक्टर से अपनी चिकित्सा करवाई और शासन से आर्थिक सहायता की मांग की जो शासन के विचाराधीन है। अध्यापक अब स्वस्थ है और उन्होंने अपना कायभार ग्रहण कर लिया है।

कर्ण प्रयाग, जिला चमोली के राजकीय हाई स्कूलों के भवन तथा विद्यालयों के छात्रावास

*२९—श्री शेरसिंह दानू—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र कर्णप्रयाग जनपद चमोली के राजकीय जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण और किन-किन विद्यालयों के छात्रावास निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष १९७१–७२ में प्राविधान किया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

निर्वाचन क्षेत्र कर्णप्रयाग के किसी राजकीय जूनियर हाई स्कूल के भवन तथा किसी विद्यालय के छात्रावास निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष १९७१–७२ में प्राविधान नहीं किया गया है।

विकास क्षेत्र जैतीपुर (शाहजहांपुर) के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का स्थानान्तरण

*३०—श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर के कितने प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के स्थानान्तरण के आदेश अतिरिक्त जिलाधिकारी नियोजन अथवा जिलाधिकारी द्वारा दिनांक १ जून, १९७१ से ३० सितम्बर, १९७१ तक जारी किये गये? उनमें से कितने अध्यापकों ने चार्ज नहीं दिया और छुट्टी ले ली, क्या उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही हुई, यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

१३ प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण हुये। उनमें से केवल श्री रामपाल सिंह, प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल डभौरा ने नये स्थान पर चार्ज नहीं लिया और मेडिकल अवकाश पर चले गये। अध्यापक के बाढ़ पीड़ित होने तथा उनकी अन्य घरेलू परिस्थियों को देखते हुये उनका स्थानान्तरण बाद को निरस्त कर दिया गया। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सूफीपुर तोतलपुर (जिला आगरा) में पुलिस द्वारा अत्याचार के फलस्वरूप कार्यवाही

*३१—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जून, १९६८ को थाना फिरोजाबाद, जिला आगरा के गांव सूफीपुर तोतलपुर को उपरोक्त थाने की ही पुलिस द्वारा ११ घरों को लूटने, मकानों को गिराने तथा महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार की सूचना पर सरकार ने उपरोक्त थाने के तत्कालीन तीन थानेदारों को मुअत्तल कर मामले की सी० आई० डी० जांच का आदेश दिया था और क्या सी०आई० डी० विभाग ने उपरोक्त पुलिस अधिकारियों को उपरोक्त मामले में दोषी बता कर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी? यदि हां, तो सरकार ने उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन को दिनांक १ जून, १९६८ को पुलिस द्वारा ग्राम सूफीपुर तोतलपुर में मकानों को नुकसान पहुंचाने, लूटने तथा लोगों को परेशान किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस घटना के सम्बन्ध में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच करायी गयी तथा प्रारम्भिक जांच के बाद एक इन्सपक्टर तथा एक सब-इन्सपेक्टर निलम्बित किये गये। अपराध अनुसंधान विभाग की जांच में यह मामला न्यायालय भेजे जाने योग्य नहीं पाया गया तथा उन्होंने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध केवल वैभागीय कार्यवाही की सिफारिश की। अपराध अनुसंधान विभाग की सिफारिश पर एक इंसपेक्टर व ६ सब–इन्सपेक्टरों के विरुद्ध वैभागीय कार्यवाही की गयी किन्तु उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सके, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

*३२—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या मुख्य मंत्री को मालूम है कि उपरोक्त गांवों के पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने का निश्चय सरकार ने किया था? यदि हां, तो कितना मुआवजा उनको दिया गया? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उपरोक्त गांवों के तथाकथित पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने के बारे में समय समय पर जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मंगा कर विचार किया गया। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार इन व्यक्तियों द्वारा हानि के ब्योरे बढ़ा चढ़ाकर दिए गए मालूम हुए। वास्तविक क्षति नगण्य सी पाई गई। मुआवजा देने का पूर्ण औचित्य अभी तक शासन को उपलब्ध नहीं हो सका है।

ग्राम कटाई अलीमुद्दीनपुर, जिला आजमगढ़ के निवासी मोहन भर की मृत्यु के फलस्वरूप कार्यवाही

*३३—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत जीयनपुर थाना क्षेत्र के कटाई अलीमुद्दीनपुर के मोहन राजभर की हत्या गत अक्तूबर माह में उसी ग्राम के भूतपूव जमींदारों द्वारा हलवाही छोड़ देने के प्रश्न पर लाठी-डंडे से मार कर कर दी गई, यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक २२ अक्तूबर, ७१ को जिला आजमगढ़ के ग्राम कटाई अलीमुद्दीनपुर के निवासी रामप्यारे भर ने थाना जीयनपुर पर इस आशय की सूचना दी कि उक्त गांव के निवासी रामउग्रह राय तथा अन्य ने दिनांक २१–१०–७१ की रात में उनक भाई मोहन भर को लात मुक्का एवं

लाठी से इतना मारा कि वह बेहोश पड़ा है । इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा ३४२/३०८ भा० दं० वि० के अधीन कायम हुआ। घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने पर यह ज्ञात हुआ कि मोहन भर की मृत्यु हो चुकी है अतः उक्त मुकदमा धारा ३४२/३०४ भा० दण्ड विधान के अधीन परिवर्तित किया गया। विवेचना के उपरान्त १७ अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट भेजी गई। यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

मंत्रियों द्वारा की गई यात्राओं का विवरण

*३४—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १८ सितम्बर, १९७१ से १९ नवम्बर, १९७१ तक कितन मंत्रियों ने कितने दिन कहां-कहां दौरा किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बांछित सूचना संलग्न तालिका में सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २८३–२९४ पर)

राजकीय पालीटेक्निक बस्ती में खरीदी गई मशीनों का विवरण

*३५—श्री सुखपाल पांडेय, श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय पालीटेक्निक में सन् १९६५ से १५ अक्तूबर, १९७१ तक कौन सी मशीनें किस-किस सन् में खरीदी गई और सन् १९६५ से १५ अक्तूबर, १९७१ तक कौन सी मशीन चली और कौन-कौन मशीन अब तक बन्द पड़ी हैं ? तथा क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

बांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २९५–२९७ पर)

बरेली मण्डल के जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी की शिकायत

*३६—श्री रामबिलास पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध अनेक अध्यापकों ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जिलाधिकारी शाहजहांपुर को और उप शिक्षा निदेशक बरेली को कई शिकायतें पिछले ६ महीने में लिखित भेजी हैं ? यदि हां, तो उसकी जांच के संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जिलाधीश को भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । उप शिक्षा निदेशक, बरेली से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री नत्थू लाल पुलिस कान्सटेबिल, थाना जैतीपुर, शाहजहांपुर के प्रार्थना-पत्र पर जांच

*३७—श्री रियासत हुसन—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अक्तूबर, १९७१ के तृतीय अथवा चतुर्थ सप्ताह में एक हेड कान्सटेबिल पुलिस जो कि छुट्टी पर अपने गांव खेड़ा घासा उर्फ पृथ्वीपुर आया हुआ था एक डकैती की रिपोर्ट लिखाने थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर पहुंचा तो उसकी थानाध्यक्ष ने बुखार की हालत में बुरी तरह पिटाई की और रिपोर्ट नहीं लिखी जिसकी शिकायत आये हुए कान्सटेबिल ने डी०आई०जी० बरेली से की ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष श्री दीक्षित केविरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम पृथ्वीपुर, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के निवासी श्री नत्थू लाल पुलिस कान्स-टेबिल ने डी०आई०जी० रेंज बरेली और जिला मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया कि जब वह अपने एक पड़ोसी के यहां हुई चोरी के मामले में समुचित कार्यवाही कराने के लिये थाना जैतीपुर पर दिनांक २०-१०-७१ को गया था तब थानाध्यक्ष ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और बीमारी की हालत में उसे पीटा। प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई और अब तक की जांच से आरोप निराधार पाये गये।

*३८—श्री रियासत हुसेन—

क्या मुख्य मंत्री को यह भी जानकारी है कि पुलिस कान्स्टेबिल ने अपने पिटने के तुरन्त बाद विकास क्षेत्र जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के डाक्टर से डाक्टरी कराई और रिपोर्ट डी०आई० जी० को शिकायत सहित भेजी यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त कान्सटेबुल श्री नत्थू लाल ने विकास क्षेत्र जैतीपुर के डाक्टर द्वारा अपना कोई डाक्टरी परीक्षण नहीं कराया था और न ही कोई डाक्टरी रिपोर्ट डी० आई० जी० को भेजी। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

श्री बुधिराम निवासी ग्राम काली जगदीशपुर, जिला बस्ती द्वारा की गई रिपोर्ट पर कार्यवाही

*३९—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि दिनांक १३ अक्तूबर, १९७१ को इकट्ठा काली जगदीशपुर जनपद बस्ती के भूतपूर्व जमींदार श्री मंगल और उनके परिवार द्वारा अनधिकृत रूप से सार्वजनिक जमीन व हरिजन आबादी को अपने खेत में मिलाने का प्रयास किया गया और हरिजनों द्वारा विरोध किये जाने पर उन्होंने हरिजनों को मारा-पीटा और जब वे लोग रिपोर्ट लिखाने के लिये जा रहे थे तो रास्ते में इन लोगों ने पुनः मारपीट की जिससे एक गर्भवती हरिजन महिला श्रीमती बुधना की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और उसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक १३-१०-७१ को नहीं बल्कि ५-९-७१ को श्री बुधिराम निवासी ग्राम काली जगदीशपुर, जिला बस्ती ने इस आशय की सूचना थाना महुली पर दी कि उस दिन सबरे मंगल और उनका लड़का वादी के घर की नींव के पास खोद रहे थे। वादी की भौजाई श्रीमती रामराजी ने उनको मना किया तो मंगल ने उसे ढकेल दिया और मंगल के लड़के ने वादी को लाठियों से मारा। वादी और उसके गांव के कुछ व्यक्ति थाने में रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे तो रास्ते में मंगल के लड़के और उसके कुछ मददगारों ने उन्हें घेर कर लाठियों से मारा। इस सूचना पर धारा १४७ ३२३ भारतीय दंड विधान का मुकदमा अंकित किया गया। इस मुकदमें में जांच समाप्त हो गयी है और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज-शीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

जांच से पता चला कि श्रीमती बुधना ९/१०-९-७१ की रात्रि में प्रसव के संबंध में पेट के दर्द के कारण मरी थी और उसकी मृत्यु का उपरोक्त घटना से कोई संबंध नहीं था।

कोटा बाग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नैनीताल से संबंधित गड़बड़ियों की जांच

*४०—श्री इन्द्रलाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला नैनीताल के अन्तर्गत कोटा बाग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सन् १९६७ में जिला परिषद् के उत्तरदायित्व में हस्तांतरित किया गया तथा ४ साल से जिला परिषद् द्वारा छात्रों तथा जनता से प्राप्त धनराशि संस्था के प्रबन्धक के नाम पास बुकों में जमा होती जा रही है तथा भवन निर्माण का पैसा प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य द्वारा अनियमित रूप से व्यय किया गया ?

*४१—श्री इन्द्रलाल—

क्या यह सच है कि जनता की प्रार्थना पर वहां का रिकार्ड जांच हेतु सील हो गया, किन्तु मौके पर छानबीन हेतु कोई अधिकारी नहीं पहुंचा ? यदि हां, तो जांच कब तक हो जायगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला टिहरी-गढ़वाल से लघु उद्योग खोलने हेतु ऋण संबंधित प्रार्थना-पत्र

*४२—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल से लघु उद्योग खोलने हेतु ऋण के लिये वर्ष १९७०–७१ में उत्तर प्रदेश वित्त निगम को कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ? उनमें से कितनों का कितना ऋण स्वीकार किया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

श्री सीताराम प्रधान ग्राम गाढा पोखर, जिला बस्ती द्वारा थाना रुधौली की पुलिस के विरुद्ध इस्तगासा

*४३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती थाना रुधौली के अन्तर्गत ग्राम गाढ़ापोखर में नवम्बर के प्रथम सप्ताह में हल्के के एक कान्स्टेबिल ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके फलस्वरूप उसकी पिटाई हुयी, तत्पश्चात् नाराज होकर पुलिस ने दूसरों की मदद से गांव के लोगों का घर लुटवा लिया और वहां के प्रधान और अन्य व्यक्तियों को बहुत बुरी तरह से पीटा और लोग गांव, खेती छोड़कर भाग हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाहीं कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित आरोपों के संबंध में श्री सीताराम प्रधान ग्राम गाढ़ा-पोखर जिला बस्ती ने थाना रुधौली की पुलिस के विरुद्ध एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा ३७६/२२४/२२५/४५१/३२३/१४७/३९५ भारतीय दंड विधान १०–११–७१ को न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्याय), बस्ती में दायर किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

थाना रुधौली, जिला बस्ती के एक कान्स्टेबिल ने इसी मामले के संबंध में इस आशय की सूचना थाना रुधौली में दी कि वह और उसके साथ एक कान्स्टबिल ड्यूटी क सिलसिल में दिनांक ३–११–७१ को ग्राम मुदहिया में थ उनको श्री सीताराम प्रधान ग्राम गाढ़ा पोखर ने एक आवश्यक कार्य क बहान से अपन गांव में बलवाया । जब वे रास्ते में थे तब सीताराम,

प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों ने उन पर लाठियों से आक्रमण किया जिससे दूसरा कान्सटेबिल घायल होकर गिर गया और वह भाग आया । इस सूचना पर धारा १४७/३३२/३४२ भा०दं०वि० का मुकदमा अंकित किया गया जो जरे तफतीश है।

प्राप्त सूचना के अनुसार कान्सटेबिल द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें के जो अभियुक्त भगे हुए थे उन्होंने न्यायालय में आत्म-समर्पण कर दिया है और अब ग्राम गाढ़ापोखर का कोई भी व्यक्ति अपना गांव छोड़ कर भागा हुआ नहीं है और सभी ग्रामीण अपने अपने घरों पर रह कर खेती-बाड़ी का कार्य कर रहे हैं ।

अध्यापिकाओं के स्थानातरण संबंधी आदेश का कार्यान्वयन

*४४—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि राज्य शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा मंत्री ने जुलाई के अंतिम सप्ताह से द्वितीय सप्ताह (१५ अगस्त) तक जिन अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण संबंधी आदेश को रद्द किया, स्थगित करने का आदेश दिया था, उनको संयुक्त निदेशक शिक्षा (महिला) इलाहाबाद ने अभी तक रोक रखा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा उन आदेशों का पालन कब तक पूरा कराने की सोच रही है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी नहीं । जहां तक संभव हो सका स्थानान्तरण आदेशों को कार्यान्वित किया गया । कुछ मामलों में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण ऐसा करना संभव नहीं हुआ।

मिर्जापुर जिले क सीमन्ट स्टाकिस्ट बनने संबंधित प्रार्थना-पत्र

*४५—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में कितने सीमेंट स्टाकिस्ट हैं और कितने लोग सीमेंट स्टाकिस्ट बनने के लिये सन् १९७०–७१ में प्रार्थना-पत्र चुर्क सीमेंट फैक्टरी व डाला सीमेंट फैक्टरी में दिये हैं तथा अनुसूचित जाति के सीमेंट स्टाकिस्ट बनने वालों के जमानत वाले धन में क्या उदारता बरतेंगे ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

(१) मिर्जापुर जिले में कुल ६७ सीमेंट स्टाकिस्ट हैं ।

(२) १९७०–७१ में मिर्जापुर जिले के ६८ लोगों ने सीमेंट स्टाकिस्ट बनन के लिये चुर्क फैक्टरी व डाला फैक्टरी में प्रार्थना-पत्र भेजें ।

(३) अनुसूचित जाति के सीमेंट स्टाकिस्ट बनने वालों के जमानत वाले धन में कमी करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जनता विद्यालय, मोहनाजपुर, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य की हत्या के फलस्वरूप कार्यवाही

*४६—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि गत २६ मार्च, १९७१ को जनता विद्यालय मोहनाजपुर के प्रधानाचार्य स्वर्गीय श्री शम्भूनाथ सिंह की गोली चलाकर हत्या कर दी गई थी ? यदि हां, तो इस संबंध में अब क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक २६-३-७१ को जनता विद्यालय, मोहनाजपुर, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य श्री शम्भूनाथ सिंह को गोली मार कर हत्या किये जाने की सूचना उसी दिन थाना तरवां पर प्राप्त हुई । इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा ३०२/३०७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया जिसमें, आवश्यक जांच के बाद चार्जशीट लगाई गई । मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

जिला मुरादाबाद व जिला प्रतापगढ़ में महात्मा गांधी की मूर्ति भंजन की तथाकथित घटनायें

*४७--श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला मुरादाबाद व प्रतापगढ़ में क्रमशः सितम्बर, १९७१ व नवम्बर १९७१ में राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की मूर्तिभंजन की घटनायें घटीं ? यदि हां, तो अलग-अलग दोनों घटनाओं के विवरण क्या हैं और शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जिला मुरादाबाद अथवा जिला प्रतापगढ़ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।

राय बद्रीपाल सिंह इन्टर कालेज, प्रतापगढ़ के अध्यापकों का बकाया वेतन

*४८--श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ के अन्तर्गत राय बद्रीपाल सिंह इंटर कालेज के अध्यापकों का कितना और किन का वेतन १९६२ ई० से बकाया है ? क्या सरकार यह बकाया वेतन दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४९--श्री राम बिलास पांडेय--

[६ठे बृहस्पतिवार के लिये प्र०सं० ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डाला सीमेन्ट प्लान्ट के कर्मचारियों का ओवर टाइम का भुगतान

*५०--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि राजकीय सीमेंट फैक्टरी, डाला, जिला मिर्जापुर क्या फक्टरी ऐक्ट के अनुबन्धों से मुक्त है और क्या फैक्टरी के कर्मचारियों को ओवर टाइम का भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो किस दर पर ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

डाला सीमेंट प्लान्ट के पूर्तिकर्ता, फ्रांस के सर्वश्री फिव लिली केल द्वारा विभिन्न प्लान्टों व मशीनों को परीक्षात्मक रूप में चलाय जाने के परिणामस्वरूप फैक्टरी में उत्पादन आरम्भ तो हो गया है परन्तु अभी फैक्टरी उन्हीं के अधीन है । फैक्टरी में अभी पूर्ण उत्पादन नहीं हो रहा है । फैक्टरी के राज्य सरकार को हस्तांतरित हो जाने व पूर्ण उत्पादन की स्थिति म आने पर फैक्टरी एक्ट के नियमों को लागू किया जायगा । फक्टरी के कर्मचारी अभी "चकन्ट्रार्ज इस्टेब्लिशमेंट" में कार्यरत हैं, अतः उन्हें इस समय सामान्य मजदूरी दर के अनुसार ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है ।

मिर्जापुर के एस० डी० आई० प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों का बकाया यात्रा भत्ता

*५१--श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के समस्त (एस०डी०आई०) प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों को पिछले दो वर्ष से यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उसके भुगतान हेतु अविलम्ब आदेश प्रसारित किया जायेगा?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५२--श्री रामनिहोर राय--

[५वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५३--श्री जंगबहादुर यादव तथा श्री उमानाथ सिंह--

[३रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया

*५४--श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली), तथा श्री बदन सिंह यादव (जिला एटा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३० नवम्बर, सन् १९७१ तक किसानों के गन्ने की कितनी धनराशि मिल मालिकान पर बाकी है और अब तक इसके भुगतान के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

निर्दिष्ट अवधि तक किसानों के सीजन १९७०-७१ का गन्ना मूल्य रु० ५३०-६६ लाख तथा उसके पूर्व सीजनों का रु०२१४-६४ लाख अर्थात् कुल केवल रु० ७४५-३० लाख प्रदेश की चीनी मिलों पर अवशेष था । बकाये की वसूली हेतु निम्न कार्यवाही की गई--

(१) ४८ चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये ।

(२) ६ चीनी मिलों को नीलाम पर चढ़ाया गया था, परन्तु न्यायालयों के आदेशानुसार नीलामी स्थगित करनी पड़ी ।

(३) एक चीनी मिल के मालिक को मिल पर बकाया देयों के भुगतान न करने के संबंध में बन्दी बनाया गया ।

(४) उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, १९७१ के अन्तर्गत १२ चीनी मिलों का अधिग्रहण कर लिया गया परन्तु उन चीनी मिलों में से ७ चीनी मिलों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये ५ चीनी मिलें उ०प्र० चीनी निगम के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं ।

(५) २ चीनी मिलों ने उन पर बकाया देयों के भुगतान के संबंध में समझौता किया है और उसी के अनुसार भुगतान कर रही हैं ।

वर्तमान जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा रिवाल्वर्स तथा बन्दूकों का लाइसेंस

*५५—श्री सूबेदार सिंह तथा श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान जिलधिकारी, मैनपुरी ने अपना कार्य-भार ग्रहण करने के तिथि से ३० नवम्बर, १९७१ तक रिवाल्वर्स तथा बन्दूकों के कितने लाइसेंस स्वीकृत किये ? जिन प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकृत किया गया है क्या अपने आदेश में जिलाधिकारी महोदय ने अस्वीकृत किये जाने के कारण भी दिये हैं यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्तमान जिलाधिकारी मैनपुरी ने अपना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३०-११-७१ तक ६६९ बन्दूकों तथा १२ रिवाल्वर/पिस्तौल के लाइसेंस स्वीकृत किये हैं। अस्वीकृत किये गये प्रार्थना-पत्रों पर अस्वीकृत किये जाने का समुचित व यथेष्ट कारण भी उल्लिखित किया गया है।

*५६—श्री सूबेदार सिंह तथा श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस समय जिला अधिकारी, मैनपुरी के कार्यालय में बन्दूकों अथवा रिवाल्वरों के कितने ऐसे अवेदन-पत्र पड़े हैं, जिनको एक वष अथवा इससे अधिक हो गया है ? क्या ऐसे आवेदन-पत्रों की सूची सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस समय जिलाधिकारी मैनपुरी के कार्यालय में ऐसे १६ आवेदन-पत्र पड़े हैं । इनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २९८ पर)

पन्नी जी शुगर मिल, बुलन्दशहर पर सरकार एवं कृषकों का बकाया धन

*५७—श्री सत्तार अहमद अंसारी (जिला बिजनौर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पन्नी शुगर मिल, बुलन्दशहर पर ३-३-७० से पहले सरकार एवं कृषकों का गन्ने का कितना मूल्य बकाया था ? क्या ३-३-७० के बाद सरकार ने उपरोक्त मिल पन्नी शुगर फैक्टरी पर अपना रिसीवर नियुक्त कर दिया ? यदि हां, तो रिसीवर नियुक्त होने के पश्चात् सरकार एवं कृषकों का कितना रुपया बकाया है तथा क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पन्नीजी शुगर मिल, बुलन्दशहर में ३-३-७० को जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा रिसीवर की नियुक्ति हुई । उस समय (अर्थात् २८-२-७०) तक सरकार के क्रय कर का एवं कृषकों के गन्ना मूल्य का क्रमशः रु० १६.८५ लाख तथा रु०१०.१३ लाख (अर्थात् कुल रुपया २६.९८ लाख) बकाया था जिसमें से ३०-११-१९७१ तक क्रय कर का रु० १.१३ लाख तथा गन्ना मूल्य का रु० १०.१३ लाख का पूरा भुगतान हो चुका है। अब ३०-११-७१ को गन्ना मूल्य का उसके बाद का रु० ३३.३६ लाख और क्रय कर का रु० २७.७६ लाख बकाया था, जिसमें रिसीवर की नियुक्ति से पहले का रुपया १५.७२ लाख क्रय कर था । पिछले सीजन और वर्तमान गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना प्रतिनिधियों से तय हुई योजना के अनुसार किया जा रहा है।

मिर्जापुर के चुर्क व डाला सीमेन्ट फैक्टरियों के स्टाकिस्टों से जमानत की धनराशि

*५८--श्री राम निहोर राय तथा श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या मुख्य मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर चुर्क सीमेंट फैक्टरी व डाला सीमेंट फैक्टरी के सीमेंट स्टाकिस्ट होने के लिये वर्ष १९६७ से ७० तक कितनी जमानत जमा कराई जाती थी ? और जमानत की राशि में अब क्या वृद्धि कर दी गई है। यदि हां, तो उसका कारण क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वर्ष १९७० तक केवल राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क में ही उत्पादन होता था । उस फैक्टरी द्वारा वर्ष ६७ से ७० तक सीमेंट स्टाकिस्टों से १,००० रु० से ५,००० रु० तक जमानत जमा कराई जाती थी परन्तु अब सभी स्टाकिस्टों से केवल ३,००० रु० की जमानत जमा कराई जाती है । राजकीय सीमेंट फैक्टरी, डाला में दिसम्बर, १९७० से ही उत्पादन प्रारम्भ हुआ है तथा प्रारम्भ में चुर्क फैक्टरी के ही कुछ स्टाकिस्ट इस फैक्टरी से सम्बद्ध किये गये थे लेकिन अब नये स्टाकिस्ट भी बनाये जा रहे हैं तथा उनसे न्यूनतम ३,००० रु० की जमानत जमा कराई जाती है । जहां तक जमानत की धनराशि में वृद्धि का प्रश्न है, यह सही है कि नये सीमेंट स्टाकिस्टों को न्यूनतम ३,००० रु० की धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है परन्तु यह प्रणाली स्टाकिस्टों के हित के लिये अपनाई गयी है ताकि उन्हें सीमेंट के लिये अग्रिम धन जमा न करना पड़े तथा माल बैंक द्वारा रेलवे रसीद पर मिल सके ।

कानपुर जिला परिषद् में अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं के रिक्त स्थान तथा नियुक्तियां

*५९--श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिला परिषद् में ३१ अगस्त, १९७१ में कितने अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के स्थान रिक्त थे, यह स्थान कब से किन कारणों से रिक्त चले आ रहे हैं तथा इन पर नियुक्तियां क्यों नहीं की गई?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

अध्यापकों के ३३१ और अध्यापिकाओं के ६२ स्थान अप्रैल, १९७० से अगस्त, १९७१ तक रिक्त थे । इसका मुख्य कारण अध्यापकों की सेवा निवृत्ति, पदोन्नति, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव तथा प्रशिक्षण हेतु चुना जाना है।

शिक्षक चुनाव समिति द्वारा गतवर्ष अनुमोदित सूची में एवं सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त स्थानों पर नियुक्ति न की जा सकी ।

*६०--श्री रामकुमार दीक्षित--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् कानपुर में नवम्बर सन् १९७१ में कितने प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ? क्या ये नियुक्तियां प्रशासनिक नियमों के अनुसार हुई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

३१९ प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की गई । सभी नियुक्तियां प्रशासन के नियमों के अनुसार की गई हैं।

जिला मुरादाबाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अस्थायी पद की अवधि

*६१--श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद बढ़ा दिया गया है ? यदि नहीं, तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की पोस्टिंग वहां क्यों कर रखी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जिला मुरादाबाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अस्थायी पद की अवधि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और इसी कारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वहां अब भी तैनात है।

*६२--श्री मोहनलाल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

झांसी जिले के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमानों के निर्धारण का प्रश्न

*६३--डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले कितने शिक्षकों का वेतन पुनरीक्षण किस कारण नहीं हो सका है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

झांसी जिले के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के ३२ अध्यापकों का पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण अभी तक नहीं हो सका है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(१) व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरणों द्वारा अध्यापकों के सेवा अभिलेख पूर्ण तथा यथाविधि नहीं रखे गये हैं।

(२) अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण भूतकाल में अनेक बार हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप नवीन पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण का कार्य बहुत जटिल हो गया है और उसमें अधिक समय लगना स्वाभाविक ही है।

(३) प्रबन्धकों ने अध्यापकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में जो अनियमितताये कर रखी हैं उनकी जांच तथा निराकरण में प्रबन्धकों का शीघ्र सहयोग न मिलने के कारण विलम्ब हो रहा है।

(४) अध्यापकों के विकल्प पत्रों में कतिपय सूचनायें गलत भरी होने के कारण उनका निराकरण किया जा रहा है।

गोंडा कोतवाली में दर्ज कत्ल के मामलों में कार्यवाही

*६४--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा कोतवाली में गत १ सितम्बर माह से लेकर २५ नवम्बर, ७१ तक कितनी रिपोर्ट कत्ल किये जाने की दर्ज कराई गई ? दर्ज की गई रिपोर्ट के आधार पर कितने मुकदमों में चार्जशीट दी गई और कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

गोंडा कोतवाली में १ सितम्बर, ७१ से २५ नवम्बर, ७१ तक कुल १६ रिपोर्ट कत्ल की दर्ज कराई गई। इन छहों रिपोर्टों पर ६ मुकदमें कायम हुए जिनमें से अब तक एक में चार्ज-शीट लगाई गई है, एक मुकदमा जांच से हत्या का नहीं पाया गया, अतः इसमें अन्तिम रिपोर्ट-लगाई गई और इसे खारिज कराया गया।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली के विचार गोष्ठी में उत्तर प्रदेश के विकास हेतु अल्मोड़ा के मैगनेसाइट खनिज पदार्थ की चर्चा

*६५---श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २७, २८ नवम्बर, सन् १९७१ में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में जो उत्तरप्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में विचार गोष्ठी हुई थी उसमें अल्मोड़ा जिले में कोई खनिज पदार्थ निकलने पर भी चर्चा हुई थी ? यदि हां, तो कौन से पदार्थ के निकलने का जिक्र था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

२७ तथा २८ नवम्बर, १९७१ में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में एक विचार गोष्ठी गैर-सरकारी तत्वावधान में हुई थी। इस विचार गोष्ठी की कार्यवाही अथवा सिफारिशें राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं। वैसे जो प्रदेश के अधिकारी बैठक में भाग लेने गये थे उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार अल्मोड़ा के मैगनेसाइट की विशेष तौर पर चर्चा हुई थी।

जनपद गोरखपुर के विद्यालयों में नियमित रूप से वेतन भुगतान का प्रश्न

*६६---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के कितने विद्यालयों में माह अगस्त, १९७१ ई० से पिछले माह का वेतन अगले माह की बीस तारीख को भुगतान नियमित होता आया है ? इस प्रकार का कोई राज्यादेश भी है ? यदि हां, तो जहां आदेशानुसार भुगतान नहीं हुआ वहां की मूल रूप से कठिनाइयां क्या रही हैं और इस कठिनाई को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

सूचना एकत्र की जा रही है।

*६७-६८---श्री कल्याण सिंह---

निरस्त।

द्वितीय वेतन मण्डल शुगर व्यवसाय संबंधित सिफारिशों पर कार्यवाही

*६९---श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय वेतन मण्डल शुगर व्यवसाय के सिफारिशों को प्रदेश के शकर मिलों में लागू करने हेतु शासन का आदेश कब प्रसारित किया गया था कितने शकर मिलों के प्रबन्धकों ने राजाज्ञा में निर्धारित समय के भीतर श्रमिकों को बढ़ोत्तरी की धनराशि का भुगतान नहीं किया था ? उनके नाम क्या हैं और राजाज्ञा की अवहेलना करने के आरोप में शासन ने किन-किन मिलों पर वैधानिक कार्यवाही की है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त वाजपेयी)---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा १४, १५ तथा १६ के अन्तर्गत कार्यवाही की मांग

*७०—श्री सूरजलाल गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि किन-किन शक्कर मिलों के संगठनों ने १ जनवरी, ७१ से ३१ मई, ७१ तक की तिथियों के बीच अपने-अपने जिलाधिकारियों को कोर्ट स्टैम्प सहित प्रार्थना-पत्र देते हुए प्रबन्धकों पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा १४–१५ तथा १६ के अन्तर्गत कार्यवाही करने की मांग की थी ? यदि हां, तो श्रमिक संगठनों एवं प्रार्थी-गण के नाम क्या हैं, तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

थाना इंचार्ज मधुवन, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध आरोप-पत्र

*७१—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इंचार्ज, थाना मधुवन, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध उस क्षेत्र की जनता ने १४–११–७१ को मधुवन में प्रदर्शन किया ? यदि हां, तो शासन व जिला स्तर के अधिकारियों को प्राप्त शिकायतें क्या हैं और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक १४–११–७१ को थाना इंचार्ज मधुबन, आजमगढ़ के विरुद्ध उस क्षेत्र की जनता ने मधुवन में प्रदर्शन नहीं किया वरन् एक आम सभा हुई थी जिसमें यह सूचना दी गई कि थानाध्यक्ष मधुबन आजमगढ़ के विरुद्ध एक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। आरोप-पत्र में उल्लिखित शिकायतों का विवरण संलग्न है।

यह आरोप-पत्र २४–१२–७१ को उप पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्राप्त हुआ। आरोप-पत्र में उल्लिखित शिकायतें जांच से सही नहीं पाई गईं ?

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २९९–३०० पर)

परियोजना क्षेत्र फूलपुर, जिला इलाहाबाद में नए उद्योग

*७२—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि परियोजना क्षेत्र, फूलपुर के संचालन हेतु कोई औद्योगिक विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

परियोजना क्षेत्र फूलपुर के संचालन हेतु कोई औद्योगिक विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया है।

*७३—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रोजेक्ट में अप्रैल, सन् ७० से ३० नवम्बर, ७१ तक कितने और कौन–कौन नये उद्योग खोले गये हैं ? क्या उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अप्रल सन् ७० से ३० नवम्बर, ७१ तक १९३ नए उद्योग खोले गए हैं जिनकी सची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३०१–३१० पर)

*७४—श्री लालन शर्मा—

[४थे बृहस्पतिवार के लिये स्थगित।]

टिहरी-गढ़वाल में मद्य-निषेध आन्दोलन संबंधी गिरफ्तारियां

*७५—श्री इन्द्रमणि—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टिहरी गढ़वाल में मद्य-निषेध आन्दोलन के दौरान कितने आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया और किस आयु के व्यक्तियों के विरुद्ध वारंट जारी किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

टिहरी गढ़वाल के गत नवम्बर, १९७१ के आन्दोलन में कुल ८० व्यक्तियों को वारन्ट द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इनमें से ७९ की आयु १२ वर्ष से लेकर ७० वर्ष की थी तथा एक ६-७ वर्ष के बालक को भी उसकी मां के साथ जेल भेजना पड़ा क्योंकि वह अलग नहीं रह सकता था। शासन ने १ दिसम्बर, १९७१ को सभी के रिहाई के आदेश जारी कर दिये थे जिसमें विशेष रूप से १६ वर्ष से कम आयु के व्यक्ति एवं स्त्रियों को तुरन्त छोड़ने का आदेश था।

अशोक आयरन ऐंड स्टील रोलिंग मिल चौरी-चौरा, गोरखपुर को कच्चा माल

*७६—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक आयरन ऐण्ड स्टील रोलिंग मिल, चौरी-चौरा, गोरखपुर को सन् १९६७ से १९७० ई० के बीच सरकार ने क्या-क्या कच्चा माल कितनी-कितनी मात्रा में दिया है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

अशोक आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल चौरी-चौरा गोरखपुर को वर्ष १९६७ से वर्ष १९७० के बीच सरकार द्वारा केवल २७ मी० टन रिरोलेबिल स्टील स्क्रैप का आवंटन किया गया है। यह आवंटन दिसम्बर, सन् ७० से मार्च सन् ७१ के बीच की अवधि के लिये था।

अंसार हायर सेकेण्ड्री स्कूल, मुरादाबाद की निरीक्षण आख्या

*७७—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, मुरादाबाद ने जुलाई, सन् ६८ से अगस्त, सन् ७१ तक अंसार हायर सेकेंडरी स्कूल, मुरादाबाद के एजूकेशन कोड के पैरा २४ के मुताबिक मुआयने किये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री स्कूल और मुताल्लिका अफसर के मुआयने की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ? यदि मुआयने नहीं किये हैं तो क्या इस सम्बन्ध में इसके लिये आदेश जारी फरमायेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

प्रसंगाधीन विद्यालय का जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद ने २६-८-६८ को निरीक्षण किया था। निरीक्षण आख्या की एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३११-३१७ पर)

नगर कासगंज, जिला एटा की पुलिस चौकियों में टेलीफोन

*७८—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिला के थाना कासगंज से संबंधित नवीन चौकियां कायम करने तथा नगर कासगंज की चौकियों में टेलीफोन लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा

माननीय मुख्य मंत्री तथा पुलिस महानिरीक्षक को मास अक्तूबर, ७१ में प्रेषित पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

केवल नई चौकियां स्थापित करने के संबंध में माननीय सदस्य का पत्र दिनांक १३ अक्तूबर, १९७१ प्राप्त हुआ था जो पुलिस अधीक्षक, एटा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा रेंज को पृष्ठांकित था, परन्तु ऐसा कोई पत्र पुलिस महानिरीक्षक को प्राप्त नहीं हुआ।

जिला एटा की थानों की संख्या पुनस्संगठन योजना में बढ़ा दी गई है और चौकियों की संख्या कम कर दी गई है। अतः ग्राम ढोलना तथा नमैनी अथवा गढ़ी में नई चौकी खोलने की योजना नहीं है, परन्तु इस क्षेत्र में कांस्टेबिलों द्वारा गश्त का विशेष प्रबन्ध किया गया है।

कासगंज थाने की दो पुलिस चौकियों में से एक कासगंज थाने पर ही स्थित है, अतः वहां अलग से टेलीफोन की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चौकी पर टेलीफोन लगाने के प्रश्न पर अन्य प्रस्तावों के साथ विचार हो रहा है।

अतारांकित प्रश्न

चमोली जिले के विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

१--श्री शेरसिंह दानू--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली के विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो वहां ३ वर्षों से अधिक से सेवारत हैं और वर्ष १९७०-७१ में उनमें से कितनों के स्थानान्तरण के आदेश हुए और रोके गये ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

ऐसे बारह कर्मचारी हैं। वर्ष १९७०-७१ में इनमें से किसी के स्थानान्तरण के आदेश नहीं हुये थे, अतः स्थानान्तरण रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के दैनिक समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन

२--श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश सरकार ने पिछले ३ वर्षों में (१-४-६९) से ३०-९-७१ तक इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले किस-किस दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार-पत्रों को कितने-कितने रुपयों के विज्ञापन दिये गये हैं ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)--

स्वीकृत पत्रों में से हिन्दी दैनिक "भारत" को लगभग १,४१,९६६ रु० तथा अंग्रेजी दैनिक "नार्दन इंडिया पत्रिका" को लगभग रु० ४,४५,५१२.६४ पैसे मूल्य के विज्ञापन प्रश्नगत अवधि में दिये गये। इलाहाबाद का कोई सप्ताहिक सूची पर नहीं रहा।

फूलपुर व प्रतापपुर ब्लाकों (इलाहाबाद) में उद्योग ऋण का उपयोग

३--श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९७१ तक प्रोजेक्ट में फूलपुर, प्रतापपुर ब्लाक इलाहाबाद में कितने लोगों को उद्योग के लिये ऋण दिया गया ह तथा जिन लोगों को उद्योग के लिये ऋण दिया गया ह उन्होंने कार्य शुरू किया या नहीं ? यदि नहीं किया तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ? उन व्यक्तियों के नाम सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

इलाहाबाद जिले में उद्योगों के लिए वितरित ऋण का विवरण

४—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में १ जनवरी, १९६८ से ३० सितम्बर, १९७१ तक उद्योगों के लिये कितने लोगों को कितना धन किस-किस उद्योग के लिये कर्जा के रूप में दिया गया उनके नाम सदन के पटल पर रखने की क्या कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इलाहाबाद जिले में १-१-६८ से ३० सितम्बर, १९७१ तक २३ इकाइयों को २३,८०,५०० रुपये का ऋण विभिन्न उद्योगों के लिये वितरित किया गया। इस ऋण में से १९,९६,००० रुपये का ऋण उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने कारपोरशन लोन स्कीम के अन्तर्गत ४ पार्टियों को वितरित किया है। स्टेट फायनेंशियल कारपोरेशन ऐक्ट की धारा ४० के अनुसार इन इकाइयों के नाम सुरक्षित हैं। अतः इन इकाइयों के नाम को छोड़कर बाकी १९ इकाइयों को, जिन्हें ३,८४,५०० रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ है, उनके नाम तथा वितरित धनराशि का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३१८ पर)

इलाहाबाद जिले में पड़ी डकैतियों के फलस्वरूप कार्यवाही

५—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९७१ से ३० सितम्बर, १९७१ तक इलाहाबाद जिले में कितनी डकैतियां पड़ीं इनमें कितने व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुए तथा कितने का सामान लूटा गया? पुलिस अधिकारियों ने इन डकैतियों से संबंधित कितने डाकुओं को पकड़ा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद जिले में १ जनवरी, १९७१ से ३० सितम्बर, १९७१ तक १२५ डकैतियां पड़ीं। इनमें ५ डकैत तथा ८ ग्रामीण मारे गए व १७० ग्रामीण घायल हुए। इन सब डकतियों में ३,८५,३१२ रुपये का माल लूटा गया। पुलिस ने इन डकैतियों से सम्बन्धित ५९३ डाकुओं को गिरफ्तार किया और २४८ डाकुओं को आत्म-समर्पण के लिये मजबूर किया।

प्रदेश में शिक्षित बेकारों की पंजीकृत संख्या

६—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१-१२-७१ तक प्रदेश में शिक्षित बेकारों की रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों के हिसाब से पंजीकृत संख्या कितनी थी और अब १५-११-७१ तक बढ़कर कितनी हो गई?

श्री गणेशदत्त वाजपेयी—

प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में ३१-१२-७० को जीवित पंजी पर शिक्षित बेकारों की संख्या १,९६,९०३ थी। ऐसा कोई सांख्यकीय परिलेख नहीं आता है जिससे १५-११-७१ तक के आंकड़े बताये जा सकें। सम्बन्धित सांख्यकीय आंकड़े अर्धवार्षिक आधार पर एकत्रित किये जाते हैं। इसके अनुसार उक्त बेकारों की संख्या ३० जून, ७१ तक १,९८,८१९ थी।

गोरखपुर जिले में पुलिस थानों पर जीप और टेलीफोन की व्यवस्था

७—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत किन-किन पुलिस थानों पर जीप और टेलीफोन की व्यवस्था है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गोरखपुर जिले के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर जीप की व्यवस्था है:—

१—सहजनवां

२—पुरन्दरपुर

३—चौरा

४—बांसगांव

५—कैन्ट

६—राजघाट

उक्त जिले के अन्तर्गत निम्नलिखित थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था है:—

१—कोतवाली

२—कैन्ट

३—कोठीभार

४—पिपराइच

५—बड़हलगंज

६—महाराजगंज

७—निचलौल

८—बांसगांव

९—राजघाट

१०—नौतनवां

११—फरेन्दा

१२—चौरा

१३—सहजनवां

गोरखपुर जिले के कौड़ीराम क्षेत्र में पुलिस चौकी को स्थापना का प्रश्न

८—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत कौड़ीराम में पुलिस चौकी की स्थापना का विचार सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक पुलिस चौकी स्थापित कर दी जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गोरखपुर जिले के कौड़ीराम क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

आगरा मण्डल के अध्यापकों के वेतन निर्धारण का कार्य

९--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजाज्ञा संख्या का १७८२ पन्द्रह-१९६८, दिनांक १५ मार्च, १९६९ तथा उसी के तारतम्य में उप सचिव शिक्षा (क) विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या क/६८०८ (१) पन्द्रह---७०५९-१९६८, दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६९ के अन्तर्गत आगरा मण्डल में दिनांक २१-५-७० तक कहां-कहां के और किस-किस अध्यापक का विकल्प के रूप में पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है और उपरोक्त पुनरीक्षित वेतनमानों का निर्धारण कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

अब केवल ६५४ अध्यापकों के वेतन निर्धारित कार्य शेष हैं जो आशा है कि शीघ्र ही पूर्ण हो जायगा ।

१०--श्री मंजूर अहमद--

[२रे मंगलवार में प्रश्न १४ के अन्तर्गत उत्तरित ।]

प्रदेश में लघु उद्योग खोलने हेतु पंजीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या

११--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७०-७१ में कितने प्रार्थना-पत्र उद्योग विभाग को लघु उद्योग खोलने के लिये पंजीकृत किये जाने को प्राप्त हुए और कितने पंजीकृत हुए ? इनमें से कितने जिला टिहरी गढ़वाल के थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वर्ष १९७०-७१ में कुल ५,८६५ प्रार्थना-पत्र उद्योग विभाग को लघु उद्योग में पंजीकृत किये जाने के लिये प्राप्त हुये और ५,५४१ इकाइयों को पंजीकृत किया गया जिनमें जिला टेहरी-गढ़वाल का एक भी नहीं था ।

प्रदेश में नागरिक परिषद् के केन्द्रों की संख्या तथा धन एकत्रित करने का उद्देश्य

१२--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में नागरिक परिषद् के कुल कितने केन्द्र हैं और उनके द्वारा १ नवम्बर, १९७१ तक कितना धन किन-किन कार्यों के लिये एकत्रित किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् का एक केन्द्र प्रदेश के प्रत्येक जिले में है अर्थात् कुल ५४ केन्द्र हैं और १ नवम्बर, १९७१ तक कुल २८,६३,१२९.३१ पैसे की धनराशि एकत्र हुई । यह धन मुख्यतः बंगला देश से आये शरणार्थियों के सहायतार्थ एकत्र किया गया किन्तु आवश्यकता पड़ने पर निम्न प्रयोजनों के लिये भी उसका प्रयोग किया जा सकता है:--

१--देश की सुरक्षा के लिये ।

२--सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण कार्य के लिये ।

३--दैविक प्रकोप जैसे सूखा, बाढ़, भूकम्प आदि का सामना करने के लिये ।

शाहजहांपुर जिले में उद्योग स्थापना हेतु सुविधाएं

१३—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में शाहजहांपुर जिले में कौन-कौन उद्योग निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में लगाये जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चालू वित्तीय वर्ष में शाहजहांपुर जिले में सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में कोई भी वृहत उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

जहां तक लघु उद्योगों की स्थापना का प्रश्न है, सरकार स्वयं कोई उद्योग स्थापित नहीं करती है । परन्तु उनके विकास एवं स्थापना हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं । शाहजहांपुर जिले के उद्योगकर्त्ता भी उनसे लाभ उठाते हैं ।

जिला परिषद् (मिर्जापुर) के विद्यालयों के अध्यापक तथा अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण

१४—श्री रामनिहोर राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के जिला परिषद् के विद्यालयों में कितने शिक्षक व अध्यापिकायें कार्य कर रही हैं और सन् १९७०-७१में कितने स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

३,६४० अध्यापक तथा अध्यापिकाएं कार्य कर रही हैं । १९७०-७१ में २५० अध्यापक तथा अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण किया गया ।

जनपद मिर्जापुर में बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु अध्यापिकाओं का चयन

१५—श्री रामनिहोर राय—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के लिये बी० टी० सी० के लिये कितने स्थान निश्चित हैं और कितने की सूची जिला चयन समिति ने इस वर्ष भेजी थी ? उसमें से कितनी अध्यापिकायें प्रशिक्षण के लिये भेजी गई और कितनी मिर्जापुर की अभ्यर्थिनी जो चयन समिति द्वारा चुनी गई थीं लेकिन उन्हें प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा गया ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जनपद मिर्जापुर में बी० टी० सी० प्रशिक्षण के लिये १६० स्थान हैं । जिला चयन समिति ने इस वर्ष ११० अभ्यर्थिनियों की सूची भेजी थी जिसमें से ८६ (दो अध्यापिकाओं सहित) को प्रशिक्षण के लिये पूरे मंडल के अभ्यर्थियों के चुनाव के आधार पर भेजा गया । शेष २४ को स्थानाभाव के कारण प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा जा सका ।

गांव चौकीदारों के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में विचार

*१६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार ग्रामीण चौकीदारों का वेतनमान बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गांव चौकीदारों के वेतन वृद्धि के मामले पर विचार किया जा रहा है । लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि वतन वृद्धि की जायगी तो कितनी और कब से ।

राय बद्रीपाल सिंह इन्टर कालेज, प्रतापगढ़ हेतु अंग्रेजी प्रवक्ता की नियुक्ति

१७—श्री रामदेव —

क्या शिक्षा मंत्री को यह भी जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत राय बद्रीपाल सिंह इंटर कालेज में १४ जुलाई, १९६८ में अंग्रेजी प्रवक्ता के पद के लिये साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो कितने और किन प्रत्याशियों का साक्षात्कार हुआ था ? और किन्हें नियुक्त किया गया ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

पन्द्रह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ था जिनकी सूची संलग्न है ।

श्री राजबहादुर मिश्र को नियुक्त किया गया ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ३१९ पर)

३१ अक्तूबर, १९७१ तक आगरा मण्डल के अध्यापकों का वेतन निर्धारण का कार्य

१८—श्री कल्याण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजाज्ञा संख्या क/१७८२—पन्द्रह, १९६८ दिनांक १५ मार्च, १९६९ तथा उसी के तारतम्य में उप सचिव शिक्षा (क) विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या क-६८०८—(१) पन्द्रह/३०५९/१९६८, दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६९ के अन्तर्गत आगरा मण्डल में दिनांक ३१-१०-७१ तक कहां-कहां के कितने अध्यापकों का विकल्प के रूप में पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है और उपरोक्त पुनरीक्षित वेतनमानों का निर्धारण कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

३१ अक्तूबर, १९७१ तक आगरा मंडल में निम्न विवरणानुसार अध्यापकों का वेतन निर्धारण होना शेष था:

जिला	संख्या
आगरा	२६६
अलीगढ़	२०६
मथुरा	१५८
मैनपुरी	१६३
एटा	३९

वेतन निर्धारण के कार्य में पूर्ण शीघ्रता की जा रही है । नवीनतम स्थिति यह है कि अब केवल ६५४ अध्यापकों का वेतन निर्धारण शेष है। आशा है कि यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जायगा ।

प्रदेश में जिला प्रशिक्षण तथा सेवायोजन समिति का गठन

१९—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आई० टी० आई० संस्था के लिये प्रदेश के प्रत्येक जिले में सलाहकार समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां। समिति "जिला प्रशिक्षण तथा सेवायोजन समिति" कहलाती है गठन निम्न प्रकार किया जाता है:--

सभापति--समिति का एक गैर सरकारी सदस्य।

सदस्यगण--(१) निजी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय उद्योग तथा सेवायोजकों में प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि।

(२) सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय उद्योग तथा सेवायोजकों में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि।

(३) श्रमिकों के तीन प्रतिनिधि।

(४) विश्वविद्यालय के यदि कोई हों, अर्थशास्त्र विभाग का एक प्रतिनिधि जो उपकुलपति द्वारा नामित किया जायेगा अथवा एक प्रमुख स्थानीय अर्थशास्त्र अथवा जिलों के किसी महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग का अध्यक्ष जो जिला अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।

(५) सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के दो प्रतिनिधि।

(६) राज्य विधान मंडल के दो या दो से अधिक परन्तु चार से अधिक नहीं।

(७) जिला सेवायोजन अधिकारी।

(८) जिला उद्योग अधिकारी।

(९) स्थानीय सेवायोजन अधिकारी।

(१०) सचिव, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स, सेलर्स एन्ड एजर मैन्स बोर्ड।

सदस्य सचिव--औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र का आचार्य अथवा जिले में यदि कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र न हो तो स्थानीय सेवायोजन अधिकारी।

२०--श्री कल्याण सिंह--

[निरस्त]

इटावा शहर में सुरक्षा कोष के लिये चन्दा एकत्रित करने में धांधलियां किये जाने के संबंध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य सूची संख्या ५। इटावा शहर में सुरक्षा कोष के लिये चन्दा एकत्रित करने में अधिकारियों द्वारा धांधलियां किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी का केवल वक्तव्य।

गृह उप मंत्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)--

मान्यवर, इसकी सूचना हमको अभी अभी प्राप्त हुई है। इसलिये मैंने आप से निवेदन किया था कि आप इसमें पूरक प्रश्नों की अनुमति न दें।

श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने इलाहाबाद होम्योपैथिक मैडिकल कालेज के विद्यार्थियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी उसको आपने अस्वीकार कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो कार्य सूची में नम्बर ७ पर है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इसके प्रिंसीपल ने एक महिला के साथ बलात्कार किया और वहां टीचर्स को निकाला गया और आज कालेज कई महीनों से बन्द है। उस विद्यालय में घोर दुव्यवस्था है। इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए आप मुख्य मंत्री जी से कहिए कि वह हमें सूचना दें।

श्री उपाध्यक्ष—

वह आप नियम ५१ या ५६ के अन्तर्गत प्रस्तुत करें। जब उसका समय आए तो आप को जितनी बातें कहनी हैं कहें मैं इजाजत दे दूंगा।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी—

माननीय जिलाधिकारी, इटावा से रेडियोग्राम द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नत्थी मल ने ४-१-७२ को सिटी मैजिस्ट्रेट, इटावा को स्वेच्छा से सुरक्षा कोष के लिए १,००१ रु० अंशदान दिया। इसके लिए उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया है और न ही उनसे कोई निश्चित धनराशि की मांग की गई थी।

२—जहां तक शक्कर के कुछ व्यापारियों के गोदामों इत्यादि की तलाशी तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही का प्रश्न है जिलाधिकारी ने कहा है कि इटावा नगर में शक्कर की कमी, इसकी बिक्री में धांधली और इसके फलस्वरूप जन साधारण को हो रही है कठिनाई के बारे में समाचार-पत्रों में समाचार छपे थे और इससे जनता में रोष था। सिटी मजिस्ट्रेट इटावा, सर्किल अधिकारी तथा थाना इन्चार्ज ने शक्कर की बिक्री में धांधलियों की विश्वस्त सूचना के आधार पर शक्कर के व्यापारियों की दूकानों की तलाशी ली और ३ व्यापारियों सर्वश्री नत्थी मल, सत्य प्रकाश और बाल कृष्ण को उसी दिन डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स के नियम ११४ के अधीन बने उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (मूल्य प्रदर्शन और सम्भरण तथा वितरण) आदेश, १९७१ के खन्ड ३, ५, ९, १० तथा ११ की अवहेलना के लिए गिरफ्तार किया गया। कुछ अन्य व्यक्ति इसी नियम के अधीन अन्य अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किये गये। उक्त नियम के अधीन अपराध हस्तक्षेपीय तथा गैर जमानती है। गिरफ्तार किये गये सभी व्यक्तियों की जमानतों के आवेदन पत्रों का डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के नियम १८४ के अनुसार मजिस्ट्रेटों द्वारा शीघ्र निस्तारण किया गया। जिन १६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उनमें से ११ को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और ५ व्यक्तियों के आवेदन पत्र जिला जज के पास विचाराधीन है। इस कार्यवाही से जन साधारण ने संतोष व्यक्त किया है और दूकानदारों में किसी प्रकार का कोई भय इत्यादि नहीं है। इस संबंध में जो मुकदमे कायम किये गये हैं उनकी तफतीश की जा रही है और जो भी रजिस्टर तथा कागजात शक्कर विक्रेताओं से कब्जे में लिये गये हैं उन्हें भी मुकदमे की सुनवाई के समय पेश किया जायेगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि लेवी की शक्कर इटावा नगर में ९-१-७२ को पहुंची है। उक्त मुकदमों का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने भी आज नोटिस दी और वह इस प्रकार है कि आज गरीबी और महंगाई के दो पाटों में जनता पिसी जा रही है। स्वेच्छा से सुरक्षा कोष में जनता ने धन दिया और दे रही है परन्तु जिले के अधिकारी न्यायालयों को भी सुरक्षा कोष एकत्रित करने के लिये दबाव डाल रहे हैं जिसके कारण न्याय बिक सा रहा है। सबको मालूम है कि चकबन्दी की अदालतों का अख्तियार बहुत बड़ा है। चकबन्दी के ए० सी० ओ०, सी० ओ० इत्यादि किसी गांव में जाकर काम प्रारम्भ करने से पहले जनता से सुरक्षा कोष की एक बहुत बड़ी रकम की मांग करते हैं जिसके कारण जनता बहुत त्रस्त और भयभीत है क्योंकि सप्लाई आफिसर जिले के अन्य आफिसर यह कह कर कि प्रान्तीय सरकार का आदेश है अपने अपने अधिकार का प्रयोग करके जबरदस्ती पैसा एकत्रित कर रहे हैं जिसके कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसलिये मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की आज्ञा चाहता हूं।

मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा था कि जब कभी इस प्रकार की शिकायतें दी जायेंगी उन पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, लखीमपुर खीरी में भी इसी प्रकार की स्थिति है वहां भी इसी प्रकार से पैसा वसूल किया जा रहा है ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इस पर चर्चा करने का अवसर दिया जाय । बस्ती में मैंने खुद देखा है कि वहां पर ६० लाख रु० का लक्ष्य रखा गया है । मान्यवर, मैंने अपने क्षेत्र में खुद देखा है कि वहां पर इस तरह की बातें हो रही हैं । जिन स्थानों पर चकबन्दी हो रही है वहां पर यह कहते हैं कि इतना-इतना रुपया देना होगा । एक-एक तहसील में १०, १० लाख रु० का लक्ष्य रखा गया है । ए० सी० ओ० जब आते हैं तो कहते हैं कि हमको सुरक्षा कोष के लिये इतना-इतना रुपया लेना है आप दीजिये । अगर आप नहीं देंगे तब तक चक ठीक नहीं बनेगा । न्याय बिक रहा है । मैंने इसको देखा और इस पर बातचीत भी की । हर एक लाइसेन्स के ऊपर चाहे नमक का हो या तेल का १००, १०० रु० कर दिया गया है । मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह इसकी स्पष्ट घोषणा करें कि इस प्रकार की ज्यादती नहीं होनी चाहिये । जो अदालतें हैं वह कहती हैं कि हमारे ऊपर ४ हजार रु० लगा दिया गया है । जब आप देंगे तब हम करेंगे । घर गिरने में जिसको ४० रु० हुआ था उसको १५ रु० ही दिया गया । हमारे यहां अदलापुर का रहने वाला लौटू को १५ रु० दिया गया । मैं पुनः यह प्रार्थना करूंगा कि आज मुख्य मंत्री जी इस बात की घोषणा करें कि यह नहीं किया जायगा । आज के बाद असेम्बली बन्द हो रही है अतः आज ही यह होना चाहिये । जब तक पुनः एसेम्बली का सेशन होगा उस समय तक करोड़ों रुपया वसूल कर लिया जायगा । जितना हाहाकार आज इससे मचा हुआ है उतना तो अंग्रेजों के काल में भी नहीं हुआ था ।

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, एक इटावा जिले का दिया गया, एक त्रिपाठी जी ने दिया, लखीमपुर खीरी का दिया गया । मान्यवर, अब काफी शिकायतें एकत्र हो गई हैं । शाहजहांपुर की तिलहर तहसील के बारे में भी शिकायत है । मान्यवर, इस पर दो तीन घंटे की बहस हो जाय तो अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस चन्दे के सवाल को लेकर जब बात हुई थी तो मुख्य मंत्री जी ने कहा था जो लोग चन्दे को जोर जबरदस्ती कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं उचित कार्यवाही करूंगा और आप लोग ऐसी चीजों को बतायें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी —

श्रीमन्, यह तो सारे प्रदेश में है । देहरादून का मुझे मालूम ह, जिसने चन्दा नहीं दिया उसे बन्द कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सूचनायें आप दे रहे हैं उनको हम ने रख दिया है और जो होंगी वह आप मुख्य मंत्री जी को भेज दीजियेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रूपनाथ सिंह (जिला इलाहाबाद)—

ऐसी शिकायतें प्रदेश के हर जिले में हैं। इलाहाबाद जिले में सवा छः एकड़ की माफी वालों से पैसा लिया जा रहा है, चकबन्दी में लिया जा रहा है, हरिजनों से लिया जा रहा है। यह आपतकालीन स्थिति खत्म की जानी चाहिये, इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, बलिया में तो चरम सीमा है। मैंने तार भी दिया। मुख्य मंत्री जी की तरफ से इतनी धांधली हो रही है कि उसकी प्राप्ति मुझे नहीं मिली, कार्य तो क्या होगा।

*श्री होती लाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

श्रीमन्, १६ आदमियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देना, इस सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लैवी की शुगर तो आयी नहीं थी, ब्लैक मार्केट कैसे हो सकता था? जिन लोगों की तलाशी ली गयी उनको २५० बोरा रखने का अधिकार है लायसेन्स के अनुसार, और किसी भी एक आदमी के यहां २५० बोरा नहीं मिला। मरी समझ में नहीं आता इससे ज्यादा क्या और धांधलीबाजी हो सकती है। बीसों आदमियों को एकत्रित कर चन्दा किया गया। उन लोगों ने हजार-हजार, पांच-पांच सौ रुपया दिया, फिर भी सन्तुष्ट नहीं हुए और वहीं पर कहा कि हम देख लेंगे तुम लोगों को। झूठ मुकदमे लगाकर उन लोगों को जेल भेजा है। यह ठीक है कि वह अदालत से छूट जायंगे, लेकिन हैरेसमेन्ट कितना ज्यादा हुआ है। जमानतें भी लोअर कोर्ट से नहीं हुईं। सब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से हुई हैं, तीन-तीन, चार-चार रोज के बाद। बहाना यह किया गया कि यह सूचना नहीं है, वह सूचना नहीं है। कई दिन तक जेल में रखा गया। उनको तरह-तरह की गालियां दी गयीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों ने आखिर क्या जुर्म किया? यह बता दीजिए कि कितने बोरे कहां निकले और लैवी की शुगर ९ तारीख के पहले क्या कोई आई थी? जब नहीं आयी थी तो किसी के पास नहीं निकली, कोई ब्लैक मार्केट नहीं हुआ। मुख्य मंत्री जी इसकी अच्छी तरह से जांच कराएं और जिसने इस तरह की गलती की उसको सजा दिलाएं। इससे मुख्य मंत्री जी की शोभा बढ़ेगी ही, नुकसान नहीं होगा।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, होतीलाल जी ने जो बात कही वह तो जिन लोगों का चालान हुआ है, उनकी बात कही है। डी० आई० आर० में जिनका चालान हो गया है, उनके केसज अदालत में हैं। एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट के मुताबिक, अगर उन्होंने किसी प्रकार की लड़ाई के जमान में धांधली की तो उनका चालान किया गया तो वह कार्यवाही हुई, चालान हुआ और अदालत में मुकदमा है।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

कोई ऐसी शिकायत अधिकारियों के पास आई थी इसके पहले?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप बैठ जाएं पहले। अधिकारियों की जांच हुई और उन्हें सूचना मिली। अब उन्हें छोड़ दिया जाये कि न छोड़ दिया जाए, जुर्म किया या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। होती लाल जी के पास अगर कोई जानकारी है तो वे अदालत के सामने पेश भी कर सकते हैं। चूंकि चालान कर दिया गया है इसलिए नाराजगी है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है।

दूसरी बात मैं माधव जी से कहना चाहता हूं। स्पष्ट घोषणा यहां की जा चुकी है।

---

*वक्ता ने भाषणों का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--

उसका कहीं पर भी पालन नहीं हुआ है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

खूब पालन हुआ है। सिवाए विरोधी दलों की बेंचों के और कहीं से यह आवाज नहीं उठ रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

हम ही तो प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का। आपका प्रतिनिधित्व तो गायब हो गया पार्लियामेन्ट के चुनाव में, हमारा प्रतिनिधित्व मौजूद है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जितना भी है उसे तो सुन लें। अगर हम कम प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसे भी सुन लें ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

वे जो भी कुकर्म करें सब ठीक है। बहुमत से चुनाव जीत गये तो सब जा है। एम० एल० एज० के चुनाव में मजा चखियेगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि सिवाए विरोधी दलों की बेंचेंज के और कहीं से यह आवाज नहीं उठ रही ह। मैंने घोषणा की थी और फिर करता हूं। आपने कह दिया कि बस्ती के लिए ६० लाख रु० निर्धारित है। किसी जिले के लिए कोई कोटा तय नहीं किया गया है। बस्ती के लिए भी नहीं किया गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

तय है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यही कह कर तो मैं चल रहा हूं बस्ती--वहां १०-२० आदमी पेश कीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी जिले के लिए कोई कोटा कहीं पर भी निर्धारित नहीं किया गया है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

किया गया है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

नहीं किया गया है, मैं कहता हूं। आप मेरी बात सुन लें। जब कोई बोलता है तो मैं उसको नहीं रोकता हूं ।

श्री बांके लाल--

देवरिया जिल के लिए ३० लाख रु० और बस्ती के लिए २० लाख, यह कैसे हो गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अगर मरी अपील के ऊपर जिलों से रुपया आ रहा हो और इसके लिए बांके लाल जी को रात में निद्रा न आती हो तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। उनको यह परेशानी हो रही ह कि मने ३ करोड़ रु० दे दिये। मैं २ करोड़ रु० और दे दूंगा। जनाब को परशानी रही है कि प्रधान मंत्री को इतना रुपया क्यों दे दिया जा रहा है।

एक सदस्य---

बोलने के उपक्रम में ....

श्री कमलापति त्रिपा ी---

मरी बात सुन लें। जब आप खड़े होते हैं तो मैं नहीं खड़ा होता हूं। दूसरे नेताओं का भी उसी प्रकार आदर करना सीखें। मान्यवर, ये आदेश हैं कि किसी प्रकार की जबरदस्ती, ज्यादती करन की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास तो लोग यहां आ-आकर रुपया दे जाते हैं--- किसान रुपया दे जाते हैं और रास्ता चलत लोग दे जात ह। जिस दिन मैं लखीमपुर-खीरी जा रहा था तो लोगों ने मेरी गाड़ी रास्ते में रोक ली और १,००० रु० दे दिय। हमारी गाड़ी कुछ आग निकल गई थी। हमने समझा कि वे कोई दरख्वास्त देना चाहते हैं, गरीब आदमी ह। हमने गाड़ी पीछे की, और उनसे पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कि १००० रु० सुरक्षा कोष में देना चाहते हैं।

एक सदस्य---

यह ड्रामा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह ड्रामा है और देखने वाले आप हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (टेहरी गढ़वाल)---

बिना एन्टरटेनमैन्ट टक्स के देख रहे हैं।

श्री बांके लाल---

इसके मुख्य पात्र हैं मुख्य मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जो नाच नचाओगे त्यों नाचेंगे। ड्रामा करोगे तो आगे-आगे हम नचवे ही करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास यदि किसी भी अधिकारी ने कोई ज्यादती की हो तो उसकी सूचना मेज दें। अभी किसी एस०डी० एम० का भी हवाला दिया गया, मुझे उसका नाम लिख कर माननीय सदस्य दे दें, उसके विरुद्ध जिस व्यक्ति से आप चाहेंगे मैं जांच करवा लूंगा और यदि शिकायत सही निकलेगी तो तत्काल उसको कठोर दंड दिया जायेगा। आप उन लोगों को भी मेरे पास भेज दीजिये जिनसे जबरदस्ती रुपया लिया गया है, मैं उनका रुपया सुरक्षा कोष से वापस करवा दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैंने एक मुख्य शिकायत उस दिन की थी और आज भी मैंने शिकायत की, मगर माननीय मुख्य मंत्री जी यह कहकर निकलना चाहते है कि इधर के लोग चुप है, केवल विरोध पक्ष ही उनको कह रहा है, तो मान्यवर, विरोध पक्ष कस का प्रतिनिधित्व करता है? वह किस लिये यहां बठता है। आप कहते है किसी से जबरदस्ती नहीं लिया गया, मोची, चाय वाला तथा गरीब से गरीब आदमी तक से जबरदस्ती पैसा वसूल किया गया। आप कहते है कि किसी की शिकायत करके बताओ, हमें इससे घोर असंतोष है, सरकार का यह रवैया बड़ा गलत है। सरकार के इस रवय से तो ५० करोड़ हो जायगा, ३ करोड़ की क्या बात है। आप जाकर

देखिये, जनता में लोग आज कराह रहे हैं, उनमें बड़ा असंतोष है। मैं सरकार के इस रवैये पर अपना घोर असंतोष व्यक्त करत हुये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, कौन-सा जुर्म हो गया। मैंने तो यह कहा है कि जिससे भी जबरदस्ती वसूल हुआ है उसका नाम मुझे भेज दिया जाय, मैं वापस करा दूंगा उसका पैसा और फिर यदि किसी अधिकारी ने कोई जबरदस्ती की है तो उसका नाम भी भेज दिया जाय मैं जांच करा लूंगा। १०-२०-५० जो भी रुपया यदि कोई कहेगा कि जबरदस्ती वसूल किया गया है, मैं सुरक्षा कोष से वापस करवा दूंगा। उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये भी मैंने कह दिया। और क्या चाहते ह ? मेरे पास कोई शिकायत लिखकर भेजी नहीं गयी।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, मुझे तो यह अफसोस है कि जिस चीज का इतना ढिंढोरा पीटा गया कि इतना रुपया वसूल हुआ, मरी शिकायत उसके उलटी है। सरकार की तरफ से उसके लिये कोई कार्यक्रम आया ही नहीं, वरना सन् १९६२ में इसी उत्तर प्रदेश में माननीय गुप्ता जी क जमान में साढ़े ८ करोड़ और सन् १९६५ में साढ़े ५ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था और यह ३ करोड़ की जो बात कही गयी, सो उसके बारे में हमने और कल्पनाथ जी ने क्वैश्चन भी किया था और वह मंजूर भी कर लिया गया था जिसमें यह था कि जिस दिन यह ३ करोड़ रुपया दिया गया उस दिन बैंक के खाते में ३ करोड़ रुपया था ही नहीं और बैंक्स पर दबाव डालकर यह रुपया दिया गया। यह मेरी निश्चित इत्तला है कि उस दिन ३ करोड़ रुपया नहीं था। पंडित जी तो वहां पर मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में ३ करोड़ रुपया दिया गया। राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी को क्या बिजनेस थी अध्यक्षता करने की ? नागरिक परिषद के अध्यक्ष करते, चीफ मिनिस्टर करते। खीरी की यही शिकायत है। वहां मुख्य मंत्री जी गये। वहां गुप्ता जी के लिये एक कविता पढ़ी गयी। आप पढ़िये उस कविता को कि उसमें या लिखा हुआ है। आप जितने नेता बने हुये हैं उनके चरण की धूल भी नहीं हैं। अगर सुरक्षा परिषद् की नागरिक कमेटियों को इन्डीकेट का जलसा बनाकर करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। सन् १९६२ और १९६५ को देखते हुये यहां से १० करोड़ जाना चाहिये था। जो गया भी वह जोर, जुल्म और ज्यादती से वसूल किया गया। मैं बड़ी विनम्रता से पंडित जी से कहूंगा कि आप उस मीटिंग में थे जो आपकी पार्टी की मीटिंग थी। उसमें गुप्ता जी के लिये जो कविता पढ़ी गयी वह जरा आप सुना दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह दूसरा प्रश्न आप करते हैं। अब आगे चलने दें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

जो इटावा वाला सवाल है उसकी नोटिस में हमारा भी नाम है। मैं एक बात जानना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से।

श्री उपाध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी को जाना है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

साढ़े १२ बजे सोवियट रूस के दूत आ रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

रूस के दूत तो अइबै करेंगे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे थोड़ी देर के लिये छुट्टी दीजिये। गुप्ता जी से मेरा मुकाबला न कीजिये। वह बहुत बड़े हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं तो छोटा-सा उनका साथी रहा हूं और सेवक हूं आज भी।

श्री बंशीधर पांडेय---

खीरी के सम्बन्ध में जो कविता गुप्ता जी के बारे में पढ़ी गयी वह तो सुना दीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

पंडित बंशीधर शुक्ल एक हैं जिनको आप जानते हैं। वह खड़े होकर पढ़ने लगे। (इतना कहकर श्री कमलापति त्रिपाठी चले गये)

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

आपत्तिकालीन स्थिति में जब हर आदमी यह जानता है कि हम डी० आई० आर० में पकड़े जा सकते हैं तो कोई भी जबर्दस्ती चन्दा देने वाला नहीं कह सकता है कि हमने जबर्दस्ती दिया है। किसी की हिम्मत नहीं है। यह चन्दा जबर्दस्ती लिया जाता है। ठीक ४ तारीख को जब १००१ रुपया उससे वसूल किया गया क्या उसी दिन इन कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया ? कोई दूसरी तारीख नहीं हो सकती थी ?

श्री होतीलाल अग्रवाल---

मैं कुछ पूछना चाहूंगा उनका मुझे उत्तर मिल जाये, बस। क्या अकेले लक्ष्छमन से चन्दा लिया गया है उस दिन और सिटी मैजिस्ट्रेट ने लिया ? यह चन्दा कितने डीलर्स से लिया गया? दूसरे, क्या उन्होंने उस दिन धमकी नहीं दी और फिर उसके बाद ६ आदमियों को गिरफ्तार करके मुकदमा नहीं चलाया जो झूठा था ? क्या ९ तारीख के पहले कोई लेवी की शकर वहां पर थी ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

मैं यह कहना चाहता हूं कि तकावी देने के लिये जिन लोगों को बुलाया गया उनसे रुपये काट लिये गये ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री काजी जलील अब्बासी)---

मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जनसंघ के नेता का मैं बड़ा आदर करता हूं लेकिन मैं उनकी बात को काटते हुए कहना चाहता हूं कि पहली बार जब मैं गया सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी मीटिंग में मैंने वहां पर बातचीत की। ६० लाख रुपया वहां पर जमा होने को था। मैंने फोन किया कि ६० लाख रुपया सुरक्षा कोष में हमारा जिला कभी नहीं दे सकता है....

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय---

आपके खिलाफ चार्जज हैं आप क्या स्पष्टीकरण देते हैं। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ इस संबंध में तमाम चार्जेज हैं, आप उन पर एक

दिन डिस्कशन करा दीजिये। मेरा चार्ज है कि आपने अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि जिस तरह से भी हो ज्यादा से ज्यादा धन हमारे जिले में सुरक्षा कोष के लिए वसूल किया जाए।

श्री काजी जलील अब्बासी--

चार्ज है तो चार्ज लगाइये और जवाब लीजिये। मैं अभी बस्ती गया था। ४-५ मीटिंगें बड़ी २ हुई किसी ने भी शिकायत नहीं किया और न किसी ने भी हमें लिखकर नहीं दिया कि सुरक्षा कोष की वसूली में सख्ती हो रही है। इसलिए निराधार इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। हमने अपने जिले में कह दिया था कि कोई अगर शिकायत आयेगी तो उसको माफ नहीं किया जायेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो कुछ कहा है, मैं उसका प्रतिवाद करता हूं और मुझे सख्त आपत्ति है उनके कथन पर। वह सरकारी आदमी हैं और उनके मुख्य मंत्री जी जिस टोन में बोले हैं उसी में वह भी बोल रहे हैं। हमारे यहां निश्चित रूप से अधिकारी कहते हैं कि हमसे कहा गया है कि तुम लोग १० लाख रुपया इकट्ठा करो, हम कैसे इसे इकट्ठा करें, हमें मजबूरन जबरदस्ती वसूल करना पड़ता है। यह घोषणा थोड़े करेंगे कि हमने अधिकारियों को ऐसे ऐसे आदेश दिये हैं ?

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह--

हम इटावा वाले वक्तव्य पर सवाल करना चाहते हैं, आप हमें समय दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से सरकार से यह जानना चाहता हूं, क्या सरकार इस बात की जांच कराने के लिए तैयार है कि कन्ट्रोल की चीनी जिसको लेवी की चीनी कहते ह, वह चीनी ६ जनवरी, १६७२ को वहां पहुंची और व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया ४ जनवरी, १६७२ को ? इस बात की जांच के लिए कि यह ज्यादती की गई है और जबरदस्ती व्यापारियों को पकड़ा गया है, सरकार ५ सदस्यों की एक कमेटी, जिसमें ३ उधर के और २ इधर के मेम्बर हों, बनाने और उसे इटावा भेजने के लिए रजामन्द है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

माननीय सदस्य की बात को सूचना मानकर मैं जानकारी करा लूंगा। वैसे यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। अच्छा हो कि उसकी मेरिट पर विचार न किया जाये। सदस्यों की समिति के गठन की जो बात है, ऐसी किसी समिति का गठन सम्भव नहीं है। उनकी जानकारी को आधार मानकर और ज्यादा जानकारी करा लूंगा।

*श्री राम बिलास पांडेय--

श्रीमन्, यह जो पैसा सुरक्षा कोष के लिए जबरदस्ती वसूला जाता है उसमें से आधा पैसा सरकारी कर्मचारियों की जेब में जाता है। आपत्ति कालीन स्थिति का सरकारी कमचारी बेजा फायदा उठा रहे हैं। किसान और मजदूर तथा हरिजन की हिम्मत नहीं है कि वह अधिकारियों के खिलाफ एक आवाज भी उठा सकें। हर एक से जबरदस्ती रुपया वसूला जा रहा है। ईंटे भट्ठों वालों से जबरदस्ती वसूला जा रहा है। यदि वह लोग कहें कि हम से पैसा लिया गया है तो वह बाहर नहीं रह सकते हैं, वह बन्द कर दिए जायेंगे भारत सुरक्षा कानून में।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामबिलास पांडेय]

यह कहते हैं कि हमने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, लेकिन आज कम्पीटीशन लगा हुआ है ननीताल के मुकाबले आजमगढ़ का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ज्यादा वसूल करे और इलाहाबाद के अपेक्षा इटावा में ज्यादा वसूल किया जाए । नसबन्दी के मामले में ८०-८० रुपया देकर नसबन्दी कराई जा रही है ।

इसका भी काम्पीटीशन लगा हुआ है । हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहता है कि दूसरे से आगे हम जायं । यह कहते हैं कि कोई लक्ष्य नहीं बनाया गया है लेकिन कलेक्टर वही आपकी निगाह में अच्छा होगा जो ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल करके किसी तरह से सरकार को दे सके । इसलिए यह बहुत गम्भीर विषय है । आपातकालीन स्थिति का आप फायदा उठा रहे हैं । इंदिरा जी आज चुनाव करवा कर आपातकालीन स्थिति का फायदा उठा रही हैं । ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके अपनी योजनाओं को कामयाब बनाने के लिये टक्स लगा रहे हैं, मनमाना वसूल कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि गम्भीरता से आप सोचें । यह कहते हैं कि हम तो बड़ी तादाद में चुन कर आये हैं, पार्लियामेंट के चुनाव में चुनकर आये है, हम जनता का प्रतिनिधित्व करन वाले हैं, आप कौन बोलने वाले होते हैं । सुनते-सुनते ऊब गया, रात-दिन रेडियो इंदिरा गांधी का हरि कीर्तन करता है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, मिसेज गांधी, ऊब गया, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी । मान्यवर, यह क्या तमाशा है ? कान खोलकर सुन लें । अब आपका तख्ता उलटने वाला है । अब आपके स्टार्स अच्छे नहीं है । राजस्थान को देख लीजिये, महाराष्ट्र को देख लीजिये, देखिए जहां पर चुनाव होने वाला हैं । आप देख लें "स्वतन्त्र भारत" के उस अग्रलेख को जो आज निकला है । स्वतन्त्र भारत ने कहा है कि लड़ाई इंदिरा गांधी ने नहीं जीती है । लड़ाई मानकशाह ने जीती है, लड़ाई जवानों ने जीती है, लड़ाई नेताओं ने जीती है । इसलिए आज हरि कीर्तन होने वाला नहीं है ।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम बिलास पांडेय ने आखिर तक असंगत बात कही है । इसलिये कोई कार्यवाही का अंग नहीं होगी ।

अब हम आगे बढ़ते हैं । माननीय कारागार मंत्री ।

श्री रामबिलास पांडेय—

जितना कुछ मैंने कहा है यह कार्यवाही से अलग कर दिये हैं, मैं समझता हूं कि आप प्रजातन्त्र की हिफाजत यहां पर नहीं कर सकते हैं । इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रामबिलास पांडेय सदन त्याग कर चले गये ।)

२७ अगस्त, १९७१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अनुपूरक प्रश्न के संबंध में शोधन वक्तव्य

कारागार उप मंत्री (श्री रामपूजन पटेल)—

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक २७ अगस्त, १९७१ को श्री मुमताज मोहम्मद खां द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के सम्बन्ध में श्री मुमताज मोहम्मद खां ने एक अनुपूरक प्रश्न में यह भी पूछा था कि बन्दी मंजूर खां को २२ वर्ष जेल काटते हो गय हैं, विभाग ने उसे अभी तक क्यों नहीं सुधारा । उस समय सदन में इसका जो उत्तर दिया गया था उसमें यह भी कहा गया था कि राज्य सरकार ने बोर्ड को हिदायत दी है कि वह बन्दी की मुक्ति क प्रश्न पर पुनः विचार करे ।

२—उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है कि हिदायत विभाग को दी गई कि वह बन्दी की मुक्ति के प्रश्न पर पुनः विचार करे।

३—(अ) इसी सम्बन्ध में श्री हबीबुर्रहमान ने भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार की जानकारी में ऐसी बात तो नहीं आई है कि इस मुलजिम के पीछे कोई एसी शक्ति काम कर रही है जो यह नहीं चाहती कि उसको छोड़ा जाय। बहुत से लोग प्रयत्न करते रहते हैं कि अमुक कैदी को न छोड़ा जाय, तो ऐसी बात तो नहीं है इसकी पीछे ?

(ब) उस समय सदन में उत्तर में कहा गया था कि ऐसी बात नहीं है। इसके लिये जो बोर्ड बना है उसमें जिला जज, जिलाधीश तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल, इन तीन का बोर्ड होता है, जो अपनी रिपोर्ट देता है।

(स) उक्त उत्तर ठीक नहीं था सही उत्तर इस प्रकार है कि रिवाइजिंग बोर्ड के सदस्य जिला जज, जिलाधिकारी तथा एक गैर-सरकारी व्यक्ति होते हैं। जेल अधीक्षक बोर्ड का सदस्य नहीं होता है। यह बोर्ड शासन को बन्दी के असमय मुक्ति के प्रश्न पर अपनी संस्तुति देते हैं।

४—मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ण" आगे पृष्ठ ३२० पर)

इटावा शहर में सुरक्षाकोष के लिये चंदा एकत्रित करने में धांधलियां किये जाने के संबंध में वक्तव्य (क्रमागत)

श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है। सुने आप। क्या रामबिलास जी ने जो कहा है, आपने कह दिया है कि कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो विषय था उससे संगत बता देंगे तो मै मान लूंगा, उसको रख दूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप तो यह मान कर चलते हैं कि कोई कुछ भी कहे कार्यवाही से नहीं निकाला जायगा। आपकी व्यवस्था इससे पहले यह थी लेकिन आज आपने दूसरी व्यवस्था दी। मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश में जालिमाना तथा बहशियाना हरकत करने पर उतारू हो गये हैं, सैकड़ों लोगों को जेल भिजवाया जा रहा है सुरक्षाकोष में धन वसूली के सिलसिले में। इस सवाल पर सदन को विचार करना चाहिये। अगर कोई सदस्य कुछ कहना चाहता है इस पर तो उसे आप कार्यवाही से निकालने की बात कहते हैं। (व्यवधान) आप इस तरह से उसे कार्यवाही से कसे निकाल देंगे ? इस ज्यादती तथा जोर-जुल्म के खिलाफ रामबिलास पांडेय जी सदन से निकल गय हैं और हम भी और मेरा दल भी भी ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता है।

(श्री कल्पनाथ सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

कार्य-स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि मैने पहले भी गन्ने के दाम के सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव दिया था और आज भी दिया है। मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में गन्ने की तीन कीमतें तय

[श्री बांकेलाल]

की हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साढ़े ११ रुपये क्विन्टल, मध्य उत्तर प्रदेश में साढ़े १० रुपये क्विन्टल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ९.५० रु० क्विन्टल गन्ने की कीमत निश्चित की गयी है। तमाम चीनी मिलें देवरिया जिले की हड़ताल कर रही हैं और कुछ मिलों में हड़ताल हो भी गयी है। इस पर विचार करने के लिये आज सदन का कार्य रोक कर विचार होना चाहिये और मुख्य मंत्री जी को बाध्य करना चाहिये कि उत्तर प्रदेश में हर स्थान पर साढ़े ११ रुपया क्विन्टल गन्ने की कीमत क्यों न मुकर्रर की जाय।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन् ने कहा था कि यह निश्चित विषय नहीं है लेकिन आज समाचार पत्रों में भी आपने देखा होगा कि सारे प्रदेश में खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना यूनियनों ने हड़ताल का नोटिस दे दिया है। इसलिये दे दिया कि पश्चिम में १३ रुपये क्विन्टल पर गन्ना बिक रहा है और पूर्व में साढ़े ८ रुपये क्विन्टल। इसके विरोध में सरकार ने जब देखा कि हड़ताल हो जायगी और मिलें बन्द हो जायंगी तो मुख्य मंत्री जी ने मिलों से एक समझौता कर लिया बिना गन्ना किसानों तथा केन यूनियन्स से पूछे हुए और उस समझौते के अनुसार पश्चिमी अंचल में ११.५० रु०, मध्य अंचल में १०.५० रु० तथा पूर्वी अंचल में ९.५० रुपये क्विन्टल पर मिलों को गन्ना मिलेगा। जब तक दोनों पक्षों को मुख्य मंत्री ने न सुन लिया होता तब तक इस तरह से इतने अहम सवाल पर कोई समझौता करना उचित नहीं था और इस प्रकार सारे उत्तर प्रदेश में हजारों किसानों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है और इससे बड़ा आर्थिक धक्का पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं लगेगा? इसलिये मैं समझता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर हमारे कार्य स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाय और इस पर आप निर्णय दें कि आप क्या करने जा रहे हैं?

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था और चूंकि यह विषय सदन में उठ चुका है और आपने मुझे बोलने की अनुमति भी दे दी थी। इलाहाबाद में होम्योपैथिक जो कालेज है, वह पिछले महीने से बन्द पड़ा है और अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है। ३ अध्यापकों को निकाल भी दिया गया है और वहां के जो प्रिंसिपल हैं वे भी छात्राओं के शीलभंग के आरोप में निलंबित हैं और उस पर पर नियुक्ति हेतु केवल एक ही समाचार-पत्र में विज्ञापन निकाला गया है। जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें बहुत कम समय अभ्यर्थियों को एप्लाई करने के लिये दिया गया है जिससे वहां के छात्रों और अध्यापकों में रोष व्याप्त है। वहां पर विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। यदि सरकार समय रहते हुये कोई उचित कार्यवाही नहीं करेगी तो एक बड़ी विस्फोटक स्थिति पैदा हो जायेगी। मान्यवर, आपको याद होगा कि इसी सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि इस होम्योपैथिक विद्यालय के बारे में अलग से विचार किया जा रहा है जिससे कि उसका ठीक तरह से काम चल सके और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। किन्तु श्रीमन्, वह आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ है। श्रीमन, इसमें मंत्रि-मंडल के वरिष्ट सदस्य इसमें हैं। इस समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद नहीं हैं, माननीय नारायणदत्त जी तिवारी उपस्थित हैं मैं उनसे यह आश्वासन चाहूंगा कि इस होम्योपैथिक कालेज को शीघ्र-से शीघ्र खुलवाया जाय, इसका संचालन ठीक तरह से किया जाय और जो टीचर्स और छात्र निलम्बित हैं उनको शीघ्र वापस ले लिया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, अभी स्वामी जी ने जो प्रश्न रखा है होमियोपैथिक कालेज के बारे में, वह बहुत ही गम्भीर है। इसमें बड़ी गम्भीर शिकायतें हैं। मेरी जानकारी है कि इस मेडिकल कालेज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के जो छात्र हैं वे मुख्य मंत्री जी से भी मिले थे। इसलिये मैं मंत्रि-मंडल के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कृपा करके वे इस सम्बन्ध में छात्रों के शिष्ट-मंडल से मिलें और शीघ्रातिशीघ्र उनके इस मसले को हल करें ताकि यह विद्यालय कल खुल जाय। मैं मान्यवर, आप से भी आग्रह कहुंगा कि आप भी इन्हें ऐसा करने का आग्रह करें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, यह मामला ३१ दिसम्बर से ही इस सदन के सामने है और आपने इसे स्वीकार किया था। अभी भी वह कालेज अनिश्चित काल के लिये बन्द पड़ा है यह बड़े दुख की बात है। मान्यवर, इस कालेज के जो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी हैं वे कांग्रेस के और संसद सदस्य हैं। इस कमेटी में माननीय राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी भी हैं और इसमें इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त हैं ऐसा मालूम हुआ कि प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं किया गया था और जब काफी जोर डाला गया तब उनकी गिरफ्तारी हुई है। सवाल यह है कि यदि आप वहां पर इस भ्रष्टाचार और गबन की प्रशासनिक जांच नहीं कराते हैं तो इस कालेज में पढ़ने वाले ४०० विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि इस कालेज की कमेटी को भंग करके स्वयं इसे टेक ओवर कर लें और तुरन्त कालेज खुलवा दें और जो १५ विद्यार्थियों को निकाल दिया गया है, उनको वापस ले लिया जाय।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मैं सम्मानित सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस गम्भीर समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। दुर्भाग्यवश माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री इस समय उपस्थित नहीं हैं और किसी आवश्यक कार्य के लिये बाहर गये हुये हैं किन्तु मुझे जानकारी हुई है कि उनका एक डेपुटेशन स्वास्थ्य मंत्री से मिला था। मैं माननीय सदस्यों की इन भावनाओं को अपने सहयोगियों से अवश्य पहुंचा दूंगा। चूंकि मुझे इस विषय पर ज्यादा जानकारी नहीं है किन्तु मैं इतना अवश्य माननीय सदस्यों को बतला दूं कि इस सम्बन्ध में जो प्रभावकारी कदम उठाये जाने चाहिए, वे उठायें जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हमारे सामने दो मसले हैं और दो महत्वपूर्ण हैं किन्तु अब बहस के लिये मौका नहीं है। अभी नियम समिति के सम्बन्ध में नियमावली की स्थिति के बारे में विचार होना है और भी काम हैं . . .

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, यह तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सब काम रोक कर इस पर बहस करवा दें, लाखों किसानों का मामला है। आप समझते हैं गन्ने का मसला महत्वपूर्ण है तो कार्य-स्थगन कराया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अपनी मांग बढ़ाइये नहीं। हम चाहें भी कि इस पर समय दें तो यह संभव नहीं है। आज नियम वाला प्रतिवेदन है वह सदन की कार्यवाही से संबंधित है, जरूरी है। एक आधे घंटे की चर्चा है और एक डेढ़ घंटे की है। आप चाहें तो मैं १२ बजे रात तक बैठ सकता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आज आपने कहा कि १२ बजे रात तक बठ सकते हैं विधान सभा को चलाने के लिये, यही मेरी शिकायत हैं कि अध्यक्ष को यह निर्णय करना चाहिए कि कितने दिन विधान सभा चल। यह नहीं कि उन्होंने अधिकार ले रखा है। आप सही काम कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जो स्थिति है वह नियम में आनी चाहिये, नियम के अनुसार ही यहां कार्यवाही चलायी जा सकती है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

नियमों के अन्तर्गत वह काम नहीं करते, जरूरत से ज्यादा अधिकार ले लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम के अनुसार चलना मुश्किल होता है लेकिन आपको और हमको नियम के अनुसार चलने का प्रयत्न करना चाहिए ।

एक सदस्य—

गन्ने के संबंध में जो दिया गया है तो कितने समय के लिए उसे आप चर्चा का विषय बनायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

देख लेंगे आगे । अभी तो और भी विषय हैं चर्चा के लिए ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी गढ़वाल)—

सरकार ने २८ दिसम्बर को एक अध्यादेश जारी किया है कि टेहरी गढ़वाल और पौड़ी-गढ़वाल में शराब की दूकानें बन्द हो जायंगी, फिर कानून भी पास हो गया संशोधन, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि अभी ३ दिसम्बर को जब लड़ाई शुरू हुई तो कोटी गांव है टेहरी गढ़वाल में वहां १२ तारीख को एक दूकान खोली गयी । वहां के जिलाधीश कुछ और कहते हैं और जो अंग्रेजी अखबार हैं उसमें छपा है कि ७—८ फरवरी को आगे भी शराब की दूकान की बोली होगी, तो मैं जानकारी चाहता हूं कि सरकार की इस संबंध में क्या नीति है, जरा स्पष्ट कर दिया जाय, सरकार की तरफ से घोषणा हो जानी चाहिये । हम लोग अपने क्षेत्र में जायंगे, वहां से लोग यहां आयेंगे ....

श्री उपाध्यक्ष—

आप जो जानकारी दे रहे हैं, उसकी रोशनी में देख लिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जानकारी करा लेंगे, माननीय सदस्य टेहरी ने जो प्रश्न किया है । विधेयक तो हमने पास कर ही लिया है, कार्यवाही के बारे में जानकारी करा लेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इन्होंने अंतरिम राहत की घोषणा कर दी लेकिन जी० ओ० जारी नहीं किया, तो या तो घोषणा न करो .....

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी० ओ० निकल जायगा, श्रीमन् ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कल निकल जायगा ?

श्री नारायण दत्त निवारी—

निकल गया होगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तो आपने लिया ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो अस्वीकार कर दिया ···

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

जो लोग जोर से बोलते हैं उनका आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव ले रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर नहीं सुनना चाहते हैं ··· वह तो एक बहुत साधारण सवाल है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

दो मिनट हमारी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

फिर सुनायें देता हूं, आप आसन ग्रहण करें ।

यह जिसे माननीय राजेन्द्र कुमार शर्मा, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा माननीय सियाराम ने दिया है--रुद्रपुर नगरपालिक जिला नैनीताल के प्रति आशंका का कथित व्यवहार, तो इसके ऊपर प्रश्न कर लें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जौनपुर की नगरपालिका.....

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप ईमानदारी से समझते हैं कि यह नियम ५६ के लायक है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, आज सदन बन्द हो रहा है इसलिये आज मुझे आधा सैकिंड दे दीजिये । जौनपुर नगरपालिका तो सस्पेंड कर दी गई क्योंकि वह जनसंघ की थी । अब देखना यह है कि इसमें यह क्या करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने ठीक कहा । अब देखेंगे ।

माननीय शम्भूनाथ चौधरी, रामकरन सिंह जी, बैजनाथ सिंह जी का है "गाजीपुर जनपद के तेतारपुर गांव में पुलिस द्वारा ग्रामीणों के प्रति कथित अत्याचार के बारे में" यह नियम ५६ के लायक नहीं है इसलिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

श्रीमन्, आज सदन उठ रहा है । इसको सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दीजिये इस निवेदन के साथ कि पुलिस फर्जी मुकदमा कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मिल लीजिये । मैं कार्यवाही के लिये इसको भेज दूंगा ।

श्री बैजनाथ—

श्रीमन्, एक चीज और इसमें है कि छोटे दरोगा की इसमें बहुत ज्यादती है । वहां पर पी० ए० सी० के जवान डटे हुये हैं और काश्तकारों के घरों को फूंक रहे हैं । ऐसी दशा में निवेदन है कि इसकी सी०आई० डी० के द्वारा जांच की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शम्भूनाथ जी ने वही कहा है जो आप चाहते हैं । अविलम्ब कार्यवाही के लिये मैं इसको भेज दूंगा ।

श्री बैजनाथ—

जो करना हो वह करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रभान शर्मा ने जिला परिषद् के एडहाक कमेटियों में शासन द्वारा नामजदगी के संबंध में एक सवाल उठाया है । वह भी स्वीकार नहीं है ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७१ (क्रमागत)†

खण्ड ४ (क्रमागत)

(राजस्व मंत्री के नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजमंगल पांडेय ने भी एक संशोधन रखा है . . . .

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी यह पेश नहीं हुआ है ।

उपाध्यक्ष—

उस दिन रख दिया गया था इसलिये मैंने कहा ।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, क्या इनएफीशियेंसी सरकार की ओर इसके कार्यालय की हो गई है ? चौथी बार मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाया पड़ रहा है । इससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है । मंत्री जी रेवेन्यू मिनिस्टर हैं ये बिल तैयार करते हैं । सेक्रेटरी बनाते हैं और फिर ला-सेक्रेटरी देखता है । वह पेश नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ३ जनवरी को पेश हुआ था और सरकार की ओर से मान लिया गया था लेकिन मैंने प्रश्न उठाया । इसी बीच माननीय रामधारी शास्त्री ने माननीय राजमंगल पांडेय के संशोधन के संबंध में निवेदन किया था । मैंने इसको स्थगित कर दिया और खंड ३ पर मत ले लिया । माननीय राजमंगल पांडेय ने निम्न संशोधन उपस्थित किया जो स्वीकृत हुआ—

"मूल अधिनियम की धारा १६१ की उपधारा (१) में प्रतिबन्धात्मक खंड से पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात्:

---

†४ जनवरी, १९७१ की कार्यवाही से ।

"कोई भूमिधर या सीरदार अपने द्वारा अधिकृत भूमि से–

(क) किसी दूसरे भूमिधर या सीरदार से उसके द्वारा अधिकृत भूमि का; अथवा

(ख) किसी गांव सभा या अन्य स्थानिक अधिकारिकी से ऐसी किसी भूमि का जो धारा ११७ से अधीन तत्समय उसमें निहित हो, अथवा

(ग) राज्य सरकार से उसके द्वारा अधिकृत किसी भूमि का विनियमन कर सकता है।"

इसमें माननीय रामधारी शास्त्री ने निम्न संशोधन उपस्थित किया:--

"संशोधन में उल्लिखित खंड ४(ग) में "किसी भूमि का" और "विनियमन कर सकता है" के बीच शब्द "सार्वजनिक हित में" रख दिये जायं। इस पर भाषण भी हुए। अब इसको अगर स्वीकार करते हैं तो वोट लेंगे ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

हमने इस विधेयक के लिये संशोधन दिया था जो आज तक नहीं आया । इसमें आपके आफिस की गलती हो सकती है। हमारा संशोधन भी डाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आज हम संशोधन नहीं ले रहे हैं । जिस दिन यह हुआ उस दिन आप नहीं रहे होंगे ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

यह आपके पास १५-९-७१ से पड़ा हुआ है ।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

पिछले सोमवार को माननीय मुख्य मंत्री जी की विरोधी दल के नेताओं से बातचीत हुयी थी और उन्होंने कहा था कि बैठकर विचार कर लेंगे । उनकी भावनाओं का आदर करते हुए हम एक नया रेजोल्यूशन ला रहे हैं । इसको दृष्टि में रखते हुए यह तय किया गया है कि इस पूरे खंड ४ को वापस ले लिया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, मैं जो बात कह रहा था इस सरकार के बारे में वह ठीक हो गयी । कभी यह किसी चीज को रखती है और फिर उसी को वापस ले लेती है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरा संशोधन मान लिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका मतलब है होगा । मैं रख दूंगा कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय, और सरकार इसको गिरा दे ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

हमने तो यह माननीय सदस्यों की राय का आदर करते हुए ही तय किया है ।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, आपको पूरा अधिकार है, विधेयक को पास करने, उसमें संशोधन करने और उसको रद्द करने का ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले मैं संशोधन को लिये लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि संशोधन में उल्लिखित खंड (ग) में "किसी भूमि का" और "विनियमन कर सकता है" के बीच शब्द "सार्वजनिक हित में" रख दिये जायं ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, अगर इस प्रकार से मतदान होगा तो मेरे संशोधन की मंशा ही खत्म हो जायगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, १ और २ बजे के बीच में तो मतदान होता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

स्थिति यह है कि माननीय रामधारी शास्त्री इस संशोधन को वापस ले लें और खंड ४ में रख दूं और उसको गिरा दिया जाय अगर ऐसा नहीं होगा तो संशोधन मुझको रखना पड़ेगा ।

श्री बंशीधर पांडेय—

राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि हम खंड ४ को वापस ले रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह स्टेज अब नहीं है, इस वक्त तो सवाल यह है कि वह विधेयक का अंग बने या न बने...

श्री बंशीधर पांडेय—

अब खंड ४ को तो पूरा मंत्री जी वापस ले रहे हैं...

श्री रामधारी शास्त्री—

मंत्री जी वापस ले रहे हैं तो अब संशोधनों का सवाल ही क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन यह प्रक्रिया की बात है।

श्री बंशीधर पांडेय—

लकिन फिर भी यह सदन सक्षम है, राजस्व मंत्री जी वापस लेने को कहते हैं तो मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

वोट तो हमें लेना पड़ेगा लेकिन क्या श्री रामधारी जी वापस ले रहे हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

पहले संशोधन होता है उस पर सवाल रखा जाता है और जब वह संशोधन मंजूर हो जाता है उसके बाद उसके अंग माने जाने का प्रश्न आप रखते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन यहां सवाल यह है कि इस खंड ४ में एक दूसरा संशोधन सदन से स्वीकार हो चुका है और अब उस संशोधन में यह दूसरा एक संशोधन श्री रामधारी जी का है...

श्री उदित नारायण शर्मा—

उनका संशोधन उस में भले ही हो लेकिन खंड पर आप ने प्रश्न पुट अप किया है तो मैं उसको वापस ले रहा हूं तो फिर...

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय स्थिति यह है कि एक संशोधन श्री राजमंगल जी का खंड ४ में स्वीकृत हो चुका है और उस में एक यह संशोधन श्री रामधारी जी का है और अगर आप पूरा वापस लेते हैं जबकि एक खंड स्वीकार हो गया तो ठीक नहीं होगा। यह प्रक्रिया की बात है, यह वापस नहीं होता...

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

वापस लेने में क्या आपत्ति है, जब वह विधेयक का अंग ही नहीं माना गया तो राज मंगल जी का स्वीकार होने के बाद भी यह वापस ले रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है?

श्री उपाध्यक्ष---

प्रक्रिया यह है कि खंड ४ में एक संशोधन स्वीकार हुआ है और उस संशोधन के अन्दर यह एक संशोधन है लेकिन सवाल यह है कि वापस लेने का यह स्टेज नहीं है...

श्री बंशीधर पांडेय---

एक स्टेज पर एक संशोधन स्वीकार हो गया और उस पर शास्त्री जी का यह संशोधन है लेकिन अभी खंड ४ को इस सदन ने स्वीकार नहीं किया है इसलिये ऐसी भी प्रक्रिया अभी हो सकती है कि एक संशोधन स्वीकार होने के बाद उसमें आया हुआ दूसरा संशोधन कट जाय और आप अंग माने जाने वाले के स्टेज पर आपको रिजेक्ट कर दें ।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---

यह जो कार्य-प्रणाली के चक्कर में हम घूम रहे हैं लेकिन अब उसे मंत्री जी ने वापस ले लिया तो फिर....

श्री उपाध्यक्ष---

मंत्री जी के वापस लेने से कुछ नहीं होता, सदन बड़ा है या मंत्री जी बड़े हैं ?

(बहुत सी आवाजें---सदन बड़ा है।)

सदन बड़ा है तो मैं कोई प्रक्रिया संबंधी दोष नहीं होने देना चाहता।

श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)---

इस समय सदन के सम्मुख जो संशोधन है वह चूंकि प्रस्तुत हो चुका है इसलिये उस पर मतदान होना आवश्यक है , उस के बाद ही यह स्थिति पैदा होगी कि मंत्री जी उसको वापस लें या रखें । इसलिये चूंकि यह प्रस्तुत हो चुका है इसलिये उस पर आप पहले मतदान ले लें और उसके बाद जो मंत्री जी कहें वह हो ।

श्री रामधारी शास्त्री---

मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ)

श्री उदित नारायण शर्मा---

खंड ४ को मैं वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

वापस ले सकते हैं, कर्म से, मुंह से नहीं । आपको अस्वीकृत करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खंड ५, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

धारा २४०-ज का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा २४०-ज की उपधारा (३) में उपधारा के प्रारम्भ में आये हुए शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज" के स्थान पर शब्द "सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय' रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७१

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने तथा उनसे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त प्रथम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उदित नारायण शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७१ जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था, (संशोधन) विधेयक, १९७१ जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम समिति (१९७१-७२) के प्रथम प्रतिवेदन में प्रस्तावित नियम १४ में संशोधन

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १९७१-७२ की नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन के पृष्ठ ५ १ पर प्रस्तावित नियम १४ में संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

नियम १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१४—सभा का अधिवेशन—अनुच्छेद १७४ के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन और नब्बे दिन के उपवेशन होंगे। उक्त तीन अधिवेशन साधारणतया निम्नलिखित सारिणी के अनुसार किये जा सकेंगे :

सारिणी

१—आय-व्ययक अधिवेशन	..	१ फरवरी से ७ मई तक,
२—वर्षाकालीन अधिवेशन	..	१५ जुलाई से १५ सितम्बर तक,
३—शीतकालीन अधिवेशन	..	५ नवम्बर या दीपावली के चौथे दिन से जो भी बाद में हो २२ दिसम्बर तक।

यदि आप की आज्ञा हो, श्रीमन्, पहले सदन इस पर विचार कर ले या मैं १४ या दूसरा नियम २१६ दोनों को एक साथ रख दूं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामसिंह, पीठासीन हुये।)

श्री अधिष्ठाता—

इसके ऊपर अलग-अलग विचार हो जाय।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

१४ और २१६ अलग-अलग हैं। एक भी बात से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, अलग-अलग हो जायं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मान्यवर, सदन को स्मरण होगा कि यहां इस सदन में १० मार्च, १९७० को एक ऐसी सर्वसम्मत इच्छा व्यक्त की गई कि नियम समिति हमारे नियम में इस प्रकार का नियम बना दे कि कम से कम यह सदन नब्बे दिन के लिये बैठे। उसकी सारिणी भी बनाने की चेष्टा की गई और सदन की उस इच्छा को व्यक्त करने के लिये नियम समिति ने अपने नियम बना कर समिति को भेजा है। मेरे मित्र जिस की चर्चा करते थे मैं उसी को देखना चाहूंगा कि वह नियमित है या नहीं, यह अत्यावश्यक है अन्यथा मैं पेश भी नहीं करता। मान्यवर, हमारा वर्तमान नियम जो १४ है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं। नियम १४ इस प्रकार है—अध्याय ४ में सभा के उपवेशन के सम्बन्ध में है और नियम १४ है—सभा का उपवेशन सत्र के आरम्भ होने के पश्चात् सभा उन दिनों बैठेगी जिनको अध्यक्ष सभा की सुविधा को देख कर तथा सदन नेता के परामर्श से समय समय पर निश्चित करें। सदन की बैठक तभी विधिवत् गठित होगी जब कि उसमें अध्यक्ष अथवा अन्य कोई सदस्य पीठासीन हो जो विधि या इन नियमों के अन्तर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो। मान्यवर, यह जो १४ है नियम समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इस १४ को अब १४ (क) करने की सस्तुति है और १४ निम्नलिखित रूप से प्रतिवेदन में रक्खा गया है।

प्रत्येक वर्ष में सत्र के कम से कम ३ अधिवेशन अनिवार्यतः होंगे जो निम्नलिखित सारिणी के अनुसार साधारणतः होंगे परन्तु किसी भी स्थिति में ९० दिन से कम उपवेशन नहीं होंगे।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

सारिणी वही है जो कि मैंने यहां सदन को पढ़कर सुनाई है और मेरे संशोधन में जिसका जिक्र है। मान्यवर मेरे मित्र ने ठीक पूछा था कि इसमें अन्तर क्या है। अन्तर बहुत मोटे-तौर पर केवल इतना सा है कि अनिवार्यतः के स्थान पर मैंने साधारणतः शब्द का प्रयोग करने की चेष्टा की है। दोनों में बहुत भारी मौलिक मतभेद है और इसकी आवश्यकता इस वजह से पड़ती है कि हम नियम बनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद २०८ के अनुसार और वह २०८ इस प्रकार है- इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया तथा अपनी कार्यसंचालन के विनियमन के लिये नियम बना सकेगा। अर्थात् इसका अर्थ यह हुआ कि जो नियम बनाये जायेंगे वे संविधान के उपबन्धों के अधीन बनाये जायेंगे। संविधान में कुछ उपबन्धों में और उनके संबंध में बहुत मोटा सा जिक्र करूं तो मैं इस सन्दर्भ में अनुच्छेद १७४ का जिक्र करना चाहूंगा। उसमें यह है कि--

राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर जैसा वह उचित समझे अधिवेशन के लिये आहूत करेंगे किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच छः मास का अन्तर न होगा। मान्यवर, इसमें मैं जरा इसको भी पढ़ देता हूं--

राज्यपाल समय-समय पर सदन को किसी भी समय पर सत्रावसान कर सकेंगे। राज्यपाल सदन को आहूत करेंगे और दो सत्रों के बीच छः महीने से अधिक का अन्तर न होगा। दूसरे, राज्यपाल को अधिकार है कि वे सदन का अवसान करेंगे। यदि सदन का आहूत करना और सदन का अवसान करना राज्यपाल की अधिकार परिधि के अन्दर है तो हम कभी भी राज्यपाल के अधिकार परिधि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मान्यवर, इसका उत्तर दिया गया था और वह मोटेतौर पर कह यह था कि राज्यपाल तो मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है और इस प्रकार का प्राविधान करने के बाद दरअसल राज्यपाल के अधिकारों में कमोवेशी नहीं करते बल्कि मंत्रिमंडल के अधिकारों में करते हैं। मान्यवर, अगर इसको स्वीकार भी कर लें तो इतना निश्चित है कि जो संविधान की परिपाटी है, जो संविधान का अक्षर है यानी जिसे लेटर आफ दि कांस्टीटयुशन कहते हैं उसके विरोध में कोई काम नहीं कर सकते। इसलिये मुझे आवश्यकता पड़ी कि मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करूं कि अगर साधारणतः न करके अनिवार्यतः करते हैं तो निश्चित रूप से राज्यपाल के अधिकारों का अपहरण है जो कि यह सदन नहीं कर सकता। बहुत सी परिस्थितियां हो सकती हैं--राजनीतिक दुर्व्यवस्था, राजनीतिक अनिश्चितता या राजनीतिक कठिनाइयों का कोई समय आ जाय और जो हमने सारिणी दी है उसके अनुसार राज्यपाल सदन आहूत न कर सकें। यह जो नियम बनते हैं इनका लीगल स्टेटस क्या है। निश्चित रूप से ये स्टेटुटरी हैं। ये विधि हैं, कानून हैं। यदि किसी कानून का उल्लंघन हो तो निश्चित रूप से उस में एक प्रक्रिया होती कि यदि उसका उल्लंघन हो तो इसके अनुसार उल्लंघनकर्ता दण्ड का भागी होगा। न तो हमारे पास कोई नियम है और न ऐसी कोई बात है जिसके जरिये से ऐसी विधि बना सकें कि हम या सदन या अध्यक्ष महोदय, कभी भी इस प्रकार के नियम का उल्लंन हो जाय कि जब सदन इस सारिणी के अनुसार बुलाया न जाय या कोई सदन ९० दिन के लिए न बुलाया जाय तो उस परिस्थिति में हमारे नियमों में कोई प्राविधान नहीं है जिसके अनुसार इस सदन को दण्ड का भागी बनना पड़ेगा। नियम का उल्लंघन स्वयं एक परिस्थिति है और उसके लिए निश्चित रूप से प्राविधान होता है। उन नियमों में वह भी नहीं है।

कुछ मेरे मित्र ऐसा कहते हैं कि ३१३ में अध्यक्ष को यह अधिकार है कि यदि वे किसी समय आवश्यक समझें तो इसकी आज्ञा दे सकते हैं कि अमुक नियम इस समय काम में न लाया जाय या नियम को निरस्त कर दिया जाय। लेकिन जब सदन ही नहीं बैठेगा तो निरस्त कौन करेगा। ३१३ की प्रक्रिया में जब सदन आहूत नहीं होगा तो करेगा कौन। मैं एक बात

और इस सदन से कहना चाहता हूं और मेरा ख्याल है कि सदन उस पर भी बहुत विनिश्चयता के साथ विचार करेगा। लोक सभा में भी इस प्रकार का नियम ह। लकिन वह नियम वहां के नियमों में सम्मिलित नहीं किया गया। कृपा करके उस पर भी विचार करें। नियम है लेकिन एक कन्वेन्शन के रूप में है। लोक सभा की सिटिंग्स करते हैं और उसकी एक सारिणी कंवेन्शन के अनुसार बना रखी है। लेकिन नियमों में उसको सम्मिलित नहीं किया गया और इसलिए नहीं किया गया कि वह नियम निश्चित रूप से हमारे संविधान के विरुद्ध होता क्योंकि २०८ अनुच्छेद के अनुसार वह नियम बनेगा और उसमें उसी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा जो उसमें इंगित ह। यानी जो नियम बनाया जायेगा वह २०८ में बनेगा और जो संविधान में लिखा है, उसके अनुसार होगा।

जो संशोधन मैंने यहां रखा है उस संशोधन में मैंने इसी चीज का जिक्र किया है कि अनुच्छेद १७४ के अधीन रहते हुये। इस अनुच्छेद १७४ का जिक्र करना इसमें आवश्यक था और जब तक अनुच्छेद १७४ के अधीन रहते हुये साधारणतया इस प्रकार का होगा---अर्थात् १७४ में सत्रावाहान और सत्रावसान का अधिकार अन्त में राज्यपाल को है, उसके अधीन रहते हुये साधारणतया इस प्रक्रिया को स्वीकार किया जायेगा और सदन इसी सारिणी के अनुसार बठेगा। मैं ख्याल करता हूं कदाचित यह सदन इसमें जो संवैधानिक कठिनाई थी उस पर विचार करेगा और इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं, माननीय आचार्य जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय आचार्यजी को इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसमें संवैधानिक कठिनाई आ जायेगी और मैं समझता हूं कि अगर उनके दिमाग में कोई आपत्ति है, जो इस सदन की भावना थी और फिर नियम समिति ने एक प्रस्ताव किया जो और उसका संशोधन है, तो वह केवल एक है और वह यह है कि कहीं ऐसा न हो कि सदन के विधान में और संविधान में कोई क्लेश हो जाय और उस टकराव का परिणाम हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं कि आर्टीकल २०८ के बारे में कोई आपत्ति की बात नहीं है। आर्टीकल २०८ स्पष्ट रूप से यह कहता है कि यह सदन वह नियम बनायेगा जो कि इसके अनुरूप होगा और इसके अन्दर इसका हवाला दिया है। १७४ जिसके अन्दर राज्यपाल का अधिकार है कि वह हाउस को आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा यह आपने देखा। लेकिन एक आर्टीकल आपकी निगाह से निकल गया और वह है---१६३। इसको अगर आप पढ़ें तो यह स्पष्ट है कि---मान्यवर मैं इसका भावार्थ बाद में बता दूंगा---

There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions.

यह तो हरएक को विदित है कि, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं, राज्यपाल को जो संवैधानिक स्थिति है उसके अन्दर वह अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता। वह जो भी कार्य करेगा वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय से करता है। मान्यवर, इससे आप भी असहमत न होंगे और इसको स्वीकार करेंगे कि जब जब सरकार ने इस बात के लिये राज्यपाल से कहा कि सदन को आहूत किया जाय, राज्यपाल ने आहूत किया। राज्यपाल तो केवल हस्ताक्षर करने मात्र की स्थिति में है और इस मामले में जो उसके अधिकार हैं वह इससे अधिक नहीं हैं। हां, एक स्थिति में आप कह सकते हैं---मान लीजिये विधान सभा डिजाल्व हो गई हो। इसके बाद क्या होगा, वह दूसरी स्थिति है, जिसकी यहां चर्चा नहीं है। चर्चा इस समय जो है वह है जब विधान सभा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

आप की सरकार एक पापुलर गवर्नमेंट के रूप में कार्य कर रही है जब कि राष्ट्रपति का शासन नहीं है और राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशानुसार का काम नहीं करता। उस स्थिति के अन्दर मैं कहना चाहता हूं कि जब जब उनको सरकार यह राय देगी कि वह सदन को आहूत करें, तो वह सदन को आहूत करेंगे। इसके अन्दर कौन सी चीज कार्य कर रही है—उसके अन्दर कार्य कर रही है कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की शक्ति, पावर। आपने एक आपत्ति उठाई जो एक मौलिक बात हो सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता उसका उत्तर आपको स्वयं क्यों नहीं मिल गया। पहले एक नियम आपने बना दिया और उस नियम का पालन न हो। मान लीजिये सरकार उस बात को नहीं माने और सदन को आहूत नहीं किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं यदि सदन एक प्रस्ताव पारित कर दे और सदन एक विचार प्रकट कर दे और यदि सरकार उसको अवहेलना करती है तो क्या वह सदन का अवमान नहीं करती ?

आप तो यह कहना चाहते हैं कि कोई नियम ऐसा बनायें जिससे हम उनको वाध्य कर सकें। इसकी भावना होती है। आपने कहा कि लोक सभा के अन्दर कन्वेंशन है और उन्हीं के आधार पर लोक सभा का अधिवेशन होता है। मैं यह देख रहा हूं कई वर्षों से कि एक वर्ष में भी नहीं जिसमें लोक सभा के अधिवेशन में एक दिन का अन्तर आया हो। इस बार यह जरूर है कि वह १५ मार्च से कर रहे हैं क्योंकि उसमें बजट भी होगा जिसमें बहुत भारी टैक्स लगायेंगे और उनका चुनाव के ऊपर असर पड़ेगा। यह ऐसी स्थिति है जिससे आप बच रहे हैं। लेकिन जब साधारण स्थिति रहती है तो हमेशा लोक सभा का अधिवेशन समय पर होता है। आपका कहना है कि उनका कन्वेंशन है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किस के लिये कन्वेंशन या नियम हैं। जहां तक हमारी विधान सभा का प्रश्न है, आप को मालूम है प्रतिदिन सरकार वायदा करती है और वायदा खिलाफी करती है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। माननीय आचार्य जी जो आज सरकार में जाकर बैठे गये हैं लेकिन जिस दिन माननीय आचार्य जी उधर की तरफ बैठते थे उस दिन जब यह प्रस्ताव आया था मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके भाषण की ओर जो उन्होंने ९ मार्च, १९७० को इसी सदन के अन्दर दिया था। जो प्रस्ताव उस दिन सदन में रखा गया था उसकी भाषा यह थी—

"यह सदन निश्चय करता है कि लोक सभा की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष में ३ अधिवेशन अनिवार्यतः निम्नलिखित सारिणी के अनुसार हुआ करें।"

मान्यवर, सारिणी वही है। मैं उसे दोहराता नहीं। इस प्रस्ताव पर मान्यवर विकल जी के बाद श्री मणि जी और उनके बाद श्री गोविन्द सिंह नेगी और श्री चन्द्रभान शर्मा जी बोले थे और उसके बाद मा० आचार्य जी बोले उनके भाषण की मान्यवर, पांच सात पंक्तियां पढ़ता हूं।

"मैं विकल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं तथ्यों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि वह अनावश्यक है। मेरा एक निवेदन है कि—यह जो जनतंत्रीय प्रणाली है यह सदा बहने वाली नदी के समान है। अगर जल सदा बहता रहता है तो वह गन्दा नहीं होगा लेकिन अगर वह स्टैगनेंट हो जाय, स्थिर हो जाय तो सड़ने लगेगा। ना मालूम कितनी घटनायें होती हैं और वे लोकमहत्व के प्रश्न के द्वारा या स्थगन प्रस्ताव के द्वारा या मंत्री जी के पास प्रतिवेदन या आवेदन के द्वारा यहां रखी जाती रहती हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि सदन बहुत कम बैठ पाया। इसके लिये हम सभी दोषी हैं चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले। यदि हम इस दोष का परिमार्जन कर सकें, यदि ऐसा कर सकें कि जनतंत्रीय प्रणाली अपना कार्य कर सके तो मेरा निवेदन है कि इसके लिये एक अवधि निश्चित करनी पड़ेगी जिसमें सदन बैठा करे। कदाचित मेरा ऐसा मत है, नियम के अनुसार सदन अपनी अवधि निश्चित कर सकता है या नहीं यह विचारणीय प्रश्न है। लेकिन मेरी निश्चित धारणा है कि सदन सार्वभौम है और

उसको अपने बैठने की तिथि निर्धारित करने का अधिकार है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से लोक सभा में तिथियां निर्धारित हो चुकी हैं और उन्हीं तिथियों में लोक सभा बैठती है यदि लोक सभा के लिये हो सकता हो तो विधान सभा के लिये क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता। विधान के एक क्षुद्र विद्यार्थी होने के नाते मुझे यह कहने में कोई सकोच नहीं है कि विधान में मैंने यह नहीं पाया कि सदन इसके लिये सक्षम न हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में मा० विकल जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय।"

तो मान्यवर, मुझे दो बातें कहनी हैं। एक तो आप ने यह कहा था कि नियमों में हम प्राविधान कर सकते हैं, यह विचारणीय है लेकिन दो बातें साफ हैं। एक तो महत्वपूर्ण है कि 'अनिवार्य' शब्द के साथ, अगर 'अनिवार्यतः' शब्द रखा जाता है तो आपके प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। आपका जो संशोधन है उसमें आप ने अनिवार्यः शब्द सम्मिलित किया है इन टोटो और दूसरे आपने यह कहा कि सदन सार्वभौम है। इनकी स्थिति यह है उन्होंने अपने अन्तिम वाक्य में कहा है विधान के एक छुद्र विद्यार्थी के नाते मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि विधान में मैंने यह नहीं पाया कि सदन इसके लिये सक्षम न हो। अगर सदन है तो जैसा आप ने कहा मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सदन की सक्षमता क्या २-४ महीने के अंदर समाप्त हो गई। यदि सदन सक्षम है, यदि सदन प्रस्ताव करता है और सदन के अंदर यह बात स्वीकार हो जायगी कोंशेंसस के साथ इस बात की लोगों की राय थी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूंगा कि सदन के अन्दर लगातार महत्वपूर्ण प्रश्न भेजते रहें।

ऐसे ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं जैसा कि माधो बाबू ने कहा। पी० ए० सी० की रिपोर्ट है उन पर चर्चा नहीं हो पाती और भी बहुत से प्रश्न हैं। हमारे इस समय पीठासीन अधिष्ठता महोदय हैं। उपाध्यक्ष महोदय तो कभी–कभी सदन से बाहर भी निकलवा देते हैं। अनेकों सवाल इकट्ठा रहते हैं और उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। अगर सदन यह निश्चित करता है कि इसके तीन सत्र होंगे और ९० दिन यह बैठेगा तो इस पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता है। हमारे सैकड़ों नियम बनते हैं, इस पुस्तिका में भी नियम हैं कि अध्यक्ष किसी सदस्य को बाहर निकाल सकता है। कल को अगर कोई यह कह कि संविधान की अमुक धारा के मातहत हमारा अधिकार राइट आफ स्पीच का है परन्तु उसको कन्ट्रोल कर दिया गया नियम में एक चीज जोड़ कर इसको कान्सटीट्यूट कर दिया गया। नियम २०८ के अन्तर्गत हम कोई ऐसा नियम ही नहीं बना सकते हैं जो संविधान के विपरीत जाता हो मान्यवर, ऐसे अनेकों नियम हैं और अगर उनका छिद्रान्वेषण करने लगें तो न जाने कितनी चीजें सामने आ जायेंगी। नियम समिति ने किसी बात को तय किया और उसको स्वीकार करते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिये। मैं सदन की भावनाओं का आदर करता हुआ यह निवेदन करुंगा कि आप इस नियम को वापस ले लें। ९० दिन सदन का बैठना न केवल जनता वरन् सरकार के हित में है। हमको विषयों पर विचार करने का अवसर होगा। जनतांत्रिक प्रणाली यही है। इस लियेमैं निवेदन करूंगा कि माननीय आचार्य जी अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)––

अधिष्ठता महोदय, मुझे उम्मीद थी कि हमारे विद्वान मित्र आचार्य जी इस सिलसिले में कोई ऐसा तरीका उपस्थित करेंगे जो हम लोगों को भी उनकी राय का होने में सहायक बनायेगा। लेकिन श्रीमन्, हो सकता है कि जब वह फिर जवाब दें तो हमारी शंकाओं का निवारण हो, लेकिन अभी तक जो हमारी राय है और जो भाषण और कारण मैंने सुने उन सबको देखते हुये मेरा अपना मत है कि जो संशोधन पेश किया गया है आचार्य जी द्वारा व संशोधन भ्रमवश ही प्रस्तुत किया गया है। मैं श्रीमन्, यह बात तो नहीं कहूंगा कि इधर वाली बात या उधर वाली

[श्री कल्पनाथ सिंह]

बात, और मैं उस मामले को नहीं लेता परन्तु दो मामले ह एक तो विशेषाधिकार का सवाल है और दूसरा नियमों का सवाल है। नियम तो हमारे लिये और दूसरों के लिये हैं। विशेषा-- धिकार के मामले में, मैं इस बात को नहीं मानता कि पार्टियों के लिये अपने अपने या हमारे लिये कोई बंधन हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी मानता हूं कि सदस्यों के जो अधिकार जो सदन की स्थिति है उस पर विचार होना चाहिये। इस लिये जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने आचार्य जी का भाषण पढ़ा, वह बात मैंने देखी कि वह भाव आचार्य जी के बहुत ही शुद्ध थे भाव थे और उससे यही ध्वनि निकलती थी कि यह विधान सभा जनता के सुख दुख के लिये उसका एक प्रतिबिम्ब बने।

जनता की जो तकलीफें हों वह भी यहां आएं और उनके लिए अधिकाधिक अवसर प्राप्त हो। श्रीमन्, आप देखें लगातार सरकारी मुहकमे बढ़े हैं, सरकार का अधिकार क्षेत्र बढ़ा है, कार्य क्षेत्र बढ़ा है और इतना ही नहीं, सरकारी पूंजी भी अधिकाधिक विनियोजित हुई है। और राष्ट्रीयकरण जो आये दिन होता चला जा रहा है उससे जो सीमा प्राइवेट सेक्टर में थी वह अब पब्लिक सैक्टर में आ रही है। श्रीमन्, जब अधिकार इतने विस्तृत होते चले जा रहे हैं और सदन की बैठकें न हों तो क्या होगा? श्रीमान्, कार्यसूची में जो प्रश्न आते हैं, उनमें से कभी १०, कभी १२, कभी १५ का निस्तारण होता है सदन में। सौ-सौ, दो-दो सौ प्रश्न कार्यसूची में एक-एक दिन में आएं और प्रश्नों का प्रहर एक घंटे का होता है, तो आप स्वयं सोचें कि कैसे माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा। प्रश्नों का घंटा वह समय होता है जब सभी सदस्य बिना किसी और बोझ का खयाल किये हुए अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न पूछते हैं। ऐसे भी सवाल होते हैं जिन सवालों पर सरकारी पक्ष के लोगों का मन कुछ उद्वेलित हो उठता है, बिना किसी और बात का खयाल किये हुए, केवल जनहित को मद्दे नजर रखते हुए और प्रदेश की जनता का हित सामने रखते हुए, ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं जिससे भले ही किसी मंत्री को अपने मन में कुछ बुरा लग जाय। श्रीमन्, यह घंटा केवल एक होता है और प्रश्न होते हैं अनेक। इस प्रकार की स्थिति हो रही है और आज सदस्य परेशान हैं।

श्रीमन्, आप दूसरी बात देखें। नियम ५१ नियम ५२, नियम ५६ की लगातार बाढ़ आती चली जा रही है और लोगों को अपनी समस्याओं, जनता की समस्याओं को रखने का अवसर नहीं मिलता। नतीजा क्या हो रहा है? निवेदन करूंगा आचार्य जी से, अगर वह आपके आसन पर बैठे हों, अध्यक्ष जी के आसन पर बै हों, उपाध्यक्ष जी के आसन पर बठे हों, और सदस्य अपने भावों की अभिव्यक्ति सदन में न कर पा रहे हों तो क्षमा कीजिए क्या होता है--आज ही दो मान नीय सदस्यों को सदन से जाना पड़ा, एक ने वाक-आउट किया और दूसरे को निकाला गया। माननीय सी० पी० एन० सिंह को उपाध्यक्ष जी ने आदेश दिया कि आप सदन छोड़ दीजिए, जहां तक मैं समझ पाया। तो श्रीमान्, मैं यह निवेदन करूंगा कि उस आसन के प्रति जो कटु शब्द या कटु भाव का प्रदर्शन सदस्यों की ओर से होजाता है, क्या उसके पीछे यह भाव है कि हम उस आसन के प्रति ऐसा प्रदर्शन करें? ऐसा नहीं है। दोनों की मजबूरी है, श्रीमन्। उस आसन की मजबूरी यह है कि सभा की कार्यवाही पर नियंत्रण रखना और एजेन्डा के कार्यक्रम को चलाना और उसकी व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी है और सदस्यगण यह चाहते हैं कि अपनी बात कहने, जनता कोबात कहने के लिए उन्हें अवसर मिलना चाहिए क्योंकि इसी बात के लिए वह यहां चुनकर आए हैं। और वह अवसर प्राप्त नहीं होता तो सिवाय इसके कि उनके सामने यह बात दिखायी देती है कि यह आसन बाधक हो रहा है, और कोई दूसरी बात नहीं रहती। वह अपनी अभिव्यक्तिका तरीका खोजते हैं। एक तरफ तो स्थिति यह है और दूसरी तरफ देख लें, श्रीमन् माननीय आचार्य जी ने जो दूसरा संशोधन पेश किया है वह क्या है?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

इसको अभी क्यों ले रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

उसको नहीं ले रहा हूं, आप यह न समझें। क्या इसका यह मतलब है कि समितियों की रिपोर्ट्स और दूसरे प्रतिवेदन उन पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के बारे में, जिनमें करोड़ों-करोड़ों रुपया लगा हुआ है, इस सदन में डिस्कशन न हो ? अगर उन पर विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं होगी तो फिर वे किस काम के ? आपको अनुभव होगा आश्वासन समिति के सभापतित्व की हैसियत से, लोक लेखा समिति के सभापतित्व की हैसियत से और दूसरी समितियों के सभापतित्व की हैसियत से कि सरकार के ऊपर लगातार टीकाएं होती रही हैं। अगर एक बार जो टीका हुई है उसको दूसरी बार करने की नौबत उन समितियों को न आती तो मैं समझता कि सुधार हो रहा है, लेकिन एक ही प्रकार की टीकाएं लगातार होती चली आई हैं। आप क्षमा करेंगे मुझे यह कहने के लिए कि इस सदन के सामने जब वे रिपोर्ट्स आती हैं तो उन माननीय सदस्यों के मन में जो उन रिपोर्टस पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, उद्वेग होने के अलावा या यों कह लीजिये उनको विवश होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। पद्धति क्या हो रही है यहां पर ? इसी सत्र म जिसमें हम बैठे हुए हैं नियमों के अन्तर्गत २ दिन का अवसर गैर सरकारी प्रस्तावों या विधेयकों के लिये प्रस्तुत होना चाहिए था, लेकिन स्थिति क्या हुई ? पिछले सेशन को आप छोड़ दीजिये---इस सेशन में तो कम से कम २ दिन होने चाहिये थे। दो दिनों में से एक दिन भी नहीं दिया गया और न आगे कोई मिलने की सम्भावना है। पूरा साल एक दम निकल रहा है---किसी गैर सरकारी विधेयक या प्रस्ताव की इस सदन में चर्चा नहीं हो सकी। अब होगा क्या ? महामहिम राज्यपाल का आदेश होगा और सारा समय जो इस काम के लिये मिल सकता था वह सब समाप्त हो जायगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर नियमों का पालन न हो तो उसके सिलसिले में भी कोई प्राविधान होना चाहिए। यह बात सही है कि नियमों में यह है कि गैर सरकारी प्रस्ताव आयेगा। गैर सरकारी दिन के लिए सदन फैसला कर देता है। उसमें मैजारिटी का फैसला होता है। उसमें वह स्थिति हमें मूक और विवश---दोनों, बना देती है। नियमों में ९० दिन की व्यवस्था की गई है और वह पास हो चुका है। एक माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया और वह सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। वह प्रस्ताव करीब-करीब सर्व सम्मत था क्योंकि उसमें कोई विरोध करने वाला नहीं था, चाहे वोटिंग में हां की संख्या अधिक और ना की संख्या कम भले ही कही गई हो। उसमें कोई विरोध हुआ था, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अगर विरोध हुआ होता तो सरकारी पक्ष इस बात के लिए सक्षम था कि वह उस प्रस्ताव को न पास होने देता और ऐसा नहीं हुआ। दोनों पक्षों के विचारों को सुनने के बाद सदन में यह फैसला लिया था। उसी के अनुसार नियम समिति न नियमों में संशोधन करन का प्रस्ताव किया। यह सदन के फैसल को कार्यान्वियन के लिय ही किया गया। यह कोई नियम समिति का प्रस्ताव नहीं था, यह तो सदन का ही फसला था उसी के अनुसार यह सिफारिश की गयी।

मान्यवर, इस सारी प्रक्रिया के बाद अब माननीय आचार्य जी ने एक आपत्ति यह उठायी कि संविधान के अनुच्छद १७४ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को जो अधिकार मिले हैं कहीं उनका इक्रोचमेंट न हो जाय। हमारे नियमों में मान्यवर, जो नियम ४ है वह इसी दृष्टि से बनाया गया है। वह इस प्रकार है--"समय-समय पर सभा का आह्वान राज्यपाल द्वारा नियत समय और स्थान पर समवेत होन के लिय किया जायगा।" आह्वान एक तो माननीय राज्यपाल तब करते हैं जब सदन का नया चुनाव होता है या जब सत्रावसान हो जाता है।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

संविधान में यह भी है कि दोनों के बीच का अन्तर ६ माह नहीं होना चाहिये। यहां सवाल यह है कि विधान सभा की बैठक ९० दिन हो। अब मेरी समझ में नहीं आता कि यह बात उसमें कहां बाधक होती है। राज्यपाल महोदय के अधिकारों में इससे कहां पर इंक्रोचमेंट होता है। राज्यपाल महोदय सत्रावसान भी तो सरकार की सिफारिश पर करते हैं, आह्वान भी सरकार यानी मन्त्रि-मण्डल की सिफारिश पर करते हैं। अभी आपने पिछली बार देखा था कि एक दिन बाकी रह गया था, सारे सदस्य लखनऊ आ चुके थे, मगर राज्यपाल महोदय ने सदन को टाल दिया। पंजाब, बंगाल तथा अन्य जगह भी इस बात पर विवाद हुआ है कि राज्यपाल महोदय की क्या-क्या स्थिति है, क्या अधिकार हैं। यही नहीं, अध्यक्ष और राज्यपाल के अधिकारों के सिलसिले में भी कुछ बातें चलीं। उस इश्यु को आज यहां डिस्कस करने का प्रश्न नहीं है। आज इन सिर्फ इतना है कि जो आचार्य जी ने कहा कि १७४ के अन्तर्गत जो राज्यपाल महोदय को अधिकार प्राप्त हैं सत्राहूत करने का उसमें तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होती। मैं यह समझने में असमर्थ रहा कि ९० दिन की सिटिंग अगर हो और राज्यपाल महोदय आहूत करें तो उसमें दिक्कत कहां आयेगी ? दूसरे, मंत्रि मंडल की सलाह का जिक्र भी किया गया लेकिन यह साफ नहीं बताया गया कि मन्त्रि-मण्डल की सलाह कैसे राज्यपाल के अधिकारों में हस्तक्षेप करती है।

श्रीमन्, संविधान का आर्टिकल २०८, जिसके अन्तर्गत हमारी प्रक्रिया नियमावली बनी हुई है उसमें इस शब्द का सहारा लिया गया कि "संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये"। तो संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अगर हम अपनी प्रक्रिया नियमावली नहीं बनायेंगे तो और कैसे बनायेंगे ? संविधान में कुछ अधिकार संसद को हैं और कुछ राज्य विधान मण्डलों को हैं। अगर राज्य विधान मंडल अपनी-अपनी प्रक्रिया नियमावली म संसद के कुछ अधिकारों को लेने का प्रयास करें तो वह जरूर इन उपबन्धों के विपरीत होगा। लेकिन अपनी प्रक्रिया की नियमावली बनाने में तो कोई ऐसी बात है नहीं। हमारी प्रक्रिया में सदन को आहूत करने का काम, स्थान निश्चित करने का काम, सभा के संचालन की व्यवस्था, सभा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को नियमबद्ध करना, यही सब चीजें हैं। इसमें १७४ की बात कैसे आती है यह बात साफ नहीं हो सकी। कहा यह गया कि आपतिकालीन स्थिति आ जाय तो ९० दिन की बैठक कैसे होगी ? इस मुल्क में अब भी एमर्जेन्सी लागू है। लड़ाई चल रही थी और लोक सभा और राज्य सभा की बैठकें चल रही थीं। प्रजातांत्रिक देशों में अगर लड़ाई के समय अगर संसद और विधान मण्डलों की बैठकें नहीं चलेंगी तो क्या ये केवल और कामों के लिये ही बनी हुई हैं ? लोक सभा की बठक होती रही।

जहां तक प्रजातांत्रिक मान्यता का प्रश्न है। मैं तहेदिल से, चाहे अन्य नीतियों से मेरा मतभेद भले ही हो, यह कहूंगा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली निभाने का प्रयास लोक सभा में हुआ है। उसके लिये जो लोग सम्बन्धित हैं, उनको और उस सरकार को मैं बधाई देता हूं। लेकिन अपने यहां हालत यह है कि जब दिल्ली में सदन चलता रहा अपने यहां विधान सभा को नहीं बुलाया गया। यह सत्र ३१ दिसम्बर को बुलाया गया, पहली जनवरी को बुलाया गया होता तो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता, सरकार की नीतियों की चर्चा होती, सरकार की सारी नीतियां जनता के सामन आतीं। लेकिन कितनी कलाकारी के साथ एक दिन का अवसर छीनकर पहली जनवरी के बजाय ३१ दिसम्बर को कर दिया गया। कल यहां मुख्य मन्त्री न कहा कि फरवरी के अन्त तक या मार्च में किसी समय इस सदन की बैठक होगी। जब कि ३१ मार्च तक ही बजट है और २४-२५ दिन तो सिर्फ आप ग्रांट के लिए रखते हैं, ४ या ५ दिन जनरल डिस्कशन होता है और ३-४ दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होनी चाहिए। मोट तौर पर इसके लिय ४० दिन का समय होना चाहिए। तो ४० दिन की सिटिंग के लिये या तो आप कहेंगे कि इतवार का भी बैठो, नहीं तो मेरा निश्चित

कहना है कि ३१ मार्च के अन्दर यह सरकार अपना बजट इस सदन में नहीं पास करा रही है, उसका यह इरादा है। वोट आन एकाउन्ट लेने की बात होगी। यह किन परिस्थितियों में लिया जाता है, यह भी एक समझने की बात है। यह साधारणतया नहीं लिया जाता है। उसके लेने की भी एक विधि है, उसके तौर तरीके हैं और उनको इस तरह यह सरकार अपना रही है जैसे साधारणतया यही परिपाटी बन जाय। राजनैतिक उथलपुथल इस प्रकार की हुई, सन् ६७ से लेकर आज तक शायद ही किसी साल वोट आन एकाउन्ट न आया हो नहीं तो सदैव आया है। लेकिन इस साल कौन सी बात ऐसी है कि वोट आन एकाउन्ट की दिशा में यह सदन जा रहा है। क्यों वोट आन एकाउन्ट देगा यह सदन उस समय तो मैजारिटी का फैसला होगा और फिर 'हां' और 'न' में फैसला हो जायगा, बस बात खत्म।

आज मैंने यह सवाल इस प्रसंग में कहा जो आपत्तिकालीन स्थिति की बात कही गई। इतना ही नहीं नियम ३१३ की बात कही गई, जहां इसकी व्यवस्था नहीं है, अध्यक्ष महोदय का जो अधिकार है। ३१३ में उसमें कोई सज्जन कहें, उस मामले में हम आचार्य जी की राय के हैं।

अध्यक्ष जी को नियम ३१३ के अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं है, कि सरकार अगर कोई नियम का उल्लंघन करे तो नियम ३१३ के अन्तर्गत सजा दी जा सकेगी। ऐसी स्थिति नहीं है। सजा केवल एक हालत में है। जब बोलते हुए सदन के अन्दर बाधा या अव्यवस्था पैदा करे तब सजा का सवाल है। लेकिन मान लीजिये किसी सदन में कोई चीफ मिनिस्टर या प्रधान मन्त्री, वही अगर नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दें, यह परिस्थिति मान लें आचार्य जी, मुख्य मन्त्री अगर अभद्र व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार, उद्दण्ड व्यवहार करना प्रारम्भ कर दें किसी दिन तो जो अन्य सदस्यों के साथ प्रक्रिया होती है क्या मुख्य मन्त्री के साथ वही प्रक्रिया इस्तेमाल करेगा? क्या नेम कर सकेगा, किसी सरकार के सदस्य को? अगर नेम कर देगा तो प्रस्ताव कौन ले आयेगा? यह तो एक ऐसी बात है, नियमों में क्या प्राविधान है, इस प्रकार का, अगर सरकार का सदस्य कोई अशिष्ट व्यवहार करेगा तो कौन सी बात होगी? अन्य सदस्यों के लिये प्राविधान है लेकिन नेता सदन तथा मुख्य मन्त्री के लिए कोई इस प्रकार का प्राविधान नहीं है। साफ जाहिर है कि अगर ऐसी स्थिति आयेगी तो या तो नेता सदन रहेगा या पीठासीन अधिकारी रहेगा। यह तो कनवेनशन की बात है। और मोटे तौर पर उस स्थिति में पीठासीन अधिकारी को ही जाना है क्योंकि मुख्य मन्त्री या नेता सदन बहुमत का नेता है, सारे फैसले बहुमत से होते हैं, बहुमत के बल पर वह पीठासीन अधिकारी को हटा देगा। लेकिन क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी नियमों के अन्तर्गत। अगर मंदिर का पुजारी ही भगवान को भला बुरा कहना शुरू कर दे, या भगवान को भगवान न माने या दूसरे मजहब की बात करना शुरू कर दे तो भगवान की मूर्ति जो प्रतिष्ठित की गई है, कुसूर उस मूर्ति का नहीं होगा कुसूर पुजारी का होगा। तब फिर इस प्रकार का तर्क मेरी समझ में नहीं आया। किस बात ने इस बात की प्ररणा दी? संशोधन में यह है कि अनुच्छेद १७४ के अधीन रहते हुए, यह तो हमारे यहां चौथे में है ही।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, क्या यह मान कर चल रहे हैं कि बोलने वालों की तादाद बिलकुल नहीं है क्योंकि समय काफी दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि समय की पाबन्दी लगा दें। कुछ और लोगों का भी विचार व्यक्त करन का मौका मिल जाता।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है। इस पर काफी समय मिलेगा। माननीय कल्पनाथ सिंह संक्षेप कर दें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

वह तो आप से कहने के बजाय मुझको इशारा कर दिया होता, उनका मैं बड़ा लिहाज करता हूं। (व्यवधान)

मेरे जो उदगार हैं अगर पांडेय जी उनको सदन में रखने को तैयार हों तो मैं बैठ जाता हूं लेकिन अगर उनके विरोध में वह हैं तो मेहरबानी करके मेरी बात सुनने की कृपा करें।(व्यवधान) नियमों में संशोधन की बात है। अच्छा होता कि आचार्य जी ऐसा संशोधन लाये होते कि प्रश्नों का घंटा एक नहीं दो होंगे।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी एक बात माननीय सदस्य सुन लें। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ओर माननीय सदस्य काफी दिलचस्पी रखते हैं। लिहाजा जो प्रश्न इस समय माननीय सदन के समक्ष है, उसी पर माननीय सदस्य अपने को सीमित रखें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उसी तक मैं अपने को सीमित रखूंगा। आचार्य जी के संशोधन में यह कहा गया है "साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन और नब्बे दिन के उपवेशन होंगे।" इस तरह साधारणतया तीन हो गये वर्ना एक भी नहीं। अगर ६ महीने का प्रतिबन्ध न हो संविधान में तो नये संशोधन के मुताबिक तो एक भी नहीं होगा लेकिन मजबूरी है ६ महीने की क्योंकि माननीय सदस्यों की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जायगी, लिहाजा एक दिन के लिये फिर बुला लिया जाय ताकि सदस्यता चलती रहे। "साधारणतया" शब्द पर विशेष जोर दिया गया। अब पहली शब्दावली पर गौर करें। "प्रत्येक वर्ष में सभा के कम से कम ३ अधिवेशन अनिवार्यतः होंगे"। इसमें यह है "अनिवार्यतः ३ अधिवेशन होंगे। इसके मुताबिक ९० दिन से कम उपवेशन नहीं होंगे। नये प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक दूसरा अर्थ यह भी है कि अगर किसी साल में सरकार को आवश्यकता पड़ जाय तो ९० दिन के बजाय १२० दिन का उपवेशन चले तो उसकी मनाही हो जायगी। (व्यवधान)। पहले प्रस्तावित नियम में शब्द हैं 'अनिवार्यतः होंगे' जब कि आचार्य जी के प्रस्तावित संशोधन में शब्द ह" 'साधारणतया. . . .होंगे,' तो अधिकार किसको जा रहा है। अधिकार जा रहा है सरकार को।

अब तो जाने क्या-क्या स्थिति आने वाली है किन्तु एक बात निश्चित है कि किसी भी तरह कोई भी प्रयास आप करिये अगर यह प्रस्तावित संशोधन मान लिया जाय तो हरगिज-हरगिज इस विधान सभा की बैठकें नहीं हुआ करेंगी चाहे वह जनता की इच्छाओं के अनुरूप न हों या नियमों के न अनुरूप हों। मैं माननीय आचार्य जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वे मेहरबानी करके इस संशोधन को वापस ले लें। मान्यवर, मुझे याद पड़ रहा है कि एक ऐसे समय में यह प्रस्ताव पास हुआ था जब कि वह पार्टी भी सरकार में शामिल थी जिसके कि माननीय नेता विरोधी दल मुख्य मंत्री थे। नेता विरोधी दल का दल और यह दल जो कि इस प्रस्ताव को लाना चाहता है, उस समय शासन में थे और उसी समय यह प्रस्ताव पास हुआ था। तो मैं माननीय आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वे इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये और उसकी भावना को मद्देनजर रखते हुए इस संशोधन को वापस ले लें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, जो संशोधन माननीय आचार्य जी ने रखा है वह यह है "अनुच्छेद १७४ के अधीन रखते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन और नब्बे दिन के उप-उपवेशन होंगे।" मान्यवर, ९० दिन को क्वालिफाई किया गया है साधारणतया से। इसके बाद और स्पष्ट इससे होता है जो उन्होंने लिखा है "उक्त तीन अधिवेशन साधारण-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथा निम्नलिखित सारिणी के अनुसार किये जा सकेंगे" । ये दोनों चीजें इस वक्त के अन्दर हैं । जो वाक्य का अन्दर है और जो वाक्य का प्रारम्भ है वह साधारणतया को क्वालिफाई किया गया है । मान्यवर, इसका मतलब है कि माननीय आचार्य जी चाहते हैं कि ९० दिन के अन्दर अनिवार्यता जो है वह भी न हो । इसके बाद जो प्रतिवेदन में प्रस्तावित नियम है उसमें है कि "प्रत्येक वर्ष में सभा के कम से कम ३ अधिवेशन अनिवार्यतः होंगे जो निम्न-लिखित सारिणी के अनुसार साधारणतः होंगे परन्तु किसी भी स्थिति में ९० दिन से कम उपवेशन नहीं होंगे ।" अब मान्यवर, जहां तक सिद्धांत का सवाल है जो हमारे संविधान की पालिसी है वह सर्वविदित है । कुछ ऐसे विषय हैं जो कि सदन के अधीन हैं । सरकार उन सिद्धांतों के प्रति उत्तरदायी है और बगैर इस सदन की आज्ञा के सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती है । मान्यवर, सदन किस तरीके से फाइनेंशियल कंट्रोल करता है यह भी संविधान में नहीं है । हम यहां पर बजट पास करते हैं उसके बाद जो खर्च होता है उस खर्चे का आडिट होता है और उसको भी यह सदन लोक लेखा समिति द्वारा नियंत्रित करता है । मान्यवर, उस खर्चे में जो भी गड़बड़ियां होती हैं उनका जिक्र आडिट रिपोर्ट में किया जाता है और उनकी छान-बीन होती है । मैं चाहता हूं कि वह रिपोर्ट इस सदन में आनी चाहिये और उस रिपोर्ट पर इस सदन में बहस होनी चाहिये और बहस का मौका मिलना चाहिये । मैं मान्यवर, इस बार ही इस विधान सभा सदस्य रहा हूं और इसके पूर्व नहीं था मैंने देखा कि आज तक कभी भी इस विधान सभा में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर बहस नहीं हुई है । मैं पूछना चाहता हूं कि जो संविधान की मंशा सरकार के ऊपर वित्तीय नियंत्रण रखने की है वह ऐसे कैसे रख सकेगी । अगर यह अधिकार आप राज्यपाल या सरकार को देते हैं तो कब किस समय और कितनी अवधि के लिये यह सदन चलाया जा सके तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो मौलिक व्यवस्था संविधान में इस सदन का वित्तीय नियंत्रण सरकार के ऊपर रखने की है, वह कैसे उत्तरदायी हो सकेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैसे संभव है ।

मान्यवर, आचार्य जी ने संवैधानिक आपत्ति उठायी है आर्टिकिल १७४ के अधीन । यह अंग्रेजी में है, "दि गवर्नर शैल, फ्राम टाइम टु टाइम"..."तो फ्राम टाइम टु टाइम" पर जोर देना चाहता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मुझे आपत्ति है । आप देखें कि न तो हमारे संसदीय मंत्री को कोई दिलचस्पी है और न हमारे आचार्य जी ही हैं जिन्होंने इसको मूव किया । यह स्थिति क्यों है उपेक्षा की इस नियम के बारे में जिस पर स्वयं संशोधन मूव कर रहे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

सरकार के प्रतीक त्रिवेणी राय जी मौजूद हैं, वह आपकी नियमावली को त्रिवेणी के संगम में डालने वाले हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

मेरा निवेदन यह है कि जो निर्णय लेना है वह सदन को लेना है--न इस सरकार को न विरोधी पक्ष को ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

ऐसी राय न व्यक्त करें । क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ? सरकार के मंत्री नहीं हैं? तो सरकार के बिना सदन चल सकता है क्या ? हम कोई निर्णय लें तो सरकार क्या उस पर अपने विचार नहीं व्यक्त करेगी ?

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

उन्होंने प्रस्तुत किया है उनका रहना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता---

अभी आचार्य जी भी आ जायंगे, आप जारी रखें ।

एक सदस्य---

वह वोट डालने के लिये गये हैं, आ जायंगे अभी ।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी---

माननीय आचार्य जी ने मान्यवर, वैधानिक आपत्ति प्रकट की कि अगर यह सदन पास करता है तो जो माननीय राज्यपाल महोदय के अधिकार हों उनके ऊपर एक कुठाराघात होगा । मान्यवर, राज्यपाल महोदय के क्या अधिकार हैं वह १७४ में दिये गये हैं । अनुच्छेद १७४ कहता है---

"174(1)The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its frist sitting in the next session."

पहला क्लाज कहता है कि महामहिम राज्यपाल सदन को आहूत करेंगे समय समय पर ऐसी तिथि को और समय पर मिलने के लियें जहां वह उचित समझें । उसके बाद दूसरा क्लाज है---

"(s) Prorogue the House or either House;
(b) Dissolve the Legislative Assembly."

दूसरा जो क्लाज है वह प्रोरोगेटिव है । माननीय राज्यपाल केवल सत्रावसान कर सकते हैं, हाउस को डिजाल्व कर सकते हैं । लेकिन जहां तक कि हाउस को ऐडजर्न करने का सवाल है, एक दफा जब आहूत कर दिया गया तो उस हाउस को ऐडजर्न करने का अधिकार माननीय राज्यपाल को कहीं नहीं दिया गया है । एक अन्तर देखना पड़ेगा सत्र, अधिवेशन और उववेशन के अन्दर । यहां पर जो "आहूत" करेंगे वह सत्र के बारे में है । जो अधिकार दिया गया है राज्यपाल को वह केवल सत्रावसान का दिया गया, अधिवेशन को स्थगित करने का अधिकार नहीं दिया गया राज्यपाल को ।

अब समय की बात कही गयी है । यह जो संविधान में कहा गया है, कोई बंधन समय का नहीं रखा गया । केवल इतना बंधन रखा गया है कि ६ महीने की अवधि नहीं होनी चाहिये बीच में ।

मान्यवर, हमारे संविधान के अन्दर महामहिम राज्यपाल महोदय केवल एवजीक्यूटिव के ही हेड नहीं हैं बल्कि सम्पूर्ण राज्य के हेड हैं और ऐसी दशा में जहां तक सदन के कार्य संचालन का प्रश्न है, उसके संबंध में राज्यपाल का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है ।

अब आप हमारे नियमों की स्थिति को देखिये । नियम १४ कहता है कि "सत्र के आरम्भ होने के पश्चात् सभा उन दिनों बैठेगी जिनको अध्यक्ष सभा के कार्य की स्थिति को देखकर तथा सदन नेता के परामर्श से समय समय पर निश्चित करें ।" सदन कितने दिन बैठेगा, कितने उपवेशन होंगे, यह अधिकार न तो राज्यपाल का है और न नेता सदन का है । इसका एकमात्र अधिकार माननीय अध्यक्ष को है । वह नेता सदन से केवल परामर्श ले सकता है और जो नेता सदन का परामर्श होगा वह माननीय अध्यक्ष के लिये बाध्य नहीं होगा बल्कि वह केवल एडवाइजरी होगा और उसको वह माने या न माने इसका केवल उनका ही विवेक होगा ।

इसके बाद उपवेशन के बारे में अध्यक्ष स्वयं उसको स्थगित कर सकते हैं । जहां तक ९० दिन का प्रश्न है कि ९० दिन का एक उपवेशन हो, यह सदन और अध्यक्ष तय कर सकते हैं । यह राज्यपाल तय नहीं कर सकते हैं । लिहाजा जो संशोधन माननीय आचार्य

जो ने पेश किया है और इस बिना पर इससे राज्यपाल महोदय के अधिकारों पर कुठाराघात होता है या संविधान के ऊपर कुठाराघात होता है, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । अधिवेशन कितने दिन का हो, हमारे नियमों में साफ है, संविधान में स्थिति साफ है।

दूसरी बात यह है कि राज्यपाल महोदय को केवल अधिकार है कि वह विधान सभा को आहूत करें और जब चाहें न करें । ऐसी दशा में क्या यह नहीं हो सकता है कि राज्यपाल इसको आहूत ही न करें । चुनाव हो जाय, विधान सभा जब बन जाय, अगर यह इंटरप्रेट लगाया जाता है तो क्या यह अधिकार दे सकते हैं कि असेम्बली के सदस्य चुन कर आ गये और वह विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुला रहा है या अगर इसको विस्तृत किया जाय और यह इंटरप्रेट करें तो यह भी हो जायेगा कि असेम्बली लीगली कांस्टीट्यूटेड है, बजट पास होना है और राज्यपाल अधिवेशन नहीं बुलाता है, डिजाल्व करने और सत्रावसान की बात सही है, लेकिन विधान सभा इसलिये बुलाई जाती है कि संविधान के अन्दर जो विधान सभा के फंक्शन्स हैं, जो कार्य हैं, उनके ऊपर अमल किया जा सके । इसलिये अगर १७३ को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि दूरी स्कीम दे रखी है । लिहाजा मेरा निवेदन कि जो संविधान का अनुच्छेद १७४ है, उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालता है । राज्यपाल महोदय के जो अधिकार हैं उन पर कोई बंधन नहीं लगाता है और मैं समझता हूं कि आचार्य जी ने जहां तक औचित्य का सवाल है, वह भी मानते हैं, उनके भाषण को माननीय स्वामी जी ने पढ़ कर सुनाया है। मैं समझता हूं कि माननीय आचार्य जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मान्यवर, आचार्य जी ने जो संशोधन रखा है, उसके विरोध में मैं अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं आचार्य जी के भाषण को समझने में असमर्थ रहा क्योंकि वे समाजवाद और प्रजातंत्र के पोषक बनते हैं फिर यह संशोधन उनके द्वारा किस प्रकार से लाया गया जिसे सदन ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। सदन को इस प्रस्ताव की आवश्यकता क्यों महसूस हुई । ६७ के बाद जो राज्यों में सरकारें बनीं वे अधिकतर गैर कांग्रेसी सरकारें थीं । मैं मानता हूं कि वे अस्थायी सरकारें थीं, उनमें स्थायित्व नहीं रहा। नतीजा यह हुआ कि सरकारें जनता की बात सुनने से भागने लगीं और जनमत की अवहेलना होने लगी । सरकारें बजट पास करा लेती थीं और उठ जाती थीं । इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि जितने भी अध्यादेश लाये जाते हैं वे सत्रावसान करके ही लाये जाते हैं । इंगलैन्ड में दिसम्बर के बाद एक बार सेशन बुलाया जाता है लेकिन पार्लियामेंट में सत्रावसान नहीं होता, साल भर तक चलता रहता है । लकिन यहां पर क्या हालत है? आज सदन उठेगा तो २-३ दिन के बाद सत्रावसान कर दिया जायगा और सत्रावसान के बाद आध्यादेशों की बाढ़ सी लग जायगी । यह होता क्यों है? चाहे विधान सभा हो चाहे संसद हो, ये दोनों जन पंचायतें हैं और उनका प्रमुख कार्य यह होना चाहिये कि वे जनता के दुख दर्द को सुनें । इसी भावना से प्रेरित होकर इसी सदन ने सर्वसम्मति से, जिसमें आचार्य जी भी उस समय थे, यह प्रस्ताव पारित किया था और किसी ने इसका विरोध नहीं किया । उस प्रस्ताव की वही भाषा है जो नियमावली में संशोधन करने के प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन अब उसमें आचार्यजी किरकिरी बन गये । आप आर्टिकिल २०८ को देखें जिसके तहत हमारे ये नियम बने हैं । उसमें लिखा हुआ है "इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, राज्य के विधान मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया के तथा अपने कार्य संचालन विनियमन के लिये नियम बना सकेगा । "श्रीमन्, यह सदन सक्षम है कि संविधान के अनुच्छेद २०८ के अनुसार वह अपने लिये नियमावली बनाये । हम पुराने नियमों में केवल इतना जोड़ना चाहते हैं कि यह सरकार जनता की उपेक्षा न करने पाये, हमने उसमें यह कहा है कि कम से कम ३ सत्र होने चाहिये । उसके लिये उसमें अनिवार्य शब्द रखा ।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

सरकार जनता की भावनाओं की उपेक्षा न करे, इसके लिये संविधान के निर्माताओं ने इसको रखा था और राज्यपाल के लिये यह अनिवार्य किया गया था कि वह कम से कम २ सत्र वर्ष में बुलाये । इससे उनकी यह आकांक्षा थी कि दो से अधिक होने चाहिये । और इसलिये उसने १७४ कम से कम शब्द लगाया। हमारे संविधान का उद्देश्य और मनशा जो थी उसके अनुरूप हमने २ से अधिक के लिये किया और २ क बाद ३ का प्रस्ताव अनिवार्यतः लगा दिया गया । मैं मानता हूं कि कुछ विशष परिस्थितियां आ सकती हैं, जो प्रस्ताव में सारिणी दी गई हैं वह आप देखें कि जो सदन का प्रस्ताव था वही सदन आज भी चाहता है कि कुल २०१ दिन का सेशन हो, पहला ९६ दिन का, दूसरा ६० दिन का और तीसरा ४५ दिन का जबकि साल होता है ३६५ दिन का । हमारा प्रस्ताव था कि साल में इतनें दिन सदन बैठेगा तभी जनभावनाओं का आदर और प्रतिनिधित्व हो सकेगा । कोई असाधारण स्थिति यदि आ जाय तो प्रस्ताव में व्यवस्था थी कि अगर स्थायित्व न हो तो सदन न बठ, लेकिन हर हालत में कम से कम ९० दिन जरूर बैठे । वैसे २०१ दिन साधारण स्थिति में अवश्य बैठे । आचार्य जी ने ऐसे कहा कि कोई स्थिति आ जाय तो बात दूसरी है लकिन कम से कम ९० दिन तो बैठे ही । लेकिन उसक भी खिलाफ आचार्य जी का प्रस्ताव आ गया। उसको आप देखें कि हमको तो ऐसा लगता है कि वह खुद नहीं समझ पाये, उनके विचार स्वयं में ही असंगत हैं। अगर अनिवार्य को हटा दें तो स्वेच्छा पर तो चल ही रहा है यह सदन। हम तो सरकार पर पाबन्दी लगाना चाहते थे । आचार्य जी एसे लोगों को राज्यपाल और राष्ट्रपति जी के अधिकारों की तो बड़ी चिन्ता है लेकिन.....

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उनको जनसाधारण के अधिकारों की कोई चिन्ता नहीं है और इसी कारण से उन्होंने ऐसा संशोधन रख दिया । मै स्पष्ट कर दूं कि राज्यपाल इस सदन का एक हिस्सा होते हैं पार्ट आफ दि लेजिस्लेचर इसमें बार नहीं है । जो सदन का निश्चय होगा इसमें १६३ देखेंगे । जो मंत्रिपरिषद् होगी वह राज्यपाल को सलाह देती है । जब वह सदन का हिस्सा है और इस प्रस्ताव को जब पारित करेंगे तब मंत्रिपरिषद् का जो मुखिया मुख्य मंत्री होता है वह कहेगा कि लेजिस्लेशन इस तरह से होना चाहिये । १६३ में है—

"जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों अथवा उनमें से किसी को स्वविवक से करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा।"

तो मुख्य मंत्री की सलाह से होगा । यह जो अधिवेशन बुलाया जाता है और यह जो सदन का निर्णय होगा उस निर्णय के मातहत मुख्य मंत्री राज्यपाल को सलाह देगा कि इस तरह आप सदन को आहूत करें । हमने १७४ को छोड़ दिया है । प्रस्ताव में इसलिये जोड़ा है कि वह बरकरार रहेगा। वह अधिकार तो राज्यपाल का बरकरार रहेगा । अब इनकी भाषा देखिये—प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन और नब्बे दिन के उपवेशन होंगे । और जो सारिणी दी गई है २०१ दिन वाली तो आचार्य जी इस सारिणी को देकर अपने तर्कों से ही असंगत हो जाते हैं । सारिणी देने से क्या मतलब है । २०१ दिन का आचार्य जी ने जो सदन का निर्णय लिया था जनवादी तरीके से उसको ओझल करने के लिये यह संशोधन

रख दिया । आचार्य जी ने लोक सभा की बातें की । वहां चूंकि लिखित नहीं है अलिखित परम्परा है, क्या है, मैं मानता हूं कि लोक सभा में यह परम्परा है । लेकिन परम्पराओं को मैं बता दूं । इंगलैन्ड में सारी की सारी परम्परायें अलिखित हैं, परम्पराओं पर आधारित हैं । वहां परम्पराओं की ज्यादा मर्यादा है, वहां पर परम्पराओं का ज्यादा पालन होता है । यहां तो संविधान बनाने वाले ही संविधान को तोड़ते हैं । लोक सभा में आज जितनी परम्परायें बन गई हैं वह नियम में न आवें किन्तु उनका अवसर पालन होता है । देखिये आज पहली बार परम्परा टूट रही है और हम कह सकते हैं कि असाधारण स्थिति के कारण । मार्च में चुनाव हो रहे हैं । लोक सभा ने अलिखित नियम होते हुए भी इसका पालन किया । प्रस्ताव तो हमने पहले पेश किया । उस प्रस्ताव के मातहत शीतकालीन अधिवेशन पांच नवम्बर को बुला लेना चाहिये । सदन का सर्व सम्मत प्रस्ताव आचार्य जी मानने के लिये तैयार नहीं है । उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री मानने के लिये तैयार नहीं है । हमारे त्रिपाठी जी का वक्तव्य निकला था कि सदन को बुलाना जरूरी है । हमने भी एक चिट्ठी लिखी लेकिन सारे कारणों के बाद भी आप सदन बुलायें अपनी इच्छा से जब कि पूरा साल खत्म होने वाला है ।

आप लिखित प्रस्ताव को मानने वाले नहीं हैं । आज की सरकारें भोगी हो गयी हैं । इसलिये जन भावनाओं की उपेक्षा करती चली जा रही हैं । इसलिये मैं माननीय आचार्य जी से प्रार्थना करता हूं कि वे रोड़ा न बनें । आपने खुद कबूला है कि इससे संविधान पर कोई आक्षेप नहीं हो रहा है । आपने एक छलांग मारी और उसी एक छलांग में आपने सारे परिवर्तन कर दिए । तो मेरी करबद्ध प्रर्थना है कि इस सर्वसम्मति वाले प्रस्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है । हमारे इस प्रस्ताव से राज्यपाल के अधिकारों में भी कोई अन्तर नहीं आने वाला है । पता नहीं क्यों आचार्य जी स्वयं संशंकित हो जाते हैं । इसलिये मैं आचार्य जी से, भले ही वे उस कुर्सी पर विराजमान हैं, जो उन भावनाओं का प्रतीक है, जब वे हमारी ओर बठे थे, वापस ल लें ।

इन शब्दों के साथ मैं जो मूल प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री राज मंगल पांडेय––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बात तो सीधी सी है लेकिन हमारे विरोधी दलों के माननीय सदस्यों के मन में पता नहीं क्यों शंकायें उत्पन्न हो रही हैं, वे क्यों सशंकित है । जो सारिणी दी गयी है, वह निश्चित है । उसमें केवल इतना परिवर्तान किया गया है कि शब्द "अनिवार्य' क स्थान पर साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन और नब्बे दिन के उपवेन होंगे ।" कवल "साधारणतया" "अनिवार्य' के स्थान पर किया गया है । आज कल सारे देशों में जहां पर लिखित संविधान है, उनके बारे में जो धारणा थी वह आज बदलती जा रही है और उन देशों के जो फलेक्सीबिल संविधान हैं, जो परिस्थितियों के हिसाब से ऐडजस्ट कर सकते हैं, उनकी ओर प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है । इस प्रदेश में भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जब ९०दिन की अनिवार्यता कानून के मुताबिक मानना संभव नहीं हो सकता है । अगर ऐसी परिस्थितियां आ जायं तो हम अपने नियमों में एक लचीलापन कर दें तो क्या बुराई है ? साधारणतया हम ९० दिन करेंगे, वह बढ़ भी सकता है । इसके मायने यह नहीं हैं कि ये दिन ९० दिन से कम ही होंगे, १०, २०, ३०, तो इसलिये जो शंका है, वह निर्मूल है । धारा १७६ में जो राज्यपाल को अधिकार है उसका अतिक्रमण किसी भी प्रकार से नहीं होता है । मान लें कि इस देश के साथ लड़ाई छिड़ जाय, अगर इस देश में कम्युनल राइट्स हो जायं जैसे कि सन् ४८ में हुये थे, या पालीटिकल अनइजीनेस हो जाय तो किसी संवैधानिक सरकार के लिये सम्भव नहीं है कि अधिवेशन बुलाये और ९० दिन के उपवेशन अनिवार्यतः कराये । मेरे मित्र इस बात को समझ लें कि क्या एसी परिस्थिति दश क सम्मुख नहीं आ सकती है । ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं

---

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]
इसीलिए "अनिवार्यतः" शब्द को हटाकर "साधारणतः" रख रहे हैं। इसमें कोई परेशानी या शंका की बात नहीं है। उधर से यह भी कहा गया कि शुक्रवार का दिन नान आफिशियल डे है लकिन उसमें भी सरकारी काम लेते हैं। मान्यवर, ऐसा नहीं है। जहां तक वोट का सवाल है उसमें वह भी आकर कहते हैं कि यह चीज होनी चाहिये। अभी उसी दिन राय बरेली के एक माननीय सदस्य की डेथ हुई तो बिजनेस कमेटी में यह तय हुआ था कि ३ बजे तक सदन स्थगित रहे और उसके बाद ३ बजे से बाकी कार्य को कर लें। लेकिन आपकी और सभी की राय से यह हुआ कि उस दिन सदन न हो। पहल सदन १२ तक ही था लकिन फिर उसके बाद १८, १९ और २० भी चला। कहने का मतलब यह है कि आवश्यकतानुसार सदन आपकी और सभी की राय से बढ़ा दिया गया। इसलिये शंका की दृष्टि से जो आप हर चीज को देखा करते हैं उस विचारधारा में परिवर्तन करें। अगर आप ऐसा कर दें तो फिर हम और आप मिलकर कार्य संचालन की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से यह सोच सकते हैं कि जो बिजनेस है उसका बंटवारा किस तरह से करें जिससे कि अधिक से अधिक समय हम दे सकें और ऐसा न हो कि सदन का समय बेकार जाय जबकि विजनेस न हो। आप यह भी देखें कि अगर ९० दिन का बिजनेस इस हाउस के सामने न हो तो भी क्या हम ९० दिन का उपवेशन रखेंगे।

मान्यवर, लाबीज में ही हम इस बात की भी चर्चा सुनते हैं कि एम०एल०एज० का डेली एलाउन्स बन्द करके सेलरी कर दी जाय एक हजार या आठ सौ रुपया। अगर सेलरी कर दी जाय तो मेरा ख्याल है कि हम में से बहुत से होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि फिर उपवेशन की तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लाबीज में ऐसी चर्चा आपके सामने भी श्रीमन् आयी होगी। इसलिये तीन चीजें हो सकती हैं, एक तो यह कि हाउस के सामने बिजनेस न हो, दूसरे यह कि इस देश पर दूसरा कोई दश लड़ाई छेड़ दे और तीसरे यह कि राजनीतिक वातावरण ऐसा दूषित हो गया हो जिसकी वजह से सामान्यतः जिस बिजनेस के लिए ९० दिन का उपवेशन बुलाना है उसको कोई यूटीलिटी न रह जाय। इसलिये आचार्य जी ने जो संशोधन रखा है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको शंका की दृष्टि से देखा जाय। यह एक प्रकार से गवनर के अधिकारों पर अतिक्रमण था जिसको हटाने के लिये उन्होंने यह रखा है। श्रीमन्, आप यह भी देखें कि उसमें यह है कि गवर्नर को अधिकार होगा समय-समय पर सदन को आहूत करने का। उसमें रिजीडिटी नहीं है। अगर रिजीडिटी होती तो यह होता कि फलां तारीख से फलां तारीख के बीच में आहूत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई मतलब नहीं था। मतलब था और वह यह कि गवर्नर को अधिकार दिया जाय कि परिस्थितियों के हिसाब से जब मुनासिब समझें कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय से आहूत कर सकें। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हुए कहा गया कि हम एक ही वोट के बहुमत से करते हैं। श्रीमन्, जब हमने मान लिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में होगी और उसमें बहुमत का जो निर्णय होगा उसी का आदर करेंगे तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या खामी है। हम तो मानकर चलते हैं कि बहुमत से जो निर्णय होगा उसका पालन करेंगे। अगर हमारा एक एम०एल०ए० एक वोट से जीत कर आ जाय तो क्या हम कहेंगे कि वह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अगर उसका एक वोट का ही बहुमत है तो भी वह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो मान्यवर, लोकतन्त्र में जब हमने बहुमत की बात स्वीकार कर ली तो इसी को लेकर हमने संविधान बनाया तो, इस बात का प्रश्न नहीं उठता कि हम बहुमत में होने क कारण अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मान्यवर, जो अधिकार मिलते हैं उनको दुरुपयोग करने के लिये नहीं दिया जाता, उनको सदुपयोग करने के लिये दिया जाता है। और फिर जसी परिस्थितियां हों, उनके अनुरूप कार्य करना चाहिये।

मान्यवर, हमें यह देखना होगा कि इस हाउस के सामने कितना बिजनेस है और उसको हम कितने दिनों के अन्दर कर सकते हैं। आज मान्यवर, आवश्यकता है कि सदन का उपवेशन

९० दिन का हो, कल हो सकता है कि उसकी आवश्यकता १५० हो जाय। हमने जो रखा है वह यह है कि साधारणतया ९० दिन कम से कम होना चाहिये। हो सकता है कि परिस्थिति कुछ ऐसी हों जब हम ९० दिन के बजाय ३० दिन, ५० दिन का उपवेशन करें और परिस्थितियां हमें यह भी बाध्य कर सकती हैं जब कि इस सदन के सामने अधिक बिजनेस हो तो ९० दिन के बजाय १५० दिन भी कर सकते हैं। इसमें शंका की कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई दूसरा विकल्प सोचें। मान्यवर, एक बात यह हो सकती है कि २०८ में नियम बनाने का अधिकार इस सदन को है और जो संशोधन माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने रखा है, उसमें अगर परिस्थिति बदल जाती है और कोई संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो क्या इस सदन को अधिकार नहीं है कि उन परिस्थितियों में फिर से हम संशोधन लाकर उसको ठीक कर सकें। यह शंका करना बिल्कुल निराधार है। मान्यवर, जो परिस्थितियां आज हैं उनमें कान्स्टीटयूशन के लिये मुनासिब न हो कि उन बुनियादी आवश्यकताओं के अनुकूल हो, ऐसी बात देश के तमाम प्रतिनिधियों ने नहीं सोची थी। उन्होंने उन तमाम चीजों को सोचकर ही कांस्टीट्यूशन फलेक्सिबिल बनाया है और हमारे रूल्स इसलिये फलेक्सिबिल हैं जो अच्छे हैं कारगर हैं और प्रभावकारी भी हैं बनिस्बत इसके कि उनको लिखित रूप से कर दें कि हम केवल ९० दिन ही उपवेशन बुलायेंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है। इसमें ऐसी कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है। इसमें अधिकारों के दुरुपयोग की बात कहां आती है, हम इसको छः महीने बाद कर भी सकते हैं। यहां एक संशोधन है और मेरे ख्याल में इसको सर्वसम्मति से स्वीकार होना चाहिये। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर अधिक से अधिक विवाद हो। मैं दिल से इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपनी शंकाएं मिटाकर इसको मूल रूप में पास कर देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

मैं निवेदन करूंगा कि मैंने आचार्य जी को पहला संशोधन रखने की आज्ञा दी है और दूसरा संशोधन पेश होना है और साढ़े ४ बजे तक इसको समाप्त भी होना है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय त्रिपाठी जी के बाद इस बहस को समाप्त कर दिया जाय और दूसरा संशोधन ले लिया जाय। इससे जो माननीय सदस्य बोलने से रह गये हैं वह उस पर बोल लेंगे और इस संशोधन पर भी अपने विचार व्यक्त कर लेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

कोई बात नहीं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, यह दोनों अलग-अलग हैं। अगर दूसरा वाला संशोधन इसमें सम्मिलित कर देंगे तो बहुत व्यापक हो जायेगा। इसको समाप्त कर लें तब दूसरे संशोधन को प्रस्तुत करने की आज्ञा दें।

अधिष्ठाता—

ठीक है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह प्रस्ताव आचार्यजी द्वारा न लाया जाकर अगर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लाया गया होता तो मैं इसकी गंभीरता को समझ सकता था क्योंकि आचार्य जी ने एक बात पहले ही इसके प्रतिकूल अपनी राय प्रकट कर दी। पता नहीं क्या सोचकर इतनी जल्दी उन्होंने अपने विचार बदल दिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मान्यवर सरकारी पक्ष को यह मजा चखने को इसका मिल गया इसलिये उन्होंने इस प्रावीजन को अभी तक लागू नहीं किया। यही कारण है कि ३१ दिसम्बर को प्रथम बार इन्होंने असेम्बली बुलायी। यह जो उनकी जुबान पर लिखा है यह भूल रहे हैं। इसलिये कि उन्होंने नियमों का दुरपयोग किया। और क्या लेना चाहते हैं? नियम सामने रखे। म आचार्य जी के दो चार आर्गूमेन्ट्स का जबाब दे दूं। बहुत सी चीजें नहीं कहूंगा। उन पक्ष का जो प्रमुख तर्क है वह यह तर्क है कि यह राज्यपाल महोदय के अधिकार को सीमित करता है। यह इस संविधान के प्राविधान के विरुद्ध आता है। यह दोनों बातें अव्यावहारिक और गलत हैं। मान्यवर, पहली बात तो यह कि उन्होंने अनुच्छेद १७४ का जिक्र किया है कि यह अनुच्छेद १७४ से कनफिलक्ट करता है। १७४ में जो अधिकार दिये गये हैं गवर्नर को उन पर आघात करता है। मैं समझता हूं यह आर्गूमेंट गलत है। पहली बात तो यह है कि गवर्नर हर चीज में अपनी मर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एक प्राविजन मान्यवर है वह यह कि काउंसिल आफ मिनिस्टर्स एडवाइज करेगी गवर्नर को। आप अनुच्छेद १६३ देखें जिसमें यह लिखा हुआ है कि मंत्रि परिषद् होगी और उस मंत्रि परिषद् की सलाह पर गवर्नर कार्य करेगा, कहीं-कहीं अपना स्वविवेक इस्तेमाल करेगा, अपना स्वविवेक ऐसी जगह पर इस्तेमाल करेगा जहां पर वह विधान सभा, विधान परिषद् और मंत्रि परिषद् तीनों को इगनोर करेगा। तो वह डिजोल्यूशन का मामला आ जायगा और जब डिजोल्यूशन का मामला आ गया तो फिर सब नियम बदल गये। जब वह यही करना चाहेगा तो वह नियमों से बाध्य कैसे हुआ। दूसरा तर्क क्या है मैं मंत्री जी से पूछूंगा। मंत्री किसी भी नियम और रीजन के आधार पर सलाह देंगे अगर उसके मन में कोई कसर नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री की सलाह से कहूंगा तो इंट-रेस्ट में संघर्ष आयेगा। अगर इस पर भी आप संघर्ष करना चाहते हैं तो मैं पूछता हूं कि क्यों बजट सेशन ३१ मार्च से पहले करना चाहते हैं सिवाय इसके कि विधान सभा को ३१ के पहले डिजोल्व करना चाहते हैं। फिर यह नियम क्यों बना कि फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले बजट पास होना चाहिये। यह पता चला कि यह गवर्नर के अधिकार को क्षीण करता है। मैं इसको पढ़ दूं।

"The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

(2) The Governor may from time to time—

(*a*) prorogue the House or either house;

(*b*) dissolve the Legislative Assembly.

मान्यवर, साधारणतः यह नियम है कि गवर्नर प्रोरोग करेगा लेकिन प्रोरोग करने से पहले अध्यक्ष से पूछेगा कि क्या कार्य है और कार्य की दृष्टि से ही वह असेम्बली बुलायेगा या असेम्बली प्रोरोग करेगा। क्यों कि सरकार यह समझती है कि क्या गवर्नर को अक्ल नहीं है। क्या गवर्नर मंत्री जी से बिना पूछे बात करेगा, उसकी नीति के विपरीत कार्य करेगा। मैं यह तर्क नहीं समझ पाता कि कैसे यह उनके डिस्क्रीसन में इन्टरफियर होता है। किसी तरह भी यह अनुच्छेद १७४ के बीच में दखल नहीं देता।

अब दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि २०८ और २०९ का जिक्र किया गया। २०८ में नियम बना सकते हैं तो मैं २०८ को पढ़ दूं। इसमें साफ लिखा है। अगर हम कोई नियम बनायें और यहां नियमों का पालन हो रहा है तो कैसे वह नियम कांस्टीट्यूशन के प्रावीजन से कांफिलक्ट करता है। उस हद तक तो यह रद्द हो जायगा। आप क्यों इसकी चिन्ता करते

है। जैसा इसमें लिखा हुआ है वही प्रावीजन २०९ में भी है। नियम तो दूसरी जगह भी प्रिवेल करेगा। हमारा नियम पीछे पड़ जायगा अगर कहीं टक्कर में आता है। तो इस दृष्टि से भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है और न गवर्नर के डिस्क्रीशन में ही कोई इन्टरफियरेंस हो रहा है।

यहां उल्टा क्यों हो रहा है ? उल्टा यह होता है कि हमारा जो प्रस्ताव रखा गया यह पास हो जाता है। जैसा कि कल्पनाथ जी ने कहा कि हमको समय नहीं मिलता। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जिस कार्य को सरकार से करवाना चाहते हैं उसके लिये हमको अवसर ही नहीं मिलता है। पिछले १३, १४ वर्षों में मैंने तो यही देखा है कि कभी भी पी०ए०सी० की रिपोर्ट पर विवाद नहीं हुआ। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, आश्वासन समिति और दूसरी समितियों की रिपोर्टों पर चर्चा होने का अभी समय ही नहीं आता है। सरकार कार्यक्रम की तिथि निश्चित करती है और उसमें किसी दूसरे की मंशा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। वह समझती है मैं ही सब कुछ हूं। हमने प्रार्थना की थी कि आप हमको अवसर दें लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं। पता नहीं क्या सोचा है। आज तक इन समितियों की रिपोर्टों पर कभी चर्चा नहीं हुई।

(इस समय ३ बजकर ८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

सरकार के पास कार्य को कन्ट्रोल करने के कई तरीके हैं–पी०ए०सी०, एश्योरेंस कमेटियों आदि की रिपोर्टों के जरिये। लेकिन इन कमेटियों की रिपोर्टों पर एक बार भी चर्चा नहीं होती है। प्रशासन जो ढीला है, शासन ढीला है और हर विभाग के अधिकारी इस बात को जानते हैं कि इन पर कभी चर्चा नहीं होगी। अगर उन पर चर्चा की जाय तो मंत्री जी जानते हैं कि यहां पर खिंचाई न हो जाय और इस प्रकार से ये अनियमितता करते चले जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

हर एक के लिये नियम बने हैं उनके अनुसार कार्य होता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

मान्यवर, सारे सदन ने उसको यूनानिमसली पास किया था और हमारे मूवर महोदय ने उस समय इसका समर्थन किया था और उसी के अनुरूप अपने विचार व्यक्त किये थे और अब उस से उल्टा ही मत व्यक्त कर रहे हैं। इसको अन्य माननीय सदस्यों ने आपके सम्मुख रखा है, और स्पष्ट रूप से रखा है। उन्होंने साधारणतः शब्द रख दिया है। लड़ाई का समय हो, एसेम्बली डिजाल्व हो जाय तो गवर्नर सुप्रीम हो जायगा, उससे आप क्यों चिन्तित हैं परन्तु साधारणतः शब्द का प्रयोग वैसे ही हो तो बहुत खतरनाक है। हमारी जो समिति ने प्रस्तुत किया है कि कम से कम तीन अधिवेशन अनिवार्यतः होंगे। अब यही है कि हमने लगा दिया है अनिवार्यतः और उन्होंने कहा है कि साधारणतः। हमने गवर्नमेंट की मनोवृत्ति से जो अनुभव प्राप्त किया उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह रेजोलूशन जब चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे उस समय पास हुआ था। इस सरकार को न तो संविधान में विश्वास है और न नियम में ही विश्वास है। यह डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के बजाय उसका उल्टा ही करती है। ९० दिन का कोई प्राविधान लगा दिया कि ९० सिटिंग्स होंगी। इसमें कौन सी अनडेमोक्रेटिक चीज हो गई, कौन सा सरकार को नुकसान हो गया। हां, यह जरूर हुआ कि विरोधी पक्ष को अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। अगर यह प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और अगर यह भी विश्वास करते हैं कि प्रजातंत्र के लिये विरोधी पक्ष का होना आवश्यक है तो इनको संशोधन को वापस ले लेना चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ३ करोड़ रुपया एकत्र हो रहा है तो विरोधी पक्ष को बहुत जलन हो रही है। यही ठेकेदार हैं, हम लोग तो पंचमांगी हैं . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी––

श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। सरकार की ओर से यह कभी नहीं कहा गया कि विरोधी पक्ष पंचमांगी है। माननीय सदस्य द्वारा यह कहा जाना क्या उचित है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, वह आचार्य जी से बात कर रहे थे। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

मान्यवर, मैंने तो कभी पंचमांगी नहीं कहा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, यह अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। मैंने यह कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह बात कही कि क्योंकि तीन करोड़ रुपया हमने प्रधान मन्त्री को दिया है इसलिए इनको जलन हो रही है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। श्रीमन्, हमें क्यों जलन होगी जब तक कि हम राष्ट्रद्रोही न हों या पंचमांगी न हों ? हमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए, तो यह मेरा कहना है। उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। आपस में बातें करते रहे और व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया बिना मेरी पूरी बात सुने हुए।

तो मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी कैसा समझते हैं विरोधी पक्ष को ? वह उन्होंने कह दिया कि जलन हो रही है। तो मैंने एक उदाहरण दिया। आज विरोधी दल की कदर करना उनके लिये आवश्यक है। जो सफाया करने की प्रवृत्ति आ रही है वह ठीक नहीं है। जनसंघ से कह दिया, पाकिस्तान का हमने सफाया कर दिया, अब तुम्हारा काम खत्म। कांग्रेस (ओ०) वालों से कहा कि तुम और हम तो पहले एक ही थे। उनका भी सफाया। कम्युनिस्टों से कह दिया कि तुमने तो हमारा मैनीफैस्टो बनवाया है। उनका भी सफाया। मुस्लिम लीग से कह दिया कि केरल में तुमने गठबन्धन किया। तुम्हारा भी सफाया। तो सबका सफाया यह कर रहे हैं। झाड़ू-बुहारू से भोजन बनाने का काम कर रहे हैं। विरोधी पक्ष की कोई जरूरत नहीं। अधिनायकवाद की मनोवृत्ति चर्खे की तरह इनके दिमाग में घूम रही है। उससे यह मुक्त नहीं हो पाते। यह मैं न कहता अगर इनकी बातों से यह ध्वनि न निकलती कि विरोधी पक्ष की आवश्यकता नहीं है। अगर यह समझते हैं कि विरोधी पक्ष की आवश्यकता है तो उसके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। हम बहुमत में हैं, विरोधी पक्ष की आवश्यकता नहीं है, यह मनोवृत्ति ठीक नहीं है। विरोधी पक्ष की भावना का आदर करना चाहिए (व्यवधान)। श्रीमन्, शंका के आधार पर, हलबदलुओं के आधार पर बनी सरकार है। शंका ही उसका भोजन है और शंका ही उसका दुश्मन है। तो मैं शंका नहीं करूंगा। जबकि आप चौबीसों घंटे शंका में तैर रहे हैं। उनको शंका नहीं करनी चाहिए। हमें अवसर देना चाहिए। वह निर्भय होकर राज्य करें। जहां हम उचित समझेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन हमें कहने का अवसर मिलना चाहिए। जब तक अनिवार्यतः ९० दिन नहीं रखेंगे तो कैसे अवसर मिलेगा, कैसे हम कहेंगे ?

श्रीमन्, इतना ही नहीं, मुझे अब ऐसा लगता है कि इस कारण कि कहीं टैक्स न लगाने पड़ें, दूसरे प्रदेशों के चुनावों पर असर न पड़े, यह कभी भी वित्तीय वर्ष के खत्म होने के पहले बजट पेश नहीं करेंगे। इनको इशारा कहां से मिलता है ? केन्द्र से। केन्द्र अपना बजट पेश नहीं कर रहा है। बड़ी लाएबिलिटी हो गयी है। टैक्स लगाना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं। इसलिए ६ मार्च को बजट न पेश करके अब १३ मार्च को पेश करेंगे, यानी चुनाव के बाद पेश करेंगे। चाहे फिर गर्दन रेत तो दें पब्लिक की टैक्सों से, कोई चिन्ता नहीं। तो यह इनकी प्रवृत्ति है केन्द्र से लेकर यहां तक। जो वहां घंटी बजी, यहां भी वही हो रहा है। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं।

मैं पुनः आचार्य जी से आग्रह करूंगा। यह आग्रह नहीं करूंगा कि इस दल में चले आइये बल्कि पहले की तरह दल बदली न करें। जो विचार उन्होंने पहले व्यक्त किये हैं उन्हीं पर अडिग रहें। वे बहुत योग्य वकील हैं। मैं उनकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं। मुझ से ज्यादा योग्य वकील हैं और मैं उनका बहुत आदर करता हूं, भले ही मैं उनके

विचारों से सहमत न हूं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपा करके इसे वापस ले लें। इसको वापस लेकर वह सारे सदन के मत का आदर करेंग। कृपा करके विरोधी पक्ष को अपनी भावनाओं को व्यक्त करन का अवसर दीजिए।

*श्री रामधारी शास्त्री--

मान्यवर, आचार्य जी द्वारा जो संशोधन उपस्थित किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इसे देख कर। सदन ने खूब सोच विचार करके यह निर्णय लिया था और उसको अभी-२ वर्ष भी नहीं गुजरे थे। यह निर्णय हुआ था कि ९० दिन का उपवेशन जरूर होना चाहिए और उसीके अनुसार समय सारणी बांटी गई थी। कौन सी परिस्थितियां बदल गई हैं जो यह प्रतिवेदन करने की आवश्यकता हुई? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। यहां दो बातें कही गईं, जहां तक मैंने सुना। एक बात तो यह कही गई कि राज्यपाल महोदय के अधिकारों का हनन हो रहा है क्योंकि उनका अधिकार यह है कि समय-समय पर विधान सभा के अधिवेशन को आहूत करें। जब तक यह संविधान है जो इस समय मौजूद है राज्यपाल महोदय के अधिकारों के हनन का कोई प्रस्ताव नहीं आयेगा और न हम वैसा कर ही सकते हैं, लेकिन हनन कैसे हुआ और राज्यपाल के अधिकार क्या हैं? जब तक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हो जाती है तब तक राज्यपाल महोदय के वही अधिकार हैं जो संसदीय प्रणाली में यहां मंत्रि मण्डल उनको सुझाव देता है और जब वह निश्चय करता है कि अब सदन आहूत हो तो सदन आहूत हो जाता है तथा राज्यपाल महोदय के नाम से घोषणा जारी हो जाती है। यही स्थिति चली आ रही है जब से भारत का संविधान बना है। तब से यही कनवेंशन है। इसलिए राज्यपाल महोदय के अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं है।

दूसरी बात यह कही गई कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब हम अधिवेशन न बुला सकें। तो क्या पुनः वह बात दुहरानी पड़ेगी? अगर कोई इमरजेंसी आ जाये, या आपातकालीन स्थिति उपस्थित हो जाए तो क्या उसके लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है? उस समय यह सदन भी भंग किया जा सकता है और केवल राज्यपाल महोदय ही शासन करते हैं। इसलिए राज्यपाल महोदय के अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं है। सरकार के परामर्श से राज्यपाल सदन को आहूत करते हैं और आहूत करने के बाद यह काम सरकार का हो जाता है कि वह कितना काम सदन के सामने लगाये। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आखिर सदन का कर्त्तव्य क्या है। यह विधान सभा किस लिये है? मान्यवर विधान सभा में और लोक सभा में जन भावना प्रतिबिम्बित होनी चाहिये। विधान सभा, को जन भावनाओं का आइना होना चाहिए ताकि इसमें जनता की शकल दिखाई दे। विधान सभा में यह प्रतिबिम्बित होना चाहिए कि जनता की क्या मांगें हैं और जन-भावना क्या है। प्रशासन कैसे चल रहा है और कैसे नहीं चल रहा है, यह उसमें प्रदर्शित होना चाहिए। उसके लिये एक ही तरीका है कि जितनी भी जनता की मांगें हों, जनता की आवश्यकतायें हों उनके ऊपर हम विचार करें और उनके सम्बन्ध में कल्याणकारी कानून बनायें। उनके ऊपर अधिक से अधिक बहस मुबाहसा करने का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह ९० दिन तो सिद्धान्तः है। पिछले २-३ सालों से यह सदन ९० दिन के लिए बैठा ही नहीं है, फिर भी उन्हें कागज में यह लिखना स्वीकार नहीं है कि ९० दिन सदन होगा। कोई भी जमहूरियत को पसन्द करने वाला, जन भावनाओं का आदर करने वाला इसको नहीं मानेगा। आप इसे किताब में स्वीकार करने को भी तयार नहीं हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप अपने को जन तांत्रिक कहते हैं और तानाशाहियत के कानून धीरे-धीरे लाते चले जा रहे हैं।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामधारी शास्त्री]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इस अधिवेशन में केवल शहरी भवन संबंधी विधेयक के अलावा एक भी नया कानून विधान सभा के सामने नहीं आया। सरकार की प्रवृत्ति ही ऐसी होती जा रही है कि विधान सभा का अधिवेशन न हो या कम से कम हो और सरकार को अध्यादेश जारी करने का अवसर मिलता रहे। अध्यादेश जारी करना नित्यप्रति का सरकार का काम हो गया है। अगर देखा जाय तो विधान सभा का और कोई काम ही नहीं रह गया है केवल इसके कि वह सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। कोई विधेयक ऐसा नहीं आया जिसके लिये पहले आर्डिनेंस जारी न हुआ हो। यह सदन अध्यादेशों की पुष्टि मात्र ही आज रह गया है। अगर यह बात सही है, तब तो ठीक है, आप जो चाहे संशोधन ले आयें, वरना जो यह प्रतिवेदन है कि ९० दिन तक सदन चले, इसे ही आपको स्वीकार करना चाहिए।

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी जब इधर थे तब भी यही राय थी कि ९० दिन बैठक चले।लेकिन आज जब आप उस आसन पर विराजमान हो गये तो अब यह कहने लगे। उससे आज भागने की आपको जरूरत नहीं है। आज तमाम प्रतिवेदन ऐसे हैं जो विचार के लिए पड़े हुए हैं जिनके द्वाराभ्रष्ट शासन का भंडाफोड़ हुआ है। मगर आज तक कभी किसी प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये सरकार ने समय नहीं दिया क्योंकि वह डरती थी कि यदि चर्चा यहां होगी तो शासन के काले कारनामों का यहां भंडाफोड़ हो जायेगा। विधान सभा सचिवालय के पुनस्संगठन सम्बन्धी रिपोर्ट, तथा जो भी समितियां हैं उन सभी के प्रतिवेदन जो बड़े महत्व के हैं पड़े हुये हैं और उन पर यहां चर्चा होना अत्यन्त आवश्यक है।

मान्यवर, आज से १२ वर्ष पहले एक गोदाम विधेयक यहां पास हुआ था। मगर आज तक सरकार ने उसके सम्बन्ध में कोई नियम आदि नहीं बनाये। नियम न बनने के कारण कोल्ड स्टोरेज वाले ८ रुपये की जगह २४ रुपये प्रति क्विंटल की दर से दाम ले रहे हैं। फिर अदालत में भी जाने का अधिकार नहीं है। यह सब जाहिर करता है कि यह सरकार धीरे-धीरे तानाशाही की ओर जा रही है। आखिर सन् १९४६ से १९५२ तक देखा जाये तो पता चलेगा कि विधान सभा का अधिवेशन साल में ५–६ महीने तक चला है। आज तो केवल ९० दिन की ही मांग है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन नियम समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करे। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री इन्द्र मणि (जिला टिहरी–गढ़वाल)––

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो नियम की बाबत बातचीत हो रही है यह बात सही है कि इस विधान सभा में कुछ लोगों के प्रति हमारी यह धारणा थी कि ये लोग संविधान के जानने वाले हैं और आचार्य जी के प्रति तो विशेष धारणा थी कि दुनिया के सारे संविधान उनके मस्तिष्क में हैं। मैं दो, तीन बातें कहना चाहता हूं। इसमें बार-बार जो राज्यपाल की बात कहीं गयी है मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आयी। आपने १७४ का तो हवाला दिया लेकिन १७६ आप बिल्कुल भूल गये। संविधान बनाने वालों ने १७६ में मामला बिल्कुल साफ कर दिया है कि "विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रति वर्ष प्रथम सत्र के आरम्भ में।" इसके बाद अगर ९० दिन का होता है या ४–५ महीने का होता है तो उसमें राज्यपाल का सवाल नहीं आना चाहिए। इसलिये राज्यपाल का हवाला देना बिल्कुल गलत है। हमारे एक विद्वान साथी न कहा कि संविधान फलैक्सिबिल होना चाहिये। लेकिन लचीलेपन की जो बात हमने की उसी पर आपने उल्टा मत दिया। १९६७ में १० महीने में २४ दिन यह सदन बैठा और १९६९ में जब ६७ वाली हालत होने लगी कि आज एक सरकार है तो कल दूसरी सरकार है तो लोगों को भय हो गया कि विधान सभा की बैठक बुलाई जायगी या नहीं। इसलिये इस भय से यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्ताव आया। जहां तक मैं समझता हूं विकल जी इस प्रस्ताव को लाये थे और यह सर्व-सम्मति से पास हुआ और इसकी भाषा बहुत साफ है कि प्रत्येक वर्ष में सभा के कम से कम ३ अधिवेशन अनिवार्यतः होंगे जो किसी भी स्थिति मे ९० दिन से कम उपवेशन नहीं होंगे। संशोधन में कहा गया है कि अनुच्छद १७४ के अधीन रहते हुये साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन और नब्बे दिन के उपवेशन होंगे। "साधारणतया" शब्द लिखकर पास करने से इस प्रस्ताव का मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहरा देना चाहता हूं कि इस सत्र में आपने कहा कि अन्य दलों के लोग स्कूल के मनेजर नहीं होंगे, सहकारी समितियों में जो अध्यक्ष दूसरे दलों के होंग उनको निकाल कर आप अपन दल के बना लेंगे। जनता के चुने हुए लोगों को निकाल कर आप अपन दल के लोगों को नियुक्त करने की सोच रहे हैं। जब प्रजातंत्र रहेगा तभी आप सब लोग मन्त्री रहेंगे। इसलिये प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये जो सवसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था उसको भी आप खत्म करने जा रहे हैं। यह प्रान्त ९ करोड़ का है। इंगलैन्ड में ९ करोड़ की आबादी है। मैंने इसलिए यह कहा कि हमारे संसदीय मन्त्री जी हमेशा इंगलन्ड का हवाला देते हैं। आप देखें वहां ९ करोड़ की पार्लियामेंट कितने दिन बठती है। जिस तरह से वहां की समस्यायें हैं, वैसे ही हमारे प्रदेश की भी हैं। हमारा श्रीमन, आपसे प्रायः कई बार झगड़ा होता है। ९ करोड़ की जनता की यह विधान सभा प्रतिबिम्ब है। इसलिए हर मेम्बर चाहता है कि वह अपन क्षेत्र की समस्याओं को, दुःख सुख की बात सदन में रखें, लेकिन जब उसको समय नहीं मिलता है तो उन्हें उदण्डता करनी पड़ती है और नियम तोड़ना पड़ता है। यह सब मेम्बर्स को तब करना पड़ता है जब कि मेम्बर नही चाहता है कि आप नाराज हों। सरकार इतना कम समय देती है कि उन्हें मजबूर होकर यह सब करना पड़ता है। जब तक आय ४२५ आदमियों की बात को न सुनें, तब तक पूरे सदन की स्थिति से अवगत नहीं हो सकते हैं। आचार्य जी से निवेदन है कि अपने संशोधन की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे वापस ले लें।

यहां कमेटी की बात कही गई है। कमेटियों की रिपोर्टें बड़ी-बड़ी छापी जाती हैं, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस तरह से यह तो वेस्टेज आफ मनी, वस्टेज आफ टाईम और वस्टेज आफ पेपर हो जाता है। हम लोग जो वहां पर कटौती के प्रस्ताव आदि देते हैं, जो कुछ बोलत हैं, उस पर भी सरकार ध्यान नहीं देती है। डेमोक्रेसी इज दि गवर्नमेंट आफ डिस्कशन एण्ड आर्गूमेंट। प्रजातन्त्र का बेसिक प्रिंसिपल बहस करना और परस्पर विचार विनिमय करना है, सुझाव देना है। लकिन यहां पर हम जो कुछ कहें, शासक दल के लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दो बातों में से एक बात होनी चाहिए प्रजातन्त्र में या तो आप हमारी बात स्वीकार कीजिए या आप अपनी बात हमें समझाइये। आचार्य जी जब साधारणतया की बात लात ह तो इसका मतलब यह होता है कि सरकार २०–४० दिन, जितने दिन भी चाहे उतने दिन के लिए बुलाए। हर विधायक का कर्त्तव्य अपनी जगह पर है। सरकारी पक्ष के विधायक को भी हक प्रश्न करन का है। लेकिन आजकल के मन्त्री आचार्य जी के कन्धे पर बन्दूक रखकर शिकार खेलना चाहते हैं। आजकल के मिनिस्टर्स भयभीत हैं। यहां पर इंडस्ट्रीज वाले मिनिस्टर बठत ह उनका हाल हम सब जानते हैं। सरकार के तरफ के मेम्बरों को भी जब प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो वे यहां पर प्रश्न आदि करते हैं। यहां पर सरकारी और गैर सरकारी मेम्बरों का सवाल नहीं है। प्रश्न यह है कि हम अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों की रक्षा कैसे करें। इसलिये सब लोग इसको अब वापस करायें और जो नियम आया है, उसे उसी रूप में पास करायें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से...

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—
माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री उपाध्यक्ष—
यह कोई बात तो है नहीं। नियमों का मामला सदन का मामला है। आपको समय दिया जायगा। इसमें यह न समझें कि बोलना चाहेंगे तो कोई रुकावट पड़ेगी।

श्री त्रिवेणी सहाय—
मैं चाहता हूं कि हम अपने विचार रख लेते तब जवाब देते।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—
मैं सम्मानित सदस्यों से आपके द्वारा यह आग्रह करना चाहूंगा कि सम्मानित सदस्य मथुरा ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको कृपया स्वीकार कर लें। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह सरकार का कोई विचार नहीं है कि वह विधान सभा का, सदन का जो सम्मानित कर्त्तव्य है और जो सरकार इस सदन के प्रति उत्तरदायी है, उससे किसी प्रकार भी हटाये। सरकार का यह विचार है कि कम से कम ९० दिन सदन अवश्य चलाये। यह नहीं है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहती है। हमारा यह विचार है लेकिन प्रश्न यह है कि जब हम किसी नियम को भाषा में रूप देते हैं तो भाषा का रूप ऐसा होना चाहिए तो लोग जो उसको पढ़े उनको मालूम हो कि यह सबसे बड़े प्रदेश की विधान सभा की नियमावली है, जिसको सारे सन्सार में पढ़ा जायगा। वह भाषा ऐसी प्रांजल, ऐसी वधानिक, ऐसी कानूनी भाषा होनी चाहिए जो सबकी समझ में आ सके और यह न कहें कि उन्होंने इसको ढंग से नहीं लिखा है। मैं माननीय सदस्य मथुरा को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी विद्वताके साथ, प्रांजल भाषा में, वैधानिक भाषा में, कानूनी शब्दों में भावना को लिख दिया है। इसमें लिखा गया है कि अनिवार्यतः हम करेंगे। नियमावली में कहीं अनिवार्यतः शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर हम यहां अनिवार्यतः शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब यह होगा कि बाकी नियमावली अनिवार्य नहीं है। अनिवाय शब्द लिखना अपने में सन्देह प्रकट करना है। इसमें तो "अनिवार्यतः" और "साधारणतयः" दोनों का प्रयोग हुआ है। इसमें लिखा गया है—"प्रत्येक वर्ष में सभा के कम से कम ३ अधिवेशन अनिवार्यतः होंगे जो निम्नलिखित सारिणी के अनुसार साधारणतयः होंगे परन्तु किसी भी स्थिति में ९० दिन से कम उपवेशन नहीं होंगे" कम से कम "अनिवार्यतः" और "साधारणतः" तीनों शब्द हैं। इसको बाहर वाले पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश वाले बढ़ेंग, बिहार वाल पढ़ेंग, बंगला देश मे पारलियामेंट बन रही है, वहां वाले भी पढ़ेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—
वह तो एक दल ही में सब दल बन गये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—
आप चाहते हैं कि कम से कम ९० दिन सदन चले लेकिन क्या हुआ? पिछल दो-तीन वर्षों में। ऐसी अनिवार्य राजनीतिक परिस्थितियां आयीं, सदन ज्यादा नहीं चल पाया। इसमें किसी का बस नहीं है। सब की इच्छा थी कि सदन चले। नहीं चल पाया। कभी राष्ट्रपति शासन हो गया। उसमें नियम निलम्बित भी नहीं हो सकता है। मान लिया किसी साल राष्ट्रपति का शासन हो गया तो उस समय जब विधान सभा ही नहीं है तो नियम कसे निलम्बित होगा? इसलिये ऐसा प्राविधान करने में कोई हर्ज नहीं है। संविधान के अन्तर्गत ही नियमावली बनी हुई है, इसलिये संविधान के अनुच्छेद में परिमार्जन किया गया है, एक वैधानिक रूप दिया गया है, आत्मा वही है। हमारा पूरा पक्का इरादा है कि हम ९० दिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन चलायें एक वर्ष में और इसमें सरकार का पूरा सहयोग होगा लेकिन जब नियम हम बनायेंगे तो विधि के अन्तर्गत और कानून के ढांचे के अन्तर्गत ही बनायेंग। इसलिय मेरा आग्रह है कि आचार्य जी के संशोधन को स्वीकार किया जाय।

*श्री त्रिवेणी सहाय––

यह जो संशोधन माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने पेश किया है उसको और किसी दूसरे सदस्य ने पेश किया होता तो शायद अच्छा होता। जब रामचन्द्र विकल जी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो आचार्य जी का एक लम्बा भाषण उस सम्बन्ध में हुआ था उसका थोड़ा सा अंश मैं पढ़ कर सुनायें देता हूं जिनको सुन कर सदन को ज्ञात हो जायगा कि विकल जी के प्रस्ताव के समर्थन में कितना मजेदार तथा तथ्यों से पूर्ण भाषण आचार्य जी ने उस समय दिया था मैं विकल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं तथ्यों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि वह अनावश्यक है। मेरा एक निवेदन है कि यह जो जनतंत्रीय प्रणाली है यह सदा बहने वाली नदी के समान है। अगर जल सदा बहता रहे तो वह गन्दा नहीं होगा लेकिन अगर वह स्टेगनेंट हो जाय, स्थिर हो जाय तो सड़ने लगेगा। न मालूम कितनी घटनाएं होती हैं और व लोक महत्व के प्रश्न के द्वारा या स्थगन प्रस्ताव के द्वारा या मन्त्री जी के पास प्रतिवेदन या आवेदन के द्वारा यहां रखी जाती रहती हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि सदन बहुत कम बठ पाया। इसके लिये हम सभी दोषी हैं चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बठने वाले। यदि हम इस दोष का परिमार्जन कर सकें, यदि ऐसा कर सकें कि जनतंत्रीय प्रणाली अपना कार्य कर सके तो मेरा निवेदन है कि इसके लिये एक अवधि निश्चित करनी पड़गी जिसमें सदन बैठा करे। कदाचित मेरा ऐसा मत है, नियमों के अनुसार सदन अपनी अवधि निश्चित कर सकती है या नहीं यह विचारणीय प्रश्न है। लेकिन मेरी निश्चित धारणा है कि सदन सार्वभौम है और उसको अपने बैठने की तिथि निर्धारित करने का अधिकार है।

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से लोक सभा में तिथियां निर्धारित हो चुकी हैं और उन्हीं तिथियों में लोक सभा बैठती है। यदि लोक सभा के लिये यह हो सकता है तो विधान सभा के लिये क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता। विधान के एक क्षुद्र विद्यार्थी होने के नाते मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि विधान में मैंने यह नहीं पाया कि सदन इसके लिये सक्षम न हो। इसक अलावा अब मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति के १९७१–७२ के प्रथम प्रतिवेदन। (पंचम "विधान सभा का सत्र कब-कब और वष म कितनी बार बुलाया जाय, इसको विधान सभा) तय करने का संवैधानिक अधिकार मंत्रिमंडल के परामर्श से राज्यपाल को ही है। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली संविधान के अनुच्छेद २०८ के अन्तर्गत बनायी गयी है।" उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि यह धारा १७४ के खिलाफ है। यह महाधिववता की राय है। मान्यवर, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, जो कि विधान सभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने १९७० को कहा है कि मेरी समझ में विकल जी का प्रस्ताव संविधान के विरोध में नहीं होगा यदि कुछ शाब्दिक संशोधन उसमें कर दियें जांय। श्री राज्यपाल को नियम बाध्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, पर सरकार को बाध्य करेगा और सरकार विधान सभा के लिये जिम्मेदार है।"

६ महीने में ही सत्र बुलाना सरकार के लिये संविधान के अनुसार अनिवार्य नहीं है। वह तीन-तीन महीनों में सत्र बुला सकती है जो कि संविधान के विरुद्ध नहीं होगा और यदि नियम से सरकार तीन माह में राज्यपाल को सलाह देकर सदन की बैठक बुलावे तो चूंकि वह संविधान के विरुद्ध नहीं होगा, इसलिये मेरी समझ में सरकार को बाध्य करने का नियम बनाया जा सकता है। तो यह माननीय अध्यक्ष, विधान सभा का निर्णय है। इस निर्णय के बाद आप उसमें संशोधन लाकर क्या करना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]
जिस तरह से आज लोक सभा म रोज अमेन्डमेंट्स हो रहे हैं और अमेन्डमेंट्स पर अमेन्डमेंन्ट्स कर प्रजातन्त्र चला रहे हैं, इस तरह कैसे चलेगा। इसी विधान सभा में चाहे वह इस तरफ के बैठने वाले हों, या उस तरफ के बैठने वाले हों, सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो गया था और उस माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने अपना निर्णय दे दिया था कि कम से कम ९० दिन तक विधान सभा कार्यक्रम चलगा तो उसमें अब संशोधन करके कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी । मान्यवर, यह नियम १७४ अनुच्छेद की मूल भावनाओं के खिलाफ ही पड़ता है ।

मान्यवर, जो आपने नियम २१६ के बारे में कहा है उसके संबंध में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो प्रतिवेदन विधान सभा की समितियां सदन में प्रस्तुत करती हैं उन पर विधान सभा में बहस होनी चाहिये और माननीय सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिये । आज तक ऐसे प्रतिवेदनों पर इस विधान सभा में चर्चा कभी नहीं हुई है । मान्यवर गुजरात विधान सभा का नियम १७३ लोक महत्व के विषयों के विचारार्थ समिति के प्रतिवेदन पर विवाद का प्राविधान करता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यहां पर भी इस विधान सभा में समिति के प्रतिवेदनों के ऊपर बहस हो जानी चाहिए । मान्यवर, इन प्रतिवदनों में कई इस प्रकार के मामले होते हैं जिनमें हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं हो पाती है । उन पर बहस हो जाने से सारी बातें सदन के सामने आ जायेंगी। इस संबंध में मैं माननीय नारायणदत्त जी से उनकी इस बात की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने उन्हीं दिनों यह कहा था कि मैं भी माननीय सदस्य, दादरी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक इस तरह का प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत किया जिस पर मैं समझता हूं कि सदन में सभी करीब-करीब एक मत हैं । उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि उसकी जो लैंगुवेज है उसको सही रूप देकर उसमें संविधान के अनुसार चेंज किया जाय । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर विधान सभा के अध्यक्ष का निर्णय हो चुका है और इसलिये इस संशोधन को माननीय आचार्य जी को वापस लेना चाहिये । विधान सभा के अध्यक्ष के निर्णप को सभी सदस्य मान्य करते हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ...

श्री राज मंगल पांडेय---
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष---
अब मैं माननीय मैनेजर सिंह को बुला चुका हूं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---
माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय आचार्य जी के संशोधन का समर्थन करते हुये माननीय सदस्य काशीपुर ने यह शंका व्यक्त की कि जब बिहार और मध्य प्रदेश वगैरह में यह नियम पढ़ा जायेगा तो वे लोग क्या कहेंगे और सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं था । उनको यह संदेह है कि जो अनिवार्यतः शब्द इसमें लिखा हुआ है वह स्पष्ट तरीके से (निरर्थक) बेयमानी है । श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य काशीपुर से यह जानना चाहता हूं कि यदि अनिवार्यतः शब्द बेयमानी है तो साधारणतः शब्द भी कोई अर्थ नहीं रखता है । साधारणतः शब्द के लिखने का स्पष्ट अर्थ यही होता है कि चाहे वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है । यदि साधारणतः शब्द को रखकर आप इस प्रस्ताव को स्वीकार भी करें तब भी इस प्रस्ताव का कोई मूल्य नहीं है उसका कोई अर्थ नहीं होगा । इसलिये श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि माननीय आचार्य जी का संशोधन अनुचित है और संशोधन के द्वारा जनतंत्र पर कुठाराघात कर रहे हैं ।

यही नहीं माननीय सदस्य काशीपुर से कहना चाहता हूं कि आपके और आचार्य जी के भाषणों को हमारे माननीय साथी नित्यानन्द स्वामी और माननीय साथी बीरेंद्र वर्मा ने जो पेश किया है वह ठीक ही किया है । यदि उन भाषणों को और आज के भाषणों को हमारे बिहार और मध्यप्रदेश की विधान सभा के साथी या विधान सभा के बाहर के लोग पढ़ेंगे तो एक राजनीतिज्ञ के बारे में विधान सभा के एक माननीय सदस्य के बारे में उनका क्या ख्याल होगा । क्या वे यह निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि विधान सभा के सदस्य सरकारी पक्ष में जब बैठते हैं तो उनकी बात दूसरी निकलती है और वही माननीय सदस्य जब विरोधी पक्ष में बैठते हैं तो दूसरी भाषा में बोलते हैं । मैं तो कहूंगा कि स्वयं माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा पर आघात करने वाला संशोधन है । माननीय आचार्य जी और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की बात नहीं, आदरणीय सदन के सारे सदस्यगण हैं उनके आचरण पर यह एक धब्बा लगाने वाला संशोधन है ।

प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय हमारे पुराने साथी रामचन्द्र विकल जी और कई सदस्यों ने जो आज भी मौजूद हैं यह कहा था कि सन् ६७ के बाद से जो प्रदेश की राजनीतिक स्थिति रही उसमें चाहे जो कोई भी सरकार रही हो वह विधान सभा से डरती रही है। शासन पक्ष के साथियों में भी दो-चार-पांच को छोड़ कर सारे लोग जो इधर बैठे हैं वह इस संशोधन के विरोध में हैं । यदि आप व्हिप जारी न करें और स्वेच्छा पर छोड़ दें, उनके विवेक पर छोड़ दें तो यह संशोधन आपका गिर जायगा । इसके पक्ष में जितने मंत्री हैं उनके आधे वोट मिलेंगे । क्योंकि आधे मंत्री बेचारे ऐसे हैं जो सेंसिबिल हैं, समझदार हैं और जिनकी निष्ठा जनतंत्र में है । वह भी इसके खिलाफ वोट करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह ऐसा प्रश्न है जिसमें विरोधी और कोई सरकारी पक्ष नहीं है । समवेत् सदन के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुये कहता हूं कि कोई व्हिप नहीं जारी किया जाय । यह अनुचित होगा । यह सदन का मामला है, एक सरकार का मामला नहीं है । आपआशंका न करें ।

श्री मैनेजर सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है, मैं समझता हूं हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको स्पष्ट कर देंगे अपने .....

श्री उपाध्यक्ष---

कोई स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है । सदन और मेरे बीच में नियम हैं और नियम को बनाने के लिये मैं किसी के अस्तित्व को, व्यक्ति और सदस्य के नाते के अलावा, नहीं स्वीकार करता । मैं सरकार और विरोधी-पक्ष भी नहीं स्वीकार करता । इस अभिप्राय के लिये केवल सदन है।

श्री मैनेजर सिंह---

आप स्वस्थ हो जायं तो सरकार भी ठीक हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

यहां नियम का प्रश्न है । मैं नियम को मानता हूं, सरकार और विरोधी पक्ष को नहीं ।

श्री मैनेजर सिंह---

मैं आपकी ही व्यवस्था के अनुरूप निवेदन कर रहा था कि चाहे किसी पक्ष के हों, वे साथी जो इस संशोधन के पक्ष में हैं वे जनतंत्र में विश्वास नहीं रखते ।

[श्री मैनेजर सिंह]

श्रीमन्, आज हमारी ऐसी स्थिति नहीं है । संसद के चुनाव में सत्ता कांग्रेस को दो तिहाई से भी अधिक बहुमत प्राप्त हो गया और आज इस दल का संसद में अजेय बहुमत है । यहां भी किसी तरह से सत्ता कांग्रेस का प्रबल बहुमत हो गया है । जब मैं अपने विरोधी पक्ष को देखता हूं तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि यह विरोधी पक्ष नहीं है । जिस ढंग से यहां चर्चा होती है, जिस तरीके से गलत प्रस्ताव स्वीकार हो जाते हैं, मैं समझता हूं कि विधान सभा में विरोधी पक्ष रह ही नहीं गया है । बहुमत की बहुत ताकत है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि संख्या का बल तो हमारे तिवारी जी को और उनकी सरकार को प्राप्त ही है । लेकिन इस सरकार में आत्मबल नहीं है, आत्मबल का इस सरकार में अभाव है । यही कारण है कि इस आदरणीय सदन से यह सरकार भागना चाहती है, तिवारी जी भी भागना चाहते हैं वह चाहते नहीं है कि आदरणीय सदन के सामने वे खड़े हों ।

श्रीमन्, आपने देखा है कि इस सरकार के २-३ मंत्री ऐसे हैं जो प्रश्नोत्तर के समय खड़े नहीं हो पाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं और मजाक के साधन सदन में बनते हैं, हंसी के पात्र बनते हैं । विरोधी पक्ष के लोग ही नहीं हंसते हैं बल्कि शासक दल के लोग हंसते हैं और मुख्य मंत्री जी भी हंसते हैं । जनता तो हंसती ही है । इसीलिये यह सदन से भागते हैं और इसी करण से यह संशोधन आया है ।

श्रीमन्, मुझे खेद है कि हमारे सदस्य काशीपुर श्री नारायण दत्त तिवारी जिनसे मेरा बहुत पुराना संबंध है । एक ही मंच पर काफी अरसे तक हम लोगों ने कार्य किया है । तिवारी जी इस सरकार के आने से पहल बराबर संसदीय परम्पराओं को और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उपाय करते थे लेकिन आज जब मैंने माननीय आचार्य जी का संशोधन देखा तो मैंने समझा कि सरकार के इशारे पर या प्रसन्न करने के लिये यह अप्रिय कार्य उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो सरकारी पक्ष में नये भर्ती हुए हैं और सरकारी पक्ष की बात करते ह लेकिन अभी उनके ऊपर शासन का विश्वास नहीं है । अभी उनके ऊपर शासक दल को विश्वास प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिये हमारे कुछ ऐसे साथी ऐसे काम खुशामद में करके दिखाना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर विश्वास हो जाय कि यह आदमी विश्वासपात्र है और कोई भी काम इससे लिया जा सकता है । यह तिवारी जी के लायक संशोधन था आचार्य जी के लायक नहीं था और मैं समझता था कि तिवारी जी का इसको सहयोग प्राप्त नहीं होगा । जब वे पढ़ते थे तब से हमारा उनके साथ सम्पर्क रहा है और उसी समय से समाजवाद को बड़ी अहमियत देते थे इसलिये मैं समझता था कि उनका समर्थन इसमें नहीं होगा । जब मैंने उनसे पूछा कि यह क्या संशोधन आचार्य जी ने रखा दिया है तो आपने कहा कि संविधान के अनुरूप उसको ठीक करने के लिये इसको लाया गया है । मैंने कहा कि जब आपका समर्थन है तो मेरा विरोध वापस हुआ । मैंने समझा कि अब इस प्रदेश और देश में जनतंत्र चलने वाला नहीं है । जिस प्रकार से संविधान में रोज रोज संशोधन हो रहे हैं उसी प्रकार से इस आदरणीय सदन के द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को समाप्त किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि इस दशा में जनतंत्र इस देश और प्रदेश में ज्यादा चलने वाला नहीं है। और अगर जनतंत्र नहीं चलेगा तो माननीय नेगी जी की हुकूमत चलेगी । वह दिन दूर नहीं है जब हमारे देश से पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी उठा कर फेंक दी जायगी और साम्यवादी तरीके से राज्य होगा और वह प्रक्रिया शासक दल ने अपना भी ली है । और प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, खून हो रहा है । देश के राजनीतिज्ञ स्वार्थ की ओर पलायन कर रहे हैं और स्वार्थ में दल और विचार और अपनी बातों को बदल रहे हैं । मुझे तो आश्चर्य होता है कि ऐसी अवस्था में यह जनतंत्र टिका कैसे हुआ है । चूंकि हमारे देश में पंचायतों की परम्परा बहुत पुरानी, करोड़ों नर नारियों की आस्था पंचायती परम्परा बहुत पुरानी है । यही कारण है कि देश के राजनीति में इतने स्वार्थ की भावना आ जाने पर भी जनतंत्र कायम है।

श्रीमन्, राजा भोज जब नाबालिग था तो उसके चाचा मुंज की देखरेख में राज्य का संचालन हो रहा था । मुंज ने सोचा कि अगर भतीजे की हत्या कर दी जाय तो राजपाट का मालिक मैं स्वयं हो जाऊंगा, राज्य को सुख से भोगूंगा । मुंज ने हत्यारों को बुलाया और कहा कि इस भोज को लकर जंगल मे कत्ल कर दो । जब जल्लाद भोज को लेकर जंगल में पहुंचे तो भोज ने कहा कि यहां क्यों लाये हो । उन्होंने बताया कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी हत्या करने के लिये कहा है । उसने कहा ठीक है तुम चाचा की आज्ञा का पालन करो लेकिन एक खत जो म उनको लिखता हूं, वह उनको दे देना । उसन अपने खून से एक पेड़ के पत्ते पर पत्र लिख दिया । उसमें उसने लिखा कि कितने पराक्रमी राजा हुए वे भी नहीं रहे, एसा लगता है चाचा मुंज तुम तो अनन्तकाल तक रहोगे । पत्र जब जल्लादों ने देखा तो राजा भोज को जंगल म छिपा दिया और मुंज से कह दिया कि हमने उसको मार दिया है और दूसरे का सिर उसको दिखला दिया । जब मुंज ने पत्र को देखा तब उसको ज्ञान हुआ वह भोज भोज कह कर रोने लगा । जल्लादों ने कहा कि वह जीवित है और उसको लाकर दे दिया । जल्लादों को इनाम मिला और भोज को गद्दी पर बठाया गया ।

उसी तरह से राजा मुंज जैसे हमारे आज के मंत्री लोगों को यह मोह हो गया है कि यह गद्दी किसी प्रकार कायम रहे, उनका अजय बहुमत है और इस सदन की अवहेलना कर दी जाय, इसको बठने न दिया जाय और हमारा राज्य एसे ही चलता रहेगा । लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि एक बहुत भयंकर तब्दीली इस शासन में भी आन वाली है । प्रधान मंत्री जिनको आपने काली और महादुर्गा की उपाधि दे दी है वह दुर्गा आप को बख्श ने वाली नहीं है, वह इस सरकार से सन्तुस्ट नहीं है लोग बराबर वहां उनक पास जाते ह कि इस मंत्री ने यह किया और उस मंत्री ने यह किया और रोज उनके कान भर जा रहे हैं और जिस दिन भी उन दुर्गा जी की भृकुटी टेढ़ी हो गई यह सरकार खत्म हो जायगी और यहां नये चेहर आ जायेंगे । मैं अपने साथी माननीय तिवारी जी से कहूंगा कि इस तरह के इतने गलत संशोधन को लाकर इस सदन के अधिकारों का आप हनन न करें । आप जिन संसदीय परम्पराओं की वकालत सारी जिन्दगी किये हैं उनका आप अब स्वयं ही अनादर न करें। तिवारी जी और आचार्य जी न केवल एक ही बात की शंका की और संविधान की जो धारा १७९ है उस पर हमारे साथियों ने काफी प्रकाश डाला, उसमें राज्यपाल को कवल अधिवेशन आहुत करने का अधिकार है, यह मैं नहीं कहता कि इस नियम में हम ऐसी तब्दीली करें कि राज्यपाल सदन को न बुलाय, अध्यक्ष बुला ले या नता सदन बुला लें, उनका सदन को बुलाने का यह अधिकार आज भी अक्षुण्य है । उसक और नियम समिति के प्रस्ताव में कोई विरोधाभास नहीं है । यह सदन से भागने की जो प्रवृत्ति और परम्परा है उसक अन्तर्गत यह संशोधन लाया गया है । अधिक समय न लेते हुये मैं अपने साथी माननीय सदस्य काशीपुर से कहूंगा कि आप तो रहने वाले काशी से दूर के हैं और आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम काशीपुर हो गया है तो आप अब उसी के असर से अपनी कथनी और करनी में एक रूपता लाइये ताकि दूसरे लोग इस तरह से तरह तरह की बात न करें और जो काम उचित किया है उसी पर रहें ।

(श्री बंशीधर पांडेय को बुलाये जाने पर)

श्री त्रिवेणी राय--

उपाध्यक्ष जी, माननीय मैनेजर सिंह जी ने यह बात दबाव में कही है । वह पहले कुछ और कहते थे लेकिन अब दबाव में आकर ऐसा कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ मैंने श्री बंशीधर जी को बुलाया है । वह बोल रहे हैं और उनके बाद मैं देख रहा हूं दो माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं, बस ३ ही बोलेंगे और किसी अन्य को अब विचार व्यक्त करना नहीं है ।

श्री बंशोधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष जी, जब विधान सभा में इस संशोधन को लेकर प्रस्ताव पास हो गया था और उसके बाद जब नियमों में प्राविधान करने की बात आपके समक्ष नियम समिति में आई तो संसदीय मामलों के मंत्री जो उस कमेटी में रहे और सब लोग उस में रहे और वहां से यह पास हो गया कि अनिवार्यतः हो, लकिन उसके बाद आचाय जी न अपना यह संशोधन यहां दे दिया । मुझे से बहुत से साथियों ने कहा कि विधान सभा की जो मीटिंग हो रही है वह ९० दिन को तो होना ही चाहिये और उससे भी और अधिक हो तो अच्छा हो । मैं उन सब बातों में नहीं जाता कि किस पार्टी की क्या राय है, यह तो एक विधान बनाने की बात है । भारत की सावरनटी पब्लिक में है । भारत की जो प्रभुसत्ता, सम्पन्नता, सौवरेंटी है वह इस दश को जनता में निहित है । तो पीपुल्स अर्थात् भारत की जो जनता है वह इस देश के राज्यों का गठन करती है, लाजस्लेचस, कमिश्नरियों को विधान सभाओं का गठन करती है । विधानसभाओं में जनता के प्रतिनिधि होते हैं । ढेढ़ लाख जनता कहीं एक साथ बैठकर या उत्तर प्रदेश की ८–९ करोड़ या भारत की ५४ करोड़ जनता अपना विधान नहीं बना सकती । व अपन अपन प्रतिनिधियों को भेजती हैं विधान सभाओं में और पार्लियामेंट में ।

मैं अब निवेदन करना चाहता हूं कि शब्द ,'प्राइम मिनिस्टर" का जन्म कैसे हुआ । वालपोल प्रधान मंत्री इंगलैन्ड के थे । वहां के इतिहास में "प्राइम मिनिस्टर" का शब्द कैसे आया । वहां पर जब राजा के विचारों पर प्रतिनिधि संस्था हावी होने लगी तो राजा को, जिनकी प्रभुसत्ता सम्पन्नता थी, उसको लौटा दिया और उस रिप्रेजन्टेटिव वाडी न उसको रेजिस्ट किया और राजा के व्यवहारों को देखकर कहा कि आप तो ऐसा बोलते हैं जैसे "प्राइम मिनिस्टर" तो उसने उस शब्द को पकड़कर कह दिया कि"येस" । आप हमें प्राइम मिनिस्टर ही समझें । उसके बाद इंगलैन्ड में चुनाव हुये । धीरे धीरे वहां पर जनता का बहुमत हुआ और जनता के भाव प्रिवेल किये और संस्था को "मदर आफ पार्लियामेंट" कहा । उसी प्रकार से भारतवर्ष में इस प्रकार की संस्था का जन्म हुआ । तो कभी कभी लोग यह बात कहते हैं, ये बातें हम लोगों ने भी कहीं, कि यह शासन मैजोरिटी में चुन कर आया है मेरे ख्याल से इस सदन को कोई भी हिस्सा बाकी नहीं है जो उस बात के कहने में न रहा हो । थोड़े लोगों को छोड़ दीजिये । १९४६ में, १९३७ में कहा है १९५२, १९५७, १९६२ और १९६७ में भी कहा । यह सब लोगों न कह रखा है । चौधरी चरण सिंह जी, उस जमाने में बहुत सुन्दर मिनिस्टर थे, बहुत अधिकार रखत थ, वे भी मजोरिटी में रह होंगे क्योंकि वे भी कांग्रेस के लीडर थे । तो उधर से यह नहीं कहना चाहिय कि हम बहुत बड़ा बहुमत मिला है । इस बहुमत की भी व्याख्या सुन लीजिये । दुनिया के इतिहास में श्री मुजीब को चुनाव में १०० परसेंट बहुमत प्राप्त हुआ । ९० प्रतिशत वोट पड़े और ९९ प्रतिशत मुजीब को वोट मिले । हिन्दुस्तान में तो ५० प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग गया ही नहीं । इस ५० परसेंट वोटिंग में आज आपका पार्लियामेंट में २३ परसेंट वोटिंग पर बहुमत ह । यह इलक्शन कमिश्नर की रिपोट क अनुसार है । २३ परसेंट वोटिंग पर इतना बड़ा दम्भ ? अब आप इधर होंग आप भी कहेंगे कि एसेम्बली को ६ माह तक चलायें । तो यह जो बात है मैं आपसे कहता हूं कि जो कहते हैं कि गवर्नर साहब की सलाह ले लेते हैं असेम्बली की तो यह भी इतनी खतरनाक बात है भारत के लेजिस्लेचर की लाइफ में यह हो रही है । महत्वपूर्ण घोषणायें पहले कान्वेन्शन थीं, न भी नियम हों तो कान्वेन्शन था कि लैजिस्लेचर यहां पर या संसद में उसके चलने के सेशन के बीच में शासक दल के लोग प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री लोग घोषणा करते थे । आजकल एक फैशन हो गया है कि एसेम्बली कल आनेवाली है और घोषणा उसकी निकल चुकी है । सैक्रेटरी के सामने निकल चुक हैं और ठीक एक दिन पहले महत्वपूर्ण निणयों के आर्डिनन्स जारी करने की प्रणाली जारी

हो गई। मैं कहता हूं कि संविधान के निर्माताओं के मन में यह कभी बात मन में नहीं रही कि महत्वपूर्ण घोषणायें और निर्णय संसद के अलावा हों या तो घोषणा के रूप में होगा या बिल के शक्ल में आयेगा। आजकल यह नहीं हो रहा है। आजकल पार्लियामेंन्ट बुला ली जाती है और उसमे एक दिन पहलेमहत्वपूर्ण करों को घोषणायें आर्डिनेन्ससे करके, आर्डिनेन्स एक विधेयक के रूप में लाया जाता है। मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल सेन्ट परसेन्ट जनता की इच्छाओं के संविधान के विपरीत होता है। इसलिये होता है कि जबसे इस देश में इन्स्टेबिलटी की प्रणाली चली सरकारों में अस्थिरतायें आई, मैं समझता हूं कि इन्गलैन्ड में भी २५–३० बार इम्मैच्योर पार्लियामेंन्टस तोड़ दी गई। क्यों मैं आपसे कहता हूं कि जो कहते हैं कि गवर्नर को यह अधिकार है और गवर्नर के अधिकार में हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये। मान्यवर सैन्टर में जो काउन्सिल आफ मिनिस्टिर्स है सैन्टर में राष्ट्रपति शासन लागू होता ही नहीं है कि पार्लियामैन्टस भंग हो जाती है। हमने वहां पर वह कान्वैन्शन रक्खा है। हमारी सरकार राष्ट्रपति की रहेगी और प्रेसीडेन्ट को एडवाइस करने के लिये मंत्रिपरिषद् रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

पान्डेय जी, आप कितना समय लेंगे? इसके बाद की और प्रक्रिया है। अगर आप साढ़े चार बजे के बाद भी बोलना चाहे तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आप बहस तो जारी रक्खें। माननीय संसदीय मंत्री भी हैं। दूसरा संशोधन रक्खा नहीं गया है। अतएव पूर्ण नहीं होता हैं। अगर आपकी राय हो तो साढ़े चार बजे तक ही बहस में भाग लें और आगे कार्यक्रम करें। इस पर विवाद जारी रक्खें।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

आपने हमें भी समय दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका रास्ता निकालना है। एक तो माननीय सदस्यों को बोलना है तथा संशोधन का एक अंश रक्खा गया है। दूसरे जो माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य के नियम २१६ के अन्तर्गत जैसा कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी कहते हैं समय दे दिया जाय। अगर आपकी इच्छा ऐसी हो और नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष इस राय के हों तो इसको जारी रखा जाय।

(सदन ने जारी रखने के लिये सम्मति दी।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह सरकारी रूल तो है नहीं, सदन का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसमें बाधा क्यों बनतें हैं। सदन की राय ही जानना चाहता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

जारी रहे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे यह आग्रह करना है कि इस विषय में जो दृष्टिकोण है वह स्पष्ट कर दिया गया कि ९० दिन सदन चले यह सरकार की मंशा है और वह उसका पालन करने की चेष्टा करेगी। इसमें केवल संवैधानिक भाषा का प्रयोग किया गया है, और कुछ नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि बजाय इसके कि इसपर विवाद चलता रहे, आप इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इनकी मंशा है लेकिन उन्होंने "लेकिन" लगाकर सब खत्म कर दिया। हमें विश्वास नहीं है कि ये जो कुछ कहते हैं वह करेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

न तो किसी की यह मंशा है कि संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात हो और न ऐसा ही है कि विरोधी दल कार्य न करे या सदन कार्य न करें। मेरे मित्रों ने अभी थोड़ी देर पहले...

श्री उपाध्यक्ष---

स्थिति यह है कि माननीय अध्यक्ष ने यह राय दे दी है और इसमें है कि यह संविधान के विपरीत पड़ेगा।

(विरोधी पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

हम बोल रहे हैं तो व्यवस्था का क्या प्रश्न है। अध्यक्ष जी ने कहा था कि संविधान के विपरीत है। आप तर्क देंगे कि संविधान के विपरीत नहीं बना रहे हैं। या आप कहेंगे कि संविधान के विपरीत बना रहे हैं। लेकिन चुटीले ढंग से किसी ने अपने तर्क को नहीं रखा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव ---

यह संविधान के विपरीत है, यह तर्क दिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

वह एक पहलू है। नियम समिति ने हर पहलू पर विचार किया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जब चेयर की रूलिंग हो गयी तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिये था। हमने तो इसलिए कहा कि वे आपकी रूलिंग का आदर नहीं कर रहे थे और अपनी बात रिपीट कर रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष---

हो सकता है आपने तर्क दिया हो लेकिन और माननीय सदस्यों ने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि पूरे संशोधन का निराकरण तो होगा नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

चूंकि इसमें वैधानिक आपत्ति उठायी गयी और आपकी भी व्यवस्था हो चुकी तो मैं चाहता हूं कि एडवोकेट जनरल को भी सुन लें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं एडवोकेट जनरल की राय जानता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी.---

आपकी व्यवस्था हो चुकी..।

श्री उपाध्यक्ष---

आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। मैं आपकी ही बात कह रहा हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मैं आपकी बात मानता हूं। हमें कुछ गलतफहमी थी।

श्री उपाध्यक्ष---

इस दृष्ट से देखना पड़ेगा कि अध्यक्ष की राय है और उसके ऊपर कोई राय नहीं होनी चाहिये। हो सकता है कि महाधिवक्ता की राय कुछ हो। मैं भी इस राय का हूं कि जो चीज जैसी बनी है उसे पूर्ववत वैसे ही बनी रहने देना चाहिये जैसा कि बाइबिल में कहा गया है "टु फुल फिल, नाट टु स्टाप" यानी किसी चीज को नष्ट न करें बल्कि उसे अधिक बलवान बनाने की

दिशा में कदम उठायें। इसमें दो राय है और विवाद है। कुछ माननीय सदस्य भी बोलना चाहते थे लेकिन आज और भी कुछ काम है। मैं समझता हूं कि इस विवाद को जारी रखा जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

ठीक है, आपकी सम्मति स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री बंशीधर पांडेय अपनी बहस जारी रखेंगे।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

आज नियम ५१ के अन्तर्गत केवल ३ सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो मैं सरकार को उचित कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं। एक है माननीय मोती लाल देहलवी का जिसमें उन्होंने कहा है कि तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर के गांव में बिजली का न पहुंचना। इसको मैं बिजली मंत्री जी के पास भेज रहा हूं आवश्यक कार्यवाही के लिये। दूसरा है श्री चन्द्रभान शर्मा का। उन्होंने कहा है कि डिप्लोमा सुपरवाईजर्स के स्थानों की पूर्ति में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अनियमितता और धांधली हुई है। उसको भी मैं आवश्यक कार्यवाही हेतु बिजली मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। तीसरा है सर्वश्री डी०पी०बोरा और कन्हैयालाल सोनकर का जिसमें उन्होंने एच०ए०एल० लखनऊ द्वारा फैक्ट्री के लिये ली जाने वाली जमीन के सम्बन्ध में कहा है। मैं इसे अस्वीकृत करता हूं। इसमें कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है क्योंकि कल रिट में हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है जो उनके खिलाफ है। लेकिन जो फसल खड़ी है उस सम्बन्ध में जो कार्यवाही अपेक्षित है उसके लिये मैं सम्बन्धित मंत्रीजी के पास उनके ध्यान आकृष्ट करने के लिये भेज रहा हूं।

माननीय महीलाल जी आपको कुछ कहना है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, पहला नम्बर तो मेरा है।

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मुझे एक निवेदन आपसे करना है। मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया और उसके कारण मेरे ऊपर कुछ प्रतिक्रिया हो रही है। आवश्यक से आवश्यक विषय भी अगर आपके विचार के लिये हमने उठाने की चेष्टा की चाहे वह नियम ५१ के अन्तर्गत हों चाहे ५२ के, लेकिन आम तौर से आपके यहां अस्वीकृत हो जाते हैं उसके फलस्वरूप यहां पर प्रतिक्रिया होती है। कुछ माननीय सदस्यों के प्रति आपका उपेक्षा का दृष्टिकोण रहता है उसके लिये आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि आज नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने और कुछ साथियों ने सरकारी सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति के लोगों के रिजर्वेशन को पूरा करने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था जिसके सम्बन्ध में शासन ने अभी हाल में उनके पदोन्नति के सम्बन्ध में निर्णय लिये हैं कि उनको रिजर्वेशन दिया जायेगा। लेकिन स्थिति इसके प्रतिकूल है। कोई पालन किसी आदेशों को जहां तक अनुसूचित जाति के लोगों का सम्बन्ध है नहीं हो रही है और उस प्रश्न को उठाने के लिये हमें कोई अवसर नहीं मिलता। तब हम आपका संरक्षण लेते हैं नियम ५१ के अन्तर्गत। लेकिन आपके यहां से इसी तरह का निर्णय मिलता है तो कुछ स्वाभा-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महीलाल]

विक है कि हमारे हृदयों में क्रोध की भावना,जाग्रत होती है और ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारी उपेक्षा की जा रही है। मैं तो आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि हमें कौन सा ऐसा मौका मिलेगा ? तमाम पश्चिमी जिलों में आज ट्यूबवैल बन्द पड़े हुए हैं। नियम ५२ के अन्तर्गत आपकी अनुमति चाही प्रश्न उठाने के लिये लेकिन अवसर नहीं मिला। कुछ सदस्यों ने आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट किया फिर उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसमें प्रदेश के २२ प्रतिशत जनता का सम्बन्ध है, इस तरह से उपेक्षा करके फेंक दिया जाय और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता आप मुझे परामर्श दें, गाइड करें कि हम किस तरह से इसको सहन करें। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आखिर दूसरा मार्ग हमारे सामने क्या है। यह जो तमाम जनता के हितों का प्रश्न है उसे किस प्रकार से प्रकाश में लायें और शासन के सामने किस प्रकार से जनता के हितों को प्रकट करें इस पर आप निर्णय दें और हमारा मार्ग दर्शन करें।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा है आप ने प्रश्न उठा दिया। अगर मान लीजिये जसे आज आप उपेक्षा की बात करते हैं तो यह आप पर उपेक्षा नहीं है विशेष कृपा है। विशेष कृपा इसलिये है कि अध्यक्ष महोदय व्यवस्था स्थापित करेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण है अथवा अध्यक्ष का अवमानपूर्ण हो तो उस सदस्य को बाहर जाने का निर्देश दे सकेंगे और जिस सदस्य को बाहर जाने का निदेश दिया जाय वह तत्काल सभा मण्डप से बाहर चले जायंगे और उस दिन के अधिवेशन के अवशेष समय में उपस्थित न होंगे। आपने अपने दिल में उसे मान लिया। दूसरे यहां हर दल की तरफ से खींच होती है चारों तरफ से कि हमको बोलने का मौका मिले। उसमें अगर चौधरी साहब हमसे सहमत होंगे कि यह कई दफा होता है और यह नाराज करने की जगह ही है, यहां प्रसन्न कोई नहीं होता है। तो यह व्यवस्था थी आप अपने आप जा रहे थे तो यह लिखा हुआ है कि सदन का अवमान है। मैं वैसा न कर निलकने के लिये कह देता हूं। स्थिति बचाने के लिये हो।

एक सदस्य---

निर्णय तो मान्यवर आपको लेना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, अगर आपको प्रसन्न करना है तो किसको आप प्रसन्न करेंगे और किसको आप अप्रसन्न करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

वह कई दफा होता है।

एक सदस्य---

मान्यवर, जो थोड़ा बहुत तीखापन था आप में वह तो मिठास में बदल गया।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कभी यह नहीं देखा। आप यह समझते होंगे। मैंने जिन्दगी भर कोशिश की कि एक कुत्ते के कान काट दूं पर नहीं काट सका और जब मैंने सोचा कि गड़ासा होता है उसको गिरा दूं तो वह कट जायगा लेकिन गड़ासा वह रुक गया। लेकिन अब एक चीज है कि सख्ती भी दो प्रकार की होती है। आप ने कुछ कह दिया। आप ने बहुत सी बातें ऐसी कहीं थी जो साधारणतः संगत नहीं होती।

एक सदस्य—

मान्यवर, आपतो बाघ का मांस घोंट कर पीने वाले हैं तो कुत्ते को नहीं काट पाये। यह असम्भव है (हंसते हुए)।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अपने को बहुत संयत रखता हूं। जो अधिकार है मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा। मान लीजिये अगर कोई जाने लगता है व्यवस्था के खिलाफ तो नियम यह है कि मैं कहूं कि यह विशेषाधिकार भंग किया है और फिर उस पर मामला उठाया जाय लेकिन मैं स्वयं यह कहता हूं कि जाइये निकल जाइये। दूसरे जिसको 'इंडलजेंस' अंग्रेजी में कहते हैं वह करता हूं अपने प्रति। इन सबसे अपने को मैं नियमित करने की शक्ति को छोड़ देता हूं। आप चले गये मैंने कहा निकल जाइये, फिर आप लौट आये थोड़ी देर में। सचिव ने कहा दिन भर के लिये निकाला था। मैंने नजरअन्दाज किया जब आप चले आये तो मैंने यह नहीं कहा कि आपको आने का अधिकार नहीं है। आप अपनी बात कीजिये। इसलिये यह कहना कि आपकी उपेक्षा की है, किसी सदस्य के साथ मेरा ऐसा प्रेम का बर्ताव नहीं होता है जितना आपके प्रति होता है। हालां कि नियमों के विपरीत आप चले आये, उस पर भी मैंने नजरअन्दाज किया और यही नहीं जब आप बोलने के लिये खड़े हुये तो बोलने के लिये मैंने नाम पुकारा इसलिये आपके मन में जो भ्रम है आप उसका निवारण करें।

श्री महीलाल—

मान्यवर, यह मेरी जानकारी में नहीं था कि आपने मुझे पूरे दिन के लिये निकाला है। मैं उन व्यक्तियों में रहना चाहता हूं जो इस आसन से जितने आपके आदेश हों वह उसको शिरोधार्य करें, पालन करें। मैं उन लोगों में अपना नाम लिखाने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो इस आसन से व्यवस्था दी जाय उसका पालन न करें। मैं हरगिज भी इतनी देर के लिये आपके आदेश से नहीं गया था। मैं स्वयं ही क्रोधावेश में होकर यहां से गया था। यह मेरी जानकारी में नहीं था कि आपने मुझे निकाला था। और इसलिये मैं आ गया।

कल जब टयूबवेल का प्रश्न आया था। मान्यवर, जब टाथरों का प्रश्न आया था तो मैं दर्जनों बार खड़ा हुआ। आपने एक एक सदस्य को तीन-तीन बार अवसर दिया और मुझको एक भी नहीं। यह तो कल की स्थिति थी और आज भी यही स्थिति रही। आपने दूसरे सदस्यों को दो दो बार अवसर दिया और मुझको एक बार भी मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

जो कार्यवाहियां छपी हुई हैं उनका आप अवलोकन करें, कम से कम मैं जब से उपाध्यक्ष हुआ हूं उस समय से देखें। आपका यह भ्रम दूर हो जायगा। आपको कितने दफा अवसर दिया गया है यह आपको उसमें प्रत्यक्ष दिखलाई दे जायगा। मेरा लगाव दूसरों की अपेक्षा आपसे अधिक है। मेरा कक्ष सबके लिये खुला है, चाहे वे सदस्य हों अथवा असदस्य हों। आपके लिये मेरा कक्ष सबसे ज्यादा खुला है और आप किसी समय भी वहां आकर सदा-सर्वथा कह सकते हैं।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

यह सिद्ध हो गया कि आपका इश्क उन पर लातादाद है। आपकी और उनकी बात अलग हो जाय यही अच्छा है। यह बात इतनी मोहब्बत की है कि सबके सामने कहना ठीक नहीं है।

प्रदेश में किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध न होने के विषय में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मुझे दुख है कि आज प्रदेश के अन्दर समय पर बीज और खाद न मिलने के कारण, इस पक्ष में बैठकर भी मैं ४९ के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को सदन के सम्मुख रख रहा हूं। साथ ही मुझको यह भी दुख है कि सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा करने का समय मांगा जिसमें करीब करीब सभी को राय थी, इसमें कम से कम २ घंटे की चर्चा का अवसर चाहिये था लेकिन वह न मिलकर केवल आधे घंटे का समय मिला। बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं कि यह बात जाहिर हो चुकी थी कि समूचे प्रदेश में गेहूं के बीज की कमी है, खाद की कमी है और इसमें दो राय नहीं कि शासन ने समय समय पर इस किस्म के आदेश भी निकाले कि किसान को समय पर बीज और खाद मिलेगी। लेकिन मुझको बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो भी आदेश सरकार ने यहां से भेजे उन आदेशों का किसी भी जिले में, समूचे प्रदेश में ठीक से पालन नहीं हुआ। अभावों की पूर्ति नहीं हुई। इन चीजों को पूरा करने वाली जो एजेंसीज हैं वे हैं वी०एल० डब्लू० से लेकर ग्राम सेवक, जिलाधिकारी और डी० पी० ओ० आदि। उन्होंने अपने फर्ज की अदायगी नहीं की जो कि उनको शासन ने दी थी। इस प्रदेश में लाखों किसान ऐसे हैं जिनको समय के ऊपर कोआपरेटिव से या दूसरी एजेंसीज से जैसे एग्रीकल्चर आदि से खाद और बीज नहीं मिल पाया जिसके कारण उन्होंने बाजार से महंगे या सस्ते बीज खरीद कर बोये। लेकिन जो समाचार आ रहे हैं पूरे प्रदेश से वे ये हैं कि किसानों ने जो बीज बाजार से खरीदे थे और उन्हीं को खेतों में बो दिया उसमें से ७५ परसेंट खेत खराब हो गये और वे बीज नहीं जमे। इसका जिम्मेदार कौन है? यदि उस जिले के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी समय पर किसानों को बीज दे देते, जैसाकि इस सदन में आश्वासन दिया गया था, तो कभी भी वे किसान बाजार से बीज न लेते और उनके खेत खराब नहीं होते। मैं आज अन्दाज लगा सकता हूं कि साधारण किसान की क्या दशा होगी। मैं अपना केस आपके सामने रखूं। मुझको न तो समय पर बीज मिले और समय पर खाद ही। ७ नवम्बर को मेरा इन्डेंट भरा जाता है।

श्रीमन्, एक मिसाल से आपको जाहिर हो जायगा कि कितनी गैर-जिम्मेदारी के साथ जिलों में काम हुआ है, जबकि यह तय हो चुका था कि इस बार पैदावार करनी है कि जिससे पिछले दो सालों की जो सैलाब और बारिश की वजह से फसल की हानि हुई है उसकी पूर्ति हो सके। उस लक्ष्य की पूर्ति करने में जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों की क्या स्थिति रही, उस की मिसाल दे रहा हूं। मेरा इन्डेंट ७ नवम्बर को भरा गया। वी०एल०डब्लू० ने ७ नवम्बर को भरा। मैंने उससे पूछा कि कब तक बीज और खाद मिल जाएगा तो उसने कहा १५ तारीख तक मिल जायगा। २० नवम्बर से बोने का इरादा था। लेकिन २४ तारीख को वह इन्डेंट डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफीसर के यहां से स्वीकृत हुआ। १७ दिन के बाद। और वी० एल० डब्लू० ने कभी बतलाने की तकलीफ नहीं की कि क्या कठिनाई है। हो सकता है उसके सामने कोई कठिनाई तहसील में आई हो, हो सकता है ब्लाक के दफ्तर में आयी हो, या हो सकता है स्वयं उसकी लापरवाही हो। लेकिन इस प्रदेश की जनता को इस चीज से सरोकार नहीं है। जनता तो यह जानती है कि जो लक्ष्य बनाया गया था कि इस साल इतनी रबी बोयी जायगी कि पिछले नुकसान की पूर्ति हो जाय, वह पूरा नहीं हुआ।...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—
श्रीमन्, आधे घंटे का समय है, और भी कई बोलने वाले हैं।

श्री रियासत हुसैन—
मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। श्रीमन्, इसकी सारी जिम्मेदारी बी० एल० डब्लू० से लेकर जिला अधिकारियों तक जाती है। आज तक मुझको, उस इन्डेंट के भरे जाने के बावजूद भी, टाप ड्रेसिंग के लिये यूरिया खाद नहीं मिली। श्रीमन्, इस साल फर्टीलाइजर ४४ रु० किलो का यूरिया बाजार में बिका है। लेकिन एग्रीकल्चर स्टोर से ४६ रु० १५ पैसे पर बैग बिका। जबकि सेल्स टैक्स माफ है। और उस पर किसान से इन्टरेस्ट भी लगेगा। वही हाल बीज का है। जो बुक वैल्यू है, उसके अन्दर ८० रु० के भाव में खरीदा गया और किसान को १२५ रु० के भाव पर दिया गया, और साथ में इण्टरेस्ट भी लगेगा। यह देखने की बात है कि पोटास सफेद वाला दिया गया, उसको मिलाकर यूरिया के साथ दिया जा रहा है। यह सब कौन कर रहा है? सब अधिकारी और कर्मचारी मौके से फायदा उठाकर कर रहे हैं। बीज की कमी है, खाद की कमी है, किसान जल्दी बोना चाहता है और घबराया हुआ है। उसे नाजायज फायदा उठाकर यह सब किया जा रहा है।

आपने कहा कि एक एकड़ तक के किसान को बीज फ्री देंगे। लेकिन उस एक एकड़ के किसानों की फेहरिस्त तक जिलों में नहीं बन पायी है। बीज देना अलग बात रही। तो श्रीमन्, पिछली हानि पूरी होना तो दूर रही, इस साल किसान को बीज मोल का बोना पड़ा, खेत में वह जमा नहीं, वक्त पर खाद नहीं मिली, टाप डेसिंग के लिए खाद नहीं मिली, बीज महंगा मिला। इन सारी बातों को सामने रखकर अगर यह रबी की फसल खराब हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जाती है सरकार के ऊपर। और इस वजह से जाती है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा इन्जाम नहीं किया। इसलिए श्रीमन्, मैं यह विषय चर्चा के लिये सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—
मान्यवर, जैसा कि एजेंडा है और उसमें जो छपा है वैसे ही बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष—
इस सम्बन्ध में नियम ४९ (५) इस प्रकार है:—

"जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का पुरःस्थापन करेगा। सम्बद्ध मन्त्री संक्षेप में उत्तर देंगे। तत्पश्चात् अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य-विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—
विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और समय कम है। हमने तो पहले ही कहा था कि इस पर बहस करवा दें।

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—
हम बता रहे हैं, कोई जरूरत नहीं होगी। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की है कि इस वर्ष बीज और खाद समय से नहीं बंटा है तथा बीज जो बांटा गया व जमा नहीं। इस वर्ष खाद वितरण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह २.४० लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन, १ लाख मीट्रिक टन फासफोरस और ७०,००० हजार मीट्रिक टन पोटाश था। दिसम्बर के महीने तक १,७३,६२० मीट्रिक टन नाइट्रोजन, ६२,२९४ मीट्रिक टन फासफोरस तथा ४७,६०५ मीट्रिक टन पोटाश पूरे प्रदेश में उपलब्ध कराया गया था। खाद वितरण का जो हमारा लक्ष्य था वह दिसम्बर के महीन तक करीब-करीब पूरा हो गया था।

[श्री श्यामसूरत उपाध्याय]

मान्यवर, यह कहा गया कि इस वर्ष हर जगह पर खाद समय से नहीं पहुंची । इसके कई कारण थे। पहला कारण तो यह था कि फर्टीलाइजर फैक्ट्री गोरखपुर और कानपुर में, जहां से कि हमें खाद मिलती थी, प्रोडक्शन कम हुआ प्रोडक्शन कम होने के कारण हमको कम खाद मिला । खाद के विलम्ब से पहुंचने का दूसरा कारण यह था कि अक्तूबर, नवम्बर व दिसम्बर तक हमें रेल के वैगन्स नहीं मिल पाये क्योंकि पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी। रेल के जितने वैगन्स थे वे लड़ाई में लगा दिये गये थे। इसलिए खाद की ढुलाई के लिये बहुत कम वैगन्स मिल पाये। फिर भी खाद पहुंचाने के लिए सरकार सतर्क रही और ट्रकों के द्वारा व अन्य साधनों द्वारा, जो भी उपलब्ध थे, खाद पहुंचाई गई। मैं एक बात और बताना चाहूंगा। कृषि विभाग का जो खाद वितरण का लक्ष्य था उससे कई गुना कृषि विभाग चला गया। कृषि विभाग ने १८३ प्रतिशत नाइट्रोजन, १४३ प्रतिशत फासफोरस तथा १९५ प्रतिशत पोटाश वितरित की। रियासत भाई ने कहा कि बाजार में ४४ रु० में खाद मिल रही जबकि सीड स्टोर में वह ४६ रु० में मिलती है। इसको कोई भी माननीय सदस्य मानने को तैयार नहीं होगा। जबानी तौर पर जो भी खबरें मिल रही हैं उनसे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। पिछले दिनों यह शिकायत थी कि खाद ब्लैक मार्केट में मिल रही है। अभी माननीय सदस्य ने बताया कि सीड स्टोर में खाद बाजार भाव से ज्यादा है।

श्री रियासत हुसैन—

बीज बोते वक्त खाद किसान को नहीं मिली। अब का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि—

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

शायद माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं है कि जब खाद की या किसी भी चीज की कमी होती है तो बाजार में भाव तेज हो जाता है। माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि सीड स्टोर में खाद के दाम बाजार भाव से अधिक हैं, यह बात समझ में नहीं आई।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

खाद कम मिली, ब्लैक मार्केटिंग हुई और सीड स्टोर के सुपरवाइजरों ने खाद इकट्ठी कर दी। यहां पर यह बात सही है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

पूरे सदन को मालूम है कि पूरे प्रदेश भर में जो पहली अप्रैल से लगातार बारिश हुई उसके कारण किसानों का गल्ला सड़ गया और बीज तक के लिये उनके पास गल्ला नहीं बचा। जो कृषि फार्म थे, उनको भी इस बारिश के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा। १९७०-७१ में कृषि फार्मों से करीब ६३,३४५ क्वींटल गल्ला बीज के लिये पैदा हुआ था जब कि इस वर्ष बारिश होने के कारण केवल ३५,८२४ क्वींटल ही पैदा हुआ। तो बीज की कमी की समस्या पूरे प्रदेश के लिये थी। फिर भी बीज उपलब्ध कराने के लिये, अपने यहां के अलावा ३ लाख क्वींटल गल्ला हमने बाहर से मंगाया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश के किसी हिस्से से हमारे पास यह शिकायत नहीं आई कि कहीं पर बीज नहीं पहुंचा। इस वर्ष करीब १,६८,६५९ क्वींटल गल्ला बीज के लिये बांटा गया। (व्यवधान) कृषि विभाग द्वारा जो बीज बांटा गया उसकी कहीं से कोई शिकायत कम जमने या न जमने की नहीं आयी। हां, सहकारी समितियों द्वारा जो बांटा गया, हो सकता है उनके बारे में कुछ शिकायत रही हो। इस वक्त जो रिपोर्ट है उसके अनुसार करीब ५ हजार क्वीन्टल गेहूं बांटने के बाद बच गया है। सारे प्रदेश में मैं स्वयं गया हूं और हमारे अधिकारियों ने भी जाकर देखा है, जो बाहर का गल्ला दिया गया था वह अच्छी तरह से उगा है। कहीं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

जिले के तमाम कृषि अधिकारियों का इन्होंने ट्रांसफर कर दिया जिसके कारण तमाम कार्य पैरालाइज हो गया।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

तो बीज के बारे में जो शिकायत है वह अपनी जगह सही नहीं है। बीज पूरी मात्रा में बंटा है और अच्छी तरह जमा भी है। खाद भी काफी मात्रा में प्रदेश में बांटा गया है। यह बात सही है कि बैगन्स कम मिलने के कारण समय के अन्दर खाद न मिल सका हो, लेकिन हमने ट्रकों से भिजवाने का भी प्रबन्ध किया और अब भी उसकी व्यवस्था की जा रही है।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, इस वर्ष किसानों को बीज तथा खाद मिलने में कठिनाई रही।...

एक सदस्य--

अब इस पर सवाल ही हो सकेंगे या वक्तव्य भी होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य स्पष्टीकरण हेतु यदि कोई प्रश्न करना चाहें तो कर लें, अब वक्तव्य नहीं दिया जायेगा।

श्री नौनिहाल सिंह--

कृषि मन्त्री जी ने जो फरमाया कि खाद का बाजार मूल्य गवनमेंट स्टोर्स से कम नहीं है तो क्या वे इस बात की जांच करायेंगे कि यूरिया खाद ऐग्रीकल्चर स्टोर पर ४६.१५ रु० के हिसाब से दी जाती है जबकि बाजार में वह ४४ रु० में बिकती है और उसी में प्राइवेट डीलर कमीशन भी लेता है जबकि गवर्नमेंट कोई कमीशन नहीं लेती ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो स्वयं स्वीकार कर चुके हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

मैं स्पेसिफिक देवरिया का जानना चाहता हूं कि वहां सरकारी गोदाम से कितनी खाद और बीज वितरण किया और कोआपरेटिव के जो गोदाम हैं और जिन प्राइवेट गोदामों को लाइसेन्स दिया है उनसे कितनी खाद और बीज का वितरण हुआ है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

हमारे पास जो बीज निःशुल्क दिया गया उसके आंकड़े तो हैं, बाकी मंडल वाइज तो आंकड़े हैं, हर जिलेवार नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

सारा विवरण जिलेवार नहीं आयेगा तो हमें क्या पता चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो आप ब्योरे में चले गये। आप सूबे से सम्बद्ध कोई सवाल करिये।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

जो खाद का पूर्ति विभाग है उसके द्वारा प्रदेश में कितना बांटा गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

८७,८५६ टन नाइट्रोजन, २८,६०० टन फासफोरस और २७,३०९ टन पोटाश वितरित किया गया।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

१८ जनवरी को एक प्रश्न श्री पारसनाथ सिंह ने किया था कि क्या यू० पी० एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि० फैजाबाद शाखा ने यूरिया खाद के लिये ५१० टन की मांग दिनांक १० दिसम्बर, १९७१ को फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, गोरखपुर को भेजा। उसका जवाब आपने दिया कि १० दिसम्बर, १९७१ को ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की फैजाबाद शाखा ने ५१० टन यूरिया खाद की मांग फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, गोरखपुर को नहीं भेजी। अगर यह पत्र में दिखा दूं इनके खिलाफ आप क्या ऐक्शन लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह काल्पनिक सवाल है कि अगर मैं दिखा दूं। आप उसको दे दीजिये।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

क्या कृषि मन्त्री जी मेरी जानकारी को सही मान कर कि इलाहाबाद जिले में सहसो, फूलपुर और कमालनगर में खाद्य महंगी बिकी है, बाजार भाव से।

वे खादें जो बीज भंडारों की हैं वह बाजार में चली गईं, इसलिये बाजार वालों ने सस्ता दिया है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

बाजार भाव से हम तुलना करते हैं, हमारा जो रेट है उससे ज्यादा पर यदि इंचार्ज बेंचें तो उसकी हम जांच करा सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय---

वह कहते हैं कि समय पर खाद पहुंची है, लेकिन पहुंची नहीं। मैंने पूछा था ५१० मैट्रिक टन खाद मांगी गई थी या नहीं और आप कहते हैं कि सब जगह पहुंच गई है। इसमें बहुत बड़ा गोलमाल है, इसलिये इसका साफ-साफ जवाब आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सामान्य चर्चा का विषय है। विशेष मामले उठाकर, तुरन्त जवाब चाहेंगे, जिसके बारे में हमें भी नहीं मालूम है और मंत्री जी को भी नहीं मालूम है, तो इस तरह से समय नष्ट होता है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस बात जी जानकारी है कि जो गोदामों में खाद के बोरे आये, उनका वजन भी निर्धारित मात्रा से कम था और वह किसानों को दिया गया ? और उसकी शिकायत गोरखपुर फर्टीलाइजर कारपोरेशन से भी की गई। दूसरा प्रश्न ऐसे समय में जब किसानों को खाद और बीज की जरूरत थी, इस बीच में सरकार ने कितने कृषि अधिकारियों का ट्रांसफर किया ?

श्री उपाध्यक्ष

आप सिर्फ पहले प्रश्न का जवाब दे दें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

मान्यवर, कहीं न कहीं से शिकायत तो आती रहती है कि वजन कम दे रहे हैं और उसके लिये कार्यवाही होती है। जहां की वह बताते हैं वहा की सूचना डिटेल में दे दें तो उसकी भी हम जांच करा लेंगे।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

एफ० सी० आई० से खाद, जिसका विभिन्न स्टाक खरीदा गया, क्या उसको जमिनेशन टेस्ट करके लिया गया था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां, जामिनेशन टेस्ट करके लिया गया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (टिहरी-गढ़वाल)--

क्या मंत्री जी को विदित है कि ३१ दिसम्बर तक पर्वतीय अंचल में किसी भी जिले में खाद और बीज का वितरण नहीं किया गया था ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

वितरण नहीं किया गया है, इसकी शिकायत तो नहीं मिली है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या मंत्री जी अपने कलेजे पर हाथ रखकर बताने की कृपा करेंगे कि जो खाद और बीज का वितरण किया गया है और जिसके विषय में इतनी शिकायतें मिली हैं उनको इतमिनान है कि ठीक तरह से वे बंटी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो अजीब कलेजे पर हाथ रखकर बताने का प्रश्न है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आप उनको बताने दीजिये। आज हमारा जिला बस्ती कराह रहा है, हम इसे महसूस करते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मैंने शुरू ही में निवेदन किया कि खाद के वितरण का जहां तक सवाल है कहीं-कहीं खाद समय के अन्दर नहीं पहुंच पायी यही शुरू में बयान कर दिया था क्योंकि वैगन की कमी थी। फिर भी अन्य साधनों से खाद पहुंचाने के प्रयत्न किये। हो सकता है कि कहीं समय के अन्दर खाद न पहुंची हो। लेकिन जहां तक बीज का सवाल है जो कृषि विभाग द्वारा बीज वितरण किया गया कहीं से कोई शिकायत नहीं आयी कि कृषि विभाग द्वारा वितरित बीज न उगा हो। सहकारी संस्थाओं द्वारा जहां पर सवाई से बीज दिया गया कहीं-कहीं से कुछ शिकायतें आयी हैं, कि सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरित बीज कम उगा है। लेकिन कृषि विभाग द्वारा वितरित बीज के संबंध में कहीं से शिकायत नहीं आयी है कि वह न उगा हो।

श्री नौनिहाल सिंह--

कृषि मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि शासन से कोई ऐसे आदेश प्रसारित किये गये कि पुराना फासफेट किसानों को दिया जाय और उस आदेश के अनुसार वर्षों पड़े हुए फासफेट को जो वजन में भी कम था और बिल्कुल बेकार थी लेकिन उसको खत्म करना था गवर्नमेंट को. उन्होंने खत्म किया ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

हो सकता है कि पुराना फासफेट दिया गया हो लेकिन पुराना हो या नया उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष---
आधा घंटा हो गया ।

श्री रियासत हुसैन---
श्रीमन्, जैसा कि मैंने ही उठाना चाहा वही बात कहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, लेकिन उससे यह मामला साफ नहीं हुआ । प्रश्न यह है कि आपने जो समय-समय पर आदेश भेजे ...

श्री रामबिलास (जिला आजमगढ़)---
मेरा नाम है । मैं बराबर खड़ा होता रहा हूं आपने प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--
दो हैं नाम, दो को मौका दिया ।

श्री रामबिलास पांडेय---
आगे पढ़ें, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष---
जो चार नाम पहले उसमें थे, उनको मैंने मौका दिया । लेकिन इतने नाम हैं आध घंटे में सबको मौका ....

श्री रामबिलास पांडेय--
नाम वालों को मौका नहीं दिया है और जिनके नाम नहीं हैं उनको दिया । एक प्रश्न करने दें ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---
जिसका नाम नहीं होगा उसको समय नहीं मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--
आध घंटे में जिसको कहिये उसको मौका दूं ।

श्री रामबिलास पांडेय---
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बदकिस्मती है कि हर मसला बंगला देश कह कर टाल दिया जाता है, कहते हैं कि वैगनों की कमी थी । उत्तर प्रदेश के बाजार खाद से पटे हुए थे, मैं जानना चाहता हूं कि उनको खाद मंगाने का साधन कहां से मिल गया और सरकार नहीं मंगा सकी ? मेरी सूचना सत्य मान कर क्या मंत्री जी कोई उच्चस्तरीय जांच करायेंगे कि यह खाद सीड स्टोर्स से जा कर बाजारों में बिकी है ? मान्यवर, खाद नहीं मिली है किसानों को ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---
मान्यवर, अगर किसी सीड स्टोर्स का नाम बतलायेंगे, अगर वहां से खाद प्राइवेट बाजार में गयी है (व्यवधान) पूरे प्रदेश की जांच करवाना असंभव है, आप नाम भेजिये, २-४-१०-५० स्टोर्स का नाम भेजिये हम जांच करवायेंगे और किसी को छोड़ा नहीं जायगा अगर इस तरह से किया होगा ।

श्री हिम्मत सिंह---
माननीय मंत्री जी ने कहा कि पाक हमला हो गया । दिसम्बर में पाक का हमला हुआ और नवम्बर तक खाद पहुंच गयी । माननीय मंत्री बतायेंग कि इस प्रदेश का लक्ष्य क्या था और डिमांड क्या थी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इसको शुरू में ही बतला दिया था कि हमारा लक्ष्य जो था वह २ लाख ४० हजार मैट्रिक टन फासफोरस, १ लाख मैट्रिक टन नाइट्रोजन तथा ७० हजार मैट्रिक टन पोटाश का था और पूरे प्रदेश में जो बांटा गया उसके आंकड़े यह हैं १ लाख ७३ हजार ६२० मैट्रिक टन नाइट्रोजन, ७२ हजार २९४ मैट्रिक टन फासफोरस, ४७,६०५ मैट्रिक टन पोटाश और इस प्रकार हम लगभग लक्ष्य की पूर्ति पर पहुंच चुके हैं और लड़ाई के बाद तेजी से सारे प्रदेश में खाद बांट रहे हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

सरकार ने क्या प्रिकाशन लिये कि ब्लेक मार्केट में खाद न बिक सके ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ये प्रिकाशन तो हमेशा लिये जाते हैं । अगर माननीय सदस्य सूचना देंगें कि फलां स्थान पर खाद मार्केट में बिक रही है तो उसके लिये हम सजा देंगें और उसकी जांच करवायेंगें ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

जितनी खाद के वितरण का लक्ष्य रखा गया था क्या वह प्रदेश के किसानों की आवश्यकता को आधार मान कर रखा गया था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

पूरे प्रदेश की आवश्यकता को मंगा कर ही लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ।

श्री सुखपाल पांडेय—

बस्ती जिले में १ लाख रुपया की यूरिया खाद बेंच ली गयी थी और किसानों को वह नहीं मिल सकी और इसकी सूचना बस्ती जिलाधीश को भी दी गयी थी तो सरकार के पास इसकी सूचना आई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इससे पहले सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी ।

श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

सरकार ने यह घोषणा की थी कि जिन किसानों की क्षति हुई है उसको दृष्टि में रख कर उन पर जो बकाया है उसके बावजूद उनको खाद और बीज दिया जायगा लेकिन इस घोषणा के बावजूद भी जो सहकारिता के सदस्य थे उनको इस प्रदेश में खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो सका ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सरकार क आदेश ये थे कि बाढ़पीड़ित इलाकों में जहां ५० फीसदी से अधिक क्षति हुई हो वहां आधे एकड़ तक के काश्तकार को २० किलो मुफ्त बीज दिया जायगा और आधे एकड़ से लेकर १ एकड़ तक के किसान को २० किलो बीज मुफ्त या २० किलो तकावी पर दिया जायगा।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

पिछले वर्ष कृषि विभाग ने जो खाद वितरित की थी वह ज्यादा थी और इस वर्ष कम खाद वितरित की तो क्या विभाग ने कम खाद इकट्ठा की थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसको वह बतला चुके हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो आदेश शासन ने जारी किया था उन आदेशों की पूर्ति जिला स्तर पर विलेज लेवेल वर्कर से जिलाधिकारी तक नहीं की गयी । शासन को इसकी जानकारी करवा कर जो दोषी पाये जायं उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन देना चाहिये । दूसरा प्रश्न यह है कि इस साल गेहूं की फसल खराब होने की वजह से किसानों ने अपना कोआपरेटिव का बीज नहीं लिया और उसका लोड एग्रीकल्चरल और ब्लाकों द्वारा सीड स्टोरों पर पड़ गया और किसानों के जो इन्डेंट भरे गये वे बीज और खाद दोनों के भरे गये । चूंकि हैसियत लगान की २० गुने लगती है इसलिये खाद और बीज दोनों की मद मिलाकर उसकी उस हैसियत से ज्यादे हो गई और इस कारण किसान को खाद और बीज नहीं मिला । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्री जी सदन को यह आश्वासन दें कि भविष्य में ऐसे आपत्तिकालीन सालों में किसान की हैसियत लगान के ४० गुने लगाई जाय जिससे किसान को बीज और खाद दोनों समय पर दे दें। यदि ऐसा मंत्री जी कर दें तो किसानों का भला हो सकेगा ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, यह तो आगे की बात कर रहे हैं । जब ऐसा मौका आयेगा तो देखा लिया जायेगा । उस समय की परिस्थिति के अनुसार तकावी दी जायेगी या नहीं दी जायेगी । यह तो ऐसा समय आने पर ही किया जा सकेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आगे की दृष्टि तो आपकी होनी ही चाहिये ।

रघुनाथपुर मजरा, ग्राम मंडवाना, थाना माल, जिला लखनऊ के निवासियों के साथ वहां के भूतपूर्व जमींदार द्वारा अमानवीय अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने और मेरे सहयोगियों ने रघुनाथ पुर मजरा, ग्राम मंडवाना, जिला लखनऊ के निवासियों के साथ जो अत्याचार किया है उसके सिलसिले में गवर्नमेंट का ध्यान आकृष्ट किया है । इस संबंध में मैंने एक पत्र आपको भी लिखा था और आपने उसी के संबंध में यहां पर चर्चा करने का मौका दिया है । जो घटना घटी है वह ऐसी है कि शायद मैं उसे अपने अल्फाज में पूरी तरह से बयान न कर सकूं । इसलिये जो पत्र, आपको दिया गया है, वह मैं आपके जरिये से यहां पर पढ़ना चाहता हूं और अपने मित्रों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वे इसे ध्यान से सुनेंगे । मुझे यह मालूम हुआ है कि इसकी एक प्रतिलिपि जनवरी को माननीय मुख्य मंत्री को भी दी गई है . . .

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे पास जो आई वह ७ जनवरी की है ।

श्री चरणसिंह—

हो सकता है कि जो आपके पास आई है वह दूसरी प्रतिलिपि हो । तो उपाध्यक्ष महोदय मैं इसे पढ़ता हूं ।

"निवेदन है कि प्रार्थी छुटई आत्मज हरछट कौम पासी, निवासी रघुनाथपुर मजरा ग्राम मंडवाना, थाना माल, जिला लखनऊ का एक गरीब शांतिप्रिय हरिजन छोटा किसान हूं ।

ग्राम मंडवाना के भूतपूर्व जमींदार ठा० भाल सिंह आत्मज पुत्तू सिंह जी, चन्द्र भाल सिंह के लड़कों और उनके सहयोगियों आदि द्वारा ली जाने वाली जबरन बेगार न किये जाने वाले बरबरतापूर्ण जुल्मों की आपको तथा श्रीमान् डी०आई०जी० व पुलिस कप्तान, लखनऊ को अर्जी देने का नतीजा यह हुआ कि मेरा व मेरे परिवार तथा अन्य प्रार्थियों को अपनी जान व माल के लाले पड़े हुये हैं तथा औरतों को खुले आम नंगी करके असहनीय बेइज्जती की जा रही है ।

श्रीमन्, आप गुप्तचर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पता लगायें तो आपको श्री चन्द्रभाल सिंह द्वारा किये जाने वाले लूट पाट, जान लेने आदि की घटनायें जो कि स्वयं करते या दूसरों से करवाते हैं, सही तौर पर मालूम हो जावेंगी । ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जिनसे श्री चन्द्र भाल सिंह आदि ने कर्ज के प्रोनोटों पर जबरन हस्ताक्षर करवा कर नाजायज काम किये हैं । मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं ।

एक बार मैंने (छोटई) व सर्व श्री कढ़िले, जोघई, उजागर आदि हरिजनों ने जो कि मेरे ही गांव के निवासी हैं जब अत्याचारी ठाकुरों के क्रूर कर्मों के विरुद्ध दरख्वास्त दी, तो उल्टे उन्होंने ही प्रार्थियों को बुला-बुलाकर इतना सताया व मारा पीटा कि एक प्रार्थी कढ़िले उनकी चोटों के प्रभाव से पहले ही दम तोड़ गया, मृत्यु हो गई । इसके बहुत पहिले भी उन्होंने एक हरिजन को इतना मारा कि वह मौके पर ही मर गया था जिसमें श्री चन्द्र भाल सिंह को सजा होने के बाद सम्भवतः वे उच्च न्यायालय से छूट गये थे ।

अभी लगभग दो तीन सप्ताह के भीतर ही मंडवाना निवासी श्री चन्द्रभाल सिंह आदि ने जो पाशविकतापूर्ण अमानुषिक बरबरता की है उसका सारांश इस प्रकार है :—

आधी रात के बाद लगभग भौरहरी रात श्री चन्द्र भाल सिंह आदि अनेकों लोगों ने पहले मुझे मेरे अपने घर से जबरन घसीटा और कहा कि तुम्हारी औरत कहां है, न बताने पर घर के बाहर पड़े छप्पर में आग लगा दी और मुझे मारते हुये मेरे ही ग्रामवासी श्री जोधन वल्द कढ़िले हरिजन के घर पर ले गये । जोधन व उसकी पत्नी को जबरन घर में घुस कर घसीटते हुए बाहर लाये व मारने लगे । जोधन की औरत को नंगी कर पैरों को बांध कर···

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि यह रोशनी इतनी नीची है कि मैं खड़े होकर इसकी रोशनी में पढ़ नहीं सकता । अगर इस लाइट को कुछ ऊंचा करवाने की व्यवस्था करें तो उचित होगा । इतने झुके रहने पर भी लाइट आ नहीं रही है···

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं पढ़ने के लिये इस वक्त ।

श्री चरण सिंह—

बीच लाठी डाल कर उसे उल्टे टंगवा कर उसके गुप्तांग में बांस की लाठी ठोंक दी जिससे उसे रक्त प्रवाह होने लगा और वह अचेत हो गयी। उसे वहीं छोड़कर वे मुझे व जोधन को पकड़ कर गाली गलौज देते व मारते हुये अपने घर पर मंडवाना ले गये । वे चिल्ला-चिल्ला कर कहते थे कि आज आयें इंदिरा गांधी और बचायें तुम लोगों को । उनका कहना था कि उनके विरुद्ध दरख्वास्त के कारण उन्हें चार हजार रुपया थाना माल को देने पड़े हैं । ये सब हमीं शिकायत करने वालों से वसूल करेंगे ।

मुझे व जोधन को ले जाकर श्री चन्द्र भाल सिंह व उनके साथियों आदि लोगों ने पहले तो लातों जूतों से खूब मारा, फिर दोनों को नंगा करके अपने हाते के अन्दर फाटक बन्द करा कर एसी मार मारी कि कहीं जख्म न होने पावें । बीच-बीच में हमारे ऊपर पानी

[श्री चरणसिंह]
भी छोड़ा जाता था । हमारी जो भी दुर्दशा हुई बह असहनीय है । हमसे कुछ कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगवाये ।

श्रीमन्, इन वाकयात की रिपोर्ट किसी प्रकार जब पुलिस थाना, माल को मेरी औरत लिखवाने गयी तो थाना माल के छोटे दरोगा श्री अंगद सिंह ने जो कि श्री चन्द्र भाल सिंह से अधिक मेल-जोल व आना-जाना रखते हैं, उसे काफी गाली-गलौज दिया । तत्पश्चात् थाना इंचार्ज साहब श्री मित्रा जीने उसे थाने के बाहर खदेड़ दिया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की। ज्ञात हो कि थाना माल के सिपाही व अधिकारी इन दिनों हरिजनों को उल्टे ही सताया व डांटा बांधा करते हैं ।

इसके बाद श्री चन्द्र भाल सिंह के लड़के श्री लालता सिंह अपने कुछ साथियों के साथ दिनदहाड़े दिनांक २४-१२-७१ को मेरे घर से मेरी औरत को जबरदस्ती घसीट ले गये जबकि मैं मार की चोटों से घर में पड़ा कराह रहा था और मेरी औरत ने मुझे रो-रो कर बताया कि उसे कुछ दूर ले जाकर नंगी कर दिया और पैर बांध कर गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे पैरों के बीच लाठी डाल कर उल्टे टंगवाया । टांगने वाली लाठी एक ओर श्री चन्द्र भाल सिंह का नौकर, श्री मैकू लोध, और दूसरी ओर मंडवारा निवासी श्री सुरेश गुप्ता आत्मज श्री शिव-दयाल पकड़े हुये थे । मेरी औरत ने उस समय जालिमों द्वारा की जाने वाली दुर्दशा की जो भी अकथनीय बातें मुझसे कहा, कहा नहीं जा रहा है ।

श्रीमन्, इन ठाकुरों ने हमारे गांव पर घरों के आस-पास इतना जबरदस्त पहरा लगवा दिया है कि कोई भी हमारे घर वालों से किसी प्रकार का सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकता । मेरे रिश्तेदार मुझे किसी प्रकार चोरी छिपा उठा लाये थे तब से मैं ग्राम लोहगांपुर, थाना अतरौली, जिला हरदोई में छिपा पड़ा हुआ हूं । यद्यपि मेरे रिश्तेदार मुझे जरूर ले आये और दवादारू किया फिर भी उनका साहस न हुआ कि वे किसी प्रकार की शिकायत उच्चाधिकारियों से करते ।

मेरे सामने श्री जोधा व उनकी पत्नी जोखिम अवस्था में पड़े हुये थे व चलते फिरने से बिलकुल असमर्थ थे । पता नहीं अब उनका क्या हाल होगा । मुझे अपनी पत्नी की हालत का भी कोई समाचार नहीं मिल पाया है । मैंने न जाने किस तरह आप तक यह फरियाद पहुंचायी है । अतः आपसे सानुरोध निवेदन है कि आप सरकार के माध्यम से औरतों की डाक्टरी जांच व इलाज की व्यवस्था करवायें तथा अत्याचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये मानवतापूर्ण न्यायिक जांच कर हमें इज्जत से जिन्दा रहने का अधिकार दिलायें ।

प्रार्थी,
छोटे ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो घटना है उसका पूरा विवरण मैंने आपको सुना दिया । अब इसी प्रकार की घटनायें ३/४ महीने में बनारस में हुईं और प्रतापगढ़ में हुईं । बनारस के सिलसिले में मेरे साथी ने मुझे कुछ बताया है लेकिन मुझे जाती इल्म नहीं है और प्रतापगढ़ की घटनाओं के बारे में मुझे उतना ही मालूम है जितना मैंने अखबारों में पढ़ा है । लेकिन ऐसा मालूम होता है कि गरीबों के साथ प्रदेश में बिना खौफ खतरनाक अन्याय हो रहा है और यदि गरीबों के साथ इस तरह से अन्याय होता रहे तो इसकी गवर्नमेंट जिम्मेदारी की है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सारा सवाल यह है कि इस तरह का वातावरण क्यों पैदा हो गया है कि लोग निशंक होकर विद इम्युनिटी गरीबी के साथ अन्याय कैसे कर पाते हैं । यह जिम्मेदार व्यक्ति जो रिपब्लीकन पार्टी के आफिस बीयरर हैं उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है । मैं

खुद हरदोई गया और यह दरख्वास्त लाया हूं और इन्हीं शब्दों में या दूसरे शब्दों में एक दरख्वास्त मुख्य मंत्री जी को भी दी है और यह वाकया २४ दिसम्बर का है और दरख्वास्त ६-७ जनवरी को आती है । १०-१२-१५ दिनों तक किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती और गरीब औरत जो शिकायत करने जाती हैं उसको धमका कर वापस भेज दिया जाता है और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है।

यही नहीं श्रीमन्, कि नीचे के सब इंसपेक्टर और अधिकारी कुछ नहीं करते हैं बल्कि जहां तक मुझे याद पड़ता है पहली और दूसरी तारीख को यह समाचार टाइम्स आफ इंडिया के पहले पृष्ठ पर छपा होगा और शायद दूसरे अखबारों में भी छपा होगा और मुख्य मंत्री जी का जो प्रतिनिधित्व माननीय द्विवेदी जी कर रहे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस घटना के संबंध में जो समाचार प्रकाशित हुआ, उनके नोटिस में आया या नहीं ?

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)--
मान्यवर, नोटिस में आई और तुरन्त उस पर कार्यवाही की गई ।

श्री चरणसिंह-
कौन सी तारीख को उनके नोटिस में आई ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--
मान्यवर, निश्चित तारीख तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन समाचार-पत्रों की कतरनें बाद में आईं और तुरन्त कार्यवाही की गई ।

श्री चरण सिंह--
श्रीमन्, जब कतरनें आपके नोटिस में आई तो वे आपकी फाइल में मौजूद होंगी और उन पर तारीख भी होगी । अगर आप मुझे बतायेंगे तो जो दलील मैं आपके खिलाफ देना चाहता हूं वह कम हो जायेंगी ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--
मान्यवर, इस प्रकार की कोई घटना होती है तो तुरन्त आवश्यक कार्यवाही के लिए लिखा जाता है और पूछतांछ की जाती है कि कार्यवाही हुयी या नहीं । यदि कार्यवाही नहीं हुई होती है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ दंड की व्यवस्था की जाती है ।

श्री चरणसिंह--
श्रीमन्, मेरे नवयुवक मित्र मुझे बहकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि जो समाचार-पत्र में छपा है वह उनके नोटिस में आया या नहीं ? यदि आया तो वह कौन सी तारीख को आया और आपने उस पर क्या कार्यवाही की और उसके अल्फाज क्या हैं ? आपके पास कोई जवाब नहीं है । बाद में दे दीजियेगा । मैं समझता हूं कि आपने कोई कार्यवाही नहीं की होगी और अगर की होगी तो देर में की होगी और नीचे के कर्मचारी बेफिक्र हो गये हैं इस गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह से बाजपुर्स होने या किसी तरह से अनुशासन की कार्यवाही करने के लिये वरना यह मुमकिन नहीं था कि इस तरह का अन्याय होता रहे और सब इन्सपेक्टर रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दे । मैं माननीय उपमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब हमारी कांग्रेस और बी० के० डी० की गवर्नमेंट थी तो मैंने चीफ सेक्रटरी को एक ऐसा आदेश जारी किया था और उनकी तरफ से वह आर्डर होम सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस०पीज० को भेजा गया था, उनसे कहा गया था कि महीने में वे कम से कम एक रोज अचानक बिना किसी नोटिस क इस बात की तस्दीक करें कि किसी गरीब आदमी के ऊपर कोई अत्याचार तो

[श्री चरणसिंह]

नहीं होता । अगर कहीं होता है तो मौके पर पहुंच कर उसकी रिपोर्ट भेजें । अगर एक बार भी ऐसी बात कहीं हो जाती है तो उसका बड़ा भारी असर होता है । मुझे मालूम नहीं उन आदेशों पर अब अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है । छोड़ दीजिये बात प्रतापगढ़ और वाराणसी की आपकी आंख के नीचे, राजधानी के अन्दर, लखनऊ में यह कैसे मुमकिन हुआ । सब इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी । इस तरह के शदीद इल्जामात हों और सबइन्सपेक्टर या एस०ओ० के खिलाफ कोई कार्यवाही न हो । अगर आपने ज्यादा से ज्यादा हुक्म दिया होगा तो तहकीकात के लिये हुक्म दिया होगा । भला वहां एस०आई० और इन्सपेक्टर के खिलाफ बोलने वाला कौन होगा । हाल तो आपन किया नहीं । जब कि आपको २४ घंटे के भीतर उसका ट्रांसफर वहां से करना चाहिये था । आपने कहा भी होगा तो आपको यह दलील दी गयी होगी कि जांच हो जाय, प्राइमाफेसी केस बन जाय तब जाकर कोई ऐक्शन लिया जायगा । मैं अपने नौजवान डिप्टी मिनिस्टर को यह बता देना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में प्राइमाफेसी केस बन जाय यह मुमकिन नहीं हो सकता । पुराने किस्म का जमींदार एक गांव में मौजूद है, सब इन्सपेक्टर और सारा थाना वहां पर मौजूद है अब किसी की क्या हिम्मत है कि वह कुछ उनके खिलाफ कह दे । यह ठीक है कि हर शिकायत पर तबादला करने की जरूरत नहीं है और न करना चाहिये । लेकिन हर घटना के वाकयात अलग अलग होते हैं और जहां दो महिलायें अपने ऊपर हुए अमानुषिक अत्याचार के बारे में कह रही हैं और हमारे देश में स्त्री इस प्रकार के झूठे आरोप लगायेगी ऐसा सोचा नहीं जा सकता । हमारा जिस तरह का समाज है, जैसा अत्याचार गरीबों पर होता है, जब वे इस प्रकार के आरोप लगाती हैं तो हमको यह मान कर चलना चाहिये कि वह आरोप सही होंगे । ऐसे केसेज में तबादला या सपेंशन तुरन्त होना चाहिये । मान लिया कोई कर्मचारी बेगुनाह निकल जाता है तो कोई हर्ज नहीं है उसको दूसरी जगह रिइंस्टेट कर दीजिये चाहे तो किसी अच्छी पोस्ट पर भेज दीजिये । लेकिन मान लीजिये आरोप सही निकले तो यह शत प्रतिशत कहा जा सकता है कि उस कर्मचारी के वहां रहते हुए और उस प्रकार के जाबिर लोगों के वहां रहते हुए उसके खिलाफ कोई बात कह दे, यह हो नहीं सकता । अगर आप तबादला नहीं करते हैं या कोई ऐक्शन नहीं लेते हैं तो मैं फिर दुहराता हूं, कि गरीब लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकता और अगर आप तबादला कर देते तो उनके साथ न्याय होने की उम्मीद है और वह इसलिये करना सही है कि इस किस्म की औरत के द्वारा दिया हुआ बयान ९९ फीसदी सही ही होता है । एक प्रतिशत गलत भी हो सकता है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है जब तक ऐसा नहीं करेंगे उनके साथ न्याय कभी नहीं हो सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कृत्य आज हमारे समाज में मुमकिन हैं । क्यों ? इसमें हमारी गलती है ? उनकी गलती है जिनके हाथ में सरकार है ? जिनके हाथ में अधिकार है । यह अत्याचार हुआ है, यह बात सही है । मेरे ख्याल में क्योंकि एक जिम्मेदार आदमी वहां गया । पढ़ा लिखा आदमी हरदोई जाता है और जहां एक गरीब आदमी जान छिपाये बैठा है, उससे जाकर मिलता है और सही हालत मालूम करता है । क्योंकि जालिम लोगों का, थानेदार का उसको डर है और जिनको उससे हमदर्दी हो सकती है, कलेक्टर या कमिश्नर, उनके पास वह जा नहीं सकता ।

आज हमारे यहां इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि बड़ी लज्जा की बात है । खैर समाज में धीरे-धीरे सुधार होगा लेकिन गवर्नमेंट के लोगों की क्या जिम्मेदारी है । यह सरकार का बिल्कुल, कम्पलीट फेलियोर है । अगर आपके आंखें नहीं हैं, और आप गरीब के दुख में शरीक नहीं हैं फिर गवर्नमेंट काहे के लिए बैठी है, वह बड़े लोगों के लिए नहीं बठी है । जिनको जरूरत है, उनको राहत पहुंचा नहीं सकते हैं । तो मैंने जैसा अर्ज

किया यह बताने की जरूरत है कि घटना कब आपके नोटिस में आई और आपने क्या आर्डर दिया? आपने कब रिपोर्ट मंगायी और वह रिपोर्ट कब आई और उस पर आपने क्या ऐक्शन लिया? इस सिलसिले में बहुत सवाल उठते हैं कि आपने क्या किया?

श्रीमन्, बंगाल की घटना को सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं लेकिन यहां पर गवर्नमेंट की नाक के नीचे कानून, धर्म, और मानवता के खिलाफ अपने राज्य में और राजधानी से १०-१५ मील पर इस प्रकार की घटना हो? मेरे पास शब्द नहीं है कि इन्सपेक्टर या सब इंसपेक्टर की यह हिम्मत हो कि ऐक्शन न ले और गरीब आदमी की यह हिम्मत न हो कि वह लखनऊ तक आ सके। अगर यह हिम्मत होती, वह आई० जी०, मुख्य मन्त्री या माननीय राम कृष्ण जी द्विवेदी से मिल सकेंगे और मुझे दिल से लगा लिया जायगा तो इस प्रकार की घटना न होती। बस में इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी वहां पर खुद क्यों नहीं गये और आई० जी० या डी० आई० जी० को भेजा गया या नहीं?

श्री चरणसिंह—

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो माननीय गोविन्द सिंह जी ने बात उठायी, इस प्रकार की संगीन बातें जब गवर्नमेंट के नोटिस में आ जायं तो वाकायदा फाइल चले नहीं बल्कि यहां से एक दम टेलीफोन जाना चाहिए और एस० एस० पी० को यह हुक्म होना चाहिए कि तुम तुरन्त गांव में जाओ और शाम तक रिपोर्ट दो। यह हुआ है अथवा नहीं, बताने की कृपा करें।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, जिन मार्मिक घटनाओं की ओर माननीय चौधरी साहब ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, उनके विषय में प्रारम्भ में तथ्यों पर प्रकाश डाल कर की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करना चाहता हूं। मान्यवर, जहां तक पिछड़ी, शोषित और दबी हुई जातियों और ऐसे लोगों की, जिनकी उपेक्षा हुयी है, सुरक्षा का प्रश्न है, सरकार पूरी तरह से सजग और सचेत है। यदि कहीं भी इस प्रकार की घटनायें हुई हैं, तो मान्यवर, तत्काल नोटिस में आते ही त्वरित कार्यवाही की गयी है, जिसका विवरण आज सदन में सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

पहले १५ दिसम्बर, १९७१ के जिस आवेदन पत्र की चर्चा माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने की, वास्तव में २ आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किये गये, जो कि छुट्की की पत्नी मैनका ने १५ दिसम्बर, १९७१ को प्रस्तुत किया गया और दूसरा एक और आवेदन पत्र है जो माननीय चरण सिंह जी को दिया। पहले आवेदन पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि उनके पति को मारा। श्याम सागर, छुटकू पर, उसके घर में घुस कर मारने पीटने का भी आरोप लगाया गया, इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि पहले से बैल की चोरी के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के ऊपर इस्तगासा चल रहा था और इन्हीं पक्षों के लिये जो जालिम कहे जाते हैं जमींदार पक्ष के लोगों पर ही इसका आरोप था। उन्होंने आकर डराया धमकाया और यह मुकदमा वापिस करने के लिये बाध्य करना चाहा। लेकिन उसने आवेदन पत्र में कहा कि चूंकि हमने यह मामला वापिस करने से साफ इंकार कर दिया इसलिये हमें मारा पीटा गया। मान्यवर, दूसरे आवेदन पत्र में जो माननीय चौधरी साहब ने सुनाया वह सदन के समक्ष स्पष्ट है। निवेदन मात्र इतना करना है कि दोनों इन घटनाओं में अन्तर्विरोध है। दोनों में जो प्रथम आवेदन-पत्र है, मैं यह मानकर नहीं चलता कि घटना सही नहीं हो सकती है या गलत नहीं हो सकती है। लेकिन आवेदन-पत्र श्रीमती मैका ने दिया उस आवेदन-पत्र में जो आवेदन-

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]
पत्र उसके पति ने दिया उन दोनों में अन्तर्विरोध है। पहले में मात्र मारना पीटना और उनको और वे गवाहान जो इस्तगासे में कहे हैं हरिजनों की ओर से गवाही थी, उन गवाहों के घर जाकर मारने का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन दूसरे आवेन-पत्र में जो समर्पित किया था चौधरी साहब को उसमें आग लगाने की घटना नंगा करने की घटना गुप्तांग में लाठी डालने की घटना का भी उद्धरण दिया है। किन्तु पहले आवेदन-पत्र में मान्यवर, इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है। मात्र मारने की बात कही गई है।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह--
मैं एक बात पूछना चाह रहा था। पहला पत्र १५ दिसम्बर का है और घटना जैसी मैंने सुनाई है उसमें जिक्र है २४ दिसम्बर की घटना का। लिहाजा पहले पत्र में क्या लिखा है वह बहुत संगत नहीं है अगर उसके मुकाबिले दूसरे प्रार्थना-पत्र से करते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--
फाइल के बारे में आपको मालूम नहीं है। आप जवाब देने खड़े हो गये।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--
आप कृपया बैठें रोष में आने की आवश्यकता नहीं है। जितनी हमदर्दी आपको हो सकती है गरीबों से उतनी दूसरे को भी हो सकती है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर, कुछ नहीं सुनाई दिया)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--
पहला जो पत्र था एफ० आई० आर० श्रीमती मैका का वह किस तारीख का है और दूसरा किस तारीख का है?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी--
१५ दिसम्बर, १९७१ का पहला आवेदन-पत्र है और दूसरा १ जनवरी, १९७२ का है।
(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि यदि मेरी बात सुन लेंगे तो...
(व्यवधान)

आप कृपया बैठकर मेरी बात सुनें तो आपको पूछने का अवसर ही नहीं होगा।
(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--
दोनों में अन्तर्विरोध कहां है। क्या तारीखें हैं।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--
मैंने दोनों प्रार्थना-पत्रों के तथ्यों में अन्तर्विरोध के लिये कहा है।
(व्यवधान तथा अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--
मान्यवर, मन्त्री जी गुमराह कर रहे हैं। घटना को तो नहीं बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--
भूतपूर्व जमींदारों द्वारा अमानवीय अत्याचार २४ दिसम्बर, १९७१ को हुए ऐसा है।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

एक तो १ नवम्बर, १९७१ की है और दूसरी २४ दिसम्बर, १९७१ की है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

यही हम भी कह रहे हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

दो अलग-अलग घटनाएं हैं और दोनों सही हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

दोनों घटनायें अलग-अलग हैं। यह विरोधाभास कहकर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

जो नोटिस आया है वह इस प्रकार है कि--रघुनाथपुरमजरा, ग्राम मंडवाना, जिला लखनऊ के निवासियों के साथ अमानवीय अत्याचार वहां के भूतपूर्व जमींदार के जरिये जबरन बेगार, उन पर भांति-भांति के अत्याचार तथा उनकी औरतों के साथ अमानवीय व्यवहार दिनांक २४ दिसम्बर, १९७१ को और इससे पूर्व भी हुये हैं। इसमें यह है कि इससे पूर्व भी हुए हैं, इसलिए जो १५ का कह रहे हैं तो वे आप के ही कथन की संपुष्टि कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह--

विरोधाभास जो कह रहे हैं तो उसका सवाल नहीं है। ये घटनाएं दो हैं।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

इस प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में ११ दिसम्बर, १९७१ को श्रीमती मैकू ने आवदन-पत्र दिया था और दूसरा २४ तारीख की घटना के सम्बन्ध में चौधरी साहब को छुटकू ने दिया था। इसका पूरा विवरण प्राप्त करने की चेष्टा की गयी और बयान भी लिये गये। उस की जांच, लक्ष्मी प्रसाद, एस०पी० रूरल को सौंप दी गयी है। इसके बीच में जो घटनायें हुयीं तो आठ नौ दिन का विलम्ब हुआ है। ९ जनवरी, १९७२ को रिपोर्ट लिखी गयी तो इसकी छानबीन की गयी है और दोषी अधिकारी को निलम्बित करने का आदेश दिया गया है। इस आशय का आदेश दे दिया गया है जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो उसे निलम्बित किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

किस अधिकारी को निलम्बित किया गया, यह बतलायेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मुकदमें के सम्बन्ध में चार्जशीट...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय चौधरी साहब हैं ही। आप उत्तेजित न हों। इस तरह से तो आप उनकी ही सहायता करेंगे।

श्री बांके लाल--

यह बतावें कि किस तारीख को किस-किस अधिकारी को निलम्बित किया गया।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी—

जो तथ्य आये हैं उनसे पता चलता है कि एस० पी० के यहां एप्लीकेशन देर से पहुंची और इसमें कार्यालय का क्लर्क दोषी पाया गया है। उसे निलम्बित कर दिया गया है।

(व्यवधान)

आप कृपया सुनें और धैर्य की सीमा रखें। यह भी आदेश दिया गया कि इस सम्बन्ध में जो भी अधिकारी दोषी हों उन्हें भी तुरन्त ही निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष —

यह कब किया।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

इसको, मान्यवर, कल ही किया है।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

कौन अधिकारी इनके विभाग में दोषी हैं।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

१२ जनवरी, १९७२ को चार्जशीट भेजी जा चुकी है। दो ने आत्म-समर्पण कर दिया है और तीन व्यक्ति फरार हैं। ८७—८८ की भी कार्यवाही की गयी है। कुड़की की गयी है। जो जमींदार इस प्रकार के सरकस थे जिनके पास लाइसेन्स था, उन चार व्यक्तियों के लाइसेन्स ससपेंड कर दिये गये हैं ताकि इस प्रकार की ज्यादती गरीब वर्ग के साथ न कर सकें।

इसके साथ ही मान्यवर, दफा १०७/११७ सी० आर० पी० सी० की भी कार्यवाही की गई है ताकि वहां शांति बनी रहे और इस प्रकार के किसी भी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इसके साथ ही मुझे आपसे यह आग्रह करना है कि यद्यपि इस प्रकार की किसी भी घटना में, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं और सदन को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, किन्हीं व्यक्ति का यदि हाथ हो और कोई क्रिमिनल एलीमेंट किसी भी स्थिति में छिपने की चेष्ठा करेगा, चाहे वह बड़े से बड़े व्यक्ति हो, बड़े से बड़े धनाढ्य हों, पद अथवा प्रतिष्ठा वाला हो, किसी भी स्थिति में मान्यवर, प्रशासन के फौलादी पंजे से बचकर नहीं जायेगा, कुचला जायगा। उसे छोड़ा नहीं जायेगा ....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, एक बात का स्पष्टीकरण ...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

इन तथ्यों की चर्चा के सम्बन्ध में मैं श्रीमती मैका के बयान के कुछ अंश पढ़ देना चाहता हूं। मान्यवर मैं आपके द्वारा इस सदन से अपील करूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं को गम्भीरता के साथ लिया जाना चाहिये। मैं स्वय इस मत का हू...

श्री बांकेलाल--

माननीय, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है...!

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

परम्परा के विरुद्ध आचरण करके यदि सदन की कार्यवाही में व्यवधान हो और जो तथ्य सामने आ रहे हों उन तथ्यों को रोका जायगा तो माननीय किसी सीमा तक इस प्रकार का आचरण करने वाले कुछ लोग दोषी हो सकते हैं चाहे हम हो या हमारे दूसरे साथी मैं मिसेज मैका का बयान पढ़े देता हूं...

श्री रामधारी शास्त्री--

आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं यह बतायें...इससे क्या अन्तर निकलेगा...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

अन्तर निकले या न निकले, सारे तथ्य तो आपके सामने शास्त्री जी आने चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात होगी यदि तथ्य सामने नहीं आते...

(व्यवधान)

श्री बांके लाल--

यह दुर्भाग्य की बात है कि आप गृह-मन्त्री हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप सुनने की चेष्टा करें...

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मैंका का बयान के कुछ अंश इस प्रकार है। हमार नाम मैका हमरे मर्द का नाव छोटई पासी गांव रघुनाथ पुर ग व मंडवाना मां जहीं थाना माल लागत है। रहित है। आज से करीब एक महीना पहले दिन शनीचर व इतवार का करीब ४ बजे रात को चन्द्र भाल सिंह, लालता सिंह, मुनेश्वर सिंह, व राम सागर व छोटकऊ सिंह ने करीब एक महीना पहले हमरे घर मां घुस कर रात मां हमरे आदमी का मारे रहेन और कहिन कि हमारे कर्जा का रुपया लौटा दो। बहि के बाद जोधई चमार को भी मारेन। इन दोनों मनइन का गांव के करीब बरगद के पास मारे रहेन फिर चन्द्रभाल सिंह के दरवाजे पर लेजाइके मारेन। हम मोती पासी गांव नई बस्ती और मुल्ला पासी गांव नरायनपुर के रहवाइया हैं के साथ थाने रपोट लिखवाइये गये रहेन लेकिन थाना पर मुल्ला नहीं रहेन थाने पर मोती गये रहेन। मोती आये के हमसे कहें कि चलो रिपोर्ट लिखाओ तो हम बाद मां थाना पर नाहीं गयेन। हम एक दरखवास्त पुलिस कप्तान साहेब को दिया रहे। दरखवास्त देने के कई दिन बाद दिन मां लालता सिंह हमका घरे से पकड़ ले गयेन और हमका बुरी तरह से मारेन पीटेन और कहेन कि दरखास्त काहे दिया। हमका मुनेश्वर सिंह व मोहन बनिया का लड़का पकड़े रहेन और पकड़ के अपने हाता में बन्द के दिहिन। फिर कुछ देर बाद छोड़िन। हमरे बुरी जगह मां डण्डा नहीं किये रहे। जब हमरे आदमी का पकड़ के ले गये रहेन तब हम डर के मारे अपने दरवाजे छप्पर मां आग लगाये दीन रहा। हमरे ऊपर पहरा व घेरा नाही लगाये रहेन।

श्री चरणसिंह--

प्वाइंट आफ आर्डर, सर। जो गवाह के बयान पुलिस के सामने हुये हैं, उनके बयान से अगर सही लाइन्स पर प्राजीक्यूशन लांच भी हो गया तो प्रोसीक्यूशन विसिएट हो सकता है, प्रासीक्यूटर एम्बरेस हो सकता है। बयान पुलिस के सामने हुये हैं इससे गरीब की सेवा नहीं हो सकती और भी लाभ हो सकता है। यह मेरा सुझाव है।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मैंने तो अपने दृष्टिकोण से मसले को सामने रखने की चेष्टा किया है कि जो वस्तुस्थिति उस मसले पर हो या जो तथ्य हों वह इस सदन के सामने आ जायें।

श्री उपाध्यक्ष--

संक्षप में आपको उत्तर देना चाहिए था। यदि संक्षेप में आप उत्तर देते हैं और उसके बाद कोई मांग करें तो और अगर इजाजत देता तो, यह बयान आपको पढ़ कर सुनाना चाहिए था।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से उस ने यह इनकार किया है और किस प्रकार से उसके प्रति जघन्य बर्ताव किया है फिर भी हम इन तथ्यों की गम्भीरता से छान-बीन करेंगे। महज सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस के बयान से सन्तोष नहीं होता है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त यह मसला कोर्ट के विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में कोर्ट स्वंय इस प्रश्न पर विचार करेगा और निर्णय लेगा। जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है होन वाली इन घटनाओं के सम्बन्ध में प्रशासन पूर्ण सतर्क है और उनकी रक्षा की निश्चित रूप से व्यवस्था होगी। दूसरे इस बात के लिये शासन सतर्क है कि इस के मुकदमे पर बुरा प्रभाव न पड़े। हम यह सोच रहे हैं कि किस प्रकार से सी० आई० डी० की इंक्वायरी से और अन्य साधनों से जिन तथ्यों के सम्बन्ध में माननीय चौधरी साहब ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है उन तत्वों का पता लगाया जाय। निश्चित ही कुछ घटनायें इस प्रकार की विभिन्न स्थानों पर हुई हैं और कुछ घटनायें इस प्रकार की भी हुई हैं जिनमें हरिजनों और अन्य पीड़ित वर्ग के लोगों पर अत्याचार हुये हैं। मान्यवर प्रतापगढ़ में इस प्रकार की घटना में १६--१६ व्यक्ति दोनों पक्षों के गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई है और उन्हें जेल में बन्द किया गया है। इसी प्रकार से वाराणसी में भी १०७-११७ के अन्तर्गत उन लोगों को जेल में बन्द किया गया है।

मान्यवर, यह प्रतापगढ़ की घटना है और प्रदेश के विभिन्न स्थानों की ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में विरोधी दल ने ध्यान आकर्षित किया है और जो प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था उसमें इन तथ्यों की चर्चा की थी इसलिये मैंने यह आवश्यक समझा कि इन चीजों को बहस के समय स्पष्ट करते हुये मैं अपनी बात आपके सामने रखूं।

मान्यवर, जहां तक प्रशासन के आदेशों का सम्बन्ध है, प्रशासन के आदेश विभिन्न जाते रहे हैं। २७ जून, १९७० को आदेश गया और अप्रैल २४, १९७० को गया। मान्यवर, प्रशासन की ओर से कड़े आदेश जारी किये गये हैं कि किसी भी उपेक्षित, पिछड़े हुये और हरिजन जाति के लोगों के प्रति इस प्रकार का अत्याचार यदि कहीं किया जाय, तो त्वरित ही उसकी जांच वहां के जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जिले के सुपरिंटेंडेंट को व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए और तथ्यो की छानबीन करनी चाहिए। उन लोगों ने निश्चित रूप से और ठोस कदम नहीं उठाये तो इसका परिणाम उनके लिये उचित नहीं होगा। मान्यवर, इन सब तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए शासन ने इन सारी घटनाओं के प्रति बड़ा गम्भीर

रुख अपनाया है ताकि इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। इस बात का प्रयत्न है कि जो तथ्य प्रकाश में आयें उनकी कड़ी छानबीन हो और इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि छानबीन के परिणाम स्वरूप जो तथ्य प्रकाश में आयें उनके अनुरूप दोषी व्यक्तियों के लिय कठोरतम सजा की व्यवस्था की जाय।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, इन घटनाओं का विव जो हमें माननीय नेता विरोधी दल ने दिया है, इनके सुनकर सचमुच हमारा लज्जा स सिर झुक गया। मान्यवर, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता लेकिन अब यह सोचना चाहिए कि कैसे इन घटनाओं को रोका जाय। इस सम्बन्ध में पहल तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जब से यहां यह शासन आरम्भ हुआ तब से इस प्रकार की घटनायें अनेकों वाराणसी, प्रतापगढ़ और यहां सरकार की नाक के नीचे हुई। अगर बनारस में हुआ तो कदम क्यों नहीं उठाये गये। अगर उठाया गया होता तो यह दो और केस कैसे बढ़ गये ? पहले ही से क्यों कदम नहीं उठाये गये। मान्यवर, इसके लिये सरकार और राजनीतिक व्यक्ति बहुत बड़े जिम्मेदार है। आज यह पुलिस इतनी बड़ी बन गई है। आज दरोगा या अन्य पुलिस अधिकारी कितना बड़ा अत्याचार करें लेकिन उसका कुछ नहीं होता। हम अपनी कोई भी शिकायत एस० पी०, डी० आई० जी० या आई० जी० किसी से भी करें, लिखायें परन्तु उसका कुछ नह होता है। ऊंच से ऊंचे जो पुलिस के अधिकारी हैं वे वही समझते हैं कि उनके पूर्ण रक्षा प्राप्त है और उनका कुछ नहीं हो सकता है। यही कारण है कि वे इतना बड़ा अत्याचार करने पर भी निडर बने हैं। आज जिसके पास रुपया है वही कानून है, वही ताकत है। आज जिसके पास राजनीतिक ताकत है वही सब कुछ है। इन परिस्थितियों में मुझको यह नहीं मालूम होता कि व्यक्तियों को किस प्रकार से रक्षा हो सकगी। आज अनुसूचित जातियों पर, दलित वर्ग पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं पर पोलिटिकल पावस क बल पर उन व्यक्तियों का बाल भी बांका नहीं होता है। चौधरी साहब ने कहा कि दरोगा के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं और अगर एक व्यक्ति उसके खिलाफ पड़ता है तो १० व्यक्ति की रक्षा के लिये आ जाते हैं। हमारे शासन के लोग उसकी रक्षा करते है और इसी कारण से वह अधिकारी बिल्कुल ही चिन्ता नहीं करता कि हमको भी कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये। यह होना चाहिये कि हमारे अधिकारी गरीबों के लिये, उनकी रक्षा करने के लिये होने चाहिये, उनकी रक्षा करने का भार उनका होना चाहिये जिनके पास पैसा नहीं है और न तो उनकी कहीं पहुंच ही है परन्तु इसके बिल्कुल ही विपरीत रहा है। वह गरीब आदमी को अगर कोई अधिकार है तो केवल इतना ही कि वह केवल अपना वोट दे सके और उसका कोई अधिकार नहीं है। इसके लिये हमारी सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदार है।

(इस समय ६ बजकर ५ मिनट अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पुनः पीठासीन हुए)

जो गरीब है वह तो बेचारा शिकायत ही कर सकता है, क्योंकि वह क्या कर सकता है। जो राजनीतिक लोग हैं वे भी अब क्या करें। शिकायत ही करना उनके काबू में रह गया है परन्तु उसकी भी उपेक्षा होती है। उल्टे यह होता है कि वह भी दरोगा की रक्षा करते हैं और उस गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है। यह भी देखने में आया है कि जो इस तरह की चीजें हो रही है वे गत ६ महीनों में अधिक हो रही है। इस कारण से इस सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा है कि वह इसको देखे परन्तु हो इसके विपरीत रहा है। प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं। कहा जाता है कि रपट नहीं लिखाई गई, उस गरीब की रपट क्यों नहीं लिखी गई। क्या इतना गन्दा चार्ज कोई लगा सकता है कि हमारे गुप्तांग में लाठी कर दी गई। कौन-सा ऐसा व्यक्ति है जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

हमारी बात को सुन सकता है यह उसकी धारणा है। आई० जी० महोदय से क्या हम शिकायत करें आखिर इस प्रकार से हम शिकायत किससे करें। होम मिनिस्टर साहब से हम सन्तुष्ट नहीं है। दो महीने तो यह शिकायत उनकी फाइलों में पड़ी रहेगी और उस बीच राजनीतिक लोग अपना प्रभाव डाल देंगे।

दूसरी बात है कि मैं देखता हूं कि जो अपना समाज है वह न जाने किस प्रकार से सोचता है। इस देश में न जाने कैसी आज स्थिति आयेगी वह इन पर विचार करेगा। यह जो शोषित वर्ग है वह भी हमारे ही जीवन का अंग है। दरोगा, डी०वाई०एस०पी०, एस०पी० किसी से भी कहिये वह नहीं सुनेंगे। जब कोई बराबरी का उनके पास आ जाता है तो कहेंगे कि लेता देता तो कुछ नहीं है और कहने यह आया है। हम लोग बैठते हैं तो अक्सर हम इस पर विचार करते हैं कि हमारी कोई भी शिकायत कहीं भी काम नहीं करेगी। करप्शन दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, खुले रूप में बढ़ रहा है। कहेंगे करप्शन की बात करते है। मैं किसी दूसरे महकमे में तो करप्सन की बात माफ भी कर सकता हूं लेकिन जिस मुहकमे से जान और माल की रक्षा सम्बन्धित है, मान मर्यादा की रक्षा सम्बन्धित है, आज उस डिपार्टमेंट में यह खुली छूट बिल्कुल अक्षम्य है। शिकायत करे तो १०७ में फांस देंगे। बड़े बड़े बदमाशों से कहते हैं कि हमको खुली छूट है, मौके पर शहादत देना हमें। अपने दरोगा को फांस नहीं सकते। मैं कहता हूं कि अगर प्राइमा फेसी केस दरोगा के खिलाफ है तो उसे तुरन्त ट्रांसफर करना चाहिये। क्या आप नहीं जानते कि जितनी देर दरोगा वहां रहेगा, कोई शहादत वहां नहीं मिल सकती। लोग सोचते हैं कि तबाह कर देगा। आज इस पुलिस की बदौलत जूता सीने वाले तक का चालान हो जाता है। श्रीमन्, सबसे बड़ी कमी है ऊपर से नीचे तक की बिरादरी। रिपोर्ट में, डी० एस० पी० साह मजबूर हो गए या एस पी० साहब बहुत मजबूर हो गए तो उसके मुताबिक रिकार्ड करेंगे। मैं मानता हूं कि मंत्री यह नहीं कहते कि तुम ऐसा करो। लेकिन पुलिस डिपार्टमेन्ट क्या करता है यह हम रोज देखते हैं। गवाही नहीं मिल सकती दरोगा के खिलाफ। उसने रिपोर्ट नहीं लिखी इसकी भी सहादत नहीं मिलती। मैंने अभी पढ़ा कि औरत आयी और वापस चली गयी। दर्शन करने आयी और चली गयी? पहले से दरोगा लोग इन्फार्म्ड होंगे कि यह घटना होने जा रही है, आप हमारी रक्षा करिएगा। तो यह एक बड़ा जबर्दस्त पहलू है कि जैसे ही दरोगा के खिलाफ देखा जाय कि प्राइमा फेसी कस है, तुरन्त उसको ट्रांसफर कर देना चाहिये। मंत्री जी ने अभी कहा, पता नहीं उसमें किसका दोष है, कल उन्होंने ट्रांसफर का हुक्म दिया। क्यों कल दिया? चौधरी साहब ने प्रश्न कर दिया इसलिये। सोचा अब तो एसेम्बली को फेस करना है। श्रीमन् अगर हमने कुछ कह दिया पुलिस के खिलाफ, होम सेक्रेटरी या होम मिनिस्टर के खिलाफ तो डायरी में आ जायगा कि इनका ख्याल रखना, यह पुलिसके खिलाफ बोले हैं। लकिन इतनी गम्भीर घटना हो गयी, कोई औरत अपने बारे में ऐसा बयान नहीं कर सकती, तो आपकी पुलिस कहां सोती रही? मैं तो कहता हूं कि आप पर पोलेटिकल प्रेसर है। अगर चौधरी साहब ने सवाल न किया होता तो आप कतई कोई कदम न उठाते। इसी-लिए तो आप असेम्बली नहीं बुलाते हैं। तो मैं कहता हूं कि जिस वक्त ऐसे मसले आवें और शिकायत आए तो सरकार को चाहिये कि तुरन्त दरोगा का ट्रांसफर करें, ताकि सहादत न रुके।

मान्यवर, एक चीज और है। पुलिस कमीशन बैठे। मैं मानता हूं कि उनकी तनख्वाह ज्यादा देनी चाहिये, कन्वेयेन्स देना चाहिये, बिल्डिग खराब है तो वह ठीक होनी चाहिये। उसके तो मैं पक्ष में हूं लेकिन जो एक मनोवृत्ति बन गयी है उसके मैं खिलाफ हूं। पुलिस की मनोवृत्ति अंग्रेज के जमाने की मनोवृत्ति हैं। वह जनता के नौकर हैं? जरा कह तो दीजिये किसी दारोगा से। अगर होम सेक्रेटरी से कह दें कि तुम हमारे नौकर हो तो वह नहीं बिगड़ेगा। वह कहेगा कि मैं पब्लिक सर्वेन्ट हूं। लेकिन किसी दरोगा से जरा कह दीजिये। दूसरे दिन आप अपने को कहां पाएंगे? तो उसके मन में यह है ही नहीं कि हमारी मालिक पब्लिक है। अंग्रेज के जमाने में ला ऐन्ड आर्डर मैन्टेन किया जाता था। पुलिस समझती थी कि अंग्रेज को हमें खुश

रखना है। जो वह कहेंगे वही करना है। आज वह भूल जाते हैं कि हमारी मालिक पब्लिक है। पब्लिक के चुने हुए प्रतिनिधियों में से चीफ मिनिस्टर है। इसलिए हमारी अस्ली मालिक पब्लिक है। यह कल्पना ही नहीं है उनकी। जरा कह दीजिये, नाराज हो जाएगा। तो जो मनोवृत्ति है उसको बदलने की जरूरत है। लेकिन वह भी बदलेगा जब टाप का आदमी ऐसा होगा। श्रीमन्, बहुत दुख की बात है कि जबसे यह प्रशासन शुरू हुआ तब से तीन-तीन ऐसी घटनाएं हुई और कोई कदम नहीं उठाया गया ताकि इनकी पुनरावृत्ति न हो। मैं तो मान्यवर, सोच नहीं पाता हूं। अपने दिल के उद्गार जो थे सो आपके सामने कह दिये। किन शब्दों में इस सरकार की भर्त्सना करूं किन मदों में इस सरकार की पालिसी की भर्त्सना करूं २-३ मर्तबा इस प्रकार की घटनाएं हो गई हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)---

जहां तक इस घटना का संबंध है उसकी मुझे विशेष जानकारी है। जिस दिन यह घटना हुई उसी रात को एक आदमी भागकर मेरे पास आया और उसने सारा वाक्या बताया कि उनकी औरतों के साथ नाजायज व्यवहार हुआ और सब लोगों को बन्द कर दिया है। सुख लाल जी इन्डिकेट के विधायक हैं। वे भी आए। उनका भी क्षेत्र पड़ता है। उन्होंने कहा कि मौके पर पहुंच कर देखा कि क्या घटना है। हमें यह सुन कर बहुत अफसोस हुआ। हम विचार करने लगे कि क्या किया जाए। हमने लखनऊ में एस०एस०पी० को टेलीफोन किया। उन्होंने कहा कि मौके पर जा कर हम इनक्वायरी नहीं कर सकते है। सी०ओ० यानी डिप्टी सुपरिन्टेंडेंने आफ पुलिस और थाना इन्चार्ज हीं वहां पर जाएंगे। जब यह घटना हुई तो वे लोग रिपोट लिखाने गये। जब वे थाने में पहुंचे तो सेकेण्ड आफिसर ने उनको भागा दिया और थाना इन्चार्ज भगा दिया। इससे बचने के लिए थाना इन्चार्ज ने अपनी रवानगी किसी दूसरी जगह के लिए कर दी यह दिखाने के लिये कि उस दिन वे थाने पर मौजूद नहीं थे। उसने अपने मुताबिक और अपनी लैंग्वेज में बयान लिखाया है। यह वही रिपोर्ट है जो कि सरकार के सामने पेश है। रिपोर्ट लेट क्यों लिखी है। एक आदमी वहां बन्द कर दिया।

मान्यवर, शेख मुजीबुर्रहमान को कैद कर लिया गया। कुछ पता नहीं कि मार दिये गये या कि कब्रिस्तान में हैं। किसी को पता नहीं कि उनको फांसी हो गई है या नहीं। जब छूट कर आए तब मालूम हुआ। उस समय का उनका बयान पुलिस के सामने क्या होता? यह सरकार की जिम्मेदारी है कि गवाहों के ऊपर किसी तरह का प्रेशर न पड़ने दें और अगर कोई प्रेशर डालता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। आप बयान की बात करते हैं। उनके ऊपर ऐसी मुसीबत आई, हड्डियां तोड़ दी गई, पानी छिड़का गया और उल्टा टांग दिया गया। ऐसी हालत में वे क्या बयान दे पाएंगे, इसे आप सोचें। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं और यहां पर बयान देते वक्त कुछ कह देते हैं। उनकी मदद करने वाला कौन है? उनकी मदद करने वाले कोई नहीं है, बल्कि पुलिस है और पुलिस ही उन्हें उल्टा करके पीट रही है तथा बुरा व्यवहार कर रही है।

दूसरी बात और निवेदन कर दूं, अधिष्ठता महोदय। पुलिस थाने का इन्चार्ज ४५० रु० का नौकर हैं। अगर किसी लखपती आदमी की औरत की इज्जत लूट ली जाती है और वह पुलिस में सहायता के लिए जाता है तो क्या बजाए सहायता के पुलिस ज्यादती करने लगेगी पुलिस तो रक्षा करने के लिए है। अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। किसी जज की लड़की को छेड़ा गया।

श्री अधिष्ठाता---

परमाई लाल जी जरा धीरे-धीरे बोलिये- रपोर्टस को लिखने में दिक्कत हो रही होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री परमाई लाल—

गोन्डा तथा हरदोई जिलों में "पुरवा" नाम की एक जाति होती है। ११-११-१९७१ का केस है मंडवापर का। थाना इन्चार्ज और सी० ओ० ने जा कर घर को लुटवाया और अपने सामने सी० ओ० १ ने उसको मरवा दिया।

१५ हजार रुपये का सोना सी० ओ० हड़प गये। उसके बाद मैजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी करायी गयी। इन्क्वायरी क्या हुई ? वहा सी० ओ० तथा वह मैजिस्ट्रेट साथ-साथ चाय पीते थे और बात करते थे। कोई किसी बात की जांच नहीं हुई और १५ हजार का सोना वे लोग हड़प गये। मान्यवर....

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया धीरे-धीरे कहें ताकि आपकी बात लिखी जा सके, यदि समय कम हो तो मैं ४-५ मिनट और दे सकता हुं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, कुछ धीरे-धीरे बोलें तो हम लोग भी कुछ समझ सकें, वरना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं।

श्री परमाई लाल—

मैं निवेदन यह कर रहा था कि आपको उस दरोगा को ट्रान्सफर नहीं बल्कि तुरन्त सस्पेंड करना चाहिये था और आई० जी० को भेज कर तुरन्त इन्क्वायरी करानी चाहिये थी। फिर मान्यवर, इस केस में देखिये कि १०-१५ दिन के अन्दर ही चार्ज शीट चली गयी, जबकि उसी थाने में ४-४ महीने के केसेज पड़े हुये हैं और अभी तक उनकी चार्ज शीट बना कर नहीं भेजी गयी तो इसमें अगर आप सही तौर से जांच कराना चाहते हैं तो दूसरे जिले के डी० एम० को भेज कर आप घटना की जांच कराइये, तभी सही बातों की जानकारी आपको हो सकती है और जनता को कुछ राहत मिलेगी, वरना जहां तक हमारे द्विवेदी जी का सवाल है, इनको तो कोई आफिसर कुछ मानता ही नहीं, यह तो खुद परेशान रहते हैं कि इनकी कोई कुछ नहीं सुनता। चौधरी-चरण सिंह जब आर्डर करते थे तो २४ घंटे में तुरन्त उस पर कार्यवाही हो जाती थी और उसकी रिपोर्ट आती थी। तो इस पर आपको गम्भीरता से सोचना चाहिये।

*श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझ बोलने का समय दिया। जब यह दुखद घटना घटी तो इसकी कहानी मुझे रिपब्लिकन पार्टी के एक लीडर से मालूम हुई। वे तुरत से मिले और उन्होंने सारी कहानी बतायी।

इत्तफाक की बात है कि वहां पर एक मिनिस्टर भी मौजूद थे। उनके सामने यह सारा किस्सा बताया गया। एक तरफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट की यह पालिसी कि हम इन्सानियत के नाते दूसरे मुल्कों के नागरिकों को भी उनके हकूक दिलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ सूबाई सरकार की यह पालिसी कि हरिजनों के साथ इतना अन्याय हो और सरकार के कान पर जूं भी न रेंगे। एक तरफ तो यह कहना कि हम हरिजनों की रक्षा करेंगे, उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा और दूसरी तरफ उनके साथ इतनी ज्यादातियां हों और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाय। यह महज मारपीट की ही बात नहीं है बल्कि औरतों के साथ वहां नागवार सलूक किया गया है जिसकी मिसाल इधर शायद २-४ वर्षों में कोई भी सरकार रही हो नहीं मिलेगी कि औरतों को नंगा पेड़ पर टांगा जाय और उनके प्रावेट पार्ट में चोट पहुंचाई जाय और वहां का महकमा पुलिस तमाशाई बना रहे बजाय इसके कि उसकी रिपोर्ट लिख कर अपराधियों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खिलाफ कोई कार्यवाई करे और जब वे रिपोर्ट लिखाने जायं तो उनको डाट डपट कर वापस कर दिया जाय और जो उसके ऊंची जाति के भाई मौजूद थे—अपराधी तो वो, चार ही थे-लेकिन वहां की जनता खड़ी तमाशा देखती रहे और ह्यूमन कंसीडरेशन के नाते भी जो लेडीज के साथ बद ज्यादती हो रही थीं उसमें रुकावट पैदा करते। तो इन सब बातों से मालूम है कि वे अपराधी मामूली किस्म के जरायम पेशा नहीं है बल्कि उनका पुलिस पर बड़ा जोर है, जनता डरी हुई है, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती और पुलिस के साथ उनका इतना मेल जोल है कि उनकी हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवा सकें। तो वह कहानी लफ्ज-ब-लफ्ज जो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर ने एक मिनिस्टर के सामने दोहराई, मुझे ही सब से पहले यह किस्सा मालूम हुआ था, मैंने कहा कि यहां के जो लीडर आफ दि आपोजिशन है, चूंकि मैं तो एक बहुत छोटे दल को रेप्रेजेन्ट करता हूं, नियम ५२ में मेरी बात मानी नहीं जायेगी इसीलिये मैंने कहा कि चौधरी साहब हैं, और लोग है, बड़े-बड़े लीडर है, उनके पास आप जाइये और नियम ५२ में चर्चा कराइये। फिर रिपब्लिकन पार्टी के लीडर ने अपनी कोशिशों से असेम्बली में चर्चा करायी। अगर पुलिस अधिकारी, चाहे वह एस०आई० हो, डिप्टी हो या एस०पी० हो, इस किस्म की ज्यादती हरिजनों के साथ करेंगे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होती है। और यह वह सरकार है जो पिछली सारी सरकारों से अपने को अच्छा बताती है। उसके लिये यह शर्म का मुकाम है। और बात सही है कि अगर ऐसे मामलात में वह न्याय न दिला सके तो उनको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उसमें प्राइमा-फेसी केस में क्या चीज रह गयी थी जो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। औरतों के साथ इस किस्म की बदतहजीबी दुनिया में जो अनसिविलाइज्ड कहे जाते हैं उनके यहां भी इस किस्म की ज्यादती अगर की जाती है तो उसकी कड़ी सजा दी जाती है।

(इस समय ६ बजकर २७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आज वहां के एस०ओ०, एस०आई०, हेड कांस्टेबिल, ये लोग वहीं पर बने हुये हैं और उनकी मौजूदगी में जांच की जा रही है। ऐसी जांच के क्या नतायज होंगे वह हम अच्छी तरह से जानते हैं और शासक दल के लोग भी जानते होंगे कि नतीजा कुछ भी नहीं निकलने का है। वह मामला अदालत में चला गया है। तो केस सबज्यूडिस है और उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जिनके खिलाफ दरखास्तें दी गई है। लेकिन कम से कम जो पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ इस सरकार को तुरन्त ऐक्सन लेना चाहिये। वहां के थाने के हेड कांस्टेबिल और सारे अमले को वहां से हटा लेना चाहिये। किसी हालत में उनका वहां रहना न्याय नहीं है। यदि वहां मौजूद रहेंगे तो जांच कतई निष्पक्ष नहीं होगी। इसलिये मैं कहूंगा कि उनके तुरन्त सस्पेंशन आर्डर होने चाहिये। बड़े-बड़े अधिकारियों की यह जिम्मेदारी रहती है यदि कहीं छोटे कर्मचारियों ने ज्यादती की है, अन्याय और अत्याचार किया है तो उनको खुदसामने आना चाहिये। उनको इस इंतजार में नहीं रहना चाहिये कि सदन में मामला उठाया जाए या मंत्री जी का फोन आए वह इन्ट्रेस्ट लें तब वह कुछ कार्यवाही करें। जैसा कि अभी एक हमारे दोस्त ने कहा कि जैसा कि अभी एक हमारे दोस्त ने कहा कि एस०एस०पी० ने कह दिया कि दरोगा, हेड कांस्टेबिल वगैरह उसे देखेंगे। बड़े अधिकारियों ने यदि ऐसा किया है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। मंत्री जी का यह कहना कि जब जांच में दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें निलम्बित किया जायगा। तो यह बात कोई मायने नहीं रखती है। वह जांच कब बैठेगी, उसके नतीजा क्या होंगे, क्या परिणाम निकलेगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस जांच से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। उन बेचारे हरिजनों ने जैसी जैसी बातें लिखी है, वैसी बातें कोई साधारण तौर पर लिखना नहीं चाहेगा। जो बातें मेरे सामने एक मिनिस्टर की मौजूदगी में कही गई व बिल्कुल झूठी नहीं है, सत्य है। वह ९९ परसेंट नहीं १०० परसेंट

[श्री हबीब अहमद]

सब है, सही है। इसलिये उनके पहले आप सस्पेंशन आर्डर्स ईश्यू करें और ऊपर के बड़े अधिकारियों के खिलाफ नोटिस लें।

इस सिलसिले में मैं जिला इलाहाबाद के मौजीपुरा थाने की भी बात बताना चाहता हूं, वहां एक मंत्री जो प्रतिनिधित्व करते है। वहां के दरोगा गिन्दासिंह आज वहां के शरीफ लोगों की इज्जत ले रहे हैं उनकी पगड़ी उछाल रहे हैं। उनके खिलाफ जनता ने इस्तगासा कोर्ट में दायर किया है। लेकिन वह आज नहीं आए हैं, एक आदमी से बदला लेने की जनता को खुली धमकी दे रहे हैं। सरकार को उसे हटाना चाहिये और हटाना भी चाहती है, लेकिन यह कार्यवाही चूंकि एस०एस०पी० के जरिये होती है और वह हटाना नहीं चाहता है, इसलिये वह वहां जमा हुआ है। एस०एस०पी० कहता है कि वह अच्छा दरोगा है। यदि यह तरीका अपनाया गया और पुलिस को शीघ्र दबाया नहीं गया और उसका हौसला और बढ़ाया गया तो मैं इतमिनान से कह सकता हूं कि ये हरिजन ही नहीं बड़े-बड़े लोगों की इज्जत तक पहुंच सकते हैं और उनकी भी पगड़ी एक दिन उछाली जा सकती है। इसलिये उनका सस्पेंशन आर्डर तुरन्त होना चाहिये, और बड़े-बड़े अधिकारियों का एक्सप्लेनेशन काल होना चाहिये।

श्री राजमंगल पान्डेय (जिला देवरिया)—

श्रीमन् इस केस को मैं मेरिट में नहीं जाना चाहता। वाकया क्या था इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि ज्यादती हुई या नहीं और कितनी हुई। मैं केवल दो बातें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि २४-१२-७१ को यह घटना होती है और १-१-७२ को आप इसकी इंक्वायरी किसको देते हैं। एस०एस०पी० (रूरल) को, जिसके एरिया में यह अपराध हुआ है। किसी जिले में, किसी क्षेत्र में ऐसा जघन्य अपराध हो जाए और ८-९ दिन तक वहां के एस०एस०पी० को उसकी जानकारी न हो यह बात मेरी बुद्धि में बिलकुल समझ म नहीं आती है। मंत्री जी की रिपोर्ट से मालूम होता है कि कुछ बातें सही पायी गई, तभी उनकी जांच कराई गई। फिर उसको वहां नियुक्त रख करके जांच कराना कुछ समझ में नहीं आता है। घटना के २४-३६ घंटे बाद तक उसकी जानकारी उसे अवश्य हो जानी चाहिये थी। और उसको पुनः वह केस जांच करने को दिया जाता है। दूसरी रहस्यमय बात यह है कि सारी छानवीन इतने महत्व के केस होकर ८ दिन में चार्जशीट कोर्ट चली जाती है। जब मंत्री जी कहते हैं कि अगर आप चाहें तो सी०आई०डी० से जांच करवा लें। कोर्ट में जब चार्जशीट चली गयी तो आप का हंडरेड परसेंट अधिकार है फिर वापस ले लें और फिर इनक्वायरी करवाएं। इस बात पर माननीय मंत्री श्री प्रकाश डालें तो शायद वादविवाद काफी कम हो जाय।

*श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल का बड़ा आभारी हूं। इसके सम्बन्ध में मैंने भी नियम ५१ में रखा था लेकिन अटेंशन ड्रा नहीं कर सका। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी हम लोगों ने रखा है, यह घटना सदन के समक्ष आ गयी, यह बहुत अच्छी बात है। यह घटना लज्जाजनक ही नहीं लज्जा का सर भी शायद लज्जा से झुक जायगा। क्या वजह है कि पिछले चार पांच महीनों से मुतवातिर इस तरह की घटनाएं मुख्तलिफ जगहों पर होती चली आ रहीं है। यह शासन को सोचना चाहिये। पहले कभी इस तरह की घटनाएं सुनी नहीं गयीं। जैसा कि माननीय मंत्री ने अपनी रिपोर्ट में इंगित किया एक और मामला था उसमें भी दरोगा ने अपने बयान में कहा है, थाने पर बुलाया। उन्होंने कहा कि बयान लिया जायगा। जब वह बयान देने के लिए गया तो उससे कहा गया कि तुम जा कर फलां बाबू से सुलह कर लो नहीं तो खैरियत नहीं है, कहो तो तुम को खेत या पैसा दिलवा दें। उसका कहना है कि सर्किल इंस्पेक्टर साहब भी वहां मौजूद थे। उसके बाद दूसरी घटना होती है। २४ दिसम्बर को पहली घटना बतायी जाती है। उसके बाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक तारीख को माननीय नेता विरोधी दल की चिट्ठी से इतला हुई। क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि इस तरह की शर्मनाक घटना पर क्यों मौन साधे रहे? जब उन्होंने समझा कि सदन में जवाब देना पड़ेगा, तो बहुत प्रेस करने के बाद उन्होंने बताया, वह भी मुअत्तली का आदेश दिया गया? क्यों खामो ा बैठे रहे? यह शर्म की बात है कि इस तरह की घृणित घटना में शासन इस तरह से चुप बठा रह। यह कहा कि दफा १०७, ११७ का मुकदमा चल रहा है। ११७ जाब्ता फौजदारी में जमानत तलब की गयी या नहीं यह माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी तो बताएंगे। दफा १०७/११७ जमानती दफाएं हैं। बड़े लोग जमानत दे कर बरी हो जाते है। यह सब बहाने की चीजें है। जैसी घटनाओं का तारतम्य है इस में बड़े से बड़े पुलिस अफसर इनवाल्ब्ड है। क्या वजह है कि एक क्लर्क को, मोहर्रिर को मुअत्तल किया गया क्यों नही थाना इंचार्ज या सो० आई० के खिलाफ कार्यवाही की गयी। सभी जानते हैं कि मोहर्रिर इस तरह के बड़े मामलों में, अगर कोई भी संगीन मामला होता है, तो वगैर थाना इंचार्ज के कोई मोहर्रिर रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है। यह रिपोर्ट दर्ज हुई होगी या इनकार किया होगा, थाना इंचार्ज की आज्ञा से। इस घटना के पीछे बड़ा भारी रहस्य है। मुझे तो शर्म आयी। मंत्री जी ने कहा मैं जानता हूं इसके पहले पूरी तरह से शायद पढ़ कर नहीं आये थे, उन्होंने कहा कि एक तारीख की जो रिपोर्ट है और १५ तारीख की जो रिपोर्ट में अन्तर्विरोध है। उन्होंने यह अर्थ लगाने की कोशिश नहीं की कि ये दोनों घटनायें एक दूसरे की पूरक हैं। उन्होंने जो कहा कि अन्तर्विरोधी है, इससे उनके दिमाग का भी पता चलता है। आप क्या कर रहे हैं? उनकी तबियत का पता एक शब्द से लगता है कि दोनों रिपोर्टस में विरोधाभास है ताकि मुकदमा खत्म हो। ऐसा मालूम होता था मानो वह मैजिस्ट्रेट हो जिसके सामने गवाही आ रही है। मैं नहीं जानता कि उनकी ड्यूटी मिनिस्टर की है अथवा एक मैजिस्ट्रेट की है? यह सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाय। अन्त में मैं यह कहूंगा कि जब एक तारीख को खबर मिली इस घटना की ओर लखनऊ का मामला था तो उसी दिन शाम तक आपको संबंधित अधिकारियों को मुअत्तल कर देना चाहिये था अथवा ट्रान्सफर कर देना चाहिये था। लेकिन मैं निश्चित रूप से निवेदन करूंगा कि शासन इसमें उदासीन है और शासन स्वयं इस पर परदा डालने की चेष्टा कर रहा है जैसा कि माननीय मंत्री जी बात से मालूम हुआ कि पुलिस आफिसर ने बयान लिया। सबको मालूम है कि घर बैठे दरोगा बयान लिख लेता है, उसको किसी गवाह की जरूरत तक नहीं होती हालांकि उसकी कोई वल्यु भी नहीं होती। सरकार के कान पर अगर अब भी जूं नहीं रेंगी है हालांकि वह जनता की नुमान्इदगी करने का दम भरती है जब कि उसने जनता को गड्ढे में डालने का ठेका ले रखा है। मेरा निवेदन है कि सरकार अपनी गलतियों का जल्दी सुधार करे और जल्दी इस मामले में कोई कार्यवाही करें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, यह घटना न केवल प्रदेश के माथे पर बल्कि सभ्य समाज तथा इंसानियत के ऊपर एक कलंक है। मुझ अफसोस यह होता है कि लगातार प्रदेश के अन्दर हरिजनों पर अत्याचार होन के बावजूद और उस सम्बन्ध में शिकायतें आने के बावजूद सरकार उन पर कोई कायवाही नहीं करती। यह सरकार समाजवाद की बात करती है, इन्दिरा गांधी की नई नीतियों की बात करती है लेकिन क्या इस प्रदेश की सरकार उन नीतियों के प्रति जागरूक है? जब माननीय मंत्री जी को इतनी गंभीर घटना की रिपोर्ट मिल चुकी थी और माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से सूचना मिल चुकी थी तो मंत्री जी के दिल में यह भावना क्यों नहीं पदा हुई और उनका खून क्यों नहीं खौला कि वह मौके पर स्वयं जाते। सदन खत्म होने जा रहा है और मंत्रियों के दौरे शुरू हो जायंगे किसी टयूववेल का उद्घाटन करने के लिये अथवा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

किसी बनिये की दूकान का उद्घाटन करने के लिये । मंत्री जी की नोटिस में जब यह बात आई और लखनऊ जिले की ही यह घटना थी, दूर जाना नहीं था, साधन उनके पास है, मोटर उनके पास है तब उसकी इंक्वायरी करने वे स्वयं ही क्यों नहीं चले गये ? उन्होंने आई० जी० अथवा डी० आई० जी० को भी नहीं भेजा बल्कि जांच सर्किल के जो सी० ओ० है उनके हाथ में ही दे दी । इतना ही नहीं इस सदन में जिस ढंग से मंत्री जी ने बयान दिया, बावजूद इसके कि इतनी गंभीर यह घटना थी कि उसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि उनका रवैया बड़ा कैलस था । मंत्री जी खड़े हुए मानो कोई वकील हों । पहला वाक्य शुरू किया यह कह कर कि दोनों रिपोर्टस् में परस्पर मतभेद है । उपाध्यक्ष महोदय अगर आप न टोकते और इस ओर उनका ध्यान न दिलाते कि दो अलग-अलग घटनायें हो सकती है तो शायद मंत्री जी कुछ और ही तस्वीर खींचते चले जाते । उसके बाद मंत्री जी एक बयान पढ़ देते हैं लेकिन यह नहीं बतलाते कि वह बयान किस को दिया गया है । वह बयान जो कि एक पुलिस कप्तान है लिखा है वह वहीं का पुलिस का कप्तान है जिस क्षेत्र में यह घटना घटी है । इसको आप दोष को साबित करने के लिये पढ़ते हैं कि उस कप्तान ने महिला को कोई जख्म नहीं पहुंचाया । मान्यवर, यह बड़ी शर्म की बात है और अप्रत्यक्ष रूप से खुले आम उसकी जांच करने के बजाय आप उसकी तरफ से वकील बन कर बहस करते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह घटनायें ऐसी नहीं हैं जिनकी कि न्यायिक जांच न हो ? यदि यह घटना ऐसी नहीं है मान्यवर, तो कौन सी ऐसी घटना है जिसकी कि न्यायिक जांच होनी चाहिए किसके लिये हम मांग करें कि इसकी न्यायिक जांच हो ? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि उनके मन में समाजवादी दृष्टिकोण है तो मैं उनके मन को अपील करके कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपने कौन सा रवैया अख्तियार किया है । यदि आप ऐसे ही रवैये अख्तियार करेंगे जैसे कि इस केस में कर रहे हैं तो मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि आपको तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस मामले की न्यायिक जांच हो ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं इस केस में अपना मत न व्यक्त कर, जैसा कि कहा गया है कि यह केस सब्जुडिस हो गया है, मैं कहना चाहता हूं कि आज कल इनामात् देने का युग है । अगर पुलिस को इनाम दे दिया जाय इस काम के लिये कि उन्होंने अपने डिफेन्स में कितनी अच्छी तरह से मैनिपुलेट किया कि यह केस सब्जुडिस बन गया है और शायद ही इसकी कोई दूसरी मिशाल कहीं और मुश्किल से मिलगी । मान्यवर, यही काम इन्होंने किया । मान्यवर, आज २४ साल हो गये हैं किन्तु पुलिस के ऊपर कान्फिडेन्स नहीं हो सका है । आज गरीब आदमी पुलिस थाने पर रिपोर्ट लिखाने नहीं जा सकता है, दूर सड़क पर ही खड़ा रहता है । उसका कारण यह है कि आज भी पुलिस के दिमाग से यह बात नहीं निकली कि वह पुलिस का अफसर नहीं बल्कि जनता का सेवक है । इसलिये सबसे पहला सुझाव मेरा यह है कि जहां-जहां भी इस डिमोक्रेसी में पुलिस अफसर का शब्द इस्तेमाल हुआ है वहां-वहां से इस शब्द को हटाकर जनता का सेवक रख दिया जाय । प्रजातंत्र में वह अफसर नहीं बल्कि जनता का सेवक होना चाहिए समाज सेवी होना चाहिये । आज भी वही पुराने एस० ओ०, सी० ओ० और एस० डी० ओ० वगैरह बने हुये हैं । इन शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए ।

तीसरी बात यह कि अगर कोई भी इन्क्वायरी आप ईमानदारी से कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इन सी० ओ०, एस० ओ० और एस० आई० और एस० पी० को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए और उनका तबादला कर दिया जाना चाहिए और ऐसी जगहों पर जैसे बलिया, देवरिया और गोरखपुर आदि जिलों में भेज दिये जाने चाहिए ताकि इनका लखनऊ में असर तक न पड़े ।

चौथी बात यह भी कहना चाहता हूं कि इस गम्भीर मसले को चौधरी चरण सिंह ने पेश किया है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस केस में सी० आई० डी० द्वारा जांच न कराकर जूडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय और वह भी लखनऊ के जज से ही कराई जाय।

(श्री चरण सिंह का नाम लेने पर)

श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

माननीय, सिर्फ ५ मिनट का समय मुझे चाहिए....

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि ये कांग्रेस दल के ही मित्र हैं इसलिये मैं सिफारिश करता हूं कि इन्हें पांच मिनट का समय दे दिया जाय।

*श्री मुन्शीलाल चमार—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस घटना के बारे में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि आज यह रिपोर्ट है और कल यह रिपोर्ट है। तो माननीय नेता विरोधी दल ने यह बताया कि इस केस को बनाने के लिये अंगूठे की निशानी ली गई। तो मान्यवर, जब लखनऊ के अन्दर ही यह घटना घटी थी तो क्या माननीय मंत्री जी वहां पर नहीं जा सकते थे। किन्तु वे नहीं गये। मान्यवर, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे इस घटना की सूचना पहले ही मिल चुकी थी लेकिन बे जो गया प्रसाद जी हैं जो कि एम० एल० सी० का चुनाव लड़ रहे हैं अखबारों में भी इनका नाम निकला है। इस प्रकार एक महिला का सतीत्व लूटना कितना बड़ा अत्याचार है और वहां के एस० पी० इस तरह का दुव्यवहार करें और माननीय मंत्री जी के कान में जूं तक न रेंगे तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और हो ही क्या सकती है। मान्यवर, मैं आपको साफ तौर से बता देना चाहता हूं कि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। जब से ये एस० पी० वहां गये हैं तब से कितने हरिजन पकड़े गये हैं। जब से हमारे जिले में ये एस० पी० गये हैं तो हरिजनों को पकड़-पकड़ कर थाने ले जाया जाता है और मार-पीट की जाती है, पैसा देकर ही आ पाते हैं। रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो थानाध्यक्ष कहता है कि साले, मुझको भी लिखा दे। एस० पी० का कैम्प भिंड में लगा था, वहां पर एक आदमी की बीबी का उसी रात कत्ल किया गया जहां कैम्प लगा था। जब जाकर कहा गया तो एस० पी० कहने लगा कि क्या मंत्रियों के यहां चोरी नहीं होती है? तो मैंने यही कहा था कि तुम जैसे एस० पी० हिस्सा लेकर चोरी-डकैती करवाते हैं तो चोरी होंगी ही। हमारे यहां जमादार सिंह सेंगर जिसने ३३००रुपया लिया, उसका बयान मैंने खुद लिया है। ६ महीने हो गये उस जमादार सिंह सगर को मौत्तिल नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि एस० पी० का एस० ओ० से हिस्सा बंधा हुआ है। तीन कैटेगरी हो गयी हैं। कुछ २ हजार रुपया महीने देते ह, कुछ ४ हजार, कुछ ५ हजार महीने देते हैं। यह चीज तभी रुक सकती है जबकि एस० पी० वहां से बदल दिया जाय और उसके स्थान पर पी० ए० सी० के किसी कमांडेंट को तैनात किया जाय। तभी यह भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। उस एस० पी० के खिलाफ कितनी ही बैडएंट्रीज ह, अनेकों बार मौत्तिल हो चुका है लेकिन आज तक उसको हटाया नहीं गया। हरिजन वर्ग को इस सेवा में पूरा रिजर्वेशन जितना मिलना चाहिये वह नहीं दिया गया जबकि १० हरिजन एस०पी० होने चाहिये थे। आज अभी-अभी सुखलाल जी कह रहे हैं कि अतरौली में ४ मरदों को किसी जुर्म में बन्दी किया गया था, उनकी औरतों को पकड़ कर लाये जो कि बाल-बच्चे वाली थीं उनको छोड़ दिया और एक जवान औरत को लेकर थाने चले गये। वहां उस औरत के साथ थानाध्यक्ष ने बलात्कार किया, और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुन्शीलाल चमार]

लोगों ने किया जिसमें वह थानेदार सम्मिलित था। दो औरतें दारुलशफा में आयी हुई हैं। दफा ५१ में नोटिस भी देना चाहते थे, वह विधान सभा में आता। अगर उस जे० पी० राय, एस० पी० को नहीं हटाया गया तो हरिजनों के साथ इसी प्रकार के जुल्म होते रहेंगे। आज हरिजनों के साथ जो ज्यादती हो रही है पुलिस द्वारा, उसके लिए प्रदेश रो रहा है।

श्री चरण सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मुख्तसिर में जो मैंने १० प्वाइंट नोट कर लिये थे वह एक-एक करके आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों के सामने, अपने मंत्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था और जानना चाहता था और यह बात जानने की हो जाती है कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी के पास वह शिकायत भेजी गयी जो कि मेरे पास आयी है, तो उस हुक्म क्या हुआ ? उसके अलफाज क्या हैं ? मैं देखना चाहता हूं कि उनमें दर्द और गरमी कितनी है। इसी पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन मंत्री जी ने बतलाया नहीं था।

मैं दो तीन बातें बतलाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि यह रिपोर्ट जो दर्ज हुई २४ तारीख की वह कौन तारीख को हुई ? १० जनवरी को हुई, जबकि ६ जनवरी को मैंने दे दिया था और ७ जनवरी को एक अप्लीकेशन मुझे दी गयी और मैंने आई० जी० पी० को कहा कि इसको स्वयं देखें तो हो सकता है कि जब मैंने आई० जी० को बताया तो उस पर कार्यवाही हुई है और १० तारीख को एफ० आई० आर० दर्ज हुई।

तीसरी बात यह है कि कौन सस्पेंड हुआ है ? चपरासी ? चौकीदार ? एस० पी० ? डी० वाई० एस० पी० ? यह क्लियर नहीं हुआ है। नेगी जी ने जैसा कहा और जैसा माननीय उप मंत्री जी ने कहा, मैं ठीक नहीं समझ पाया, लेकिन माननीय मंत्री जी बतलायेंगे।

चौथी बात यह जानने की है कि यह सस्पेंशन का आर्डर जारी कब हुआ ? एक मिनट में मंत्री जी बता सकते हैं। अगर आप मेरी मदद करें तो यह आदरणीय सदन को सही नतीजे पर पहुंचने में आसानी होगी।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने एफ० आई० आर० की बात पूछी है। मैं आग्रह करूंगा कि यह ६ जनवरी को दर्ज हुई। दूसरी बात उन्होंने सस्पेंशन के विषय में कही है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। ऐक्शन या इन्क्वायरी किसी आधार पर की जाती है। एस० पी० के यहां दरख्वास्त भेजी गई थी। वहां उनके कार्यालय के क्लर्क के विलम्ब करने के कारण वह बहुत बिलम्ब से प्राप्त हुई। जो आवेदन-पत्र मुख्य मंत्री जी को भेजा गया था उसको उन्होंने विभाग के उच्चतम अधिकारी गृह सचिव के पास भेज दिया उचित कार्यवाही के लिये अब उसकी एक्जेक्ट शब्दावली क्या है ? मैं उसको बताने की स्थिति में इस समय नहीं हूं और न यह सम्भव ही है कि चर्चा के समय फाइल की एक-एक शब्दावली यहां लाई जा सके और जब यह मुख्य मंत्री थे तो यह भी एक-एक फाइल नहीं ला सकते थे।

*श्री चरण सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, सारी जड़ यहीं पर है। स्वयं वह नहीं पढ़ पाये हों लेकिन उनका पी० ए० होम सक्रेटरी है, डिप्टी सक्रेटरी है किसी को भजते या आपको भेजते कि इसको पढ़ कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझसे बात करें। वैसे दो पैराग्राफ के पढ़ने पर ही सारी कहानी प्रकट हो जाती तो यह कहना कि उचित कार्यवाही के लिये भेजी। यह तो रोज होता रहता है।

मैं क्या करता था। अपनी बाबत मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं होम मिनिस्टर था तो एक दिन अखबार में मैंने देखा कि बिजनौर स्टेशन पर किसी आदमी का कत्ल हो गया तो मैंने फौरन गृह सचिव को फोन किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वे पूछें कि उन्होंने इसमें क्या किया और शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाय। एक दफा आफिसर्स को मालूम हो गया कि गवर्नमेंट इतनी सजग है तो सारे एस० पी० और स्टेशन आफिसर्स "Quite awake on their toes" हो जायंगे। शायद उनके दिल में इसके बाबत कोई दर्द नहीं है। वही सब धान बाईस पसेरी उचित कार्यवाही के लिये। इसका क्या मतलब होता है। किस के पास वह भेजी यह नहीं बता पा रहे हैं। फाइल पढ़ कर मालूम हो जाता कि किस को भेजी गई। जो ९ करोड़ आदमियों का रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी कलम में दम नहीं है, उसमें जोश नहीं है, तकलीफ नहीं है तो वह क्या कार्यवाही करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि थाने का हेड कांस्टेबिल मुअत्तिल हुआ होगा लेकिन मालूम हुआ कि एस० पी० के कार्यालय का क्लार्क इसलिय मुअत्तिल हुआ है कि वह जो एप्लीकेशन भेजी गई थी आपके जरिये उसमें उसने काफी बिलम्ब कर दिया। मैं आपके जरिये उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त की उम्र अभी बहुत कम है। ईश्वर करे वे होम मिनिस्टर हों, चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन अभी सीखने का मौका है। सस्पेंड कौन होना चाहिये था? आपने एप्लीकेशन कब पढ़ी जो उचित कार्यवाही के लिये भेजने के लिये आपने कहा। आप के पास एप्लीकेशन आई, होम सेक्रेटरी के पास आई या आई० जी० के पास आई तो उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं सस्पेंशन का आर्डर दिया और होम सेक्रेटरी ने क्यों नहीं सस्पेंशन का आर्डर दिया? मैं फिर दुहराना चाहता हूं कि कोई महिला अपने मुतालिक यह चार्जेज गलत आम तौर से नहीं लगा सकती है।

अब जो भी प्रोजम्पशन आपके हो सकते थे उनके अनुसार आपको कार्यवाही करनी चाहिये थी। एस० ओ० और सैकिंड आफीसर को सस्पेंड करना चाहिये था लेकिन उनको आज तक सस्पेंड नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? अगर हमारी बात का आपके ऊपर कोई असर है तो उनको सस्पेंड कीजिये और फौरन कीजिये और आपका जो प्रोफशन है, जिसका आप दावा करते हैं, अगर वह सही माने में है, तो मुख्य मंत्री जी को तो फुरसत न होगी आप स्वयं होम सेक्रटरी को बुला कर इन लोगों को सस्पेंड कीजिये, दूसरे जिलों को भेजिये और यहां पर ऐसे आफिसर को रखिये जो ईमानदार हो, गरीबों के साथ हम दर्दी रखता हो, उसको आप यहां सैकिंड आफीसर बनाइये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट तारीख ९ को लिखी थी। राज मंगल पांडेय जी का ख्याल था कि तारीख १ को लिखी गयी। २४ दिसम्बर से ९ जनवरी तक १७ दिन हो गये। इतने दिनों तक थानेदार क्या कर रहा था। और कुछ न सही वह इसी गुस्ताखी का जिम्मेदार है। यह मामूली बात तो है नहीं। यह भी नहीं ह कि वह इस गांव को न जानता हो और उसे यह तो मालूम था कि इसके पहले एक आदमी को कत्ल करने के लिये वह आदमी जिम्मेदार था और हाई कोर्ट से छूट आया था। यह हो नहीं सकता कि ऐसा जाबिर आदमी कोई इतना बड़ा कांड करे और सब इन्सपेक्टर को न मालूम हो। अगर मालूम था तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी। क्या उस सब इन्सपेक्टर को यह डर न था कि डी० एस० पी०, एस० पी०, आई० जी०, होम सेक्रटरी या होम मिनिस्टर को यह बात जब मालूम होगी तो उसकी गरदन नाप दी जायगी। स्पष्ट है कि उसको यह फिक्र न थी।

[श्री चरण सिह]

सवाल यह है कि अप्रैल और जून में मेरे सामने के आर्डर्स जब आपके सामने आये और वे कैंसिल नहीं हुए थे तो उनके अनुसार एस० एस० पी० मौके पर क्यों नहीं गया । इससे ज्यादा और शदीद वाक्या क्या हो सकता था । आपने आर्डर दिये हों या आपकी प्रीडीसेसर गवर्नमेंट ने आर्डर्स दिये हों । उनको पढ़ने के बाद क्या आपके मन में यह सवाल उठा कि एस० एस० पी० वहां मौके पर गया या नहीं गया । अगर नहीं उठा तो क्यों नहीं उठा ? हम यहां किस लिये बैठे हैं । और अगर आप के मन में यह सवाल उठा तो आपने एस० एस० पी० से क्यों नहीं पूछा ? अगर आपने नहीं पूछा तो आज पूछिये । एस० एस० पी० को बुलाइये । और उससे पूछिये कि जब यह आर्डर्स मौजूद हैं तो तुम मौके पर क्यों नहीं गये ।

छठी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एस० एस० पी० मौके पर क्यों जाये, क्यों इस बात की परवाह करे कि गरीबों के साथ क्या ज्यादतियां हो रही है । यह तो गरीबों की बात है, मुझे एक केस मालूम हुआ । मैंने बहुत जिम्मेदारी से उसके पास भेजा । एक झूठा चालान होने वाला था या हो गया था, लेकिन तब तक अदालत में नहीं गया था । वह शख्श मेरे पास आया । मुझे ख्याल था कि अच्छा एस० एस० पी० है, मैं उसे पहले से जानता था । यहां आने पर मुझे एक बार वह मिला भी था, इसलिये मैं समझता था कि मेरे सुझाव पर वह अमल करेगा । मैंने उस शख्स को भेज दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ । वह फिर मेरे पास आया । मने फिर उससे कहा कि तुम फिर उसके पास जाओ वह अच्छा आदमी है । मुझे यकीन था कि तहकीकात करायेगा । लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ । वह शख्त फिर मेरे पास आया । मैंने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूं । फिर लिख कर टांग दिया लेकिन उसका वह चालान झूठा हो गया । जो एस० एस० पी० मुझ जैसे नाचीज खादिम की परवाह नहीं करता, मैंने केवल उसको एक सुझाव दिया था लेकिन उसमें उसने कोई इन्टरेस्ट नहीं लिया फिर भला वह इस प्रकार के हरिजनों की जो स्पीचलैस और रिसोर्लेज रेंजेज है, क्या परवाह करेगा । अंग्रेजों के जमाने में नामुमकिन था यह घटना हो जाती ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रियासत हुसैन खड़े हुए, अच्छी बातें कहीं कि ये पुलिस वाले अपने आपको जनता का सेवक नहीं मानते, हाकिम मानते हैं । आपके जरिये मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त यह आफीसरों का कसूर नहीं है, न कांस्टेबिल का कसूर है, न पुलिस का कसूर है, कसूर मेरा और आपका है, हमारा है । यह मशीन, यह पुलिस आर्गेनाइज्ड फोर्स है । जिस प्रकार का लीडर बैठगा, उसका असर बिजली के करैन्ट की तरह से रिफलेक्ट हो जायेगा । १–१ थाने में २४ घंटे के अन्दर ।

माननीय त्रिपाठी जी ने एक बात कही कि हमारे यहां हरिजनों को क्या हालत हो रही है । कास्ट सिस्टम में हम विश्वास करते है, बिल्कुल ठीक है । जबाव तो दिया जा सकता है । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी को एक अभिनन्दन पत्र दिया गया और एक जाति विशेष का संरक्षक माना गया । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसी समय प्रोटेस्ट किया कि मेरे सामने सब बिरादरी वाले एक हैं । एक बिरादरी के आप रक्षक है, उसने ये अल्फाज क्यों लिखे ? आज हवा पैदा हो गयी है । अब उन्होंने प्रोटस्ट किया कि हम किसी विशेष बिरादरी के रक्षक नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ है । क्या कभी जाकर आपने रिकन्सीडर किया कि मेरी बाबत कैसी हवा पैदा हो गयी है । कि मुझे एक विशेष बिरादरी का रक्षक माना जाता है। तो यह सारा एन्वायरमेंट उनसे उत्पन्न होता है, जिनके हाथ में आज शासन की बाग डोर है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस क्यों न बे फिकर हो जाय । ऐसे-ऐसे केसेज हुए हैं कि पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर उनकी च्वायस के मुताबिक रुपये देकर हुये और खुल कर कहते हैं कि जितना रुपया हमें देना पड़ा है उससे १० गुना हम कमा लेंगे । हिम्मत है कि आप उनक ट्रांस्फर कैंसिल करा सकें और उनको सजा दे सकें । मेरे सामने किसी पुलिस अधिकारी

की हिम्मत नहीं थी कि रुपया लेकर उनका ट्रान्सफर किया जाय। अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ तो आप सोचें? मैं मान सकता हूं कि बहुतों को तकलीफ जरूर होगी, इसको आप पार्टी में कहें, मौन क्यों है, आप कह सकते है कि इससे समस्या हल नहीं हो जायेगी। मैं माननीय रियायत हुसैन साहब और माननीय मुन्शी लाल जी की, जो अभी नयी पार्टी में गये है कहता हूं कि रूलिंग पार्टी के मेम्बर्स की बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। हम तो अपोजिशन में बैठे है। आप लगाम लगा सकते है, सरकार पर? अफसरों को दोष देना कि पुरानी मेन्टेलटी नहीं बदली गई है सही बात नहीं है। माननीय नेगी जी ने तो यह बात कही कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिये, मैंने तो कहा कि किसी भी मुल्क में पब्लिक ओपीनियन मजबूर कर देती है कि सरकार को रिजाइन करना पड़े। यहां ऐसी बात कौन कहे? लखनऊ के अखबार अगर ३-३ एडीटोरियलस लिख देते तो कुछ असर होता लेकिन हमारे यहां इस प्रकार पब्लिक ओपीनियर जागृत नहीं है।

९ वीं बात मुझे यह कहनी है कि इस सारे केस को इन्वैस्टीगेशन डि नो वो द्वारा हो। अगर कागजात कोर्ट में दाखिल हो गये हैं, तो एल०आर० और डी० जी० सी० का मश्विरा लिया जाय। वे कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल देंगे और इस मामले का थारो इन्वेस्टिगेशन हो।

मेरा यह सुझाव है द्विवेदी जी के लिये। आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगली बार जब हाउस बैठे तो अगले रोज हिदायत तो नहीं दे सकते हैं, सजेशन देकर रिक्वेस्ट करता हूं कि एक महीने या सवा महीने के बाद जब भी हाउस बैठे इस मामले की पूरी रिपोर्ट अगर हाउस में पेश कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, घटना के विषय में माननीय सदस्यों ने सविस्तार घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण पेश करते हुए विस्तृत रूप रेखा प्रस्तुत की है। मान्यवर, मैंनें पहले ही आग्रह किया है कि इस प्रश्न को और इस प्रकार की घटनाओं को हम और हमारे प्रशासन की ओर से अत्यन्त गम्भीरता का रुप अपनाया जायेगा। मान्यवर, मैं आपसे और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे जो भी कारण रहे हों और जो भी दोषी रहे हों तथ्यों को शीघ्र प्रकाश में न लान के लिये और जिन भी वजूहात से सोलह सतरह दिनों के बाद वह मामला दर्ज हुआ हो उसका मान्यवर सदन को मैं अपने प्रशासन के जिन्दगी के स्वरों में आशा दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से बड़ी गहराई से नये सिरे से इन तथ्यों की मैं जांच कराऊंगा। मान्यवर, आपके द्वारा मैं सदन को इस बात से भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि आज रात में ही मैं अपन उच्चतर अधिकारियों से परामर्श करूंगा कि इस प्रकार की घटनायें भविष्य में न घटें और उनकी रोकथाम के क्या उपाय हों और इसके साथ ही साथ सदन के माननीय सदस्यों को और माननीय नेता विरोधी दल से तथा अन्य विरोधी दल के नेताओं से आग्रह करूंगा कि ऐसे प्रश्नों पर हम स्वयं बिचार करते हैं कि कभी-कभी हमारी स्टैन्डिंग कमेटी पुलिस की है यह अन्य कमेटियां हैं वे उनमें अपने बहुमूल्य सुझाव स्वयं भी देगें। क्योंकि मान्यवर, सदन का संचालन और प्रशासन का संचालन मात्र प्रशासन का उत्तरदायित्व नहीं होता है। यह तो दोनों के कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन पर ही आधारित रहता है। मान्यवर, कुछ चर्चायें नीतिगत की गई मैं उनकी गहराईयों में नहीं आना चाहता किन्तु यह तथ्य है कि बदलते हुए समाज में युग की आकाक्षाओं के अनुरूप तथा भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि उनमें जन सहयोग और जनप्रतिनिधियों का सहयोग हो और मान्यवर आज समाज का जो ढ़ांचा और स्वरूप है उसमें उस प्रकार से नई तब्दीलियां लाने के लिये हमें अपने मन, मस्तिष्क और हृदय से ज्यादा काम लेना है। इस बात से भी हम इन्कार नहीं कर सकते है कि इसमें प्रशासन का दायित्व है। लेकिन मान्यवर आप इसे अस्वीकार नहीं करेंगे कि यदि प्रशासन का दायित्व है तो विरोधी दल का भी कम दायित्व नहीं है। मैं आभारी हूं कि उनके सुझाबों के लिये लेकिन कुछ सदस्यों ने स्थानान्तरण आदि की बातें और

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]
चर्चायों लकिन मान्यवर, मैं उनकी गहराइयों में पड़कर विषयान्तर नहीं करना चाहता। लेकिन मान्यवर, क्या यह तथ्य नहीं है कि राजनैतिक प्रेशर भिन्न-भिन्न अंचलों और विभिन्न राजनैतिक दलों की ओर से भी स्थानान्तरण आदि के प्रश्नों पर किये जाते हैं। मैं इस प्रकार से घटना को सम्बद्ध बातोंमें नहीं लाना चाहता इसी प्रकार अन्य विषयों में भी होती है। माननीय नता विरोधी दल ने स्वीकार किया कि राजनैतिक स्तर पर ऐसे कार्य होते हैं। इसलिये आवश्यक हो जाता है कि हम सबको ऐसे प्रश्नों को मिलकर एकमत से प्रयत्न करना है कि कहीं भी हम इस प्रकार के स्थानान्तरण आदि की बातें न किया करें। माननीय नेता जनसंघ ने लोगों की सुरक्षा के सम्बन्ध में बातें की। इस समय मैं उनसे यह अवश्य आग्रह करना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रशासन पर यह इल्जाम लगाया कि पुलिस के लोगों से सरकार सांठ गांठ और गठ बन्धन रहता है माना कि पुलिस के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिये लेकिन इस तथ्य से भी वे इन्कार नहीं करेंगे कि जनता के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होना

(व्यवधान)

श्री बांके लाल--

मंत्री जी के दिमाग का परिवर्तन होना चाहिये। पहले मंत्री जी अपना दिमाग समाजवादी बनाये और अपने दिमाग के परिवर्तन की भावना लाइये तब अधिकार होगा आपको....

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

कि ऐसे लोगों का सोशल बायकाट करें जिससे हमारा समाज नये रूप में ढल सके।

शास्त्री जी ने ७/११७ की बात की। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यह तो निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है। इसके अतिरिक्त जो भी इतर कार्यवाही की गयी उनकी तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट किया था। माननीय नेगी जी और अन्य साथियों ने अपने हृदय की टीस का उद्धरण दिया। आज के युग में इसका कोई कंम्पटीशन नहीं है कि किसके हृदय में टीस कम है और उसके हृदय में टीस ज्यादा है। इसका तो बदलता हुआ समाज ही निर्णय करेगा। इसका तो बदलते हुए समाज का रुख ही स्वयं निर्णायक होता है। कोई भी व्यक्ति अपने को शान्ति का दूत या पैगम्बर होने का दावा नहीं कर सकता। मैं व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं करूंगा लेकिन इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो सामाजिक परिवर्तन की गति में समाज की नवीन आकांक्षाओं को पूरा करनें में अगर जरूरत पड़े तो अपना बलिदान करनें में भी नहीं हिचकते। अन्य साथियों ने जो सुझाव दिये हैं उन पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जायेगा और हम अनुभव के आधार पर इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो कार्यान्वयन शेष है उसको पूरा करने की दिशा में हमारी और हमारे प्रशासन की ओर से तेजी से कदम बढ़ाये जायं।

सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री महमूद अली खां)--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

अब अनिश्चित काल तक के लिए सदन स्थगित हुआ।

(इसके बाद सदन ७ बजकर १६ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२० जनवरी, १९७२।

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४३ पर)

१—छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की शासन की हमेशा से नीति रही है। छोटे उद्योगों के विकास के लिये शासन द्वारा पहले से ही कई सुविधायें उपलब्ध हैं जिनमें मुख्य सुविधायें इस प्रकार हैं :—

(क) नवीन औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्रथम ३ वर्ष के लिये विक्रय कर से मुक्त रखा जाता है।

(ख) कुछ विशेष प्रकार क उद्योगों में खपत आने वाले कच्चे माल को बिक्री-कर से मुक्त रखा जाता है।

(ग) नये उद्योगों की स्थापना हेतु काम में आने वाली भवन निर्माण सामग्री तथा मशीनरी की चुंगी कर से छूट दी जाती है।

(घ) नवीन औद्योगिक इकाईयों को जिनकी विद्युत् आवश्यकता १०० के०बी०ए० से अधिक है को ३ वर्ष तक विद्युत् दर में १५ प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(ङ) विद्युत् दर में २० हार्स पावर तक की कुछ विशेष श्रेणियों की लघु उद्योग इकाईयों को ९ पैसे प्रति यूनिट तक की छूट दी जाती है।

(च) लघु उद्योग को उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(छ) लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर १५ प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जाती है।

(ज) लघु उद्योगों को किराया क्रय पद्धति पर मशीनें उपलब्ध कराई जाती है।

इन सुविधाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश के ३६ जिलों को पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया है। इन जिलो में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कुछ विशेष सुविधायें प्रदान की जाती है जो इस प्रकार है—

(१) प्रभावी ब्याज दर ६ प्रतिशत।

(२) ऋण भुगतान की प्रथम किस्त दो वर्ष के स्थान पर ४ वर्ष।

(३) पुनर्भुगतान के १५ वर्ष तक की लम्बी अवधि।

(४) २५ से ५० प्रतिशत की अपेक्षा १५ से ३५ प्रतिशत की घटी हुई उपांत सीमा (margin)।

(५) कमिटमेंट लेवी (Commitment levy) तथा अन्य प्रक्रियात्मक तथा कानूनी व्यय में ५० प्रतिशत की कमी।

इन सुविधाओं के अतिरिक्त छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाय अभी हाल में शासन द्वारा बनायी गयी हैं:—

(१) बलिया, झांसी जिले में ५० लाख रुपये तक पूंजी विनियोजन वाली लघु उद्योग इकाइयों को उन की अचल पूंजी का १० प्रतिशत उपदान दिया जायगा। यह उपदान भारत सरकार द्वारा देय होगा।

(२) बहुत पिछड़े जिलों में उद्योगिक वातावरण बनाने के लिए उ० प्र० लघु उद्योग निगम स्थानीय उद्योगियों की सहायता से साढ़े सात लाख रुपये तक की अचल पूंजी की लागत से उद्योग लगायेगी। सर्वप्रथम उद्योग बलिया (बिल्डिग हार्डवेयर), बस्ती (पोटरी), फतेहपुर (एबसोरबेंट काटन), गाजीपुर (प्लान्ट प्रोटेक्शन इक्युपमेंट) म लगाये जा रहे हैं।

(३) इस वित्तीय वर्ष में उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा झांसी, गोरखपुर, बरेली, आगरा, और ननीताल म शाखायें खोली गई हैं। उ० प्र० लघु उद्योग निगम द्वारा इस वष गाजियाबाद और भदोही में नयी शाखायें खोली गयी हैं।

(४) छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उ० प्र० लघु उद्योग निगम के अन्तर्गत विशेषज्ञ, परामर्श तथा सलाहकारी सेवायें उपलब्ध करायी गयी हैं। इस समय इलक्ट्रानिक्स तथा मेकैनिकल इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को यह सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।

(५) जिलों में औद्योगीकरण की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए कच्चे माल परम्परागत कौशल तथा अन्य सुविधाओं का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। अभी तक लघु उद्योग सेवा संस्थान, कानपुर द्वारा २४ जनपदों का सर्वेक्षण हो चुका है। इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा भी सर्वे कराया जा रहा है। अभी तक विभिन्न बैंकों द्वारा ३४ जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उद्योग निदेशालय द्वारा भी कुछ चुने हुये उद्योगों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करायी जा रही है जो इच्छुक पार्टियों को उपलब्ध हो सकेंगी। अभी तक ५० के लगभग प्रोजेक्ट रिपोर्टस् तैयार हो चुकी हैं।

(६) प्रदेश के ४ जिले, रायबरेली, प्रतापगढ़, बदायूं तथा फतेहपुर में ढाई से अधिक अर्थात् साढ़े सात एकड़ तक भूमि रखने वाले कृषक तथा ग्रामीण शिल्पियों को लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत और मथुरा एवं बलिया में ढाई एकड़ तक भूमि रखने वाले सीमांत कृषक एवं ग्रामीण शिल्पकारों को लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ वित्तीय सहायता उदार शर्तों पर सुविधायें तथा कार्यशाला एवं औजारों हेतु छूट का प्राविधान है।

(७) लघु उद्योगों को अपने माल को बेचने में सहायता देने के हेतु छोटी इकाइयों का माल शासन के विभिन्न विभागों को लघु उद्योग निगम के माध्यम से सप्लाई होता है। वर्ष १९७०–७१ में १३९ इकाइयों ने इस स्कीम का लाभ उठाया और इन इकाइयों ने करीब ६० लाख रुपये का माल लघु उद्योग निगम के माध्यम से बेचा। इस वर्ष से लघु उद्योग निगम ने छोटी इकाइयों से स्वयं माल खरीदना आरम्भ कर दिया है।

(८) उ० प्र० लघु उद्योग निगम छोटे उद्योगों को हायर परचेज पर मशीनों का प्रबन्ध कराता है। इस स्कीम को अधिक आकर्षक बनाने के लिए वर्ष १९७०–७१ से निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधायें दिये जाने का निश्चय किया गया है:—

(१) सामान्य उद्योगपतियों से अर्नेस्ट मनी को २० प्रतिशत से घटाकर अब केवल १० प्रतिशत ही लिया जाता है।

(२) सामान्य उद्योगपतियों से सर्विस चार्जेज का ६ प्रतिशत से घटाकर अब ५ प्रतिशत लिया जाता है।

(३) प्राविधिक उद्योगपतियों को सर्विस चार्जेज के भुगतान से मुक्त कर दिया गया है।

(४) दो गारन्टी देने के स्थ न पर केवल एक गारन्टी ली जाती है।

(९) प्राविधिक व्यक्तियों को उद्योगों में खपाने के लिए प्रशिक्षण हेतु कोर्स चलाय जा रहे ह। लघु उद्योग सेवा संस्थान कानपुर द्वारा २८–९–७० से ३१–८–७१ तक जो प्रशिक्षण कोर्स चलाये गये उन म ८८ प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण

दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उद्योग निदेशालय के तत्वावधान में छोटे उद्योगों की समस्याओं को प्रकाश म लान के लिए कई सेमिनार का भी आयोजन किया गया है जिनम कच्चे माल, इन्सियलरी इन्डस्ट्रीज, इलेक्ट्रानिक इन्डस्ट्रीज आदि की समस्याओं पर विचार किथा गया।

(१०) इस वर्ष से उ० प्र० लघु उद्योग निगम द्वारा छोटे उद्योगों को अपने माल बचने की सुविधा देने के लिए एक सब कन्ट्रॉक्टग एक्सचेंज आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटी इकाइयों को यह बताथा जाता है कि उन के द्वारा निर्मित माल किन औद्योगिक इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। इसी प्रकार बड़ी औद्योगिक इकाइयों को यह बताथा जाता है कि उनके द्वारा खपत किये जाने वाले पुर्जे इत्यादि किन छोटी इकाइयों द्वारा उपलब्ध हो सकते हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५१ पर)

प्लांट के लिये

कर्मचारी वर्ग	पद संख्या
(क) प्रबन्ध वर्गीय	४
(ख) प्रशासकीय एवं लिपिक वर्गीय	६४
(ग) अभियंत्रण तथा पर्यवेक्षक वर्ग	१९
इन्जीनियरिंग ऐन्ड सुपरवाइजरी—	
(घ) श्रमिक वर्ग	८५
(ङ) वाह्य सेवा	१०

खान के लिये

(क) प्रबन्ध वर्गीय	९
(ख) प्रशासकीय एवं लिपिक वर्गीय	७
(ग) श्रमिक वर्ग	६७४
कुल योग	८७२

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५४ पर)

तालिका

मांगे	मांग पर की गयी कार्यवाही
१--प्रादेशिक प्रसार शिक्षा संघ को मान्यता दिया जाना ।	१--मान्यता के प्रश्न पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रसार अध्यापकों के इस संघ को अलग से मान्यता न दी जाय वरन इन्हें राजकीय शिक्षक संघ, जो एक मान्यता प्राप्त सघ है, के साथ अपन को संनहित कर लना चाहिय ।
२--शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों की तुलना में प्रसार अध्यापकों का निम्न वेतनक्रम होना तथा उनमें समानता लाना ।	२--वर्ष १९६५ के पूर्व अन्य एल० टी० ग्रेड के अध्यापकों के समान प्रसार अध्यापक भी १२०--३०० रु० के वेतनक्रम में थे । वेतन अभिनवीकरण समिति १९६५ की संस्तुति के अनुसार एल० टी० ग्रेड के अध्यापकों के लिए १५०--३५० रु० का वेतनमान और प्रसार अध्यापकों के लिए १६०--२८० रु० का वेतनमान निर्धारित किया गया । इन अध्यापकों की यह मांग रही है कि इनको भी अन्य अध्यापकों की भांति वेतन मिलना चाहिये । इस प्रश्न पर कई बार विचार किया गया लेकिन इसको स्वीकार करना सभव नहीं हो सका । अब वेतन आयोग का गठन हो चुका है, और इनका मामला भी अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति आयोग के विचाराधीन है । आयोग की सस्तुति प्राप्त होने पर ही इस विषय में कोई निर्णय लिया जा सकेगा ।
३--प्रसार अध्यापकों के स्नातक वेतनक्रम के रिक्त हुये पदों को शासन को समर्पित न किय जायें ।	३--स्नातक वेतनक्रम के कुल १ हजार पद स्वीकृत हैं इनमें से २६३ पद आस्थगित हैं । ऐसा इसलिए किया गया है, कि सम्बन्धित विद्यालयों में, जहां संलग्न कृषि फार्म उपलब्ध नहीं हैं, वहां से पुनर्व्यवस्था योजना हटा ली गयी है जैसे-जैसे पुनर्व्यवस्था योजना का समावश नये विद्यालयों में किया जावेगा प्रसार अध्यापकों के नये पदों को पुनः यदि आवश्यकता हुई पुनर्जीवित किया जावेगा ।
४--प्रवक्ताओं के १० पद घटा-कर ५ किये जाने के विरुद्ध मांग ।	४--प्रारम्भ में राजकीय प्रसार अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र प्रतापगढ़ में प्रवक्ताओं के १० पद स्वीकृत थे जो बाद में घटाकर ५ कर दिये गये । इसका कारण यह था कि प्रारम्भ में समस्त प्रसार अध्यापक अप्रशिक्षित थे तथा शनैः-शनैः प्रशिक्षितों की संख्या बढ़ते-बढ़ते अब लगभग समस्त प्रसार अध्यापक प्रशिक्षित हो गये ह अतः प्रशिक्षण का कार्य पहले की अपेक्षा घट जाने के कारण प्रवक्ताओं की संख्या घटा दी गयी ।

मांग	मांग पर की गई कार्यवाही
५—कृषि परीवेक्षकों के ५ पदों का सृजन ।	५—शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में ५ मण्डलों (मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ) में एक-एक कृषि परिवेक्षक की नियुक्ति की गयी थी । तत्पश्चात् शिक्षा विभाग में ५ और मण्डलों की स्थापना की गयी । इन ५ मण्डलों में कृषि पर्यवेक्षक के पद के सृजन पर विचार किया गया । ३ मण्डलों, (नैनीताल, झांसी, फैजाबाद) में इन पदों के सृजन का औचित्य नहीं पाया गया । शेष दो मण्डलों के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।
६—प्रसार अध्यापकों के पदोन्नति के अवसरों का सर्वथा अभाव होना । ७—प्रसार अध्यापकों के स्थायी संवर्ग बनाना तथा पदोन्नति की श्रंखला निर्धारित करना आदि ।	इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने विभागीय स्तर पर एक समिति गठित की है जो प्रसार अध्यापकों की सेवाओं से सम्बन्धित समस्थाओं पर विचार कर रही है ।उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर इस दिशा में आवश्यक निर्णय लिया जावेगा ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५५ पर)

सूची

स्थान	खनिज भण्डार जिसकी खोज की गयी
(१) कजराहट, जिला मिर्जापुर	.. चूना पत्थर भण्डार ।
(२) घाघरा नदी की घाटी, मकरीवारी तथा घुर्मा, जिला मिर्जापुर । ..	.. चूना पत्थर भण्डार ।
(३) झिरौली, जिला अल्मोड़ा	.. मैंगनेसाइट भण्डार ।
(४) मानिकपुर, जिला बांदा ..	.. बाक्साइट भन्डार ।
(५) कालसी, जिला देहरादून ..	.. चूना पत्थर भण्डार ।
(६) बांसी क्षेत्र, जिला मिर्जापुर	.. फायर क्ले का भण्डार ।
(७) ऋषिकेश, जिला गढ़वाल	.. अधिक सिलिका वाला चूना पत्थर भण्डार ।
(८) ग्राम कोटा तथा बाड़ी, जिला मिर्जापुर	.. पलक्स ग्रेड चूना पत्थर तथा डोलोमाइट भण्डार ।
(९) शंकरगढ़ जिला इलाहाबाद	.. सिलिका सैन्ड निक्षेप ।
(१०) बरगढ़, जिला बांदा ..	.. सिलिका सैन्ड निक्षेप ।
(११) लाहौर तथा पुंगर नदी की घाटी, जिला अल्मोड़ा ।	सोपस्टोन निक्षेप ।
(१२) गौना पानी तथा टोर सी, जिला चमोली	... सोपस्टोन निक्षेप
(१३) मन्दाकिनी नदी की घाटी, जिला चमोली ।	एस्बेसटा निक्षेप ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर)

थानाध्यक्षों एवं सब इन्सपेक्टरों की सूची जिनका कार्यकाल गोरखपुर जिले में तीन वर्ष से अधिक है

थानाध्यक्ष

सर्वश्री—

१—हरेंवर सिंह
२—सूरज प्रसाद पांडे
३—खड़ग बहादुर सिंह
४—बंशीधर गुप्ता
५—रमाशंकर यादव
६—गनेश सिंह
७—राम चन्दर सिंह
८—जगरनाथ पांडे
९—हरिवंश मिश्र
१०—ठाकुरलाल श्रीवास्तव
११—सूरजनाथ यादव
१२—राम अधार सिंह यादव
१३—राम अवध त्रिपाठी ।

सब-इन्सपेक्टर (उप थानाध्यक्ष)

सर्वश्री—

१—रघुनाथ प्रसाद
२—धनन्जय सिंह
३—ओंकारनाथ सिंह
४—प्रकाश राय
५—भृगुनाथ पांडे
६—सूर्यभान राय
७—जई सिंह
८—रवींद्र नाथ सिंह
९—अमरदेव सिंह
१०—गोपालजी चौबे
११—आनन्द मोहन सिंह
१२—राम अवतार सिंह
१३—ख्वाजा सैय्यद अहमद
१४—अनवार्ल अजीज

१५—हरिद्वार तिवारी
१६—हरीशंकर सिंह
१७—काशीनाथ मिश्र
१८—मुहम्मद यूसुफ सिद्दीकी
१९—रामप्रताप सिंह
२०—राम बहोर मिश्र
२१—नन्द किशोर मल
२२—राम सजीवन शुक्ला
२३—सुरेन्द्र प्रताप सिंह
२४—रामानन्द गुप्ता

विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर)

गोरखपुर जिले के बांस गांव ब्लाक के भवनहीन प्राइमरी स्कूलों की सूची

१—भरवदिया
२—गुआर
३—लालपुर
४—दुवौलें
५—भंगता
६—सजीवन
७—निउरों
८—बुढ़ाभरत
९—डुपरघाट
१०—डाथोपार
११—रामपुर पांडेय
१२—धौवौलो
१३—बदरा
१४—हुडुरा
१५—केवटलो
१६—मदनपुरा
१७—गहना
१८—कन्या बहोनडाड़ो
१९—,, जयन्तोपुर
२०—,, साइताल
२१—,, पालो
२२—,, कनइचा
२३—,, दुबौलो
२४—,, लडुआवारो
२५—,, खजनो
२६—,, झुड़िया
२७—,, रामपुर पांडेय
२८—,, पउधर मंगल
२९—,, सरया तिवारी
३०—,, प्रा० पतरैव
३१—,, सिसवा
३२—,, भिटो
३३—,, भसा रानी
३४—,, प्रा०पिडिया
३५—प्रा० कनइल
३६—प्रा० टैंगरो
३७—प्रा० पगार
३८—क० परसिया
३९—प्रा० गलउर
४०—प्रा० कैराडीह

[नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६७ पर ।)

क्रम सं०	मंत्री	दौरे की तिथियां	स्थान जहां का दौरा किया
१	२	३	४
१	मुख्य मंत्री	१८ से२०–९–७१	दिल्ली ।
		२२–९–७१से१–१०–७१	जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा वाराणसी ।
		३ से ४–१०–७१	बस्ती ।
		*६ से १७–१०–७१	कानपुर, कालका, शिमला, कालका, नई दिल्ली तथा कानपुर ।
		२२ से २५–१०–७१	दिल्ली ।
		२६–१०–७१	कानपुर ।
		२७ से ३१–१०–७१	आगरा, दिल्ली, मुरादाबाद, काशीपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर तथा हरिद्वार ।
		१ से ४–११–७१	प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बिन्ध्याचल तथा वाराणसी ।
		६ से ७–११–७१	वाराणसी, मुगलसराय तथा कानपुर ।
		९–११–७१	उन्नाव ।
		१२ से १५–११–७१	दिल्ली ।
२	कृषि मंत्री	१९ से २०–९–७१	गोरखपुर ।
		२३ से २६–९–७१	नई दिल्ली ।
		१ से ३–१०–७१	देवरिया, मेहन, गोरखपुर, गौरी बाजार तथा गोरखपुर ।
		५–से ६–१०–७१	जगदीशपुर तथा सीतापुर ।
		७–१०–७१	दिल्ली ।
		७ से ११–१०–७१	शिमला । यह यात्रा निजी यात्रा थी ।
		१२ से १३–१०–७१	दिल्ली ।
		१५ से १७–१०–७१	कानपुर तथा मिर्जापुर ।
		२४–१०–७१	सुल्तानपुर ।
		२८-१०-७१ से १-११-७१	देवरिया, सेवरही, खुखपुर, गौरीबाजार । गोरखपुर, फतेहपुर तथा बुडडुपुर व बाराबंकी ।
		१६–११–७१	बछरावां, निगोहां तथा नगराम ।
		१९–११–७१	अमौसी ।

*यह निजी यात्रा थी ।

१	२	३	४
३	राजस्व मंत्री	१९–९–७१	बलिया ।
		२३ से २७–९–७१	बाराबंकी, प्रतापगढ़, झांसी, कानपुर तथा हमीरपुर ।
		३०–९–७१	नई दिल्ली ।
		२ से ४–१०–७१	फतेहपुर, बस्ती तथा हरदोई ।
		६–१०–७१	नई दिल्ली ।
		७ से १०–१०–७१	शिमला । यह यात्रा निजी यात्रा थी ।
		११ तथा १२–१०–७१	दिल्ली ।
		१४–१०–७१	बाराबंकी
		१८ से २०–१०–७१	हमीरपुर तथा फतेहपुर ।
		२४–१०–७१	गाजीपुर ।
		२६–१०–७१	सीतापुर ।
		३०–१०–७१से१–११–७१	काशीपुर, नैनीताल, बांदा व फतेहपुर ।
		६ तथा ७–११–७१	कानपुर ।
		९ से १२–११–७१	हमीरपुर ।
		१४ से १९–११–७१	कानपुर, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, हमीरपुर, उरई तथा रायबरेली ।
४	शिक्षा मंत्री	१९ से २१–९–७१	गोसाईंगंज, अमौसी तथा अमेठी जिला लखनऊ,
		२३ तथा २४–९–७१	कानपुर, मोहनलाल गंज तथा कनकहा (जिला लखनऊ)
		२ से ३०–९–७१	मेरठ तथा दिल्ली ।
		२ से ४–१०–७१	हरदोई, इलाहाबाद, माल मलिहाबाद (जिला लखनऊ) ।
		८ से १२–१०–७१	अम्बाला, चन्दीगढ़, अम्बाला, दिल्ली तथा कानपुर ।
		१४–१०–७१	इलाहाबाद ।
		२८–१०–७१से ५–११–७१	कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, इलाहाबाद ।
			मिर्जापुर तथा इलाहाबाद ।
		८ से १२–१२–७१	दिल्ली, बम्बई, पूना तथा दिल्ली ।
		१५तथा १६–११–७१	गोरखपुर ।
५	सहकारिता मंत्री	१९ से २१–९–७१	शाहगंज तथा जफराबाद ।
		२२–९–७१ से २–१०–७१	जौनपुर, जफराबाद, शाहगंज, जौनपुर, मिर्जापुर । जौनपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर तथा वाराणसी ।
		५ से ६–१०–७१	कानपुर तथा चन्डीगढ़ ।
		८ से १२–१०–७१	शिमला । निजी यात्रा ।
		१२ तथा १३–१०–७१	कानपुर।
		१५ से १८–१०–७१	जौनपुर ।
		२०–१०–७१	अमौसी ।

१	२	३	४
		२१–१०–७१से	दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बई तथा दिल्ली।
		२–११–७१	
		५ से ७–११–७१	धामपुर, नजीबाबाद ।
		८–११–७१	सीतापुर ।
		९–११–७१	सुल्तानपुर ।
		११ तथा १२–११–७१	इलाहाबाद ।
		१३ तथा १४–११–७१	हापुड़ ।
		१६–११–७१	हरपालगज व जौनपुर ।
६	कारागार एवं आबकारी मंत्री ।	१९ से २१–९–७१	मेरठ, अमौसी तथा सीतापुर ।
		२७–९–७१ स ५–१०–७१ ।	जिला हमीरपुर ।
		६ से १२–१०–७१	देहरादून, चमोली व हरिद्वार ।
		१६ से १८–१०–७१	सीतापुर ।
		१९ से २२–१०–७१	हमीरपुर ।
		२३ तथा २४–१०–७१	सीतापुर ।
		२६ तथा २७–१०–७२	हमीरपुर तथा सीतापुर ।
		३० तथा ३१–१०–७१	कालपी (जिला जालौन) ।
		२ तथा ३–११–७१	बरेली, रामपुर, मुरादाबाद व गाजियाबाद ।
		४–११–७१	इलाहाबाद ।
		८ तथा ९–११–७१	मेरठ, हरिद्वार तथा देहरादून ।
		१४–११–७१	उन्नाव तथा कानपुर ।
		१६ तथा १७–११–७१	हरगांव (सीतापुर) ।
७	विद्युत एवं संसदीय कार्य मंत्री	२४–९–७१ से ३–१०–७१ ।	वाराणसी, हरिद्वार, देहरादून, मंसूरी, मुरादाबाद, संभल, देहली, श्रीनगर, दिल्ली, हल्द्वानी व किच्छा ।
		५ से १५–१०–७१	आगरा, अलीगढ़, देहली, शिमला, चंडीगढ़, नांगल, रुड़की, हरिद्वार तथा देहली । (शिमला की ३ दिन की यात्रा निजी थी) ।
		२४ तथा २५–१०–७२	देहली ।
		२८–१०–७१से७–११–७१	रामपुर, काशीपुर, रानीखेत, बीडीहाट, पिथौरागढ़, बागश्वर, अल्मोड़ा तथा रुद्रपुर ।
		१२–११–७१	सीतापुर ।
८	वन मंत्री	१८–९–७१	रायबरेली ।
		२० से २२–९–७१	वाराणसी ।
		२४ तथा २५–९–७१	प्रतापगढ़ तथा सीतापुर, बाराबंकी ।
		२–१०–७१	प्रताप गढ़ ।

१	२	३	४
		३ से ६–१०–७१	देहरादून ।
		९ से ११–१०–७१	इलाहाबाद, प्रतापगढ़ ।
		१२ से १५–१०–७१	नई दिल्ली ।
		२१–१०–७१	सीतापुर ।
		२४–१०–७१	कानपुर ।
		३०–१०–७१	अमौसी ।
		२–११–७१	फतहपुर (बाराबंकी) ।
		९ से ११–११–७१	प्रतापगढ़ ।
		१९–११–७१	गोंडा ।
९ सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री ।		१० तथा ११–९–७१	जिला बरेली, रामपुर और मुरादाबाद ।
		१ तथा २–१०–७२	रामपुर तथा मुरादाबाद ।
		५ तथा ६–१०–७१	चमोली व सहारनपुर (६–१०–७१ से ११–१०–७१ तक शिमला की निजी यात्रा की ।)
		१४ तथा १५–१०–७१	जिला पौड़ी-गढ़वाल ।
		२४ तथा २५–१०–७१	जिला गोंडा ।
		२७–१०–७१	आगरा ।
		५ स ७–११–७१	नई दिल्ली ।
		१०–११–७१	जिला उन्नाव ।
		१४ से १७–११–७१	जिला पौड़ी गढ़वाल तथा जिला मुरादाबाद ।
१० लाख तथा रसद मंत्री ।		१९–९–७१	कानपुर ।
		२५ स २९–९–७१	कानपुर ।
		२ तथा ३–१०–७१	कानपुर ।
		४ से ६–१०–७१	देहरादून ।
		७ से १३–१०–७१	सहारनपुर, चंडीगढ़, शिमला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र तथा दिल्ली ।
		१७ से २१–१०–७१	कानपुर ।
		२४–१०–७१	मसौली ।
		२७ तथा २८–१०–७१	कानपुर ।
		३० तथा ३१–१०–७१	बदायूं तथा बिजनौर ।
		२ तथा ३–११–७१	कानपुर ।
		६ से ८–११–७१	कानपुर
		१३तथा१४–११–७१	कानपुर ।
		१५ तथा १६–११–७१	उरई तथा कानपुर ।
		१९–११–७१	कानपुर ।
११ सिंचाई मंत्री		२० तथा २१–९–७१	अमौसी तथा वाराणसी ।
		२२ से २४–९–७१	मथुरा ।
		२५ तथा २६–९–७१	वाराणसी ।
		३०–९–७१	खदौली ।

१	२	३	४
		१ से ३–१०–७१	वाराणसी ।
		४–१०–७१	कानपुर तथा शाहबाजपुर ।
		५ से ७–१०–७१	नई दिल्ली, तथा अमौसी ।
		१२ स १५–१०–७१	नई दिल्ली, मरठ तथा शाहजहांपुर ।
		१६–१०–७१	फतेहपुर (बाराबंकी) ।
		२३ से २५–१०–७१	वाराणसी ।
		२७–१०–७१	अमौसी ।
		२७–१०–७१ से ५–११–७१ ।	नई दिल्ली, बम्बई, औरंगाबाद, सिकन्दराबाद, नागार्जुन सागर, हैदराबाद, बंगलौर, मैसूर, मद्रास और नई दिल्ली ।
		८ से ११–११–७१	वाराणसी, चकिया और पटना ।
		१३ से १८–११–७१	वाराणसी, चकिया तथा रावट्सगंज ।
१२ सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।		१९–९–७१	हरदोई ।
		२३ स २५–९–७१	सहारनपुर ।
		२ से ४–१०–७१	अलीगढ़ ।
		९ तथा १०–१०–७१	बाराबंकी तथा कानपुर ।
		१४ से १७–१०–७१	नई दिल्ली ।
		२६–१०–७१ से ११–११–७१ ।	देहरादून ।
		१४ से २५–११–७१	देहरादून तथा सहारनपुर ।
१३ परिवहन मंत्री		२०–९–७१	रायबरेली ।
		२१–९–७१	कानपुर ।
		२३ से २६–९–७१	नई दिल्ली तथा इटावा ।
		२८–९–७१	गोरखपुर ।
		१ से ४–१०–७१	कानपुर तथा इटावा ।
		७ से १२–१०–७१	नई दिल्ली, चंडीगढ़ तथा शिमला । (९–१०–७१ को शिमला की यात्रा निजी यात्रा थी)
		१४–१०–७१	हरदोई ।
		१७–१०–७१	मलिहाबाद ।
		१९–१०–७१	कानपुर ।
		२३ से २५–१०–७१	कानपुर, भर्थना तथा इटावा ।
		२७ से २९–१०–७१	जिला आजमगढ़ ।
		३०–१०–७१	कालपी ।
		२–११–७१	कानपुर ।
		४–११–७१	अमौसी ।
		६ तथा ७–११–७१	कानपुर ।
		८ से ११–११–७१	वाराणसी तथा दिल्ली ।
		१४ तथा १५–११–७१	रायबरेली तथा कानपुर ।
		१७ से २०–११–७१	इटावा तथा कानपुर ।
१४ स्वायत्त शासन मंत्री ।		१९–९–७१	फैजाबाद ।
		२१–९–७१	नई दिल्ली ।

१	२	३	४
		२६ तथा २७–९–७१	नैनीताल ।
		२८–९–७१ से	बरेली ।
		२–१०–७१	
		३ से ६–१०–७१	बदायूं, एटा, आगरा, हाथरस, मथुरा तथा नई दिल्ली ।
		१६–१०–७१	कानपुर ।
		१७ से २१–१०–७१	बरेली ।
		२३ से २५–१०–७१	बरेली ।
		२७ से ३१–१०–७१	जौनपुर व वाराणसी ।
		५ से ७–११–७१	नई दिल्ली ।
		१३ से १५–११–७१	बरेली ।
		१६–११–७१	रायबरेली ।
		१७–११–७१	कानपुर ।
		१८ तथा १९–११–७१	बरेली ।
१ राज्य मंत्री, सामुदायिक विकास ।		१९ तथा २०–९–७१	उन्नाव ।
		२०–९–७१	अमौसी ।
		२१–९–७१	बक्शी का तालाब ।
		२३ से २५–९–७१	कानपुर व शाहजहांपुर ।
		२५ से २९–९–७१	कानपुर व उन्नाव ।
		२९ से १–१०–७१	नई दिल्ली ।
		२ से ४–१०–७१	उन्नाव तथा कानपुर
		४ से ६–१०–७१	नई दिल्ली ।
		६ से ११–१०–७१	कानपुर, शिमला ।
		१२ से १४–१०–७१	कानपुर ।
		१४ से १६–१०–७१	सीतापुर तथा कानपुर ।
		१७ से १९–१०–७१	कानपुर तथा उन्नाव ।
		२० से २७–१०–७१	भोपाल तथा बम्बई ।
		२९ तथा ३०–१०–७१	कानपुर, मोहान (जिला उन्नाव) ।
		१ से ४–११–७१	उन्नाव, इलाहाबाद मिर्जापुर ।
		५ से १०–११–७१	उन्नाव ।
		१२ तथा १३–११–७१	कानपुर ।
		१४ तथा १५–११–७१	गोसाईगंज उन्नाव तथा कानपुर ।
		१६ से १९–११–७१	उन्नाव तथा कानपुर ।
२ राज्य मंत्री, नियोजन ।		२०–९–७१	अमौसी ।
		२५–९–७१ से ३–१०–७१	बरेली, बदायूं तथा राजस्थान ।
		५ से १४–१०–७१	हरियाणा, हिमांचल प्रदेश तथा पंजाब ।
		१७ से २२–१०–७१	बरेली ।
		२४–१०–७१	हाजीपुर तरेहा (जि० उन्नाव) ।
		२६ से २८–१०–७१	फिरोजाबाद, नारखी तथा आगरा ।
		३०–१०–७१ से ६–११–७१	बरेली ।

१	२	३	४
		१३ से १५–११–७१	आगरा।
		१६ तथा १७–११–७१	सुल्तानपुर तथा अमेठी।
		१८ से २१–११–७१	भरावन, हरदोई तथा बरेली।
३	राज्य मंत्री, कृषि	१८ से २०–९–७१	जंघई, अनुआं तथा इलाहाबाद।
		२३ से २७–९–७१	प्रयाग, बांदा, अतर्रा, चित्रकूट, अनुसूया, कामथगिरि, इलाहाबाद, विंध्याचल, मिर्जापुर, सिरसीफाल तथा प्रयाग।
		३०–९–७१ से ३–१०–७१	इलाहाबाद, अनुआं, इलाहाबाद, बीबीपुर, फूलपुर, फैजाबाद तथा बस्ती।
		५ तथा ६–१०–७१	जमनिया, जीवपुर, मलसा, बेटावर, गाजीपुर, वाराणसी।
		१० से १२–१०–७१	जंघई, (इलाहाबाद), प्रतापगढ़ व गाजियाबाद।
		१५ से २३–१०–७१	इलाहाबाद, अनुआं (इलाहाबाद), इलाहाबाद, बादशाहपुर (जौनपुर) तथा इलाहाबाद।
		२८–१०–७१ से २-११-७१	इलाहाबाद, पूरेमियां, सरायममरेज, भेलखा, अनुआं (इलाहाबाद), चतुर्भुजपुर, जालापुर, महुआ कोठी, साढ़ा बरौना, बसगित बाजार, मिया पट्टी, (इलाहाबाद) हदारतगंज, बरोत, आमेपुर, तिवारीपुर (इलाहाबाद), तिवारीपुर, बरेठी, फूलपुर, हिम्मतपुर (इलाहाबाद), प्रतापगढ़, हिम्मतपुर, फूलपुर (इलाहागाद) तथा कानपुर।
		५ से ८–११–७१	इलाहाबाद, मलांव (जि० फतेहपुर), कानपुर, इलाहाबाद, ज्ञानपुर (वाराणसी), जौनपुर, दुर्गागंज, जौनपुर, प्रतापगंज, सुजानगंज तथा बेलावर।
		१०–११–७१	उन्नाव।
		१२ से १७–११–७१	आजमगढ़, बाजार गोसाई, आजमगढ़, छदियांवां, वाराणसी, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद तथा टांडा।
४	राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण।	२१ से २३–९–७१	वाराणसी।
		२६–९–७१	अलीगढ़।
		२८––९–७१	रायबरेली।

१	२	३	४
		२ से ३–१०–७१	वाराणसी ।
		७ से १०–१०–७१	शिमला (निजी यात्रा)
		१२–१०–७१	सीतापुर ।
		१३ स १९–१०–७१	वाराणसी, बलिया, दोहरीघाट गोरखपुर तथा वाराणसी ।
		२४ से ३१–१०–७१	वाराणसी, जौनपुर, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद तथा वाराणसी ।
		१०–११–७१	उन्नाव ।
		१२ से १७–११–७१	वाराणसी तथा फर्रुखाबाद ।
५ राज्य मंत्री, सहकारिता ।		१ से ४–१०–७१	सादाबाद, मथुरा ।
		५ तथा ६–१०–७१	देहली ।
		६ से १०–१०–७१	शिमला (निजी यात्रा)
		११ से १३–१०–७१	देहली ।
		१४–१०–७१	सादाबाद ।
		१६ से २२–१०–७१	सादाबाद, मथुरा, अलीगढ़ तथा आगरा ।
		१३ से १९–११–७१	सादाबाद तथा आगरा ।
६ राज्य मंत्री, न्याय एवं खाद्य ।		१९ तथा २०–९–७१	गोरखपुर तथा इलाहाबाद ।
		२६ स २८–९–७१	सिसवा बाजार, गोरखपुर, ठूठीबारी तथा सिसवा ।
		३०–९–७१ से १–१०–७१	सिसवा, गौरी बाजार, देवरिया तथा गोरखपुर ।
		३ से ६–१०–७१	देहरादून तथा खिल्ली ।
		६ से ११–१०–७१	शिमला तथा चंडीगढ़ (निजी यात्रा) ।
		१२ तथा १३–१०–७१	चंडीगढ़ ।
		१७ से २१–१०–७१	सिसवां ।
		२४–१०–७१	सिधौली (सीतापुर) ।
		२८ से ३०–१०–७१	दिल्ली ।
		३१–१०–७१	सिधौली ।
		२–११–७१	फतहपुर तथा बाराबंकी ।
		६–११–७१	कानपुर ।
		७–११–७१	सिधौली ।
		१३–११–७१	कानपुर ।
		१३ से १६–११–७१	सिसवां (गोरखपुर) ।
७ राज्य मंत्री, वन तथा संसदीय कार्य		२८–९–७१ से ४–१०–७१	रानीखेत, जोशीमठ, बद्रीनाथ, गोपेश्वर, टिहरी तथा देहरादून ।
		१० तथा ११–१०–७१	दिल्ली, मथुरा तथा आगरा ।
		१७–१०–७१	कानपुर ।
		३० तथा ३१–१०–७१	पीलीभीत तथा पिथौरागढ़ ।
		७–११–७१	नई दिल्ली ।
		१७–११–७१	सिधौली ।

१	२	३	४
८—राज्य मंत्री, श्रम		१८ तथा १६—६—७१	भदौही, वाराणसी तथा इलाहाबाद ।
		२१ तथा २२—६—७१	कानपुर ।
		२५ से २७—६—७१	कानपुर ।
		२८—६—७१ से १—१०—७१	नैनीताल ।
		२ से ४—१०—७१	कानपुर ।
		५ से १३—१०—७१	नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ग्वालदम, जोशीमठ, बद्रीनाथ, श्रीनगर तथा हरिद्वार ।
		१५ से २०—१०—७१	कानपुर ।
		२१ से २७—१०—७१	दिल्ली तथा कानपुर ।
		३० तथा ३१—१०—७१	कानपुर ।
		५ से ७—११—७१	इलाहाबाद तथा कानपुर ।
		१४—११—७१	लालकुआं, नैनीताल तथा काशीपुर ।
		१६—११—७१	कानपुर ।
६—राज्य मंत्री, राजस्व		१६—६—७१	बस्ती ।
		२०—६—७१	गोरखपुर ।
		२१ तथा २२—६—७१	बस्ती ।
		२३ तथा २४—६—७१	गोंडा तथा बहराइच ।
		२५—६—७१	गोंडा तथा फैजाबाद ।
		२७ से २६—६—७१	देहरादून ।
		१ से ४—१०—७१	बाराबंकी, बस्ती तथा गोरखपुर ।
		१२ तथा १३—१०—७१	बाराबंकी ।
		१५ तथा १६—१०—७१	आगरा ।
		१७ तथा १८—१०—७१	दिल्ली ।
		२१—१०—७१	सीतापुर (सिधौली एवं महमूदाबाद)।
		२६—१०—७१	वाराणसी ।
		२७—१०—७१	गाजीपुर ।
		२८—१०—७१	जौनपुर ।
		३०—१०—७१	मुरादाबाद ।
		१—११—७१	काशीपुर ।
		६-११-७१	फैजाबाद ।
		९ से १३-११-७१	बस्ती ।
१०. राज्य मंत्री, समाज कल्याण एवं नागरिक सुरक्षा ।		१९-९-७१	बाराबंकी
		२०-९-७१ से २-१०-७१	नई दिल्ली, श्रीनगर तथा नई दिल्ली ।
		३ तथा ४-१०-७१	देवा (बाराबंकी) तथा हैदरगढ़ (बाराबंकी)
		७ से ११-१०-७१	कानपुर तथा कालका (निजी यात्रा)
		१४ तथा १५-१०-७१	देवा (बाराबंकी)।
		१८—१०—७१	बाराबंकी ।
		२२ तथा २३—१०—७१	नई दिल्ली ।
		२५ तथा २६—१०—७१	सैदनपुर (बाराबंकी) ।

१	२	३	४
		२७ तथा २८–१०–७१	बाराबंकी ।
		२९–१०–७१	बाराबंकी ।
		३१–१०–७१	बाराबंकी तथा बड्डपुर ।
		३१–१०–७१ से ३–११–७१	इलाहाबाद तथा दिल्ली ।
		४–११–७१	बिलग्राम (हरदोई) ।
		७–११–७१	कानपुर ।
		१० तथा ११–११–७१	हरिद्वार, रूड़की तथा हरिद्वार ।
		१४ तथा १५–११–७१	बिसवां ।
		१६–११–७१	हैदरगढ़ ।
		१७ तथा १८–११–७१	नई दिल्ली ।
११–राज्य मंत्री, सूचना ।		२२ से २६–९–७१	इलाहाबाद ।
		२८–९–७१	कानपुर ।
		२९–९–७१ से २–१०–७१	शाहजहां पुर ।
		७–१०–७१	दिल्ली ।
		८ से १०–१०–७१	शिमला (निजी यात्रा) ।
		११–१०–७१	दिल्ली ।
		२३–१०–७१ से ३–११–७१	इलाहाबाद ।
१२–राज्य मंत्री, शिक्षा		२२–९–७१	उन्नाव ।
		२४ तथा २५–९–७१	लखीमपुर तथा गोला गोकरननाथ ।
		२९–९–७१	हरदोई ।
		१ से ६–१०–७१	बलिया, गाजीपुर तथा वाराणसी ।
		१०–१०–७१	फैजाबाद ।
		१५ तथा १६–१०–७१	फैजाबाद (टांडा)
		२५–१०–७१	वाराणसी ।
		२७ से २९–१०–७१	इटावा ।
		३०–१०–७१	कानपुर ।
		३ से ६–११–७१	बलिया ।
		९ स ११–११–७१	झांसी ।
		१३ से १७–११–७१	वाराणसी, मिर्जापुर तथा आजमगढ़ ।
१३–राज्य मंत्री वित्त एव विद्युत् ।		२०–९–७१	इलाहाबाद ।
		२४–९–७१	इलाहाबाद तथा विंध्याचल ।
		२८–९–७१ से ८–१०–७१	राजापुर (बांदा), कानपुर, बांदा तथा झांसी ।
		१२ से १४–१०–७१	राजापुर (बांदा) तथा ओसा (इलाहाबाद) ।
		१४ से २१–१०–७१	बुलन्दशहर, अलीगढ़, कानपुर, राजापुर तथा इलाहाबाद ।
		२२ से २५–१०–७१	बस्ती ।

१	२	३	४
		२६ से २८–१०–७१	बांदा ।
		३०–१०–७१ से	कानपुर तथा बांदा ।
		२–११–७१	
		३ से ६–११–७१	हमीरपुर, बांदा तथा इलाहाबाद ।
		७ तथा ८–११–७१	बांदा ।
		९ से ११–११–७१	बांदा तथा इलाहाबाद ।
		१२–११–७१	इलाहाबाद ।
		१८–११–७१	बक्शी का तालाब (जिला लखनऊ)।
१४–राज्य मंत्री, उद्योग		२१ तथा २२–९–७१	बरेली, रामपुर तथा मुरादाबाद ।
		२५–९–७१ से	आगरा, मथुरा तथा दिल्ली ।
		३–१०–७१	
		६ से ११–१०–७१	शिमला, दिल्ली तथा गाजियाबाद । (शिमला की यात्रा निजी थी) ।
		१४–१०–७१	उन्नाव ।
		१५–१०–७१	बाराबंकी ।
		१७ से २१–१०–७१	आगरा ।
		२३ तथा २४–१०–७१	आगरा ।
		२७ तथा २८–१०–७१	आगरा ।
		२९–१०–७१	कानपुर ।
		३०–१०–७१ से	देवरिया तथा गोरखपुर ।
		१–११–७१	
		२ तथा ३–११–७१	आगरा ।
		५ से ८–११–७१	कलकत्ता ।
		१२ तथा १३–११–७१	देहरादून, ऋषिकेश तथा हरिद्वार ।
		१४–११–७१	कानपुर ।
		१७–११–७१	रायबरेली ।
		१९ से २२–११–७१	शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, एटा तथा कासगंज ।
१५–राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन ।		२५ से २७–९–७१	लन्सडाउन, दोगड्डा, कोटद्वार तथा हरिद्वार ।
		२७ से ३०–९–७१	मेरठ ।
		३०–९–७१ से	देहली ।
		२–१०–७१	
		२ तथा ३–१०–७१	मेरठ ।
		४ स ६–१०–७१	देहली ।
		७ से ११–१०–७१	शिमला (निजी यात्रा) ।
		१२ से १५–१०–७१	देहली तथा गाजियाबाद ।
		१५ से २२–१०–७१	मेरठ ।
		२६ से २८–१०–७१	देहली ।

१	२	३	४
	३०–१०–७१ से		किच्छा, काशीपुर, गढ़मुक्तेश्वर तथा हापुड़।
	३–११–७१		
	१३ तथा १४–११–७१		देहली।
	१४ से १९–११–७१		मेरठ तथा परीक्षितगढ़।
१६–राज्य मंत्री स्वास्थ्य तथा चिकित्सा।	१९–९–७१		कानपुर।
	२०–९–७१		अमौसी।
	२८ तथा २९–९–७१		फिरोजाबाद एवं आगरा।
	३०–९–७१ से		हाथरस।
	४–१०–७१		
	७ से १०–१०–७१		शिमला (निजी यात्रा)।
	११ से १३–१०–७१		जयपुर।
	१४–१०–७१		हाथरस।
	१५ तथा १६–१०–७१		हल्द्वानी।
	१७ से २०–१०–७१		हाथरस।
	२४–१०–७१		मुजफ्फरनगर।
	२८–१०–७१		सीतापुर।
	३०–१०–७१		बरेली।
	३१–१०–७१		कानपुर।
	१–११–७१		बुलन्दशहर।
	६–११–७१		मेरठ।
	१४–११–७१		बुलन्दशहर।
	१८–११–७१		टांडा (फजाबाद)।

नत्थी 'ज'

(देखियें तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६७ पर)

राजकीय पालीटेकनिक बस्ती में सन् १९६५ से १५ अगस्त, १९७१ तक खरीदी गई मशीनों का विवरण

क्रमांक	वर्ष जिसमें मशीने खरीदी गई	मशीन का नाम	चालू है या बन्द पड़ी है	जो मशीनें बंद पड़ी है उनके चालू न होने के कारण
१	२	३	४	५
१	१९६५	टिस्टिंग फरनेस ..	.. चालू है	
२	१९६५	मेगर मीटर (१००० बोल्ट)	.. चालू है	
३	१९६५	५ के० पी० ए० ट्रांसफारमर सेट	.. चालू है	
४	१९६५	ड्रिलिंग मशीन	.. चालू है	
५	१९६५	फ्लेक्सिबुल साफ्ट गार्डर	.. चालू है	
६	१९६५	ट्रालीफारमर सिलेंडर	.. चालू है	
७	१९६५	सलाटिन मशीन	.. बन्द है	मोटर तथा स्टार्टर मशीन के साथ नहीं हैं ।
८	१९६५	एयर कम्प्रेसंस पेंटिंग शाप के लिए	चालू है	—
९	१९६५	आटोफीड ड्रिलिंग मशीन	.. वन्द है	मोटर स्टार्टर तथा बेल्ट मशीन के साथ नहीं है ।
१०	१९६५	इलेक्ट्रिकल पंम्पिग मशीन	.. चालू है	
११	१९६५	सेट उड मशीन	.. चालू है	
१२	१९६५	ड्राइंग ओवेन इलेक्ट्रिक	.. चालू है	
१३	१९६५	कूपला ..	.. बन्द है	ब्लोवर से कूपला तक हवा जाने के लिये पाइप नहीं है ।
१४	१९६५	यूनीवर्सल उडवर्किग मशीन	बन्द है	मोटर स्टार्टर, मशीन के साथ नहीं है ।
१५	१९६५	काउन्टर बैलेस ५ किलोग्राम	.. चालू है	
१६	१९६५	विकेट नीडिल आप्रेटर्स	.. चालू है	
१७	१९६५	म्वायस्थर मीटर ..	.. चालू है	
१८	१९६५	वाट ट्रेसर ..	.. चालू है	
१९	१९६६	पाइप वेल्डिग मशीन	.. चालू है	
२०	१९६६	जनरेटर सेट २५ हार्स पावर जी० ई० सी ।	चालू है	

१	२	३	४	५
२१	१९६६	यूनीवर्सल टूल कटर ग्राइंडर ..	बन्द है	मोटर स्टार्टर, ग्राइंडिंग होल तथा ग्राइंडिंग व अटेचमेन्ट नहीं है ।
२२	१९६६	बम केलेरी मीटर	चालू है	
२३	१९६६	सेंपिंग मशीन	बन्द है	मोटर स्टार्टर, तथा बेल्ट मशीन के साथ नहीं है ।
२४	१९६६	वायबेंटिंग मशीन	चालू है	—
२५	१९६६	उडवर्किंग लेद ..	चालू है	
२६	१९६६	पेट्रोल इंजिन	बन्द है	बैट्री इंजन के साथ नहीं आई है तथा वाइरिंग कनेक्शन पूरा न होने के कारण ।
२७	१९६६	इलेक्ट्रिक साइरेन	चालू है	
२८	१९६६	डीजल इंजन	चालू है	
२९	१९६६	फीजिकल बैलेन्स	चालू है	
३०	१९६६	केमिकल बेलेंन्स	चालू है	
३१	१९६६	स्प्रिंग बैलेन्स	चालू है	
३२	१९६६	मेजरिंग टेप	चालू है	
३३	१९६६	लेबलिंग स्टाफ	चालू है	
३४	१९६६	मिजी थियाडालाइट ..	चालू है	
३५	१९६६	५ इंच वर्नियरटरनथियाडोलाइट ..	चालू है	
३६	१९६६	एन० आई० इण्डियन मेड थियाडोलाइट	चालू है	
३७	१९६७	टार्सन टेस्टिंग मशीन ..	बन्द है	पावर कनेक्शन हैंडल-ट्रेस्ट पीसेन तथा लिट्रेचर नहीं है ।
३८	१९६७	संपेरेटिंग केसेरी मीटर ..	चालू है	
३९	१९६७	आस्टेर थेंडिंग मशीन ..	चालू है	
४०	१९६७	स्टी ा इंजन	बन्द है	ब्लोअर से इंजन तक स्टीम पाइप व कनेक्शन तथा इंजन से इक्वा॰ स्टीम पाइप कनेक्शन नहीं है साथ ही साथ ब्लोवर अभी इन्सपेक्टर उ० प्र० क पास नहीं है ।

१	२	३	४	५
४१	१९६७	रेफ्रीजरेशन प्लान्ट ..	.. बन्द है]	गैस पाइप कम्प्रेसर से रेफ्रीजरिंटिंग तक न होने के कारण तथा साथ ही साथ प्लान्ट में फैंरियर गैस न होने के कारण।
४२	१९६७	फीक्वेन्सी मीटर ..	.. चालू है	
४३	१९६७	सिन्क्रेनाजिंग सेट (आल्टरनेटर्स) ..	बन्द है	कुछ सुविधा की कमी के कारण।
४४	१९६८	एल० टी० इनडोर टाइप केबुलर बाक्स	चालू है	
४५	१९६९	स्टीम इंजन इन्डीकेटर ..	चालू है	
४६	१९६९	डीजल इंजन इन्डीकेटेरे ..	चालू है	
४७	१९६९	इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीलेशन आप्रेटर्स ..	चालू है	
४८	१९६९	रेंजिंग राड	चालू है	
४९	१९७०	सर्व मेकेनिकल इक्वीपमेन्ट आफ हीट	चालू है	
५०	१९७१	अर्थ टेस्टर	चालू है	
५१	१९७१	वेन्चुरी मीटर	चालू है	
५२	१९७१	आरवार प्रेस	चालू है	
५३	१९७१	पावर हेक्सा मशीन १२ इंच ..	चालू है	
५४	१९७१	एसीटीलोन वेल्डिंग प्लान्ट ..	बन्द है	आक्सीजन सिलेन्डर रैगुलेटर नहीं है।
५५	१९७१	वैरेन्जबैलेन्स	चालू है	

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७३ पर)

जिला कार्यालय स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों की सूची

१—श्री झुन्नी लाल पुत्र, श्री तेजराम नि० विक्रमपुर, थाना जवर .. एकनाली बन्दूक

२—श्री श्रीराम, पुत्र श्री भगवान नि० नाकऊ मजरा, सुलखनपुर, थाना जेवर। ,,

३—श्री किशन चन्द त्रिपाठी, पुत्र मुंगाराम नि० बीलों थाना, जेर .. दुनाली बन्दूक

४—श्री छक्कूलाल, पुत्र डालचन्द नि० कोडरा थाना, किश्नो .. ,,

५—श्री कन्हाई लाल पुत्र, दिलासा राम नि० मौजा दाऊदपुर, थाना किश्नी। ,,

६—श्री ओम् सरन पाण्डे, पुत्र कालेश्वर प्रसाद नि० किन्हावार थाना, भोंगांव। ,,

७—श्री भिकारी दास, पुत्र नबाव सिंह नि० दुली थाना, भोंगाव .. इकनाली बन्दूक

८—श्री दर्शन सिंह, पुत्र मोहब्बत सिंह नि० प्रतापपुर, थाना किश्मी .. ,,

९—श्री राजपाल सिंह, पुत्र रसाल सिंह नि० पेंडत थाना, इका .. ,,

१०—श्री बैजनाथ सिंह, पुत्र छेदा लाल नि० अहमदपुर, थाना करिहा .. ,,

११—श्री शंकर सिंह, पुत्र सुनहरी सिंह नि० नगला हिम्मत, थाना खैरगढ़ दूनाली बन्दूक

१२—श्री शंकर पाल सिंह, पुत्र बाबू सिंह नि० दिहुली, थाना करहल .. एकनाली बन्दूक

१३—श्री बेदराम, पुत्र हरनाम सिंह नि० मोंवट थाना, कुर्रा .. ,,

१४—श्री हरगोविन्द सिंह, पुत्र गिरधारी नि० इन्दरई थाना, शिकोहाबाद दुनाली बन्दूक

१५—श्री अजब सिंह, पुत्र देवीं सिंह नि० आरोंज, थाना शिकोहाबाद .. इकनाली बन्दूक

१६—श्री महेन्द्रपाल सिंह, पुत्र जगन्नाथ सिंह नि० ऊबटी, थाना शिकोहाबाद ,,

नत्थी "ञ"

(देखिए तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७७ पर)

दिनांक १४ नवम्बर, सन् १९७१ को सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित प्रदर्शन के अवसर पर थानाध्यक्ष, मधुबन के विरुद्ध जनता के न्यायालय में प्रस्तुत आरोप-पत्र

१--२८,२९ अगस्त, सन् १९७१ की रात को मंगरू चौहान, ग्राम सिसवा देवारा के कुछ असामाजिक व्यक्तियों ने लाठी भाले से मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। नामजद मुकदमा कायम हुआ। डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार हड्डी टूटी परन्तु दो माह तक पुलिस की ओर से जांच तक न हुई।

२--दिनांक ३०-७-७१ को शिव पूजन यादव, ग्राम धरमपुर, विशुनपुर को उसी ग्राम के असामाजिक व्यक्तियों ने मार कर हाथ पर तोड़ दिया। थाने में मुकदमा कायम हुआ। चोट खाने के एक सप्ताह बाद सदर अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी। आज तक मौके की जांच तक न हुई।

३--दिनांक २१-८-७१ को दुवारी ग्राम के पास डकैती के लिये दिन में इकट्ठा होने और थानेदार से मुकाबिला होने का बिल्कुल झूठा व फरजी मुकदमा स्वयं थानेदार ने लालू यादव, ग्राम परसिया आदि के विरुद्ध उनके विरोधियों और दलालों के कहने पर कायम किया।

४--दिनांक ३१-७-७१ को सुदीन मौर्य, प्रधान, ग्राम ककराडीह के ट्यूबबेल की पक्की नाली लगभग २०० गज तक लाठी भाला बन्दूक से लैस उसी ग्राम के असामाजिक तत्वों ने जबरदस्ती तोड़ दिया। सुदीन मौर्य द्वारा थाने में रपट के लिये जाने पर उन्हें ही १५१ में बन्द कर दिया गया। २-६-७१ को कोतवाली में मुकदमा कायम हुआ। १०-८-७१ को पुलिस कप्तान को प्रार्थना-पत्र दिया गया परन्तु थानाध्यक्ष ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की।

५--३०-९-७१ की रात को सुदामा मौर्य, ककराडीह अपने आदमियों से अपने खेत के पास मछली मरवा रहे थे। इनके विरोधियों के गलत शिकायत पर मछली मारने वाले मल्लाहों-फूलचन्द्र आदि को थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार करके अनायास जेल भेज दिया और मछली मारने का सारा सामान लुटवा दिया।

६--२४-१०-७१ को सुदीन मौर्य, प्रधान, ककराडीह का छप्पर दिन में ही जला दिया गया। नामजद रिपोर्ट हुई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

७--१२,१३ सितम्बर, ७१ की रात सुदामा मौर्य, ग्राम ककराडीह के गिरे हुए मकान का हजारों रुपये का सामान उसी ग्राम के असामाजिक तत्वों ने लूट लिया। थानाध्यक्ष न रपट न होने दी। रजिस्ट्री द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया गया परन्तु कोई कार्यवाही अब तक न हुई।

८--२-११-७१ को थानाध्यक्ष के दलाल असामाजिक व्यक्तियों के साथी शिव पूजन मल्लाह, ग्राम ककराडीह का ५ दिन का वकरी का बच्चा बैल के धक्के से मर गया था। जिसका फर्जी मुकदमा कायम हुआ। तीसरे दिन नायब थानेदार ने जांच की और यह कहते हुये गये कि मैं ऐसा फरजी मुकदमा नहीं चलाना चाहता हूं। परन्तु थानेदार की इच्छा है। इसलिये यह मुकदमा चलेगा। जमानत भी आजमगढ़ से होगी। आजमगढ़ से ऐसे फरजी मुकदमे की जमानत करानी पड़ी।

९--थानाध्यक्ष अपने दलाल असामाजिक व्यक्तियों की इच्छानुसार ककराडीह के १६ व्यक्तियों पर १०७ के लिये रिपोर्ट किये हैं जिनमें दो स्त्रियां भी हैं।

१०--५-५-७१ को श्री अछैबर नाथ पाण्डेय, ग्राम टमठा के भाई केदार नाथ पाण्डे की हत्या हुई। कतल का नामजद मुकदमा कायम हुआ। मुलजिमान द्वारा बार-बार मुद्दई के गवाहों को धमकी दी गई। इसकी रिपोर्ट हुई। मुद्दई की मुल्जिमान आदि द्वारा दिन में ही रास्ते में पिटाई हुई जिसकी रिपोर्ट २७-८-७१ को थाने में हुई। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना-पत्र दिया गया परन्तु मुल्जिमान के विरुद्ध कोई कार्यवाही होना अलग रहा। ८-९-७१ को मुद्दई को थाने में बुलवा कर डरा धमका कर बड़े थानेदार की उपस्थिति में मुल्जिमान के साथ जबरदस्ती सुलहनामा लिखा गया।

११--१८-१०-७१ को दीवाली के दिन थानाध्यक्ष ने अपने दलाल असामाजिक व्यक्तियों के कहने पर सरजू सिंह को उनके निवास-स्थान से जो थाने से २५ गज की दूरी पर है तथा व्यक्तिगत कार्य से उनके घर आये वनवारी यादव, ग्राम नेवादा व राम नरेश यादव, ग्राम भैरोपुर को भी अकारण गैर-कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया और उन्हें बीसों घण्टों घोसी की हवालत में रखने के बाद जिले पर भेजा।

१२--थानाध्यक्ष ने क्षेत्र के कुख्यात असामाजिक राम आलम सिंह जैसे व्यक्ति से सांठ-गांठ कर लिया है। जिनके विरुद्ध पुलिस की ओर से निम्नलिखित मुकदमें चले हैं और चल रहे है :--

१---स्टेट वनाम राम आलम सिंह आदि कांग्रेस नेता, श्री मंगल देव शास्त्री के मारने का।

२---स्टेट बनाम राम आलम सिंह आदि ३०२ गोपाल चौबे ग्राम कमल सागर के हत्या दिनांक १२-९-७१।

३---स्टेट बनाम राम आलम सिंह आदि विरजू आदि को मारना ३०७ आदि।

४---स्टेट बनाम राम आलम सिंह आदि ३०२ सनेही भंवरपुर का कतल।

५---स्टेट बनाम राम आलम सिंह आदि ३२५/१४, सुरेन्द्र नाथ सिंह, ग्राम भानुपुर को मारना।

६---स्टेट बनाम राम आलम सिंह आदि ३२३/१४७ जसवन्त सिंह, ग्राम विग्रहपुर को मारना।

७---स्टेट बनाम राम आलम सिंह आदि ३२३/३२४ बच्चा सिंह को मारना।

८---स्टेट मनाम राम आलम सिंह ३०२ जसवन्त सिंह, ग्राम विग्रहपुर की हत्या १८-१२-७०।

९---मोती राय गुप्ता दुवारो को मारना, रिपोर्ट न हुई।

नोट:-ऐसे अनेक मामले है जिनमें डर के कारण लोगों ने रिपोर्ट लिखाई है।

दिनांक १३-११-७१ ह० राम वचन यादव मंत्री क्षेत्रीय सोसलिस्ट पार्टी मधुवन, आजमगढ़

ह० राम वचन यादव।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७७ पर)

अप्रैल, सन् १९७० से नवम्बर ३०, १९७१ तक परियोजना क्षेत्र, फूलपुर, जिला इलाहाबाद में खोले गए उद्योगों की सूची

क्रम-संख्या	उद्योगपति का नाम व पता	उद्योग स्थापना का स्थान	उद्योग का नाम	स्थापना समय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
	विकास खण्ड, फूलपुर				
१	श्री रमा कान्त, दुनियागंज, फूलपुर	दुनियागंज, फूलपुर	फोटोक्रेम	अप्रैल, १९७०	
२	,, रूप नारायन लाल श्रीवास्तव, फूलपुर	चिनियाही	बुक बाइंडिंग	मई, १९७०	
३	,, अब्दुल जब्बार, खुदायपुर	खुदायपुर	पावरलूम वस्त्र	जून, १९७०	इकाई इस समय बन्द है ।
४	,, प्रताप नरायन शुक्ल, बाबूपुर	बाबूपुर	जनरल इंजीनियरिंग	,,	
५	,, गुरुदीन भारतीय, पूरेमहारथ, फूलपुर	पूर महारथ	काष्ठकला व चिराई	,,	
६	,, राम खेलावन हरिजन, लिलहट	लिलहट	चर्म उद्योग	,,	
७	,, परमेश्वर दयाल स्वर्णकार, फूलपुर	चिनियाही	काष्ठ कला	सितम्बर, १९७०	
८	,, झारी विश्वकर्मा इस्माइलगंज, फूलपुर	इस्माइलगंज	,,	,,	
९	,, बाबूलाल, किरांव	किरांव	आयल स्पेलर	,,	
१०	,, मोह० सहबान, पराव, फूलपुर	पराव फूलपुर	काष्ठ कला	,,	
११	,, रियासत उर्फ शमीम, पुराना फूलपुर	पुराना फूलपुर	अटैची सूटकेस	,,	
१२	,, अब्दुल लतीफ, पराव, फूलपूर	पराव फूलपुर	सिले वस्त्र	अक्तूबर, १९७०	यह इकाई बन्द है ।
१३	,, कल्बे हसन जैदी, मैलहन	मैलहन	काष्ठ कला	,,	

१	२	३	४	५	६
१४—श्री हरीराम सिंह, मुबारकपुर ..	..	मुबारकपर	आयल स्पेलर	अक्तूबर, १९७०	
१५—,, राम किशोर, लिलहट हरिजन ..	..	पूरे अछई	चम उद्योग	,,	
१६—,, मेवालाल हरिजन, लिलहट ..	..	लिलहट	,,	,,	
१७—,, सुरेश आप्टिकल वर्क्स, फूलपुर ..	..	फूलपुर	चश्मा फ्रेम	नवम्बर, १९७०	
१८—,, नरायन दास कसरी, फूलपुर ..	..	,,	गुड़ कड़ाह	,,	
१९—,, जगन्नाथ, बौड़ाई ..	..	बौड़ाई	काष्ठ कला	,,	
२०—,, हरीराम हरिजन, मलेथू शाबूगंज ..	..	मलेथ	जूता निर्माण	,,	
२१—,, जिला खादी ग्रामोद्योग संस्था, प्रयाग ..	..	कमलानगर	माचिस	नवम्बर, १९७०	
२२—,, शमीम अहमद, कोरापुर ..	..	कोरापुर लिलहट	पावरलूम वस्त्र	,,	
२३—,, जमील साइकिल कैरियर वर्क्स, फूलपुर ..	..	फूलपुर	कैरियर	दिसम्बर, १९७०	इस समय इकाई बन्द है।
२४—,, नजीर फर्नीचर वर्क्स, फूलपर ..	..	पड़ाव फूलपुर	फर्नीचर	,,	
२५—,, अनीस उड वर्क्स, फूलपुर ..	..	फूलपुर	,,	,,	
२६—,, गंगाधर मिश्र, गिरधरपुर ..	..	गिरधरपुर	आयल स्पेलर	,,	
२७—,, अर्जुन सिंह, फूलपुर ..	..	दरिया पुर फूलपर	ईंट भट्ठा	जनवरी, १९७१	
२८—,, यज्ञ नरायन पाठक, करनाईपुर ..	..	करनाईपुर	धान कुटाई आटा	,,	
२९—,, मूर्त लाल विश्वकर्मा, फूलपुर ..	..	फूलपुर	काष्ठ कला	,,	
३०—,, सीताराम जायसवाल, भमई ..	..	भमई	,,	,,	कार्य बन्द है।
३१—,, मुनीर अहमद, फूलपुर (बाबूपर)	..	बाबूपुर	सीमेंट जाली	,,	इस समय इकाई बन्द है।
३२—,, बकरीदी, पुत्र बच्चा, फूलपुर ..	..	फूलपुर	काष्ठ कला	फरवरी, १९७१	इकाई अब बन्द है।
३३—,, लल्लू पुत्र सुन्दरलाल गुप्त, शेखपुर ..	..	फूलपुर शेखपुर	,,	,,	
३४—,, जिल्लानी मियां, बाबूगंज ..	..	बाबूगंज	टिन स्मिथी	,,	यह इकाई बन्द है।

३५—श्री कमरुद्दीन, पुत्र इमामु द्दीन, फूलपुर	..	..	शेखपुर	जूता निर्माण	फरवरी, १९७१	
३६—,, बड्डे, पुत्र राम नेवाज बकसेड़ा,	..	..	बकसेड़ा	काष्ठ कला	मार्च, १९७१	
३७—,, कलेशर, पुत्र राम औतार, बकसेड़ा	..	..	,,	,,	,,	
३८—,, शीतला प्रसाद शुक्ल, बाबूपुर	..	..	बाबूपुर	नेवाड़ उद्योग	,,	
३९—,, वारे लाल हरिजन, शुक्लाना, फूलपुर	..	..	फूलपुर	जूता निर्माण	,,	इकाई बन्द है।
४०—,, बच्चन लाल, किरांव	..	..	किरांव	आयल स्पेलर	,,	
४१—,, विश्वनाथ हरिजन, बरना	..	..	बरना	चर्म उद्योग	,,	इकाई इस समय बन्द है।
४२—श्रीमती सुशीला देवी, दुनियागंज	..	..	फूलपुर	सिलेसिलाये वस्त्र	,,	,,
४३—श्री महादेव विश्वकर्मा, बीरगंज	..	..	बीरगंज	आटा चक्की	मार्च, १९७१	
४४—,, गोपीनाथ चोपड़ा, विद्यार्थी पेन, फूलपुर	..	..	फूलपुर	फाउन्टेनपेन	अप्रल, १९७१	
४५—,, मोहम्मद नसीम, फूलपुर	..	..	पड़ाव फूलपर	अटैची सूटकेट	मई, १९७१	
४६—,, मोहम्मद हनीफ फूलपर	..	..	दुनियागंज फूलपुर	डाइंग एंवं ब्लीचिंग	,,	इकाई इस समय बन्द है।
४७—,, ओम प्रकाश सोडा सिंह, प्रकाश सोडा वर्क्स, फूलपुर	..		फूलपुर	सोडा वाटर	जून, १९७१	
४८— ,, जमील अहमद, जुगनीडीह	..	..	सोनबरसा जुगनी-डीह।	धान कुटाई आटा मिल।	,,	
४९—,, कृष्ण कुमार जैन, फूलपुर	..	..	फूलपुर (औद्योगिक आस्थान)।	तैयार झोपड़ी	जुलाई, १९७१	
५०—,, छेदी लाल, टटेहरा	..	..	टटेहरा	आयल स्पेलर आटा	,,	
५१—,, अब्दुल मजीद, फूलपुर	..	..	पूरे अछई	विद्युत उपकरण	,,	इकाई बन्द है।
५२—,, शमसुल हसन, पुराना फूलपुर	..	..	पुराना फूलपुर	सिले वस्त्र	अगस्त, १९७१	
५३—,, कुशी हरिजन, दतई का पूरा	..	..	बाबूगंज	काष्ठ कला	,,	
५४—,, शक्ति डाइंग एवं प्रिंटिंग मिल, औद्योगिक आस्थान		..	फूलपुर (ओ० आ०)	रंगाई छपाई धुलाई	सितम्बर, १९७१	
५५—,, चुन्नो लाल स्वर्णकार, फूलपुर	..	..	अनजही फूलपुर	रजत तार खिंचाई	,,	
५६—,, मोहम्मद सिद्दीकी, गुलहरिया	..	..	गुलहरिया फूलपुर	काष्ठ कला	,,	

१	२	३	४	५	६
५७—	श्री मेंहदी हसन, फूलपुर	फूलपुर	काष्ठ कला	सितम्बर, १९६१	
५८—	,, रावदीन, फूलपुर कोहना	फूलपुर	,,	अक्तूबर, १९७१	
५९—	,, हातिम मियां, कोलपर कोहना	,,	,,	,,	
६०—	,, अनीस अहमद, पूरे अछई फूलपुर	,,	,,	,,	
६१—	,, राम दयाल विश्वकर्मा, बाबूगंज	बाबूगंज	,,	,,	
६२—	,, राजेन्द्र सिंह, बाबूगंज	,,	रेडियो वर्क	,,	
६३—	,, हाफिज अब्दुल रहीम, कन्डैलगंज, फूलपुर	फूलपुर	स्क्रीन प्रिंटिंग	नवम्बर, १९७१	
६४—	,, अली अहमद, मैलहन	मैलहन	काष्ठ कला	,,	
६५—	,, जवाहरलाल विश्वकर्मा, मैलहन	,,	,,	,,	
६६—	,, रहमत उल्ला उफ भोला, फूलपुर	फूलपुर	अटैची सूटकेस	,,	
६७—	,, सुरेश जर्दा भण्डार, फूलपुर	,,	जर्दा तम्बाकू	,,	
६८—	,, अब्दुल खालिक, बादलपुर	बादलपुर	दरी निर्माण	,,	
६९—	,, रामा ब्रिक क्लिन, मंसूरपुर	मंसूरपुर	ईट भट्ठा	,,	
७०—	,, श्री नरायन गुप्त, फूलपुर	फूलपुर	रडियो वर्क	,,	

(ब)—विकास खण्ड, बहादुरपुर—

७१—	श्री किशनलाल, हनुमानगंज	हनुमानगंज ..	दाल दराई उद्योग	अप्रैल, १९७०	
७२—	,, मुन्नी लाल ग्राम चक करीम, खानीपुर	चक करीम खानीपुर।	फर्नीचर उद्योग	,,	
७३—	,, अशोक कुमार, झूंसी, इलाहाबाद	झूसी ..	होल्डाल अटैची	मई, १९७०	बन्द है।
७४—	,, मिठाई लाल, बलरामपुर बरेठी	बलरामपुर बरेठी	जूता उद्योग ..	,,	
७५—	,, घनश्याम त्रिपाठी, ककरा	ककरा ..	आयल स्पेलर ..	जून, १९७०	
७६—	,, राम लाल, सोहीपुर	सीहीपुर ..	जूता उद्योग ..	,,	
७७—	,, राम नरेश, वनी	सहसों ..	जता उद्योग ..	जुलाई, १९७०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

७८—	,, विश्वनाथ, बनी	,,	,,	,,	
७९—	,, श्याम लाल, वनी	,,	,,	,,	
८०—	,, नन्दलाल दूबे, हनुमानगंज, सुदनीपुर	हनुमानगंज	बासर उद्योग	अगस्त, १९७०	बन्द है।
८१—	,, अमर नाथ दुबे, सुदनीपुर	,,	टार्च स्विच व रिफ्लेक्टर।	सितम्बर, १९७०	
८२—	,, भाई लाल, सहसों	सहसों	जनरल इंजीनियरिंग	,,	
८३—	,, राम सुमेर विश्वकर्मा, मेंडुवा सहसों	,,	बैंडिंग वर्क	,,	बन्द है।
८४—	,, नरेश चन्द्र अग्रवाल, झूसी	झूसी	स्टील बाक्सेज	अक्तूबर, १९७०	
८५—	,, मसूरियादीन, हनुमानगंज	हनुमानगंज	स्टील बकेट्स	,,	
८६—	,, श्रीराम, ढाकरी	ढाकरी	जूता उद्योग	,,	
८७—	,, भाई लाल, झूसी	झूसी	,,	नवम्बर, १९७०	
८८—	,, पुरुषोत्तम, हनुमानगंज	हनुमानगंज	फर्नीचर	,,	
८९—	,, राम अधार, बनी	सहसों	जूता उद्योग	,,	
९०—	,, मिठाई लाल, कुंवाडीह	कुवांडीह	सिलाई उद्योग	,,	बन्द है।
९१—	,, राम कृपाल, सहसों	सहसों	जूता उद्योग	दिसम्बर, १९७०	
९२—	,, राम खेलावन, कटका	कटका	,,	,,	
९३—	,, बचई राम, सहसों	सहसों	,,	जनवरी, १९७१	बन्द है।
९४—	,, मुहम्मद रऊफ, कुंवाडीह	कुंवाडीह	सिले वस्त्र उद्योग	,,	
९५—	,, अय्यूब खां, कुंवाडीह	,,	,,	,,	बन्द है।
९६—	,, असगर अली ,,	,,	,,	,,	बन्द है।
९७—	,, गुलशन राय, झूंसी	झूंसी	रेडीमेड कालर	फरवरी, १९७१	
९८—	,, अब्दान प्रसाद, मलखानपुर	मलखानपुर	जूता उद्योग	,,	
९९—	,, त्रिलोकी सिंह, सहसों	सहसों	जनरल इंजीनियरिंग	,,	
१००—	,, ललित मोहन कृष्ण त्रिपाठी, सहसों	,,	,,	,,	बन्द है।
१०१—	,, बसन्त लाल सिंह, सहसों	,,	ईंट भट्टा	,,	
१०२—	,, शुक्ला आयुर्वेदिक फामसी, सहसों	,,	आयुर्वेदिक दवायें	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
१०३—	श्री राजा राम, सहसों	सहसों ..	भवन प्रिंटिंग मटीरियल ।	फरवरी, १९७१	
१०४—	,, इन्द्रजीत विश्वकर्मा, ढोकरी	ढोंकरी ..	काष्ठ कला ..	,,	
१०५—	,, बचई राम, झूसी	झूसी ..	क्रीम उद्योग ..	,,	
१०६—	,, छोटे लाल कुशवाहा, कटका	कटका ..	दफ्ती के डिब्बे ..	,,	
१०७—	,, अरुण कुमार अग्रवाल, सहसों	सहसों ..	आइस कैन्डी ..	मार्च, १९७१	
१०८—	,, राम बिहारी त्रिपाठी सहसों	,,	फर्नीचर बिल्डिंग मैटीरियल ।	,,	
१०९—	,, सन्त लाल, मीरापुर	मीरापुर (सहसों)	सिले वस्त्र ..	,,	
११०—	,, बसन्त लाल विश्वकर्मा, सहसों	सहसों ..	दरवाजा खिड़की	,,	
१११—	,, दूधनाथ विश्वकर्मा, सहसों	,,	काष्ठ कला ..	,,	
११२—	,, शाह मुहम्मद, झूसी	झूसी ..	टिन वर्क्स ..	अप्रैल, १९७१	
११३—	,, मोहम्मद साबिर, हनुमानगंज	हनुमानगंज ..	जनरल इंजीनियरिंग	,,	
११४—	,, बाज बहादुर सिंह, सुदनीपुर खर्द	सुदनीपुर खुर्द	इट भट्ठा ..	मई, १९७१	
११५—	,, निरकारी सोप वर्क्स झूसी	झूसी ..	साबुन उद्योग ..	,,	
११६—	,, रमाकांत त्रिपाठी, सहसों	सहसों ..	लकड़ी बाक्स	,,	
११७—	,, सुक्ख , हनुमानगंज	हनुमानगंज ..	काष्ठ कला ..	जून, १९७१	
११८—	,, राम नाथ, इसीपुर	इसीपुर ..	बिल्डिग फिटिंग मैटीयिरल ।	जुलाई, १९७१	
११९—	,, मोहम्मद हारुन, सहसों	सहसों ..	बिल्डिग वर्क्स, स्टील डोर्स, गेट आदि ।	जुलाई, १९७१	
१२०—	,, ग्राम विकास संघ, सहसों	,, ..	लकड़ी के चर्खे व पाया आदि ।	अगस्त, १९७१	

१२१—	,, मेवा लाल, झूसी ..	..	..	झूसी	..	आइस कैन्डी ..	सितम्बर, १९७१	
१२२—	,, ननकू मिस्त्री, झूसी ..	..	..	,,		काष्ठ कला	,,	
१२३—	,, लाल मिस्त्री, झूसी ..	..	..	,,		लकड़ी चिराई	,,	
१२४—	,, मजीद शू स्टोर, हनुमानगंज	..	..	हनुमानगंज	..	जूता उद्योग ..	अक्तूबर, १९७१	
१२५—	,, रऊफ बूट हाउस ..	..	..	,,		,,	,,	बन्द है।
१२६—	,, शिवा इन्डस्ट्रीज हनुमानगंज	..	..	,,		इंजीनियरिंग वर्क्स	,,	
१२७—	,, रफीक अहमद, मलावां बुजुर्ग	..	..	मलावां बुजुर्ग		आयल स्पेलर	अक्तूबर, १९७१	
१२८—	,, के० डी० भट्टाचार्य, झूसी, इलाहाबाद	..	..	झूसी	..	होम्योपैथिक दवायें बनाना।	नवम्बर, १९७१	
१२९—	,, कुंवर बहादुर सिंह, उमरी	..	..	सहसों	..	पी०आर०ए० आई० टाइप शौचालय।	,,	
१३०—	,, महाबीर सिंह, जैतपुर	..	..	जैतपुर	..	ईंट भट्ठा ..	,,	
१३१—	,, मेवा लाल, झूसी	..	..	झूसी	..	साइकिल फ्रेम रंगाई उद्योग।	,,	

(स) विकास खण्ड, प्रतापपुर—

१३२—	,, श्री श्यामाचरण, ग्राम मिश्री, पोस्ट बरौत	..	मिश्री	..	कालीन उद्योग	अप्रैल, १९७०	
१३३—	,, स्वयंवर, ग्राम मिश्री, पोस्ट बरौत ..	..	मिश्री	..	,,	,,	
१३४—	,, बसन्त लाल, गोठवा सराय ममरेज ..	..	गोठवा	..	तेल उद्योग ..	मई, १९७०	
१३५—	,, रामराज ग्राम मिश्री, बरौत, इलाहाबाद	..	मिश्री	..	कालीन उद्योग	,,	
१३६—	,, तीरथ राज, प्रतापपुर	..	प्रतापपुर	.	काष्ठकला उद्योग	जून, १९७० ..	बन्द है।
१३७—	,, लोटन, नि० बिठौली, बरौत, इलाहाबाद..	..	बिठौली	..	कालीन उद्योग	,,	
१३८—	,, राम गरीब, नि० बिठौली, बरौत, इलाहाबाद	..	,,		,,	जुलाई, १९७०	
१३९—	,, मुन्शीलाल, नि० बिठौली, बरौत, इलाहाबाद	..	,,		,,	,,	
१४०—	,, मोती लाल, बारी सराय, ममरेज ..	..	बारी	..	कम्बल तथा कालीन उद्योग।	,,	

१	२	३	४	५	६
१४१—	श्री राम अभिलाष, बिठौली, बरौत ..	बिठौली ..	कालीन उद्योग	अगस्त, १९७०	
१४२—	,, केशवराम, ननुरा, पोस्ट गिर्दकेट ..	ननुरा ..	,,	,,	
१४३—	,, राम दुलारे मौर्या खुर्रमशाहपुर, पो० पिपरी ..	खुर्रमशाहपुर ..	,,	,,	
१४४—	,, राम लखन, बैजपुर बरौत ..	बैजपुर ..	तेल घानी ..	सितम्बर, १९७०	
१४५—	,, धरपाल सिंह, गिर्दकोट ..	गिर्दकोट ..	,,	,,	
१४६—	,, पन्ना लाल, अभयपुर, बरौत ..	अभयपुर ..	,,	,,	
१४७—	,, राम सुन्दर, नेवादा बेला सराय ममरेज ..	नेवादा बेला ..	छपाई .. ,,		बन्द है ।
१४८—	श्री नूरुल्ला हक, पूरे मियां, सराय ममरेज ..	पूरे मियां ..	कन्फेक्शनरी ..	सितम्बर, १९७०	बन्द है
१४९—	,, राम रती, बीबीपुर, गिर्दकोट ..	बीबीपुर ..	कालीन उद्योग	,,	
१५०—	,, लाल मुहम्मद, ऊधौपुर	ऊधौपुर ..	साड़ी तथा पावर लूम ।	अक्तूबर, १९७०	
१५१—	,, बेचन, ऊधौपुर	,,	साड़ी तथा हैन्ड-लूम ।	,,	
१५२—	,, रफी ,, ...	,,	,,	,,	
१५३—	,, रघुनाथ, ग्रा० रसूला मुहम्मदपुर ..	रसूला मु०पुर	चांदी के वर्क ..	दिसम्बर, १९७०	
१५४—	,, बचई शर्मा, सेमरी, प्रतापपुर ..	सेमरी ..	लकड़ी चिराई	जनवरी, १९७१	
१५५—	,, मोती लाल, ग्रा० बीबीपुर ..	बीबीपुर ..	काष्ठ उद्योग ..	,,	
१५६—	,, मोहम्मद मारूफ, ग्रा० चकिया साथर, सराय ममरेज ..	चकिया साथर	ईंट भट्ठा ..	फरवरी, १९७२	
१५७—	,, भग्गल, ग्रा० रिठुआ सराय ममरेज ..	रिठुआ ..	फावड़ा खुर्पी ..	फरवरी, १९७१	
१५८—	,, राम सुमेर, रिठुआ सराय ममरेज ..	,,	,,	,,	
१५९—	,, जगदीश नरायन, ग्रा० व पोस्ट सोरों ..	सोरों ..	आयल स्पेलर	मार्च, १९७१	
१६०—	,, राम नाथ, ,, ,, ..	,,	,,	,,	
१६१—	,, घूरे राम, हसनपुर, सोरों ..	हसनपुर ..	,,	,,	
१६२—	,, हरिहरनाथ, खखचा, नदुला ..	खखचा ..	,,	,,	
१६३—	,, सत्य नरायन, ग्रा० बजती, पोस्ट नदुला ..	बजती ..	,,	,,	

१६४—श्री	ठाकुर दीन, ग्रा० बजती, पो० नदुला ..	..	,,	,,	,,	
१६५— ,,	राम लखन तिवारी, जंघई ..	..	जंघई	..	,,	,,
१६६— ,,	गिरजा शंकर तिवारी, ग्रा० पटवा, जंघई ..	..	पटवा	..	,,	,,
१६७— ,,	सत्य प्रकाश शुक्ल, पिलखनी, जंघई ..	..	पिलखनी	..	ईंट भठ्ठा ..	मार्च, १९७१
१६८— ,,	माता भीख, रिठुआ, सराय ममरेज ..	..	रिठुआ	..	फावड़ा हंसिया	,,
१६९— ,,	शकीर हुसैन, फुलवरिया सराय ममरेज	..	फुलवरिया	..	आयल स्पेलर	,,
१७०— ,,	मुजीब उल्ला, सांडा	..	सांडा	..	आयल स्पेलर	मार्च, १९७१
१७१— ,,	कामता प्रसाद, गोपालीपुर, पो० कटेहरा ..	..	गोपालीपुर	..	,,	,,
१७२— ,,	कन्हैया लाल, सारीपुर	..	सारीपुर	..	काष्ठ उद्योग ..	मई, १९७१
१७३— ,,	पूरनमासी, ग्रा० मसाढ़ी, पो० कटेहरा ..	..	मसाढ़ी	..	जूता उद्योग ..	जून, १९७१
१७४— ,,	लाल मुहम्मद, प्रतापपुर बरौत	..	प्रतापपुर	..	पावरलूम ..	,,
१७५— ,,	भगवती प्रसाद, प्रतापपुर, बिठौली, पो० बरौत	..	बिठौली	..	तेल घानी ..	जुलाई, १९७१
१७६— ,,	अब्दुल हमीद, मिसरी बरौत ..	..	मिसरी	..	,,	,,
१७७— ,,	पवारू, सुल्तानपुर पो० उग्रसेनपुर ..	..	उग्रसेनपुर	..	काष्ठ उद्योग ..	,,
१७८— ,,	जैराम, ग्रा० मनिकापुर, पो० फूलपुर ..	..	पूरे मियां	..	,,	,,
१७९— ,,	लालता प्रसाद, ग्रा० पो० जंघई ..	..	जंघई	..	,,	अगस्त, १९७१
१८०— ,,	राम राज बिन्द, मिश्री बरौत ..	..	मिश्री	..	कालीन उद्योग	,,
१८१— ,,	पन्ना लाल, ग्रा० चकिया गिर्दकोट ..	..	चकिया गिर्दकोट		,,	सितम्बर, १९७१
१८२— ,,	जवाहरलाल ग्रा० बीबीपुर ” ..	..	बीबीपुर	..	,,	,,
१८३— ,,	राम यश, ग्रा० बैजपुर, बरौत ..	..	बैजपुर	..	,,	अक्तूबर, १९७१
१८४— ,,	बंशी लाल, ग्रा० बिठौली, बरौत ..	..	बिठौली	..	,,	,,
२८५— ,,	सुख नन्दन, ग्रा० बैजपुर, बरौत ..	..	बैजपुर	..	,,	,,
१८६— ,,	महादेव दुबे, ग्रा० सराय हरीराम, पो० बीबीपुर	..	सराय हरीराम		तेल घानी ..	,,
१८७— ,,	जीत नरायन, ग्रा० बघेरी, पो० जंघई ..	..	बघेरी	..	,,	नवम्बर, १९७१
१८८— ,,	मोतीलाल, ग्रा० बिठौली, बरौत ..	..	बिठौली	..	कालीन बुनाई	,,
१८९— ,,	राम रखन यादव, मिश्री, बरौत ..	..	मिश्री	..	,,	,,

१	२	३	४	५	६
१९०—श्री भद्दर, ग्रा० मिश्री, बरौत ..	..	मिश्री	कालीन बुनाई	नवम्बर, १९७१	
१९१— ,, मोहम्मद मारूफ, चकिया साथर, सराय ममरेज ..	..	चकिया साथर	तेल घानी ..	,,	
१९२— ,, महमूद, ग्रा० गोपालीपुर, पो० कटेहरा ..	..	गोपालीपुर ..	,,	,,	
१९३— ,, शाह मुहम्मद, ग्रा० मिश्री, पोस्ट बरौत ..	..	मिश्री ..	कालीन उद्योग	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७८ पर)

निरीक्षण आख्या अन्सार हायर सेकेन्ड्री स्कूल, मुरादाबाद

दिनांक २६-८-६८ को अन्सार हायर सेकेन्डरी स्कूल, मुरादाबाद का निरीक्षण किया गया ।

विद्यालय हाई स्कूल स्तर पर साहित्यिक तथा वैज्ञानिक वर्ग में मान्यता प्राप्त है । कोई अवैधानिक विषय विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा है ।

प्रबन्धक:—विद्यालय की मान्यता समिति विधिवत् रजिस्टर्ड है ।

प्रशासन योजना:—विद्यालय की प्रशासन योजना उप-शिक्षा निदेशक, बरेली द्वारा अनुमोदन प्राप्त है । विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव ३०-६-६८ को हो चुका है । अगला चुनाव तीन वर्ष पश्चात् हो जाना चाहिये । प्रबन्ध समिति के सदस्यों की संख्या पन्द्रह है । सत्र ६७-६८ में ९ बैठकें हुयी हैं । वर्तमान अध्यक्ष, हाजी अब्दुल हई तथा प्रबन्धक बाबू अशफाक हुसैन अन्सारी हैं । पदेन सदस्य हाजी मुमताज हुसैन अन्सारी (प्रधानाचार्य) तथा शिक्षा सदस्य, सर्वश्री अली मुहम्मद व मुहम्मद उमर हैं ।

आर्थिक स्थिति:—संस्था की आर्थिक स्थिति संतुलित है। वर्ष १९६७-६६ का आय-व्यय निम्न प्रकार है :—

आय	रु०	व्यय	रु०
१—प्रारम्भिक व्यय	२.३३	वेतन अध्यापक ..	२,२४१.११
२—अनुरक्षण अनुदान	१४,६४०.००	,, कर्णिक ..	७२०.००
३—विज्ञान अध्यापक के वि०	१,१४९.६८	,, वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	२,०४३.००
४—स्पेशल वेतन जे० टी० सी०	१९२.००	टी० ए० अध्यापक ..	३,७३९.७९
५—क्षतिपूर्ति अनु० जाति	५००.००	ऐडहाक कर्णिक ..	२४०.००
६—न० पा० अनुदान	१,२००.००	,, ,, ..	१८०.००
७—प्राभूत से आय	८००.००	टी० ए० कर्मचारी ..	१,४४०.००
८—कन्ट्रीब्यूशन ..	१,३००.००	एडहाक कर्मचारी ..	१,४४०.००
९—शिक्षण शुल्क ..	११,७१५.५०	प्राविधाई अंश ..	५१८.३५
१०—रोशनाई शुल्क	२४५.५८	कन्टीजन्सी ..	२४४.७०
११—विज्ञान शुल्क ..	४४९.००	रेट ऐण्ड ..	३०.८६
१२—आर्ट ऐन्ड क्राफ्ट	३१०.००	मरम्मत ..	१.५०
१३—पुनः प्रवेश शुल्क	९१.००	बिजली, पानी इत्यादि	६६१.७७
१४—महंगाई शुल्क ..	२,३२५.२५	विज्ञापन ..	८२.७५
१५—एस० आर० शुल्क	७३.००	स्टेशनरी ..	८५.८७
१६—दण्ड शुल्क ..	८०३.००	अपकीप आफ साइंस	३.६०
योग ..	३७,०८३.८८	..	३६,८६९.८६

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि क्रम-संख्या ११,११,१२ पर अंकित विज्ञान एवं कला शुल्क का व्यय उन्हीं मदों पर नहीं किया गया है यदि आय का बराबर व्यय नहीं होता है तो शुल्क लेना उस समय तक बन्द कर लिया जाय जब तक कि विगत वर्षों की आय का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो जाता है।

प्राभूत:---१५,००० रु० की प्राभूत की सम्पत्ति के रूप में तहसीलदार द्वारा प्रमाणित है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के पद में अनुबंदित है। प्राभूत सम्पत्ति से ६०० रु० की वार्षिक आय होती है जो अनुरक्षण अनुदान की कैश बुक में जमा हो जाती है।

सुरक्षित कोष:---सुरक्षित कोष ३,०५० रु० को बचत प्रमाण-पत्रों तथा डिफेंस बाण्ड के रूप में है जो जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद के पद में अनुबंधित है।

भवन:---विद्यालय का अपना निजी भवन सुन्दर तथा स्वच्छ भवन है जो वर्तमान आवश्यकता के लिए पर्याप्त है इस समय भवन में निम्न प्रबन्ध है।

16 शिक्षण कक्ष हैं जिनमें विज्ञान की प्रयोगशाला भी सम्मिलित है।

प्रशासकीय कक्ष इन से अतिरिक्त है।

विद्यालय को वर्ष 1965-66 में 5,000 रु० का भवन अनुदान स्वीकृत हो चुका है जिसका उपभोग प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।

विज्ञान प्रयोगशाला ठीक है तथा शिक्षण सामग्री आवश्यकतानुसार पर्याप्त है। छात्रों की साइकिलों हेतु साइकिल स्टैन्ड का प्रबन्ध समिति प्रबन्ध करने की ओर विशेष ध्यान दें।

कक्षा प्रवेश:---विद्यालय में निम्नांकित कक्षायें चल रही हैं:---

कक्षा ६	.. तीन उप विभाग ..	..	१३५
कक्षा ७	.. दो ,, ,, ..	..	९०
कक्षा ८	.. दो ,, ,, ..	..	६९
कक्षा ९	.. तीन ,, ,, ..	..	९८
कक्षा १०	.. दो ,, ,, ..	..	६७
	१२	..	४५०

सज्जा: बैठकीय:---विद्यालय में आवश्यकतानुसार सज्जा पूर्ण है तथा कुछ बैठकीय सज्जा अधिक है। जो श्रेयस्कर है। बैठकीय सज्जा का विवरण निम्न प्रकार है:---

एकांकी डेस्क	..	..	..	.. ५५०
अध्यापकों की कुर्सी	..	..	..	.. ३०
एकांकी कुर्सियां	..	..	..	.. ६००

शैक्षिक सहायक उपकरण:---विद्यालय में १०,५०० रुपये का विज्ञान का सामान उपलब्ध है जिस में लगभग ३,५०० रु० का जीव विज्ञान का भी सामान है। विद्यालय को १९६५-६६ में २,००० रु० का विज्ञान अनुदान स्वीकृत हो चुका है जिसका उपभोग बराबर का अंश लगा कर दिया गया है। प्रयोगशाला में विज्ञान की सामग्री आवश्यकतानुसार पर्याप्त है।

अन्य विषयों के चार्ट नक्शे तथा अन्य सामग्री भी संतोषप्रद है।

पुस्तकालय तथा वाचनालय---संस्था के पुस्तकालय तथा वाचनालय की स्थिति निम्न प्रकार है :---

१---ना०शा०	पुस्तक संख्या	५०	विज्ञान की पुस्तक संख्या	५०
२---इतिहास	,,	३५	व्यापार वि०	१५
३---अर्थशास्त्र	,,	३०	अंग्रेजी	८०
४---शब्दकोष		१०	हिन्दी	१५०
५---भूगोल		२५	आर्ट	३०
६---गणित		५०	उर्दू	३१७
७---विश्वभारती		५	अन्य	३५०

विगत निरीक्षण के पश्चात् विद्यालय में ३५ विज्ञान की पुस्तकों में वृद्धि की गई है जिसकी आपत्ति पिछले निरीक्षण में उठाई गई थी।

प्रधानाचार्य पुस्तकालय के प्रयोग के लिये कक्षावार पुस्तकों के वितरण की योजना बना-कर उसे क्रियान्वित करें जिसके लिये विगत निरीक्षण में भी कहा गया था, इस निरीक्षण में भी प्रधानाचार्य व अन्य अध्यपकों से ।

वाचनालय में निम्न पत्र-पत्रिकायें आ रही हैं जिनकी संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है ।

समाचार-पत्र		साप्ताहिक पत्रिकायें ४
१---अंग्रेजी	..	२
२---हिन्दी	..	२
३--- उर्दू	..	४

विद्यालय को वर्ष १९६५-६६ में २,५०० रु० पुस्तकालय अनुदान के लिये स्वीकृत हुआ है जिसका उपभोग अभी तक नहीं किया गया है अनुदान के उपभोग की समय वृद्धि जून, १९६९ तक करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया है। प्रबंध समिति ने अंश का १४७६.६२ रु० व्यय कर दिया है, शेष का व्यय का राजकीय अनुदान का उपभोग समय से अवश्य कर लिया जाए । उपभोग प्रमाण-पत्र इस कार्यालय भेजा जांए ।

क्रीड़ास्थल---विद्यालय के पास अभी विद्यालय का निजी क्रीड़ास्थल नहीं है। विद्यालय के प्रांगण में ही खेल खिलाये जाते हैं। विद्यालय प्रबन्ध समिति निर्धारित माप का क्रीड़ास्थल क्रय करने की ओर ध्यान दें । क्रीड़ास्थल हेतु विभाग द्वारा भी अनुदान स्वीकृत किया जाता है ।

शिक्षक वर्ग---विद्यालय में इस समय प्रधानाचार्य सहित २० शिक्षक कार्य कर रहे हैं जिनमें केवल एक शिक्षक, श्री अमीन उद्दीन की नियुक्ति नहीं स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनकी नियुक्ति १९ अगस्त, १९६८ को की गई है।

एक कर्णीक तथा ७ पारिवारिक कार्य कर रहें हैं जिनके पद की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। प्रबन्धक इस ओर ध्यान दें कि समस्त शिक्षकों को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से वेतन वितरित कर दिया जाया करे।

विगत निरीक्षण के समय चेक द्वारा वेतन वितरण करने को कहा गया था परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस वर्ष सरकार के आदेश प्राप्त हो गये हैं कि समस्त

कर्मचारियों को वेतन चेक द्वारा दिया जाय । चेक द्वारा वेतन वितरित न करने पर अनुरक्षण अनुदान रोक दिया जायेगा ।

पी० एफ० का धन भी जून, १९६८ तक का जमा कर दिया गया है इसको भी वेतन वितरण के साथ ही प्रति माह पोस्ट आफिस मे जमा कर देना चाहिये ।

प्रधानाचार्य का सामान्य प्रबन्धक—यह देख कर प्रसन्नता हुई कि प्रधानाचार्य ने शिक्षकों के निरीक्षण का कार्य विधिवत आरंभ कर दिया है जिसके दिये एक प्रारम्भ छपवा लिया है। प्रधानाचार्य ने अब तक समस्त शिक्षकों के शिक्षण तथा लिखित कार्य का परीक्षण एक कर लिया है ।

शिक्षण कार्य—कक्षा ६ की भाषा और कला की कक्षायें देखने का अवसर मिला । कक्षा ६ में भाषा मैं अध्यापक ने कई स्थानों पर विद्यार्थियों को अशुद्ध अर्थ लिखाये । संशोधन का कार्य उचित रूप से नहीं हुआ था । अनेक त्रुटियां देखने को मिलीं उसकी ओर ध्यान दिया जाय ।

कक्षा ६ व विभाग में भाषा में मुझे बताया कि कुछ कार्य शुद्ध कापियों में हुआ है, कुछ रफ कापियों में होता है । रफ कापियों का अभ्यास बालकों को अनियमित अशुद्ध कार्य करने का अवसर देता है । जो उचित नहीं है । इस पद्धति को बन्द करने की आवश्यकता है । पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों का सहयोग अवश्य प्राप्त किया जाय ।

कक्षा १० की अंग्रेजी और गणित कक्षाओं को देखने का अवसर मिला अंग्रेजी की कक्षा में डाइरेक्ट एण्ड इन डाइरेक्ट के परिवर्तन का अभ्यास कराया जा रहा था । अभ्यास में बालकों का उचित सहयोग लिया गया । कापियों में कुछ में संशोधन का कार्य हुआ था परन्तु अधिकांश कापियों में यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ था । कक्षा में बच्चों को मारना उचित नहीं है, यह उनके मानसिक विकास में बाधक होता है ।

गणित की कक्षा में अधिकांश कापियों को अध्यापक ने नहीं देखा था । ज्यामिति का कार्य स्वच्छ एवं सुन्दर होना चाहिये । साधारणतया इसका अभाव देखने को मिला । रेखा चित्र बनाने में जो सावधानी बरतनी चाहिये उसको ओर ध्यान नहीं दिया । जो अभ्यास बालक पूर्ण कर चुके थ उसका भी उनको ठीक प्रकार ज्ञान नहीं था और प्रश्न पूछे जाने पर वे स्पष्ट नहीं कर सके । अभ्यास कराते समय यह देखना नितान्त आवश्यक है कि विद्यार्थी समझ रहे हैं अथवा नहीं ।

कक्षा ९ में व गणित के पाठ में उपरोक्त कमी देखने को मिली बीज गणित के पाठ में अध्यापक प्रश्न करते थे और स्वयं ही उसका उत्तर भी दे देते थे । विद्यार्थियों को अवसर मिलना चाहिये तब ही वे पाठ समझते और उनकी वृद्धि का विकास होगा ।

कक्षा ७ में अध्यापक ईदगाह का पाठ पढ़ा रहे थे और पूरे समय वे पाठ की कहानी स्वयं कहते रहे यदि सही अवसर बालकों को मिलता तो उनका विकास ही होता और उनको बोलने का अभ्यास होता । यही कार्य अध्यापक के करने से विद्यार्थी केवल श्रोता के रूप में बैठे थे । अध्यापक को पाठ स्वयं प्रस्तुत करते समय अपनी भाषा की ओर भी ध्यान देना चाहिय ।

कक्षा ७ शिल्प में कुछ अभ्यास कराया जा चुका है कुछ लिफाफे व अन्य उपयोगी सामग्री बनवाई गई हैं ।

कक्षा ९ व १० के विज्ञान में प्रयोगात्मक कार्य इसी महीने से आरम्भ हो सका है जिसके कारण से अभी तक २ या ३ प्रयोग पूर्ण किये गये हैं । प्रयोगात्मक कार्य आरम्भ से ही नियमित रूप से कराने पर अवश्य समाप्त हो जायगा । प्रयोगशाला सन्तोषजनक देखने को मिली, उपकरण पर्याप्त हैं जिनसे कक्षा ९ के सभी विद्यार्थी एक साथ कार्य कर सकत हैं ।

परिषदीय परिक्षाफल का स्तर---विद्यालय का विगत तीन वर्ष का बोर्ड का परीक्षा फल निम्न प्रकार रहा है।

१९६६	९/२४	३८ प्रतिशत
१९६७	१८/५५	३३ प्रतिशत
१९६८	२०/४४	४६ प्रतिशत

उपरोक्त तालिका के अनुसार यद्यपि विद्यालय की परीक्षाफल विगत वर्ष से ऊंचा उठा है परन्तु सामान्य स्तर सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता है। अभी भी अध्यापकों एवं प्रधानाचार्य को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रधानाचार्य जिला स्तर पर चलाई गई योजनाओं के विद्यालय में विधिवत् आरम्भ करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा की जाती है कि विगत वर्ष परीक्षाफल और ऊंचा होगा।

अनुशासन---यह प्रसन्नता का विषय है कि विद्यालय में अनुशासन की कोई समस्या नहीं है। विद्यालय का अनुशासन सन्तोषजनक मिला।

सह शैक्षिक कार्यकलाप---प्रधानाचार्य के कथानुसार शुल्क दिवस तथा मास के अन्तिम दिन यह शैक्षिक कार्यों का प्रबन्ध किया गया है। प्रधानाचार्य इन कार्यों को नियमित रूप से अवश्य करायें ।

प्रोजेक्ट्स---निरीक्षण के समय दफ्ती के कार्य की सामग्री छात्रों द्वारा बनाई गई देखने को मिली। विद्यालय को आवश्यकतानुसार लिफाफे, फाइलकवर छात्रों द्वारा बनाये जाते हैं ।

स्काउटिंग तथा रेडक्रास---विगत वर्ष के सुझाव के अनुसार प्रधानाचार्य ने अपने विद्यालय के स्काउटिंग तथा रेडक्रास के दलों को रजिस्टर्ड करा लिया है तथा शिक्षकों को इस कार्य हेतु आयोजित प्रशिक्षण में भी भेजा गया है। इन योजनाओं को प्रधानाचार्य सफल रूप से अपने विद्यालय में चलायेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

अल्प योजना---यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रधानाचार्य ने अपने विद्यालय के समस्त शिक्षकों सी० टी० डी० एकाउन्ट खुलवा दिये हैं। प्रधानाचार्य प्रति वर्ष जमा किये गये धन को आस्था निर्धारित प्रपत्र पर इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया करें।

ह० आत्म प्रकाश,
जिला विद्यालय निरीक्षक,
मुरादाबाद ।

कैशबुक अनुरक्षण अनुदान---कैश बुक १३ अगस्त, १९६८ तक भरी हुई पूर्ण पाई गई। १ अप्रैल, १९६७ का प्रारम्भिक योग २३२.३३ था जिसमें १०३.९८ प्रबन्धक के हाथ में थे।

कैशबुक में समय-समय पर ऋण लिया जाता है परन्तु कोई ऋण रजिस्टर नहीं बनाया गया है। जिससे सत्यता प्रमाणित नहीं होती । ऋण लेने तथा देने की कोई रसीद नहीं रखी जाती है ।

नगरपालिका से प्राप्त अनुदान तथा क्षतिपूर्ण अनुदान के बिल ग्रान्ट रजिस्टर पर नहीं चढ़ाये गये हैं। ग्रान्ट रजिस्टर पर प्रबन्धक के हस्ताक्षर नहीं हैं।

विद्यालय के नाम से जितना भी धन प्रबन्ध सभिति या किसी से भी प्राप्त किया जाय उसकी रसीद दी जाय जिससे सत्यता प्रामाणित हो सके।

दिनांक ४ दिसम्बर, १९६७ को १३०० रुपये का ऋण बेसिक सेक्शन से लिया गया है मत्यता प्रमाणित करने के लिये बसिक सेक्शन की कैश बुक मांगी गई परन्तु बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई। स्पष्ट किया जाय तथा कैश-बुक आख्या प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर दिखाई जाय अन्यथा कक्षा १ से ५ की क्षतिपूर्ण रोक दी जायगी ।

टिकट व्यय रजिस्टर अलग से बनाया जाय तथा उसी में हिसाब रखा जाय।

विगत निरीक्षण में आपत्ति करने के पश्चात् भी प्रबन्धक के साथ धन अधिक रहा है जो अनियमित है। समस्त आय को पहले पास बुक में जमा किये जाया करे उसके बाद आवश्यकतानुसार धन निकाला जाय। इस नियम का पालन न करने पर विभागीय कार्यवाही की जायगी।

१३-६-६८ का योग

हाथ में	..	..	१७--०० पै०
बैंक में	..	..	३१५--८७ पै०
पासबुक में	..	..	५--०० पै०
प्रबन्धक के पास	..	..	६९३--१० पै०
योग	..		१०३१--०३ पै०

उरोक्त विवरण के अनुसार भी प्रबन्धक के हाथ में धन अधिक है यदि इसको न रोका गया तो विद्यालय की इस धन पर हुई हानि प्रबन्धक अपने निजी श्रोत से देने के उत्तरदायी होंगे। हाथ में केवल १००.०० प्रधानाचार्य के छोट मोटे व्यय करने के लिये रखना चाहिये।

छात्र निधियां :--विद्यालय में निम्नांकित छात्र निधियां चालित हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है ।

(क) विकास शुल्क :--

१-४-६७ का योग

हाथ में	..	..	२--४३ पै०
पास-बुक में	..	..	१४६६--०० पै०
योग	..		१४६८--४३ पै०

इस निधि में २५ जुलाई, १९६७ से हाथ में बहुत अधिक धन रखना आरम्भ किया गया है। ८०६.०४ रु० तथा मार्च, ६८ तक लगभग १८६० रु० का योग हाथ में रहा है तथा मई में १९९५ रु० धन हाथ में है ।

मई तक की कैशबुक भरी गई है। जुलाई १९६८ से अनुरक्षण अनुदान को कैशबुक में आय जमा की जा रही है उसका आधा अंश विकास शुल्क की कशबुक की स्थानान्तरित किया गया है ।

प्रबन्धक महोदय हाथ में रखा धन तुरन्त कैश बुक में जमा कर दें तथा भविष्य में इस निधि की आय प्रति दिन पास बुक में जमा हो जानी चाहिये।

अन्य निम्न छात्र निधियों की कैशबुक में अगस्त, १९६८ तक भरी हुई पूर्ण पाई गई जिनमें विशेष रूप से प्रधानाचार्य का ध्यान शिक्षा संहिता की धारा १०१ के फुट नोट की ओर आक-

षित किया जाता है उसके अनुसार व्यय होना अनिवार्य है अन्यथा छात्रों से शुल्क लना बन्द कर दिया जाय ।

१--क्रीड़ा निधि २--पत्रिका निधि ३--परीक्षा निधि
४--श्रव्य दृष्य निधि ५--निर्धन छात्र निधि ६--वाचनालय निधि

नाइता निधि--शुल्क लेना बन्द कर दिया गया है। अन्तिम योग २७३.४४ रु० जिस का उपयोग करना शष है। प्रधानाचार्य इस शुल्क को पुनः लेकर यथा सम्भव इस योजना को प्रारम्भ करने की ओर ध्यान दें ।

शुल्क रजिस्टर--कटिंग तथा ओवर राइटिंग कम किये जायं। प्रथम पृष्ठ की पूर्ति की जाय।

एस०आर० रजिस्टर--इस वर्ष नये २१८ छत्रों का प्रवेश हुआ है जिनके एस०आर० बना लिये गये हैं।

(ह०)क० अ० जैदी
शिविर कर्णिक
कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक ।

(ह०) आत्म प्रकाश
जिला विद्यालय निरीक्षक,
मुरादाबाद ।

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे १८० पृष्ठ पर)

इलाहाबाद जिले में १ जनवरी, १९६८ से ३० सितम्बर, १९७१ तक उद्योगों के लिये वितरित ऋण का विवरण

ऋणी का नाम	उद्योग का नाम	वितरित धनराशि
		रु०
१—श्री जगदीश नारायण चौपड़ा ७१/८३ चौगंगादास।	रबर स्टैम्प बैजेज	२,५००
२—श्रीमती कुंवारी देवी, ४ कमला नेहरू जरोड।	पैकिंग बाक्सेज	४,०००
३—श्री रियाज अहमद २४९/३२४ बक्शी-बाजार।	जनरल इंजीनियरिंग	५,०००
४—श्री विश्वनाथ अग्रवाल ५५/६१ चेक ..	पेपर एण्ड कार्डबोर्ड ..	४,५००
५—श्री बंगालीमल २३१ अतरसुइया ..	उडन फर्नीचर ..	२,५००
६—श्री गौरी शंकर ५७१ मालवीयनगर	वाशिंग सोप	२,५००
७—श्री त्रिलोकीनाथ ४५८ बादशाही मंडी	युटेंसिल मेकिंग	५,०००
८—श्री राधेश्याम १६८ उघामंडी ..	बटर मेकिंग	७,०००
९—श्री राम संजीवन लाल २९ पत्थरगल नखास कोना।	सिल्वर आर्नामेंट्स	५,०००
१०—श्री महेश चन्द ५८ जवाहरलाल नेहरू नेहरू रोड।	हास्पिटल फर्नीचर	११,०००
११—श्री रघुवंश कुमार मिश्रा गांव पट्टी	तार खींचने का उद्योग	१२,०००
१२—श्री मूल चन्द गुप्ता गांव करमा तहसील करछना।	रेडियो एसेम्बिलिंग	६,५००
१३—श्री गोपी चन्द अहूजा ४६ मुन्डिया बाजार।	बिजली तथा लकड़ी के बक्से	६,०००
१४—श्रीमती शांति देवी जैन ३६३, राजावारा का हाता, मुट्ठीगंज।	कृषि यन्त्र	१२,०००
१५—मेसर्स इलाहाबाद स्पन पाइप (प्र०) लि० ३३ दरभंगा केसेल।	आर०सी०सी० स्पन पाइप एण्ड एलाइट प्रोड्क्स मैन्यु-फक्चरिंग।	३०,०००
१६—मेसर्स हिन्दुस्तान पैकर्स २४१ रानी मंडी	प्रिंटिंग एण्ड पेपर प्रोडक्ट्स	२५,०००
१७—मेसर्स प्रकाश डाइंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स ५०७ कटरा बाजार।	प्रोसेस डाइंग एण्ड प्रिंटिंग क्लाथ	४९,०००
१८—मेसर्स साइमन्ड्स एण्ड कं० (प्रा०) लि० १५ एल्गिन रोड।	स्पोर्टस गुड्स	९५,०००
१९—मेसर्स भारत स्ट्रा बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स (प्रा०) लि० इन्डस्ट्रियल कालोनी, नैनी	मिल बोर्ड एन्ड ग्रे बोर्ड मैन्युफक्चरिंग।	१,००,०००
	कुल योग	३,८४,५००

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

सूची

१—श्री अमरेज सिंह
२— ,, छोटे लाल मिश्र
३— ,, राज बिहारी मिश्र
४— ,, राम कृष्ण त्रिपाठी
५— ,, लाल जी श्रीवास्तव
६— ,, सीताराम तिवारी
७— ,, राममणि त्रिपाठी
८— ,, अजय प्रसाद
९— ,, महेन्द्र नाथ
१०— ,, कृष्ण गोपाल
११— ,, भारत बिहारी झा
१२— ,, चन्द्र शेखर
१३— ,, राम अनुज पांडेय
१४— ,, सीता राम पांडेय
१५— ,, एम० ए० खां।

संसद सदस्य महोदय

नत्थी 'ण'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९५ पर)

श्री मुमताज मोहम्मद खां द्वारा पूछा गया दिनांक २७ अगस्त, १९७१ के लिये निर्धारित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैदी संख्या ६७१५, मंजूर खां, सेंट्रल जेल वाराणसी, जिसको कि २२ या २३ वर्ष सजा काटते हुए हो गये हैं, को अबतक किन कारणों से मुक्त नहीं किया गया, और उसको क्या सरकार शीघ्र ही मुक्त करने पर ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ?	४—बंदी-मंजूर खां को सत्र न्यायाधीश, बुलन्द शहर के न्यायालय से दिनांक ३१ अगस्त, १९४९ को धारा ३९६ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आजन्म कारावास का दन्ड दिया गया था। दिनांक २० अगस्त, १९७१ को बन्दी ने २१ वर्ष ११ माह १९ दिवस का अपरिहार दन्ड भोगा है। उसको अभी तक इसलिये मुक्त नहीं किया गया कि रिवाइजिंग बोर्ड ने बन्दी को समय से पूर्व छोड़ने की संस्तुति नहीं की थी और जिला प्रशासन ने भी बन्दी को खतरनाक अभियुक्त बताया था। शासन बन्दी की मुक्ति के प्रश्न पर पुनः विचार कर रहा है।

स्वामी प्रसाद सिंह,
कारागार मन्त्री।

पी० एस० य० पी०—ए० पी०—२७२ एल० ए०—१९७२—८४५—(मग०)